अष्टम माला, खंड 11, अंक 11

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1985
12 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 11, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1985/12 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 205, 209 से 212, 217 और 218	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	28—209
तारांकित प्रश्न संख्या : 202, 207, 208, 213 से 216 और 219 से 221	28—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2153 से 2174, 2176 से 2206, 2208 से 2216, 2218 से 2318, 2320 से 2343, 2345 से 2358 और 2360 से 2384	33—209
एक सदस्य की कथित गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष महोदय को न देने के लिए कलकत्ता के पुलिस आयुक्त के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय	209—211
श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय	211—215
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	215—216
प्रधानमंत्री की वियतनाम और जापान यात्रा के बारे में वक्तव्य	217—219
विधेयक—पुरःस्थापित	219—220
(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985	219—220
(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, विधेयक, 1985	220
नियम 377 के अधीन मामले	220—223
(एक) केरल के पालघाट जिले के मन्नारघाट और चित्तूर तालुकों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	220

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) दिल्ली में अस्पतालों की दशा को सुधारने और दो नये अस्पताल खोलने की आवश्यकता	
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	221
(तीन) उत्तर प्रदेश में रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	222
(चार) आन्ध्र प्रदेश में होर्सली हिल्स और पालाकोन्डा हिल्स पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	222
(पांच) केरल में इट्टुमनूर, कोट्टायम, स्थित उत्पादन केन्द्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता	222
श्री सुरेश कुरूप	
(छः) उत्तर गोआ के लोगों के हितार्थ मॉडोवी और तिल्लारी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री शांताराम नायक	223
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)	223—289
श्री सुरेश कुरूप	223
श्री मानवेन्द्र सिंह	225
श्री गिरधारी लाल डोगरा	226
प्रो० मधु दंडवते	229
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	230
श्री विजय कुमार यादव	243
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	245
श्री बनवारी लाल पुरोहित	247
श्री एस० पलाकोंड्रायुडू	249
श्री डालचन्द्र जैन	250
श्रीमती प्रभावती गुप्त	252
श्री अब्दुल रशीद काबुली	253
श्री महेन्द्र सिंह	258
श्री शान्ति धारीवाल	260
श्री पी० अप्पालानरसिंहम	261

विषय	पृष्ठ

श्री मूल चन्द डागा	263
श्री राम पूजन पटेल	266
डा० दत्ता सामन्त	268
श्री दिलीप सिंह भूरिया	271
श्री पी० षण्मुखम	273
श्री चित्त महाता	275
श्रीमती ऊषा ठक्कर	277
श्री राम प्यारे सुमन	279
श्री एम० महालिंगम	281
श्री रणबीर सिंह	282
डा० गौरी शंकर राजहंस	284
श्री सी० जंगा रेड्डी	285
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	288
औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के बारे में वक्तव्य	289--290
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	289
कार्य-मंत्रणा समिति	291
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—जारी	291—300
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	291
श्री गंगा राम	292
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	293
श्री हरीश रावत	295
श्री काली प्रसाद पाण्डेय	296
श्री एम० एल० झिकराम	298

लोक सभा

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1985/12 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त प्रसाद सेठी—अनुपस्थित ।

श्री जगन्नाथ चौधरी ।

दोहरी घाट, उत्तर प्रदेश में ताप-विद्युत एकक स्थापित करना

*203 **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजमगढ़ जिले में दोहरी घाट में एक ताप-विद्युत एकक स्थापित करने का विचार है, ताकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों—आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर और बलिया को बिजली की पूरी सप्लाई सुनिश्चित की जा सके;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के एक अध्ययन दल ने इस एकक की स्थापना की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए उस स्थान का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[अनुवाद]

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) एक परियोजना रिपोर्ट स्थापित करने के लिए··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ चौधरी : हिन्दी में बोलिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं हिन्दी में ही बोलूंगा, जरा इसे पढ़ लेने दीजिए । वैसे यह शिकायत आपको होगी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ये पढ़ते अंग्रेजी में हैं और बोलते हिन्दी में हैं ।

श्री बालकवि बैरागी : आरिफ भाई सोचते किस भाषा में हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हिन्दी में ।

[अनुवाद]

(क) से (ग) दोहरी घाट में एक ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट) स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 1978 में एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की थी। स्कीम में सिंगरौली कोयला-खानों से प्राप्त कोयले के समुपयोजन की व्यवस्था है।

सिंगरौली कोयला खानों से प्राप्त कोयले की 1989-90 तक की बुकिंग होने के कारण तथा सिंगरौली से कोयले की रेल द्वारा ढुलाई की उपयुक्त सुविधा न होने के कारण इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। अत: उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सलाह दी गई थी कि इस स्कीम को बाद में प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने इस स्कीम का मामला पुनः नहीं उठाया है तथा यह परियोजना यू० पी० की सातवीं योजना में शामिल नहीं की गई है।

[हिन्दी]

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : मुख्तसर में हिन्दी में बता दीजिए, समझ में नहीं आया होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हिन्दी में बता दूं ?

श्री वसंत साठे : **उनको बेचारों को समझ में नहीं आया होगा।**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस परियोजना से संबंधित उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा 1978 में 210 मेगावाट की दो यूनिट दोहरी घाट में लगाने के लिए प्रपोजल आया था और इस परियोजना के लिए सिंगरौली कोलरीज से कोयला लेने की बात कही गई थी। इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि सिंगरौली कोलरीज में कोयले की बुकिंग 1989-90 तक पहले ही हो चुकी थी और इसके अतिरिक्त रेल से कोयला ले जाने की सुविधा भी वहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सीधा कर लिया चौधरी साहब ने।

श्री जगन्नाथ चौधरी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिजली के अभाव के कारण आजमगढ़ की दोहरी घाट परियोजना और बलिया जिले की तुरतीपार कैनाल परियोजना पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं और राजकीय नलकूप से विद्युत के अभाव में भी वह पूरा काम नहीं कर पा रही हैं। विद्युत के अभाव के कारण पूर्वांचल में कोई फैक्टरी नहीं लग सकती है। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के विकास के लिए, वहां की खेती की तरक्की के लिए दोहरी घाट परियोजना और तुरतीपार कैनाल परियोजना को पूरी क्षमता से पानी मिल सके, मैं मंत्री जी से अपील करूंगा, कि पूर्वांचल के विकास के लिए तुरतीपार में जो रेलवे की बड़ी लाइन आ रही है, आप वहां पर ताप विद्युत केन्द्र बनाने की कृपा करें जहां पर घाघरा का पानी समुचित तरीके से मिलेगा जिससे पूर्वांचल का कल्याण और विकास होगा। आज वहां पर कल-कारखाने नहीं लग रहे हैं, विद्युत केन्द्र बन जाने से वहां कल-कारखाने भी खुलेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, बिजली के उत्पादन और पारेषण की योजना यह प्रदेश के किसी एक हिस्से को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जाती है बल्कि अब तो प्रदेश से आगे बढ़कर

क्षेत्रीय योजनायें बनायी जा रही हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि एक रीजन में पड़ने वाले जितने राज्य हैं, उसके लिए बिजली उपलब्ध करायी जा सके। अगर वहां पर कोई एक पावर स्टेशन होगा या किसी एक क्षेत्र में लगा भी दिया जाये तो उस पावर स्टेशन से बनने वाली बिजली उस क्षेत्र के लिए नहीं हो सकेगी। इसके लिए तो ट्रांसमीशन सिस्टम है। किसी भी जगह बनने वाली पावर स्टेशन की जो बिजली है वह पहले ग्रिड में फेंक की जाती है और फिर ग्रिड से विभिन्न भागों में उस बिजली को सप्लाई किया जाता है। पूर्वांचल में फैक्ट्री लगाने के लिए या पूर्वांचल के दूसरे नगरों की बिजली की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सारे क्षेत्र में ही पावर स्टेशन हों। आज सिंगरौली पावर स्टेशन में बनने वाली बिजली न केवल उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो रही है बल्कि वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर तक इस्तेमाल हो रही है। इसी प्रकार बैरासूल में बननने वाली बिजली दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में भी इस्तेमाल हो रही है। इसलिए आज क्षेत्रीय ग्रिड पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की बात चल रही है ताकि किसी एक क्षेत्र में जहां बिजली कम उपलब्ध है, वहां उस क्षेत्र से बिजली उपलब्ध करायी जा सके जिस क्षेत्र में ज्यादा बिजली उपलब्ध हो। मै माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की आवश्यकता का जहां तक सवाल है, वहां कुल मिलाकर प्रदेश को उसकी योजना बनानी है और उसको पूरा करना है। अकेले उस क्षेत्र में स्टेशन लगवाने से आवश्यकता पूरी नहीं होगी। हम उसी लिहाज से उसकी पूरी योजना प्लान कर रहे हैं स्टेशन लगा रहे हैं ताकि पूरे देश की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

श्री जगन्नाथ चौधरी : उत्तर में दिया गया है कि केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ने उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड से कहा था कि असली योजना में आप इसे प्रस्तुत करें, किन्तु खेद है कि सातवीं योजना में इसे शामिल नहीं किया गया है जबकि उसे शामिल करना चाहिए था। यह स्वाभाविक है कि पूर्वांचल में यह विद्युत केन्द्र निकट होगा तो अवश्य ही उसे बिजली की प्राथमिकता मिलेगी। आखिर पूर्वांचल क्यों पिछड़ा है, वहां कल-कारखाने क्यों नहीं स्थापित हो सके ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए। इतना ही पूछिए कि बाबा को कौन से दरवाजे से घर में लाना है।

श्री जगन्नाथ चौधरी : आप किस दरवाजे से पूर्वांचल को बिजली देंगे जिससे कि वहां के लोगों का कल्याण हो सके। मैं चाहूंगा कि सातवीं योजना में उनको शामिल किया जाये। यदि यह भी सम्भव न हो तो केन्द्रीय सरकार अपने माध्यम से वहां ताप विद्युत गृह लगाये।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : इसे अध्यक्ष द्वारा पूछा गया प्रश्न समझिए।

श्री वसन्त साठे : सभी प्रश्न अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछे जाते हैं और उनके उत्तर भी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूर्वांचल प्रदेश के बारे में जो कुछ कहा है, यह बात सही है कि वह काफी पिछड़ा इलाका है। वहां उद्योग नहीं लगे हैं। जहां तक बिजली के वितरण का सवाल है आज उत्तर प्रदेश में 5 हजार 164 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन वह भी

पर्याप्त नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा इरादा 1974 मेगावाट बिजली वहां लगाने का है। जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि उतर प्रदेश में या अक्सर जहां भी बिजली पैदा करनी है तो यह देखा गया है कि जहां कोयला हो जिसे पिट-हैड कहते हैं वहीं अगर पावर स्टेशन बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी तरह से बिजली बन सकती है और फिर वहां से ट्रांसमिशन लाइनों से दूसरी जगह बिजली पहुंच सकती है। तो हमारा इरादा यह है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश में ही निर्माण हो इसके लिए हम सारे सात प्रोजैक्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में शुरू कर रहे हैं। उससे हमारा विश्वास है कि पूर्वांचल को बिजली पूरी मात्रा में दे सकेंगे जिससे वहां उद्योग पर्याप्त मात्रा में लग सकें।

श्री राजकुमार राय : दोहरी घाट मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मैं भाग्यशाली हूं कि जब मैं यह सप्लीमेंट्री कर रहा हूं तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं और हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी सदन में मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। इस दोहरी घाट थर्मल पावर स्टेशन का सम्बन्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की लगभग 3 करोड़ की आबादी से है। यह समझकर 1978 में जब माननीय इंदिरा जी श्रीमती मोहसिना किदवई के चुनाव के समय दोहरीघाट में घूम रही थीं उस समय जनता सरकार ने यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिए···(**व्यवधान**)···मान्यवर, एक मिनट मौका देंगे, बड़ा पटिनेंट सवाल है, चाहे एक ही सवाल मुझको करने दें पांच साल में और एक ही बात मनवा दें, माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं, चाहे पांच साल में एक ही प्रश्न मेरा सुनें और चाहे मेरे क्षेत्र और पूर्वांचल के लिए एक ही बात मान लें, लेकिन इसे जरूर मान लें, मैं यह कह रहा था कि चार करोड़ की आबादी का सम्बन्ध इस सवाल से है, बिहार के सारन, चम्पारन से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के .आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और गोरखपुर, यह समझकर 1978 में जनता सरकार ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिए प्रस्ताव रखा कि दोहरीघाट में थर्मल पावर स्टेशन हो और उसके लिए 1978 से लेकर 1984 तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मैं कहता रहा कि ऊंचाहार और दोहरीघाट दोनों एक ही समय की जन्मी हुई परियोजनाएं हैं, ऊंचाहार चूंकि रायबरेली में है, इसलिए ऊंचाहार परियोजना शुरू हो गई, दोहरीघाट की नहीं हुई। वहां इतना पानी है घाघरा में और वहां के लोग इतने पानीदार हैं—आप चाहे मधुवन का कांड देखें जहां पंडित नेहरू 1945 में जेल से छूटने के बाद छोटी लाइन से टकराकर गए थे उस जमीन को नमस्कार करने, चाहे मोहम्मदाबाद गाजीपुर का कांड देखें जहां लोगों ने सीरे पर गोलियां खाईं, चाहे बेरिया कांड देखें, इतने कांड फ्रीडम फाइट के समय में वहां हुए, चौरीचौरा कांड देखें जिसने गांधी जी का निर्णय बदलवा दिया था—यहां की तीन चार करोड़ की आबादी है। पटेल आयोग की सिफारिश के सम्बन्ध में गहमरी जी का भाषण इसी लोक सभा में हुआ था जिसे सुनकर लोग बैठे के बैठे रह गए और जिस पर नेहरू जी पसीज गए थे, इंदिरा जी ने वहां जाकर मौके पर कहा था···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें।

श्री राजकुमार राय : मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री को मैंने ये दो पत्र लिखे और इन दोनों के ये उत्तर मेरे पास हैं, अरुण नेहरू जी को लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी को लिखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से भी कहा···

अध्यक्ष महोदय : मेरे मौन की भी सीमा है।

श्री राजकुमार राय : तीन अड़चनें बतायी गईं। एक तो यह कि 1979 से 1990 तक सिंगरौली कोल माइन ओवर-पैक्ड है, इसलिए इसको नहीं दिया जा सकता और दूसरी यह कि यहां बड़ी लाइन नहीं है दोहरी घाट में। तो मैंने उनसे कहा कि मऊ का एक छोटा स्टेशन हटा दिया है यहां बड़ी लाइन है या बेलथरा रोड में बड़ी लाइन है···(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए।

श्री राजकुमार राय : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नहीं कहा और पांच साला योजना में इसे नहीं रखा गया तो वहां की भूख को देखते हुए, वहां की असमानता को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार से यह पूछेगी कि जब प्लानिंग मिनिस्टर साहब से कहा गया था तो वहां इसको इस पंचवर्षीय योजना में क्यों उन्होंने नहीं रखा और न रखने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार को दंडित करेगी और क्या वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए—माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हैं—क्या इसे स्वयं केन्द्रीय सरकार···

अध्यक्ष महोदय : राय साहब, ऐसे गाड़ी चल सकती है क्या ?

श्री राजकुमार राय : एक ही मांग है मान्यवर···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ? यह आपने जितनी वकालत की है वह सारी निरर्थक हो जायेगी। सवाल करते हैं, ऐसा थोड़े ही करते हैं।

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, दोहरीघाट की 13 किलोमीटर लाइन बनवानी है, क्या उस दोहरीघाट की योजना को स्वीकार नहीं किया जा सकता···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपका बहुत लिहाज किया है।

श्री बसंत साठे : अब मैं जवाब दूं ?

मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में फिर से बात करूंगा और किसी भी तरह से यदि सम्भव हुआ इस योजना को वहां कार्यान्वित करना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में लेना, तो अवश्य इसका प्रयास किया जायेगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : असल प्रश्न यह है कि पूर्वांचल में बिजली मिलेगी कि बिजली नहीं मिलेगी। हमें यह सोचना है कि पावर स्टेशन देना है कि बिजली देनी है।

अध्यक्ष महोदय : आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं।

श्री राजकुमार राय : इस पावर स्टेशन को दे दें तो बिजली अपने आप मिल जायेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इसके अलावा पांच साल में चाहे आप और कोई बात न मानें मैं यहां पर मौन बैठा रहूंगा। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे हैं और सदस्य उत्तर दे रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : मैंने इसे उचित समझा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया और सदस्य ने अन्तिम प्रश्न पूछा।

मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सातवीं योजना में हमने विद्युत के लिए अधिक आवंटन किया और योजना आयोग को हमने यह अनुदेश दिया है कि और अधिक विद्युत की मांग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने आंकड़े तैयार किये हैं। आंकड़ों के बारे में चर्चा करने के लिए जब हमने उनके साथ बैठकर बात की तो नई मांगों को पूरा करने की दृष्टि से मैंने स्वयं इन आंकड़ों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। हम आशा करते हैं कि विद्युत के लिए इतने अधिक परिव्यय से अगले चार वर्षों में देश में विद्युत की कमी नहीं रहेगी। मुझे आशा है कि पूर्वांचल भी इसमें आ जाएगा। एक ऐसे विद्युत केन्द्र के लिए संघर्ष करने की बजाए जिससे उन्हें संभवतः विद्युत भी न मिले अच्छा यह होगा कि उन्हें विद्युत मिले।

श्री राजकुमार राय : मुझे ताप विद्युत केन्द्र के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आम खाने से मतलब रखिए।

शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

*204. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के लोगों की ओर से उनके क्षेत्रों में शाखा डाकघरों को दर्जा बढ़ाये जाने की मांग के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के कितने जिलों से इस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां,

(ख) राजस्थान के दस जिलों के शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की बाबत अनुरोध किया गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. नागौर	17	6. सिरोही	3
2. पाली	3	7. अजमेर	4
3. जोधपुर	2	8. कोटा	1
4. सीकर	3	9. चितौड़गढ़	1
5. झुंझनूं	2	10. अलवर	2

(ग) जी हां।

(घ) शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की बाबत विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(I) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाने के लिए मानदण्ड :

(एक) किसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उप-डाकघर तब बनाया जाता है जबकि मूल लेखा कार्यालय के लेखे के अंतर्गत 20 शाखा डाकघर हों तथा दर्जा बढ़ाये जाने पर प्रस्तावित उप-डाकघर में कम से कम 5 घंटे का नित्य प्रति का काम हो । दर्जा बढ़ाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घाटे की सीमा 1,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(दो) किसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा उन परिस्थितियों में भी बढ़ाया जा सकता है जबकि प्रस्तावित डाकघर का कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक हो तथा दर्जा बढ़ाये जाने पर अधिकतम घाटे की सीमा उपरोक्त सीमा से अधिक न हो ।

(II) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर बनाने के लिए मानदंड :

(एक) किसी स्थाई शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर तब बनाया जा सकता है जबकि उसका मौजूदा कार्यभार प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक हो ।

(दो) किसी प्रायोगिक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे अतिरिक्त विभागीय उप-डाकखर बनाया जा सकता है बशर्ते कि उसका मौजूद कार्यभार प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक हो तथा दर्जा बढ़ाये जाने पर वार्षिक घाटा 360.00 से अधिक न हो ।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और पत्र-व्यवहार में भी वृद्धि हुई है तथा मनी-आर्डर व सेविंग्ज बैंक की सुविधायें लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं । डाकघरों में वृद्धि होनी चाहिए । बड़े-बड़े कस्बों में छोटे-छोटे दर्जे के डाकघर काम कर रहे हैं । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है और पूछना भी है कि डिपार्टमेंटल ब्रांच-पोस्ट-आफिसेज को डिपार्टमेंटल सब-पोस्ट-आफिसेज में अपग्रेड करने के लिए जो नार्म्स बनाए गए थे वह किस सन में बनाए गये थे तथा राजस्थान में 1984-85 में कितने सब-पोस्ट-आफिसेज ऐसे हैं जिनमें 20 से अधिक ब्रांच पोस्ट आफिसेज के

एकाउन्ट्स हैं तथा पांच घंटे से भी ज्यादा काम होता है एवं रूरल एरियाज में एक हजार रुपया और अरबन एरियाज में जो पांच सौ रुपये घाटे पर चलने के जो नार्म्स हैं उनमें क्या कोई परिवर्तन किया जाने वाला है या जनसंख्या व दूरियों के आधार पर जो नार्म्स बनाए गए हैं क्या उनमें भी कोई परिवर्तन किया जाने वाला है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष जी, जो निर्धारित नार्म्स हैं, उनको बदलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। समस्या यह है कि नार्म्स के आधार पर जो क्रमोन्नत किये जा सकते हैं, वह भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ समय से सरकार ने नई भर्ती पर रोक लगा रखी है। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि जो सुविधायें हैं, उनमें कुछ कटौती की जा रही है। नार्म्स को हटाए बगैर भी हमें कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी क्षेत्र में डाक का पहुंचना कम हो गया हो या निर्धारित समय में पोस्ट आफिस का काम समाप्त न हो या उससे ज्यादा आवश्यकता हो। हमने कई जगह नॉर्म्स से जो ज्यादा पोस्ट आफिस थे, उनकी पुनर्गठन किया है। इनमें से जो पोस्ट मिलेंगी, उनको हम ऐसी जगह लगायेंगे, जहां पर कि काम नॉर्म्स से ज्यादा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि नॉर्म्स के रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है, अगर उन्हें किसी क्षेत्र में काम में रुकावट आती हो तो उसको किस प्रकार हल किया जाये, उसको हम अवश्य ज्ञात करेंगे।

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष जी, मैंने सवाल पूछा था, नार्म्स किस साल में बनाए गए ? इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। मेरा निवेदन यह है कि जिले की सीमाओं के आधार पर डाक का वितरण होता है, जबकि एक ही जिले के कुछ गांव दूसरे जिले के बिल्कुल नजदीक है। वितरण अगर उस तरीके से बदल दिया जाए तो वितरण सही तरीके से टाइम पर हो सकता है। इसलिए इस नाम को बदलने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा सवाल है, राजस्थान के सोलह जिलों के अपग्रेडेशन की मांग आई है, उस पर सरकार क्या कार्यवही कर रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष जी, नार्म्स 1970 के करीब बने थे। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि वितरण में सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे कि चल रही प्रणाली को किस प्रकार पुनर्गठित करें, उसको हम अवश्य कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्म्स बने हैं, हम उनको ठीक समझते हैं और ऐसी हमारी मान्यता नहीं है कि नार्म्स की वजह से काम में दिक्कत पड़ रही हो।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया है कि जहां पर नॉर्म्स से ज्यादा डाकघर होंगे, उनको पुनर्गठित किया जाएगा। कई जगह पर उन्होंने बन्द भी करा दिये हैं। सरकार ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, उसके अनुसार नए डाकघर नहीं खुलेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, यह प्रतिबन्ध कब हटेगा और कब से नई नीति के मुताबिक फिर नए डाकघर खुलने प्रारम्भ होंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष जी, प्रतिबन्ध कब हटेगा, इस बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जहां नॉर्म्स से ज्यादा पोस्ट आफिस हैं, उनका हम पुनर्गठन कर रहे हैं। करीब 500 का पुनर्गठन किया जा चुका है और यह प्रक्रिया चल रही है। जहां जैसी आवश्यकता होगी, जहां काम ज्यादा होगा, इन्हीं व्यक्तियों को वहां पर ले जाया जाएगा।

[अनुवाद]

भारी उद्योगों के विभिन्न एककों में पूंजी लगाना

205. **श्री अमल दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-85 के दौरान सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा भारी उद्योगों के विभिन्न एककों में कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई और उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा इन एककों को उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं, उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एककों को दिये गये ऋण में से यदि कोई राशि ब्याज मुक्त होगी अथवा उस पर ब्याज कुछ समय के लिए नहीं लिया जाएगा, तो वह राशि कितनी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कितनी अवधि के लिए होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भूतपूर्व भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1980-85 में सरकार और वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी भागीदारी की कुल राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये में)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	31 मार्च को कुल इक्विदी भागीदारी									
	सरकार					वित्तीय संस्थाएं				
	1981	1982	1983	1984	1985	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. एच० एम० टी० लिमिटेड बंगलौर	3731.50	3731.50	3731.50	3731.50	3531.50	—	—	—	—	—
2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	15000	17321	20321	22921	24476	—	—	—	—	—
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड	382	582	782	782	782	—	—	—	—	—
4. हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि० (कलकत्ता) (सरकार द्वारा 28-6-84 को अधिकार में ली गई)	—	—	—	—	672.5	—	—	—	—	—
5. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता	1002	1082	1085	1135	1217	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. जेसप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	2437.28	2437.28	2562.28	2632.28	2727.28	—	—	—	—	—
7. बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता	904.46	1124.46	1327.46	1692.46	2262.46	—	—	—	—	—
8. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता	—	177	192	217	254	—	—	—	—	—
9. हेवी इंजीनियरिंग कारपो० लिमिटेड, रांची	16179	16357	16443.45	16605.35	16830.34	—	—	—	—	—
10. भारत वैगन एण्ड इंजी० कम्पनी लिमिटेड	200.00	275.00	299.00	369.00	429.00	—	—	—	—	—
11. लगन जूट मशीनरी कं० लिमिटेड, कलकत्ता	24.00	24.00	48	48	48	—	—	—	—	—
12. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स, लि० कलकत्ता	283.00	283.00	283.00	303.80	323.80	—	—	—	—	—
13. मारुति उद्योग लि०, गुडगांव, हरियाणा	—	—	687	2377	2668	—	—	—	—	—
14. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड, बम्बई	486.60	544.60	592.60	649.60	753.57	—	—	—	—	—
15. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी, इलाहाबाद	453	453	*570	*603	*603	147	147	147	147	147

(*अधिमानी शेयरों के रूप में 300 लाख रुपये)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० तुंगभद्रा डैम (कर्नाटक)	74.00	101.00	101.00	101.00	151.50	—	—	—	—	—
	इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों की इक्विटी में भागीदारी प्रत्येक की 31-3-1981 में 36.00 लाख रुपये, 31-3-1982, 31-3-1983, 31-3-1984 को प्रत्येक 49.50 लाख रुपये तथा 31-3-1985 को प्रत्येक की 74.25 लाख रुपये थी ।									
17. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद	1108.29	1135.69	1225.69	1420.04	1559.94	—	—	—	—	—
18. भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम	1461.43	1563.28	1628.28	1731.28	1898.78	—	—	—	—	—
19. स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ	327	327	352	458	507	107	107	107	107	107
20. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर	4380	4485	4574	4629	4729	—	—	—	—	—

(ख) इन उपक्रमों को सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण (डिबेंचर सहित) नीचे दिये गये हैं :—

(लाख रु०)

	सरकार					वित्तीय संस्थाएं				
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. एच० एम० टी०	294	100	—	—	—	107.23	495.00	489.00	650.89	1514.0
2. बी० एच० ई० एल०	2340	3551	3107	1202	1045	—	—	1000	4000	119
3. ई० पी० आई	3188	1212	900	450	1200	—	—	—	—	—
4. एच० बी० पी०ई०	—	—	—	—	122.50	—	—	—	—	—
5. ब्रेथवेट	924.68	877.44	1254.76	100.00	357.80	—	—	—	—	—
6. जेसप	1771	1043	575	395	395	—	—	—	—	—
7. बी० एस० सी० एल०	2164.70	916.21	877	530	555	—	—	—	—	200
8. बी० बी० बी० एस०	94.51	112.48	86.11	70.00	108.00	—	—	—	—	—
9. एच० ई० सी*	21707	28517	31933	36459	40449	—	—	—	—	—

*संचित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. बी० डब्ल्यू० ई० एल०	97	167	134	79	15	—	—	—	—	—
11. एल० जे० एम०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. बी० पी० एम० ई०	86.49	120.00	299.32	266.40	153.00	—	—	—	—	—
13. मारुति	—	—	584	2556	1634	—	—	—	—	—
14. आर० एण्ड० सी०	383.04	355.60	660.41	158.00	419.11	68.39	—	173.04	133.33	83.06
15. टी० एस० एल०	80.00	200.00	188	150	—	168.00	48.00	71.00	—	—
16. टी० एस० पी०	11.67	69.98	116.59	135.00	9.00	—	14.40	—	—	—
	(1981-82 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 30 लाख रुपये का ऋण भी दिया था)									
17. बी० पी० सी० एल०	84.35	118.60	140.17	105.65	131.75	—	—	—	—	—
18. बी० एच० पी० वी०	708	191	58.99	231.00	150.00	—	—	—	—	—
19. एस० आई० एल०	140	310.90	330.88	368.70	600.00	17.90	—	—	—	—
20. एम० ए० एम० सी०	779.52	1191.12	1450.14	616.00	711.00	—	—	—	—	—

(ग) तथा (घ) :—

पूँ. थवेट एण्ड कंपनी :— 31-3-1981 को बकाया 1873.80 लाख रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1981 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

1981-82 में हुई नकद हानि को ऋण के जरिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया गया था और 31-3-1985 तक उस पर ब्याज नहीं लिया गया।

जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड :—31-3-1981 को बकाया 45.33 करोड़ रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1982 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

कम्पनी को 1981-82 में हुई नकद हानि को ऋण के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया गया था और उस पर 31-3-1985 तक ब्याज नहीं लिया गया था।

बी० एस० सी० एल० :— 31-3-1981 को बकाया 5516.60 लाख रुपये के सरकारी ऋणों पर 1-4-1981 से 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

1981-82 में हुई नकद हानियों को ऋण के जरिए सरकार द्वारा वित्त-पोषित करने का निर्णय लिया था और 31-3-1985 तक उस पर ब्याज नहीं लिया गया था।

भारत वैगन एण्ड इंजी— नियरिंग कम्पनी लि० 31-3-1984 को बकाया 695.39 लाख रुपये के सरकारी ऋण पर 1-4-1984 से 31-3-1988 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट दी गई थी।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी— कारपोरेशन लि० 31-3-1981 को बकाया 48.93 करोड़ रुपये के ऋणों पर 1-4-1981 से चार वर्षों की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

नकद हानियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1981-82 तथा 1982-83 में स्वीकृत, 18.50 करोड़ रुपये के योजनात्तर ऋणों को 31-3-1985 तक और 31-3-1981 तक 21.66 करोड़ रुपये की बकाया ब्याज राशि के भुगतान की अवधि में छूट भी प्रदान की गई थी।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स— लिमिटेड 31-3-1979 को बकाया 1295.35 लाख रुपये के ऋणों पर 1-4-1979 से पांच वर्ष के लिए ब्याज के भुगतान में छूट दी गई थी।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन— लिमिटेड 147 ककोड़ रुपये के सरकारी ऋणों पुर 1-4-1981 से चार वर्षों की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

31-3-1981 तक ब्याज की 65 करोड़ रुपये की बकाया राशि तथा 1981-82 की नकद हानियों को ऋण में बदलने का निर्णय लिया गया था। 31-3-1985 तक ब्याज के भुगतान की अवधि में छूट प्रदान की गई थी।

श्री अमल दत्त : महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में यह दर्शाया गया है कि सरकार ने बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड में, जिसका कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु है, इक्विटी के रूप में अथवा ऋण के रूप में लगभग 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि सरकार द्वारा बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी में पिछले पांच वर्ष के दौरान किए गए 90 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद कम्पनी अपनी दो यूनिटों सिरेमिक्स रिफ्रैक्टरीज की रानीगंज नम्बर 2 यूनिट तथा दुर्गापुर स्थित सिरेमिक एण्ड रिफैक्टरीज की यूनिट को बन्द करने का प्रयास क्यों कर रही है और उन्हें बन्द करने के बार-बार नोटिस दिए जा रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो उपक्रमों में निवेश के लिए निर्धारित पूंजी को कहीं और लगा दिया गया है अथवा यह कहीं और पहुंच गई है और क्या सरकार ने इन दो यूनिटों का पुनरुद्धार करने और बन्द करने के नोटिस को वापस लेने का कोई निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : यह कहना उचित नहीं है कि बर्न स्टैण्डर्ड में उत्पादन घट गया है, क्योंकि उत्पादन परिणामों से पता चलता है कि बर्न स्टैण्डर्ड का उत्पादन 1982-83 में 79.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 105.82 करोड़ रुपये हो गया है। माननीय सदस्य को अधिक चिन्ता दुर्गापुर के निकट स्थित बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी के नियन्त्रणाधीन रिफ्रैक्टरीज के प्रस्तावित पुनर्निर्माण की है।

बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी के अधीन इस क्षेत्र में लगभग पांच रिफ्रैक्टरीज और सेलम में एक तथा एक बिहार में है। प्रस्ताव यह था कि इन सभी रिफ्रैक्ट्रीज को भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड को स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि यह शीर्ष निकाय है और इस मामले पर पिछले दो तीन वर्षों से चर्चा होती रही है। आरम्भ में इस निगम ने इन रिफ्रैक्टरीज को अपने हाथ में लेने के संबंध में असमर्थता व्यक्त की थी परन्तु यह मामला अभी भी चर्चाधीन है। बन्द करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह मजदूर संघ पर सहयोग करने के लिए जोर डालें। मैं जानता हूं कि उनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, ताकि हल निकाला जा सके जो कि स्थिति के अनुकूल हो और मजदूर संघों की मांगों मानने के लिए उचित हो।

श्री अमल दत्त : इन यूनिटों को अर्थक्षम बनाने के लिए माननीय मंत्री महोदय मुझसे जो चाहते हैं मैं करूंगा।

दूसरे, मजदूर संघ राष्ट्रीयकरण के वर्ष 1974 से ही इन दो फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का सुझाव देते रहे हैं। परन्तु उनके किसी सुझाव का पालन नहीं हुआ है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक इन दो रिफ्रैक्ट्री यूनिटों का संबंध है क्या सरकार ने किसी सुझाव पर विचार किया है अथवा आधुनिकीकरण की किसी योजना को वास्तव में कार्यान्वित किया है ?

मेरे जिस स्पष्ट प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मंत्री महोदय ने लापरवाही दिखाई है वह यह था कि क्या इन दो यूनिटों के लिए निर्धारित राशि को इनमें नहीं लगाया गया है और इसे कहीं अन्यत्र लगा दिया गया है। कृपया इस प्रश्न को याद रखिए।

इस यूनिट विशेष के चेयरमैन के विरुद्ध, जो पश्चिम बंगाल स्थित भारी उद्योग विभाग की तीन अन्य यूनिटों के भी चेयरमैन हैं, कई आरोप हैं। मेरे पास आल इंडिया सेन्टर आफ आफीसर्स आर्गेनाइजेशन द्वारा भेजी गई शिकायत है और यह शिकायत प्रधान मंत्री सहित सभी मंत्रियों को भेजी गई है। इसमें भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों का उल्लेख है। इसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चेयरमैन को भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए प्रत्यक्षतः दोषी पाया है। परन्तु विभाग औपचारिक रूप से मुकदमा चलाने में बाधक बन रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें इस संबंध में कुछ बतायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न अखिल भारतीय किस्म का है। इस प्रश्न का बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी की रिफ्रैक्टरीज से अधिक संबंध नहीं है। अन्यथा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पूर्णतया तैयार होकर आता। अतः मुझे इस संबंध में नोटिस चाहिए, क्योंकि मैं केवल याददाश्त के आधार पर उत्तर नहीं देना चाहता। यद्यपि मुझे कुछ यदि है परन्तु मैं गलत उत्तर नहीं देना चाहता।

जहां तक किसी प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत का संबंध है, मुझे इसकी एक प्रति मिल जाए तो अच्छा होगा······

श्री अमल दत्त : मैंने पूछा था कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी और क्या मंत्रालय मुकदमा चलाने में बाधक बन रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मंत्रालय मुकदमा चलाने में बाधक नहीं बनता है···

अध्यक्ष महोदय : वह पता लगाएंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यदि वह कानूनी रूप से सही हो और उचित हो।

श्री अमल दत्त : तब कृपया मुझे बतायें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—डा० फूलरेणु गुहा···

श्री छीतूभाई गामित।···

श्री वृद्धि चन्द्र जैना।

[**हिन्दी**]

एकीकृत ग्रामीण डिजिटल नैटवर्क योजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली

*209. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण डिजिटल नैटवर्क योजना के अंतर्गत देश के किन-किन जिलों में आधुनिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली स्थापित की जाएगी;

(ख) ये उपकरण किन देशों से आयात किए जाएंगे;

(ग) उक्त कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए अधिकांश उपकरण नार्वे से प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उपकरणों के आयात में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(च) उन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वचालित प्रणाली से कब तक जोड़ा जाएगा ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आरम्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों के चार गौण स्थानों, अर्थात कोहिमा (नागालैंड), बाड़मेर (राजस्थान), नैनीताल और मथुरा (उत्तर प्रदेश) में आधुनिक उपकरणों का आयात करके आई० डी० एन० प्रणाली के क्रियान्वयन की योजना है।

(ख) स्विचन और डिजिटल रेडियो/पी० सी० एम० लिंक के लिए उपस्कर नार्वे से आयात किए गए हैं।

(ग) यह कार्य संभवतः 1986-87 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।

(घ) इनके मार्च, 1986 के बाद प्राप्त होने की संभावना है।

(ङ) ये परियोजनाएं लाभप्रद नहीं हैं और इनकी विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पहली बार एक नई प्रौद्योगिकी चालू की जा रही है और कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं, जैसे दूरदर्शन के साथ फ्रीक्वेंसी के लिए समन्वय स्थापित करना, जिन्हें हल करना है।

(च) इन जिलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को 1987 के बाद आटोमैटिक प्रणाली के साथ उत्तरोत्तर जोड़ दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है—"इसके अतिरिक्त, पहली बार एक नई प्रौद्योगिकी चालू की जा रही है और कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि उन तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ? इनके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : विशेष फ्रीक्वेंसी पर हम यह उपकरण लगाना चाहते हैं और कुछ समय पहले वह दूरदर्शन को आबंटित कर दी गई है। इसलिए दूरदर्शन से हम विचार-विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये उपकरण जल्दी से जल्दी लगाये जा सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बारे में तकनीकी हल जल्दी निकाला जाए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इस इन्टेग्रेटेड नेटवर्क के लिए बाड़मेर जिले के कौन-कौन से स्थान नियत किये गये हैं जिन्हें आधुनिक इलैक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा आटोमैटिक सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। क्या गढ़ तहसील को भी इसमें सम्मिलित किया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष जी, बाड़मेर शहर के अलावा इसमें बयाटू सिबाना, पंचपादरा, डोरीमाम्मा, चोरयम को सम्मिलित कर लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी तहसीलें या शहर आपस में आटोमेटिक प्रणाली से जुड़ जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : देश में कुल ऐसे कितने जिले हैं जिनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के इलेक्ट्रानिक दूरभाष प्रणाली स्थापित की जायेगी तथा आन्ध्र प्रदेश में कितने जिलों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया जायेगा।

श्री रामनिवास मिर्धा : इसके उत्तर के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एम० जयपाल रेड्डी : यह सातवीं योजना के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको लिखेंगे।

श्री लाल डहोमा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मिजोरम में सभी प्रकार के संचार साधनों की कमी है। हमारे यहां पर केवल एक दूरभाष केन्द्र है जो कि 700 लाइनों की क्षमता वाला है। मिजोरम के पिछड़ेपन पर विचार करते हुए क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र में भी इलेक्ट्रानिक दूरभाष प्रणाली चालू करने के लिए विचार करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह तो एक अत्यन्त विशेष प्रकार की प्रायोगिक योजना है और हमने जो क्षेत्र चुने हैं वे उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर चुने गये हैं। हमें एक क्षेत्र पूर्वोत्तर में चाहिये जो कोहिमा है, दूसरा मरुस्थल में चाहिये जो बाड़मेर है और फिर नैनीताल और मथुरा में चाहिए जो क्रमशः पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं। दोनों जिलों की विशेषता है। परन्तु अन्य अनेक योजनाएं भी हैं, जिनके बारे में यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं किसी अन्य अवसर पर उचित सूचना मिलाने के बाद बता दूंगा कि हम मिजोरम तथा पूर्वोत्तर के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। परन्तु मैं सीधे ही यह मानता हूं कि पूर्वोत्तर में दूर-संचार साधनों सहित उचित संचार साधनों का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम इसे अत्यधिक महत्व दे रहे है। इन स्थानों को आपस में और देश के शेष भागा के साथ जोड़ने के लिए हम उपग्रह संचार की नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रयोग में ला रहे हैं। उत्तर-पूर्व की दूरसंचार की आवश्यकतओं पर उचित विचार किया जायेगा।

सोवियत रूस द्वारा तेल की खोज में सहायता

*210. **श्री चिन्तामणि जेना**† :
श्री बी० बी० देसाई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस कावेरी और खम्बात के बेसिन की तेल खोज परियोजनाओं में कितनी मदद करेगा;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और इसमें भारत का अंशदान कितना होगा; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इसके कार्यक्षेत्र में विस्तृत व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करना, भूभौतिकीय सर्वेक्षण करना, ऐसे सर्वेक्षणों से प्राप्त आकड़ों को संसाधित करना तथा उनकी व्याख्या करना, पर्याप्त संख्या में कुएं

खोदना तथा उनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना, भण्डारण का अनुमान लगाना तथा विकास की तकनीकी योजना तैयार करना और भूतल के प्रतिष्ठानों की रूपरेखा तैयार करना आदि शामिल हैं।

(ख) व्यवाहारिक रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् ही परियोजना पर होने वाले खर्चे के बारे में जाना जा सकता है। इस परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत सोवियत ऋण से पूर्ति पूरा करने का अनुमान है।

(ग) यह परियोजना कार्य क्षेत्र के पूर्व होने पर अथवा 1995 के अन्त तक इनमें जो भी पहले हो, पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि दोनों पक्ष समय बढ़ाने हेतु परस्पर सहमत न हों।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या व्यवहार्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन को तैयार करने का काम आरम्भ किया जा चुका है ? यदि हां तो, कब और इसको पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब प्रधान मन्त्री महोदय ने रूस की यात्रा की थी तो क्या यह विषय भी चर्चा की मदों में से एक था। यदि हां तो इस मामले पर रूस की सरकार का क्या रवैया था और उनके क्या विचार थे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है कि मई, 1985 में प्रधान मंत्री महोदय की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे जिसके अनुसार सोवियत संघ को कैम्बे और कावेरी के आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में, तैयार परियोजना के आधार पर, तेल और गैस के लिए गहन समन्वित खोज करनी है। वास्तविक रूप रेखा और व्यवहारिता सम्बन्धी प्रतिवेदन पर कार्य हो रहा है। सोवियत दल भारत की यात्रा कर चुका है, तथा उन्होंने प्राकृतिक तेल और गैस आयोग के साथ किए जाने वाले काम के बारे में आपसी विचार-विमर्श हो चुका है और प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक आने की आशा है।

श्री चिन्तामणि जेना : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग (ख) में बताया है कि सोवियत ऋण कुल लागत के 70 प्रतिशत के बराबर होगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है और सोवियत ऋण को वापस करने की क्या नीति एवं शर्तें हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : सोवियत रूस ने कुल 3500 लाख रूबल का ऋण आबंटित देना नियत किया है, जिसे 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाया जायेगा।

श्री एस० एम० भट्टम : व्यवहार्यता संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ, सोवियत संघ से सर्वेक्षण संचालन तथा खोज कार्य की खुदाई करने की भी आशा की जाती है। ये वे ही कार्य हैं जिनको करने का प्राकृतिक तेल और गैस आयोग के पास पर्याप्त अनुभव और क्षमता है। इस मामले में, प्राकृतिक तेल और गैस आयोग को कार्य सौंपने के बजाय, सरकार ने सोवियत संघ की सेवाएं लेना क्यों आवश्यक समझा ?

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, यह सही है कि प्राकृतिक तेल और गैस आयोग के पास खोज और खुदाई का पर्याप्त अनुभव है परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम पदार्थों का हमारा उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों की अड़चन को ध्यान में रखते

हुए, आपसी सहमति की शर्तों के रूप में, संयुक्त आयोग के अधीन, हमने दो क्षेत्रों को उन्हें सौंपने का निर्णय लिया है। अन्यथा, इन क्षेत्रों के अलावा भी, हम तेल खोज कार्यक्रम के लिए अनेक रूपों में सोवियत सहायता प्राप्त कर रहे हैं और देश के हित में है कि हम इस पर सहमत हुए हैं।

श्री एस० सिंगरावड़ीवेल : महोदय कुछ समय पूर्व, मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया कि तमिलनाडु के तन्जवूर जिले के नरीमनम गांव में कावेरी के मुहाने पर गैस मिली है। मुझे पता चला है कि यहां उपलब्ध गैस भरपूर मात्रा में हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब तक क्या प्रगति की गई है और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए गैस का दोहन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस प्रश्न के लिए सूचना चाहिये। परन्तु मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि हमसे उस क्षेत्र को परित्यक्त नहीं किया है और वाणिज्यिक दोहन तो अभी किया जाना है। हम क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं।

महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्य

*211. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :
श्री सुभाष यादव :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि एम्पिसिलिन, जेन्टामाइसीन एनलजिन आदि जैसी प्रमुख औषधियों के मूल्य, इनकी निर्माता कम्पनियों ने 75 से 300 प्रतिशत तक बढ़ा रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्य में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आवश्यक औषधियों के मूल्य में कमी लाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययनों के आधार पर एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, जेन्टामाइसिन तथा एनलजिन के अधिकतम बिक्री मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित किए गए हैं। उत्पादक प्रपुंज औषधों को इस प्रकार निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्यों से अनधिक मूल्यों पर बेचने को स्वतंत्र हैं। प्रपुंज औषधों को सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों से उच्चतर मूल्यों पर किसी उत्पादक द्वारा बेचने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रपुंज औषधों के मूल्यों का सतत पुनरीक्षण किया जाता है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या यह सच नहीं है कि आवश्यक औषधियों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में गत पांच वर्षों के दौरान गिरावट आई है। मांशपेशियों की दर्द निवारक औषधियों, मुख प्रक्षलाकों, गले के रोगों और खांसी की चूसने वाली दवाइयों तथा पाचक गोलियों जैसी मामूली दवाइयों की कीमतें भी गत एक वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक चढ़ गई हैं। यदि ऐसी बात है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक और प्रभावी दवाईयां पर्याप्त मात्रा में तथा उचित कीमतों पर उपलब्ध हों, सरकार द्वारा लाइसेंस देने तथा औषधियों की वृद्धि के लिए कौन-सी प्रणाली निकाली जा रही है?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, मैंने वक्तव्य में कहा है कि औषधियों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक पर कोई भी दवाई या औषध बेची नहीं गई है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या यह सच नहीं है कि गत दो वर्षों से विकास आयुक्त (औषध) की नियुक्ति नहीं की गई है इसलिए गत दो वर्षों के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक फार्मूलेशनों की निर्धारित कीमतें निर्माताओं द्वारा लागू नहीं की गई हैं? यहां तक कि गत दो वर्षों के कीमतों के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं हैं और कम्पनियां उपभोक्ताओं के बल पर लाभ उठा रही हैं जिसका कारण है विकास अभियुक्त (औषध) की नियुक्ति में विलम्ब। अतः, क्या मैं मन्त्री महोदय से विकास आयुक्त (औषध) की नियुक्ति में विलम्ब का कारण जान सकता हूं?

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, यह सच नहीं है कि विकास आयुक्त के पद को भरा नहीं गया है। वास्तव में यह रिक्त नहीं है। यह संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव के पास है।...

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या यह संतोषजनक व्यवस्था है? आपको अलग से आयुक्त रखना चाहिए।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : 1978 औषध नीति में यह उल्लेख अवश्य किया गया था कि हमारे यहां विकास आयुक्त (औषध) का पद होना चाहिए। परन्तु उसके लिए अनेक आधार-भूत ढांचे खड़े करने होंगे जैसे कि क्षेत्र प्राधिकरण जिसका लाभ उपलब्ध कर्मचारियों से चलाया जा सके। इसलिए हमने विकास आयुक्त के इस पद को संयुक्त सचिव के साथ मिला दिया है।

डा० बी० वेंकटेश : महोदय, इस शताब्दी के अन्त तक सरकार कुष्ठ और अन्य बीमारियों का उन्मूलन करने जा रही है। इन बीमारियों का उपचार लम्बे समय तक चलता है। अतः, मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या महंगी और कुष्ठ रोग के उपचार में प्रयोग में आने वाली रिफामाइसीन जैसी महत्वपूर्ण औषधियों की कीमतें घटाने का कोई प्रस्ताव है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे कुष्ठ-रोधी, कैंसर-रोधी और क्षयरोग-रोधी औषधियों जैसी इन औषधियों के उत्पादन के लिए कोई छूट देने या रियायत देने जा रहे हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : सरकार को इस मामले का पता है और बी० आई० सी० पी० को लागत का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। एक बार जब उसका प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा तो हम कीमतों में कमी करने पर विचार करेंगे।

ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन

***212. श्री वी० तुलसी राम† :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में सभी राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) इस सम्मेलन में विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए;

(ग) सातवीं योजना के अन्त में विद्युत की मांग किस हद तक पूरी की जाने की आशा है; और

(घ) उक्त सम्मेलन में, विशेषकर राज्य बिजली बोर्डों की प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने और वाणिज्यिक लेखा प्रणाली अपनाने के बारे में किए गए निर्णय कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया है कि संबंधित राज्य और केन्द्रीय संगठन को भरसक प्रयास करने चाहिए ताकि विद्युत परियोजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार चालू करना सुनिश्चित किया जा सके, राज्यों को विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए और ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार करने के लिए अपेक्षित उपाय करने होंगे और समुचित गुणवत्ता और मात्रा में कोयला सप्लाई किया जाएगा; पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और बिजली की चोरी को सख्त सजा वाला एक दण्डनीय अपराध माना जाए; ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं और राज्य बिजली बोर्डों के प्रबंध को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(ग) नई क्षमता के जोड़े जाने से सातवीं योजनावधि के अन्त तक विद्युत की मांग का लगभग 95 प्रतिशत तक पूरा कर पाना संभव हो जाएगा।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वर्ष 1985-86 से वाणिज्यिक लेखा लागू किया जाना अपेक्षित है। 1985-86 के लिए संयंत्र भार अनुपात में सुधार करने और नई क्षमता प्रतिष्ठापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सम्मेलन ने अपने अन्य निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं किया है, जिनमें अधिकांश निर्णयों पर सतत रूप से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : जैसा मंत्री जी स्वयं जानते होंगे कि कोयले की कमी होने की वजह से कई फैक्टरियां ठीक से नहीं चल पा रही हैं, खास तौर से मैं आन्ध्र प्रदेश की बात जानता हूं, वहां कोयले की कम सप्लाई की वजह से फैक्टरियां कम चल रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और उसे कब तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सबको आश्वस्त किया था कि उनको जितनी मात्रा में कोयला चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, वह पावर-स्टेशन्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विद्युत विभाग और कोयला विभाग के बीच में निरन्तर समन्वय बना रहता है और जब भी कहीं से ऐसी सूचना मिलती है कि किसी पावर-स्टेशन में कोयले की कमी है तो उसी वक्त विद्युत विभाग कोयला विभाग के साथ उस मामले को उठाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि जितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है, उसकी उपलब्धता उतनी मात्रा में सुनिश्चित की जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22,245 मेगावाट बिजली की अधिक क्षमता लगाने की स्वीकृति मिली है और जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में भी कहा है, इस क्षमता के लग जाने के बाद, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में, 12वीं पावर सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह मानते हैं कि 95 प्रतिशत मांग को हम पूरा कर सकेंगे।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि बिजली की चोरी करने वालों के विरुद्ध, उनको पकड़ने के लिए, विशेष प्रावधान करने वाले हैं लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें होता यह है कि खासतौर से जो सीधे-सादे किसान होते हैं या जो छोटे-छोटे फैक्टरी वाले, छोटे बिजिनैसमैन होते हैं, वे ही ज्यादातर पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरी वाले हैं, बड़े किसान हैं, वे कभी पकड़े नहीं जाते हैं या वे मैनेज कर लेते हैं, बच जाते हैं। इस सम्बन्ध में आपने क्या स्थिति का कभी अध्ययन किया है और बड़ी चोरी करने वालों के विरुद्ध क्या आप जल्दी ही कोई कार्यवाही करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, या किस तरह का कानून बनाने वाले हैं, वह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : केन्द्र सरकार इस विषय पर बार-बार अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुकी है। हमने प्रदेश सरकारों को कई बार लिखा है और कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिजली की चोरी न होने पाये, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लौसेज को कम करने के लिए कदम उठाये जाएं लेकिन यह काम मुख्यतः राज्य सरकारों को करना है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और अपनी प्रदेश सरकार को इस बात के लिए मोटीवेट करें जिससे वह ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सके।

जहां तक विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की बात है, उसमें प्रस्ताव आया था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट में संशोधन करके इसको कोगनेजीबल आफेंस बनाया जाए और डिटरेंट पनिशमेंट के लिए उसमें प्रोवाइड किया जाए।

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 22 हजार मेगावाट की क्षमता बढ़ने से कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये क्षमता तो पूरी होगी जब प्रोजेक्ट क्लियर होगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि टिहरी डैम प्रोजैक्ट जो 2 हजार मेगावाट का है, एक-डेढ़ साल पहले यह प्रोजैक्ट भेजा गया था कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर प्राधिकरण बनाकर इसको पूरा करें, इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजैक्ट लखवाड़ व्यासी है, जो सब जगह से क्लियर हो गया, लेकिन पर्यावरण से अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे या ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे कि जितने भी सम्बन्धित विभाग हैं, वे सभी अपनी एक दफा में ही अनुमति दे दें,

क्योंकि इसमें देर होने ने न तो हम कोई सातवें प्लान में अपनी क्षमता साबित कर पाएंगे और इसके अलावा प्रोजैक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब आप छोड़िए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, जहां तक 22,245 मेगावाट क्षमता को जोड़ने का सवाल है, वह सब तो जो प्रोजैक्ट पहले ही सी० ए० द्वारा क्लियरेंस दिए जा चुके हैं, उन पर आधारित है तथा जिनको सातवीं पंचवर्षीय योजना में या सेंट्रल सैक्टर में या प्रदेश की जो सातवीं योजनाएं हैं, उनमें शामिल किया गया है । टिहरी के सम्बन्ध में निवेदन यह है टिहरी योजना को प्रस्ताव के तौर पर स्वीकृति दे दी गई थी, अब इसके बाद फिर पिछले साल ये बुनियादी तौर पर प्रदेश की योजना में था, लेकिन पिछले साल चूंकि संसाधनों की कमी रही और संसाधन ज्यादा चाहिए, इसलिए प्रदेश सरकार ने हमें लिखा है कि इसको जाइंट प्रोजैक्ट के तौर पर लिया जाए । श्रीमन्, उसको किस तरह से एक्जीक्यूट करना है, क्योंकि अब ये केन्द्रीय प्रोजैक्ट के तौर पर नहीं है, जाइंट प्रपोजल है, इसलिए वह पूरी प्रपोजल विचाराधीन है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी से जल्दी बॉडी बनाकर इसकी एक्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ।

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश में हैं जो सर्पलस चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो डेफिसिट में चल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कितने डेफीसिट में चल रहे हैं, यह तो प्रश्न बनता है, लेकिन कितने सर्पलस में हैं, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, यदि आपका निर्देश हो, तो मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० दास, श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी, श्री जय प्रकाश त्रिपाठी, श्री मोहन भाई पटेल—एबसेंट ।

[अनुवाद]

खम्भात क्षेत्र में महासागर तल में कोयला भंडार निकालना

*217. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात क्षेत्र में महासागर तल में कोयले का विशाल भंडार विद्यमान है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वहां कोयले का कितना भंडार होने का अनुमान है; और

(घ) क्या वहां महासागर तल से कोयला निकालने की कोल इंडिया लि० की कोई योजना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नही उठते ।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का अत्यन्त संक्षेप में उत्तर दिया है। यदि आप मेरे प्रश्नों के (ख) भाग को देखें तो ज्ञात होगा मैंने पूछा था कि क्या कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है। जब तक भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं किया जाता तब तक यह नहीं बताया जा सकता कि वहां पर कोयला है अथवा नहीं। उत्तर में नितान्त रूप से कहा गया है, "नहीं", स्पष्ट है कि मंत्री महोदय बिना पता लगाये कह रहे हैं कि वहां पर कोयला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में पुनर्विचार करके उत्तर देगी।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से निराश नहीं करूंगा। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा है क्या खम्भात क्षेत्र में कोयले के विशाल भण्डार विद्यमान हैं। अतः मुझे कहना पड़ा, नहीं। अन्यथा मैं वचनबद्ध होता। परन्तु, मैं उन्हें बता सकता हूं कि हां, खम्भात क्षेत्र में महासागर तल में कुछ कोयले के भण्डार मिले हैं परन्तु वे बहुत गहराई पर हैं।

अब एक विशेषज्ञ समिति इस बात का पता लगा रही है क्या इतनी गहराई से किसी विधि द्वारा हम उसका गैस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस पर हम विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। एक प्रयोगात्मक परियोजना बनाई जा रही है तथा यदि यह वास्तव में लाभदायक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध होती है, तब यह महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : अंग्रेजी मेरी मात्रभाषा नहीं है। अतः कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्या मैं मराठी में पूछ सकता हूं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कि मैं प्रश्न नहीं करता।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदय, देश भर में सदा कोयले की कमी रहती है, विशेषतः गुजरात में, जहां कोयला दूर से आता है। क्या इस पहलू पर विचार करना संभव तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा क्योंकि इससे कोयले की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है, विशेष तौर से गुजरात की, जोकि एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है।

श्री वसंत साठे : मेरा उत्तर है "हां"। यदि वास्तव से हमें कोयला मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया कोयला बहुत गहराई पर है जिसे खनन द्वारा निकाला नहीं जा सकता। अतः हमें इस रूप में कोयला प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग होता है। अतः यदि इसे हम गैस बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तथा यदि उक्त तकनीक सफल हो जाती है, तो यह एक प्रगतिशील कदम होगा। मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

झबुआ में मेघनगर में पोलिएस्टर फाइबर कारखाने की स्थापना

*218. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झबुआ में मेघनगर में 23 अक्तूबर, 1984 को एक पोलिएस्टर फाइबर कारखाने का शिलान्यास किया गया था;

(ख) क्या इसके निर्माण में कोई प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कारखाने की शीघ्र स्थापना करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

[अनुवाद]

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां ?

(ख) और (ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 60 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है। वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा पानी जैसी अन्य सुविधाओं के उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(घ) संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तथा वे परियोजना को शीघ्र स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : जैसा मंत्री जी ने उत्तर दिया, मेरे क्षेत्र में 23 अक्तूबर, 1984 को हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और उस समय लाखों की तादाद में लोग वहां आये थे। एक साल अभी तक हो चुका है, लेकिन इस बारे में वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लाईसेंस दिया गया था, उस वक्त उसकी कैपेसिटी क्या थी और उसका समय कितना था ? एक साल था या दो साल था ?

जब हमारी नेता ने इसका शिलान्यास किया, उसका भी उपयोग नहीं किया गया और यह लाइसेंस एक प्राइवेट पार्टी को ट्रांस्फर हो गया। यह ज्वायन्ट सैक्टर है, मंत्री जी को मालूम नहीं है। अगर मंत्री जी स्पष्ट कर दें तो मैं आगे सप्लीमेंटरी करूं। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, मैंने बताया कि यह संयुक्त क्षेत्र में है। यह सही है भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने शिलान्यास किया था। आरम्भिक क्षमता 15,000 टन रखी गई थी तथा जीवन-क्षम बनाने के लिए उसकी क्षमता 30,000 तक बढ़ाने पर हम सहमत हो गये थे और इस परियोजना के पूरा होने में लगभग चार वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो समय के बारे में पूछा था कि लाइसेंस देने के बाद वह कितने समय में पूरा हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : इसकी स्थापना से सम्बद्ध बहुत से कारक हैं। हम लाइसेंस देते हैं। हम कोई निश्चित अवधि नहीं दे सकते। राज्य सरकार को आधार ढांचा तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी। मैंने वक्तव्य में बताया है कि पानी की समस्या है। जैसे ही राज्य

सरकार इसे हल कर देगी इस कार्य को हाथ में लिया जायेगा। अनुमानतः चार वर्ष का समय लगेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गांवों में डाकघर खोलना

*202. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों की जनसंख्या, विशेषकर एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले उन गांवों के बारे में, जिनमे डाकघर नहीं हैं, कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांच सौ से एक हजार तक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना बनाई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसे ग्रामों की संख्या ज्ञात करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है, जिनमें निर्धारित विभागीय मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य बनता है।

(ख) जी नहीं। ग्राम पंचायत वाले ग्रामों को छोड़कर सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ग्राम की जनसंख्या कम से कम 2,000 और पिछड़े एवं जनजातीय इलाकों में किसी ग्राम की जनसंख्या 1,000 होनी चाहिए, तभी वहां डाकघर खोला जा सकता है।

कुटुम्ब न्यायालयों के लिए वित्तीय सहायता

*207. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुटुम्ब न्यायालय आरम्भ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुटुम्ब न्यायालय आरम्भ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कुटुम्ब न्यायालय आरम्भ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा खाना पकाने की गैस मिट्टी के तेल के मूल्यों का कम किया जाना

*208. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० में कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) वर्ष 1981 से जून, 1985 तक की अवधि के दौरान, वर्ष-वार, इसको कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछले वर्षों में अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुए खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी करने का है; और

(घ) घटाई गई दरों पर खाना पकाने की गैस और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) यथास्थिति 31 मार्च, 1985 को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के शेयर पूंजी और आरक्षित (निवेश) का कुल मूल्य 12,012 लाख रु० था ।

(ख) कराधान के पश्चात 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष के निवल लाभ निम्न प्रकार है :

	(लाख रु० में)
1982	1407
1983	1346
1984	1566
1985	1380
अप्रैल से जून, 1985	327 (अस्थायी)

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के पांच रुग्ण उपक्रमों का एक नियन्त्रक कम्पनी में विलय

*213. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के पांच रुग्ण उपक्रमों का एक नियंत्रक कम्पनी में विलय करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है; और

(ग) ऐसी नियंत्रक कम्पनी कब स्थापित की जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उनकी कार्य कुशलता तथा अन्तर-एकक समन्वय में सुधार करने के विचार से सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन ढांचे के एक भाग के रूप में एक नियंत्रक कम्पनी बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें (1) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि० (2) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०

एण्ड वेनई (इण्डिया) लि० का इंजीनियरी भाग (3) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि० (4) भारत वैगन इंजीनियरिंग कम्पनी लि० (5) बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लि० (6) जैसप एण्ड कम्पनी लि० (7) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि० तथा (8) बीबीजे कन्सट्रक्शन कम्पनी लि० जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, शामिल होंगी जबकि उनके अन्तर-सम्बन्धी उत्पाद मिश्र को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग के लिये नई योजना

*214. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग के लिए एक नई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां तो इस योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इस नई योजना के कार्यान्वयन पर कितना अतिरिक्त धन व्यय होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया गया खादी ग्रामोद्योग एक सतत कार्यक्रम है। इसमें खादी और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल 26 ग्रामोद्योगों का विकास सम्मिलित है।

2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को उसके कार्य व्यापार के लिए आवंटित राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। यह राशि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 208 करोड़ रुपये थी और छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 518.09 करोड़ कर दी गई थी, आवंटित राशियों में सहकारी ऋणों पर ब्याज के लिए दी जाने वाली राजसहायता और खादी की बिक्री के लिए दी जाने वाली छूट शामिल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में, सरकारी स्रोतों में से आयोग के लिए 540 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें योजनेत्तर बजट को अन्तरित किये गये सरकारी ऋण पर लगने वाले ब्याज के लिए दी गई राजसहायता और खादी की खुदरा बिक्री पर दी गई छूट पर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में मोटे तौर पर खर्च की गई 300 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। ठीक-ठीक तुलना के लिए, यह उल्लेखनीय है कि छठी योजना के परिव्यय में जो राशि मोटे तौर पर 300 करोड़ रुपये थी, उसके अनुरूप 7वीं योजना के परिव्यय में यह राशि 540 करोड़ रुपये है, इसके अलावा, आयोग को यह आशा है कि वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी।

[अनुवाद]

पावर जेनरेटरों का निर्माण

*215. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई होने की समस्या है;

(ख) उन क्षेत्रों के लोगों की तत्काल सहायता करने के लिये उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है ?

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार उन क्षेत्रों के लोगों के लिये बिजली पैदा करने हेतु छोटे बड़े आकार के जेनरेटरों का निर्माण करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले में कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अप्रैल से अक्तूबर, 1985 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र के सभी राज्यों, दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तथा केरल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र द्वारा अपनी-अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर ली गई थी । देश के अन्य भागों में विद्युत की कमी भिन्न-भिन्न थी ।

(ख) तात्कालिक उपाय के रूप में फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों के सहायता दी जाती है । कम अवधि में प्राप्त करने योग्य 1500 मेगावाट की गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जा रही ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण.तथा आधुनिकीकरण के एक कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(ग) से (च) विद्युत संयंत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के उपस्करों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है । तथापि प्रत्येक मामले की स्थिति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा उपस्करों का आयात किया जाता है ।

तेल की खोज के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर देना

*216. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल की खोज और उत्पादन करने के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर देने हेतु तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में तेल की खोज और उत्पादन का कार्य शुरू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि पहली दो निविदाओं में भी तेल की खोज और उत्पादन के लिए क्षेत्रों को पट्टे पर देने की घोषणा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश में विदेशी कंपनियों द्वारा तेल की खोज तथा उत्पादन की शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। बोलियों के प्रथम दौर में सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक-II अमेरिका की मैसर्स शेवरान कम्पनी को आबंटित किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसने प्रारम्भिक तीन वर्षों में तीन कुओं की खुदाई की परन्तु इसे हाइड्रोकार्बनों की प्राप्ति में असफलता ही मिली। फलस्वरूप शेवरान कम्पनी के कंट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार कार्य को बन्द करने का विकल्प ही चुना। बोलियों के दूसरे दौर में कोई कन्ट्रेक्ट नहीं दिया जा सका।

लाइसेंस मुक्त औषधों का उत्पादन

*219. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में औषध निर्माण एकक स्थापित करने की इच्छुक फर्मों को ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में अपने एकक स्थापित करने पड़ेंगे,

(ख) यदि हां, तो कुछ औषधों का निर्माण लाइसेंस मुक्त किये जाने के बाद औषध उद्योग की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) यदि उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा घोषित लाइसेंस मुक्त करने की योजना यह निर्धारित करती है कि औद्योगिक उपक्रम निम्न स्थानों पर स्थापित नहीं किये जाने चाहिये :—

I. सेंसस आफ इंडिया, 1981 द्वारा यथा निर्धारित 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी शहर की मानक शहरी सीमाओं के अन्दर।

II. उक्त जनगणना में यथा निर्धारित पांच लाख में अधिक की जनसंख्या वाले शहर की नगरपालिका सीमाओं के अन्दर।

(ख) उद्योगों की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न रही है। तथापि औषध एवं भेषज के निर्माण हेतु 31 अक्तूबर, 1985 तक 43 प्रस्ताव पंजीकृत किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन

*220. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कितने मामले उनके मंत्रालय के ध्यान में आये हैं, और किये गए उल्लंघनों का स्वरूप क्या है; और

(ख) क्या उक्त आदेश के उपबन्ध 29 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) लघु उद्योग क्षेत्र के एककों द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से उच्चतर मूल्यों पर विक्रय करने, उत्पादों के गलत वर्गीकरण तथा कुल बिक्री में 50 लाख रु० का सीमा पार करने के बाद मूल्य अनुमोदन के बिना विपणन करने से संबंधित कई दृष्टांत सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए गए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 200 से अधिक नोटिस उत्पादकों को जारी किए गए हैं। कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार इन नोटिसों पर कार्यवाही जारी है।

आंध्र प्रदेश में भारी उद्योग

*221. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) संकल्प में दिये गये उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक उद्योग से संबंधित स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में कुछ भारी उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 13 सितम्बर, 1985 को एक संकल्प पारित किया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से राज्य में रेलवे कोच फैक्ट्री, एक आयुद्ध कारखाना तथा एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र जैसे भारी उद्योगों की स्थापना का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे कोच फैक्टरी को पंजाब में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में किसी भी भारी उद्योग को स्थापित करने का उद्योग मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

औषध कम्पनियों द्वारा ऋण लाइसेंस के उपयोग की अनुमति

2153. **श्री मानिक रेड्डी :**
श्री मुल्लापल्ली रामा रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा कितने उत्पादों की

बिक्री की जा रही है (एक) केडिला (दो) एलम्बिक (तीन) रेनबेक्सी (चार) सिपला और (पांच) यूनीकेम (सभी भारत में औषधियां तैयार करने वाली कम्पनियां);

(ख) क्या ऋण लाइसेंसों का उपयोग वाणिज्यिक आधार पर लाने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) ऋण लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत औषधों का उत्पादन करने की अनुमति राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा दी जाती है अतः यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम सर्फ के अन्तर्गत सिन्थेटिक डिटरजेंट का विपणन

2154. श्री सोडे रामैय्या : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 से अधिक लघु कारखाने सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट के उत्पादन और बिक्री में लगे हुये हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर ही एक ऐसी कम्पनी है जो सिन्थेटिक डिटर्जेंट के क्षेत्र में विदेशी सहयोग से चल रही है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम "सर्फ" के अन्तर्गत अपने उत्पादों का विपणन करने की अनुमति दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान लीवर को अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) सिंथेटिक डिटर्जेंटों के उत्पादन के लिए कोई विदेशी सहयोग स्वीकृत नहीं किया गया है। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अतिरिक्त इस समय संगठित क्षेत्र में 17 एकक सिंथेटिक डिटर्जेंटों का उत्पादन कर रहे हैं । इसके अलावा एक एकक कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में भी है ।

(ग) और (घ) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ ट्रेड मार्क के कार्यालय में "सर्फ" ट्रेड मार्क के रजिस्टर्ड प्रोपराइटर के रूप में पंजीकृत है ।

पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्पादन

2155. श्री विजय एम० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में मृत्तिका (सिरेमिक) उद्योग को बड़ी मात्रा में स्टीम कोयले की सप्लाई प्रभावित होने के क्या कारण हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में उत्पादन में स्थिरता, उक्त गत्यावरोध के लिए कहां तक जिम्मेदार है; और

(ग) अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा उत्पादन में काफी वृद्धि किए जाने और पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में कथित स्थिरता के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) चीनी मिट्टी उद्योग में 25 मि० मी० आकार के स्टीम कोयले का प्रयोग होता है। यद्यपि पश्चिम बंगाल में संपूर्ण कोयला उत्पादन 1977-78 के 22.96 मिलियन टन से घट कर 1984-85 में 19 मि० ट० रह गया फिर भी चीनी मिट्टी उद्योग को पश्चिम बंगाल की कोलियरियों से अप्रैल-जुलाई, 1985 के दौरान सप्लाई की गई स्टीम कोयले की मात्रा 3174 वैगन रही जबकि इसकी तुलना में 1984 की उसी अवधि के दौरान सप्लाई 2964 वैगन की रही थी।

(ग) पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन अन्य कोयला उत्पादक राज्यों के उत्पादन तुलना में निम्नलिखित कारणों से कम रहा है :

(1) देश के पूर्वी क्षेत्र में प्रतिकूल कार्य वातावरण।

(2) दोहन के लिए अछूते क्षेत्रों की सीमित उपलब्धि।

(3) भंडारों के चुकने के कारण उपलब्ध खानों में खनन-कार्य कम होते जाना।

(4) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को भूमि अधिग्रहण के संबंध में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं इसके फलस्वरूप नई खानों/परियोजनाओं को शुरू करने में अत्यधिक विलंब।

(5) पश्चिम बंगाल के कोयला खानों के लिए विद्युत शक्ति की उपलब्धि में अत्यधिक कठिनाई।

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा भविष्य निधि में अंशदान की दर

2156. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाये गये गृह मंत्रालय के फालतू कर्मचारी पूल की तरह किसी उपक्रम के फालतू कर्मचारियों को किसी अन्य उपक्रम में समायोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए फालतू कर्मचारी पूल बनाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) भविष्य निधि की ब्याज दर और ग्रेच्युटी की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों की भविष्य निधि में उपक्रमों के अंशदान की दर बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बनाये गये उदार पेंशन नियमों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी राहत मिल सके।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना शुरू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) किसी उपक्रम के फालतू कर्मचारियों को अन्य किसी उपक्रम में समायोजन के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए फालतू कर्मचारी पूल बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकारी उद्यमों में अंशदायी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़कर उसका 8 प्रतिशत अथवा 8.33 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतन-परिशोधन आवधिक रूप से हुए हैं और इसलिये पिछली कुछ अवधि के दौरान नियोक्ता के अंशदान में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अंशदायी भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजनायें पारस्परिक रूप से अनन्य हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उदारीकृत पेंशन योजना के अन्तर्गत या अन्यथा प्राप्त होने वाले लाभों की सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से तुलना नहीं की जा सकती है। अंशदायी भविष्य निधि में जमा-राशि पर कर्मचारियों को देय ब्याज-दर इन निधियों के न्यासियों द्वारा किये गये पूंजीनिवेश की किस्म पर निर्भर करती है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों (कामगारों के अलावा) तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समान फार्मूला के आधार पर उपदान राशि मिलती है। कामगार उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होते हैं।

[हिन्दी]

कोयला खान श्रमिकों की चिकित्सा जांच

2157. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच कराने के लिए व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयले के खनन में लगे कामगारों की निश्चित अवधि पर स्वास्थ्य परीक्षा के लिए पहले से ही प्रबंध हैं। "कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति" की दिनांक 23-9-1985 को संपन्न पिछली बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई थी और उसमें कोयला कामगारों की निश्चित अवधि पर स्वास्थ्य-परीक्षा के अनुदेश दुहराए गए थे। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां विशेषज्ञों और गैर-सरकारी चिकित्सकों की सहायता से स्वास्थ्य परीक्षा के लिए विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाए ताकि समुचित निगरानी प्रणाली के अधीन उपयुक्त समय सीमा के भीतर सभी कामगारों की पूरी तरह से स्वास्थ्य-परीक्षा की जा सके।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आयात व्यय में कमी करना

2158. **डा० ए० के० पटेल** :

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कुल

कितने मूल्य (देश में पहुंचने पर रुपयों में लागत) के माल का आयात किया गया और उसके द्वारा माल भी लागत पर किए कुल व्यय की तुलना में यह कितने प्रतिशत था तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उसके द्वारा वास्तव में कुल कितने रुपए के मूल्य के माल का निर्यात किया गया;

(ख) उन शीर्षस्थ 25 कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनसे भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उक्त अवधि के दौरान सर्वाधिक आयात किया तथा प्रत्येक से कितने मूल्य का आयात किया गया, और

(ग) आयात में कमी करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ग बी० एच० ई० एल० का आयात पर कुल खर्च (माल उतारने पर आई लागत) और कुल सामग्री लागत की तुलना में इसका प्रतिशत निम्नलिखित है :—

	1982-83	1983-84	1984-85
(1) आयात पर खर्च	417 करोड़ रुपये	399.5 करोड़ रुपये	520 करोड़ रुपये
(2) कुल सामग्री लागत से तुलना	63%	57%	61%

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बी० एच० ई० एल० का कुल निर्यात (वास्तविक और माना गया) नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपये में)

	1982-83	1983-84	1984-85
वास्तविक निर्यात	30.26	27.35	4.51
माना गया निर्यात	52.78	120.25	212.97
योग	83.04	147.60	217.48

(ख) उन 25 शीर्षस्थ कम्पनियों के नाम जिनसे बी० एच० ई० एल० ने पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक आयात किया था और प्रत्येक मामले में आयात का मूल्य विवरण 1, 2 और 3 में दिये जाते हैं ।

(ग) आयात में कमी करने की दृष्टि से बी० एच० ई० एल० ने निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित की हैं/वृद्धि की है :—

(1) 120 मे० वा०, 200/210 मे० वा० और 500 मे० वा० क्षमता की स्टील टरबाइनों के लिए ब्लेडों के निर्माण हेतु हरिद्वार में ब्लेड शाप।

(2) 500 मे० वा० क्षमता के बायलरों हेतु प्रेशर पार्ट्स के निर्माण के लिए तिरुचि में 8000 मी० टन की प्रेस।

(3) उच्च दाब के उपयोग के लिए सेफ्टी वाल्व।

(4) इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटरों, पंखों, एयर-प्रोहीटरों, आदि जैसे बायलर सहायक सामान के निर्माण के लिए रानीपट में नया संयंत्र।

बी० एच० ई० एल० ने आयातित वस्तुओं जैसे कन्ट्रोल वाल्वों/कोल्ड बायल्ड/सिलिकान शीट स्टील, कडेन्सर ट्यूबों और विशेष इन्सुलेटिंग-सामग्री आदि का निर्माण शुरू करने के लिए अन्य संगठनों को भी प्रोत्साहन दिया है।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा में हुई बचत निम्न प्रकार थी :—

(करोड़ रुपये में)

1982-83	1983-84	1984-85
53.79	55.42	96.05

विवरण-1

उन 25 शीर्षस्थ विदेशी कम्पनियों के नाम जिनसे बी० एच० ई० एल० ने 1982-83 में सर्वाधिक आयात किया था।

(लाख रु० में)

क्रमांक	सम्भरक	देश	आयात का सी० आई० एफ० मूल्य
1	2	3	4
1.	मे० सुमिटीमो कार्पो०	जापान	2568
2.	मे० सेल आयात प्रभाग, कलकत्ता (कैनालाइसिंग एजेंसी)	भारत	1473
3.	मे० थाइसीन	प० जर्मनी	1279
4.	मे० प्रोमाश एक्सपोर्ट	रूस	1229
5.	मे० जान ब्राउन इंजी० क०	यू० के०	1118
6.	मे० क्राफ्ट वर्क यूनियन, ए० जी०	प० जर्मनी	825
7.	मे० निशो इवाई कार्पो०	जापान	634

1	2	3	4
8.	मे० नोवो सोसिएट इटैलियाना	इटली	590
9.	मे० मित्सुबिसी कार्पो०	जापान	576
10.	मे० फेरोमेट कार्पो०	सी० एस० एस० आर०	454
11.	मे० कम्बश्चन इंजी० कं०	यू० एस० ए०	444
12.	मे० मित्सुई कार्पो०	जापान	391
13.	मे० वेयर्स पम्प	यू० के०	373
14.	मे० माइवा ट्रेडिंग कार्पो०	जापान	353
15.	मे० मान्नीजंमान	प० जर्मनी	352
16.	मे० स्कोडाएक्सपोर्ट	सी० एस० एस० आर०	304
17.	मे० सुल्जर ब्रास०	स्विटजरलैण्ड	296
18.	मे० वेलीरिक एक्सपोर्ट	फ्रांस	292
19.	मे० मेरुबेनी कार्पो०	जापान	252
20.	मे० स्टाक इक्यूपमेन्ट कं०	यू० एस० ए०	251
21.	मे० टेकनोप्रोम	रुस	238
22.	मे० ब्रिटिश स्टील कार्पो०	यू० के०	233
23.	मे० सोमेन्स	प० जर्मनी	199
24.	मे० इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स	रुमानिया	192
25.	मे० बोइथ टर्बो	प० जर्मनी	189

विवरण-2

उन 25 शीर्षस्थ विदेशी कम्पनियों के नाम जिनसे बी० एच० ई० एल० ने 1983-84 में सर्वाधिक आयात किया था

(लाख रु० में)

क्रमांक	सम्भरक	देश	आयात का सी० आई० एफ० मुल्य
1	2	3	4
1.	मे० सुमिटीमो कार्पो०	जापान	1661
2.	मे० क्राफ्टवर्क यूनियन	प० जर्मनी	1290
*3.	मे० सेल इम्पोर्ट्स डिवी०, कलकत्ता	भारत	903

1	2	3	4
4.	मे० कम्बश्चन इंजी०	यू० एस० ए०	753
5.	मे० थाइसीन	प० जर्मनी	634
6.	मे० निशो हवाई	जापान	500
7.	मे० प्रोमाश एक्सपोर्ट	रूस	489
8.	में० कैटर्स पिलर	हांगकांग	396
9.	मे० सीमेन्स	प० जर्मनी	356
10.	मे० ब्रिटिश स्टील कार्पो०	यू० के०	304
11.	मे० मेरुबेनी	जापान	273
12.	मे० मित्सुई	जापान	262
13.	मे० डियूट्स बैबकाक	प० जर्मनी	247
14,	मे० टेकनीप्रोम	रूस	243
15.	मे० मेटल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	रूमानिया	229
16.	मे० एन० जी० के०	जापान	195
17.	मे० बोइस टर्बो	प० जर्मनी	190
18.	मे० जी० एच० एच० स्टर्कारडिक टिड्गी	प० जर्मनी	188
19.	मे० ई० वी० टी०	प० जर्मनी	183
20.	मे० जी० ई० सी०	यू० एस० ए०	159
21.	मे० यू० एस० एस० आयल वेल	यू० एस० ए०	159
22.	मे० मनेसमान	प० जर्मनी	154
23,	मे० टायो मेनका कैशा	जापान	148
24.	मे० फेरोमैट कार्पो०	सी० एस० एस० आर०	147
25.	मे० ब्रेहाम इण्डस्ट्रीज	यू० एस० ए०	141

*कैनालाईजिंग एजेन्सी

विवरण-3

उन 25 शीर्षस्थ विदेशी कम्पनियों के नाम जिनसे बी० एच० ई० एल० द्वारा 1984-85 में सर्वाधिक आयात किया गया था

क्रमांक	सम्भरक	देश	सी० आई० एफ० मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	मे० डब्ल्यू० यू०	प० जर्मनी	7842
2.	सुमिटीमो कार्पो०	जापान	2491

1	2	3	4
3.	कम्वश्चन इंजी०	यू० एस० ए०	2433
4.	इलेक्ट्रिम	पोलैण्ड	1714
5.	सीमेन्स	प० जर्मनी	1203
6.	मेनीसमान	प० जर्मनी	1099
7.	रस्टन गैस टरबाइन्स	यू० के०	1078
8.	निश्शो हवाई कार्पो०	जापान	1033
9.	ई० बी० टी०	प० जर्मनी	972
10.	सेल	कैनालाइज्ड	883
11.	केटरपिला	हांगकांग	762
12.	मित्सुबिसी कार्पो०	जापान	544
13.	प्रोमाश्एक्सपोर्ट	रूस	524
14.	ब्रिटिश स्टील कार्पो०	यू० के०	491
15.	यू० एस० एस० आयल वेल	यू० एस० ए०	482
16.	थाईसीन स्टाहल यूनियन	प० जर्मनी	477
17.	मेइवा टेड्रिंग	जापान	465
18.	निचीगेन कार्पो०	जापान	462
19.	के० के० के०	प० जर्मनी	418
20.	मारुबेनी कार्पो०	जापान	339
21.	स्टाक इक्यूपमेण्ट कं०	यू० एस० ए०	323
22.	मित्सुई एण्ड कं०	जापान	316
23.	एन० जी० के० इन्सुलेटर	जापान	315
24.	साल्जीएटर	प० जर्मनी	265
25.	एयर प्रारीटर कं०	यू० एस० ए०	260

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2159. डा० कृपासिंधु भोई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान क्या उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई;

(ग) इस वर्ष कितने गांवों में बिजली पहुंचाये जाने की संभावना है तथा उनके जिलावार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के संबंध में उड़ीसा राज्य के लिए अनुमोदित किया गया परिव्यय 1983-84 के दौरान 12.89 करोड़ रु० तथा 1984-85 के दौरान 14.08 करोड़ रु० था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में 3752 गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ग) और (घ) इस वर्ष के दौरान राज्य में 1560 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिला	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव
1. बालासोर	146
2. बोलनगीर	130
3. कटक	194
4. ढेनकनाल	128
5. गंजाम	166
6. कालाहाण्डी	81
7. क्योंझर	67
8. कोरापुट	121
9. मयूरभंज	79
10. फूलबनी	83
11. पुरी	166
12. सम्बलपुर	141
13. सुन्दरगढ़	58
जोड़	1560

परिसीमन आयोग

2160. श्री मुकुल वासनिक : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नगरीय क्षेत्रों के अत्यधिक विकास की जानकारी है जिसके कारण परिसीमन आयोग की स्थापना करना आवश्यक हो गया है;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है; और

(ग) स्थानों के चक्रानुक्रम के साथ परिसीमन आयोग की स्थापना न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य का ध्यान तारीख 23 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 25 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें सिफारिशों के ब्यौरे और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। सरकार इसकी विस्तृत रूप से समीक्षा कर रही है और वह राजनीतिक दलों से परामर्श करके इस विषय में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए वचनबद्ध है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

2161. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत को उत्पादन करने के लिए अनेक उपाय किये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-सी नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान 902 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का सृजन किया गया था। इसकी तुलना में लक्ष्य 1972 मेगावाट का था, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छठी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि, कार्यक्रम और उपलब्धि

परियोजना/यूनिट का नाम	कार्यक्रम	उपलब्धि (मेगावाट)	पिछड़ना (मेगावाट)	चालू करना की तारीख
1	2	3	4	5
जल विद्युत				
गढ़वाल-ऋषिकेश यूनिट-3 व 4	72	72	—	17-11-80 और 8-3-81

1	2	3	4	5
यमुना (खोडरी) चरण-2, यूनिट-1, 2, 3, 4	120	120	—	29-1-84 9-2-84 30-3-84 28-2-84
मनेरी भाली चरण-2 यूनिट-3, 2 और 1	90	90	—	31-10-84 19-11-84 14-12-84
	282	282	—	
ताप विद्युत				
ओबरा यूनिटें 12 और 13	400	400	—	28-3-81 और 21-7-82
परीछा यूनिटें 1 और 2	220	220	—	31-3-83 और 25-2-85
टांडा यूनिटें 1 से 4	440	—	440	
अनपारा "क" यूनिटें 1 से 3	630	—	630	
	1690	620	1070	
जोड़ (जल विद्युत+ ताप विद्युत	1972	902	1070	

[हिन्दी]

बिजली की बचत

2162. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का बिजली की बचत करने और प्रमुख क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों/उद्योगों/कार्यालयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कर रही है जिनमें बिजली की बचत की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार कितनी बिजली की बचत/बिजली उपलब्ध होने की आशा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) औद्योगिक, कृषि, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यथा संभव ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत करने के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव है। परिकल्पित उपायों में अपने वार्षिक परीक्षित लेखों में ऊर्जा उपभोग के बारे में, ऊर्जा कार्यक्षम पम्पसेटों के इस्तेमाल के बारे में और विभिन्न

उपकरणों और उपस्करों के लिए बिजली की खपत के संबंध में निर्धारित किए गए मानदण्ड के बारे में कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे शामिल हैं। मोटर-ड्राइव फरनेन्स और ट्रांसफार्मरों तथा फैक्ट्रियों एवं शापफ्लोर्स से संबंधित रोशनी की क्षमता में सुधार करने से संबंधित अन्य उपायों का पता लगाया गया है ।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की संशोधित योजना

2163. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहनों की एक नई संशोधित योजना तैयार कर रही है;

(ख) हृदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या इसे कार्यान्वित करते समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से इलाहाबाद जिले के औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। "उद्योग रहित जिलों"/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विद्यमान प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। समिति विकास केन्द्रों और दूरी संबंधी मानदण्डों की धारणा के आधार पर और पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर व अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से इन क्षेत्रों में स्थापना करने हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजना के विशेष उपायों से अवस्थापना के विकास पर बल देते हुए संशोधित प्रोत्साहन योजना तैयार करेगी ।

समिति द्वारा इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ।

कोकिंग कोल खनन और धुलाई के संबंध में नीति की समीक्षा

2164. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयले के खनन और धुलाई के संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा करने की तुरन्त अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान प्रणाली से कोकिंग कोयले की घटिया किस्म का उत्पादन हो रहा है जिसमें राख की मात्रा भी अत्यधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोककर कोयले के बेहतर ग्रेड के भंडार खाली होते जाने के कारण, इस समय निकाले जा रहे कोककर कोयले में राख के अंश में वृद्धि हो गई है। इसलिए, कोयले की धुलाई के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। कोककर कोयले

के परिष्करण के संबंधित समस्याओं की जांच के लिए, कोयला विभाग ने मार्च, 1984 में एक "तकनीकी कार्यकारी दल" का गठन किया था, रिपोर्ट की जांच कोयला विभाग में की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि विद्यमान वाशरियों के आधुनिकीकरण और उनमें संशोधन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए। कुछ वर्तमान वाशरियों में, आधुनिकीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। नई वाशरियों के लिए तैयार की गई "परियोजना रिपोर्टों" में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनायी गई है।

डा० ए० बी० आल्टेकर की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति गठित की गई है और इसे यह काम सौंपा गया है कि यह यथा-सम्भव न्यूनतम समय में कम राख अंश वाला धुला प्राइम कोककर कोयला प्राप्त करने के लिए अध्ययन करे और क्रैश कार्यक्रम बनाए।

नई कोयला परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सोवियत रूस समझौता

2165. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कोयला परियोजनाओं के विकास के लिए हाल ही में भारत और सोवियत रूस के बीच किए गए दीर्घावधि समझौते के मुख्य उपबंध क्या है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं में सोवियत रूस की आधुनिकतम नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भारत और सोवियत संघ के बीच एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सन 2000 ई० तक कोयला उद्योग में सहयोग के लिए चलेगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग चलाते रहने की व्यवस्था है :—

(1) जिन परियोजनाओं पर पहले से ही सहयोग हो रहा है, उनका डिजाइन और निर्माण कार्य।

(2) समुन्नत उपकरण तथा प्रौद्योगिकी और साथ ही खनन विज्ञान और व्यवहार की नवीनतम उपलब्धियां अपना कर भारतीय कोयला उद्योग का विकास।

(3) भारत के क्षेत्रों में कोयले के भू-वैज्ञानिक समन्वेषण और पूर्वेक्षण के विस्तार तथा झरिया भंडारों के दक्षिणी भाग में कोककर कोयले के पूर्वेक्षण का विस्तार।

(4) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के साथ सतत सहयोग। इसमें गोदावरी भंडार की कोयला उत्पादन विकास योजनाओं का विस्तार शामिल है।

(5) भारत में विकसित की जा रही कोलियरियों में सीधे शाफ्ट पैबस्त करने में सहयोग जारी रखना।

(6) कोलियरियों, ओपेनकास्ट खानों और वाशरियों के लिए उपकरणों के निर्माण में उत्पादन क्षमता और विशिष्टता का विकास करना।

(7) अन्य देशों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग।

पन्द्रह परियोजनाएं पहले ही सहयोग के लिए निर्दिष्ट हो चुकी हैं तथा अन्य परियोजनाएं भी हाथ में ली जा सकती हैं।

(ख) जी, हां।

केरल में नये शाखा डाकघरों का खोलना और डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

2166. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 31 अक्तूबर, 1985 को कुल कितने शाखा डाकघर और उसमें बड़े डाकघर थे; और

(ख) नवम्बर, 1985 से मार्च, 1986 की अवधि के दौरान नये शाखा डाकघर खोलने और डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-10-85 तक पोन्नाणी संसदीय चुनाव क्षेत्र में शाखा डाकघरों और अन्य डाकघरों की संख्या वहां के विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अनुसार इस प्रकार है :—

	शाखा डाकघर	अन्य डाकघर
तिरुरंगाड़ी	16	8
तन्ना	16	11
तिरुर	18	14
पोन्नाणी	15	15
कुट्टीपुरम	8	13
मंकड़	28	10
पैरीनतलमन्ना	21	6

(ख) पदों के सृजन पर लगे मौजूदा प्रतिबन्ध को मद्देनजर रखते हुए, नवम्बर, 1985 से मार्च, 1986 के दौरान नये शाखा डाकघर खोलने तथा दर्जा बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विद्युत उत्पादन की योजनायें

2167. श्री राधाकांत डिगाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन में भारी वृद्धि करने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल के प्रयोग को और इंजीनियरी पम्प सैटों, डीजल की खपत को समाप्त करने के लिए, योजनाएं कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या नीति अपनाई गई है; और

(ग) इस संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सातवीं योजनावधि में 22,245 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। लगभग 1.2 लाख और गांव विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। लगभग 24 लाख पम्पसैटों को ऊर्जित करने का भी प्रस्ताव है ।

बेरोजगारी की समस्या से निबटने के लिये उद्योगों का संवर्धन

2168. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों में उद्योगों का संवर्धन करके देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियमित की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार से कर्नाटक में उद्योगों के विकास के लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योगों विशेषकर ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के माध्यम से लाभकारी तथा उत्पादक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना सातवीं योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

(ख) उद्योगों के संवर्धन के माध्यम से बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई विशेष धनराशि नियमित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) बड़े मझौले ग्रामीण तथा लघु उद्योगों से संबंधित कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजना आयोग में प्रत्येक वर्ष चर्चा की जाती है । निम्नलिखित तालिका योजना आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि और वार्षिक योजना 1985-86 के लिए स्वीकृत धनराशि के प्रावधान को दर्शाती है :—

	सातवीं योजना के लिए धनराशि	वार्षिक योजना (करोड़ रुपयों में) के लिए धनराशि
बड़े और मझौले उद्योग	90.00	17.29
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	152.00	30.35

केरल में मिट्टी के तेल की दुर्घटना के पीड़ितों को दिया गया मुआवजा

2169. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम ने केरल में मिट्टी के तेल की दुर्घटना के पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है; और

(ग) कितने लोगों को मुआवजा दिया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केरल मुख्य मंत्री के पीड़ित सहायता कोष में 17 लाख रुपये का अंशदान किया था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा मृतकों के मामलों में और जख्मी होने के 205 मामलों में मुआवजे की अदायगी की गई है।

ऊर्जा पार्क

2170. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पहला ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के शेष भागों में भी इसी प्रकार के पार्क स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी हां। 18 ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजनाएं अथवा ऊर्जा पार्कों को पूरा किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैं :—

1. आंध्र प्रदेश	2
2. दिल्ली	2
3. गुजरात	1
4. मध्य प्रदेश	1
5. उड़ीसा	4
6. तमिलनाडु	1
7. उत्तर प्रदेश	7

ऐसी 28 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं, जो इस प्रकार हैं :—

1. आंध्र प्रदेश	1
2. दिल्ली	5
3. गुजरात	5
4. मध्य प्रदेश	1
5. महाराष्ट्र	1
6. उत्तर प्रदेश	15

कांबियोटिक और कांबियोटिक फोर्ट टीकों का अभाव

2171. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांबियोटिक और कांबियोटिक फोर्ट टीकों का बाजार में अभाव

है और इसके कारण क्षय रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन टीकों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं और उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय ने प्रत्येक का कितना मूल्य निर्धारित किया है और इन्हें किस मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(घ) इन उत्पादों का वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1984-85 में कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) इन टीकों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इन इंजेक्शनों की कमी/अनुपलब्धता के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अन्य निर्माताओं के द्वारा उत्पादित समतुल्य ब्रांड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) इस प्रकार का फार्मूलेशनों के अधिसूचित लीडर मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

	पैक आकार	कीमत
1. स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.5 ग्राम+प्रोकेन पेनिसिलिन 3 लाख इकाई और सोडियम पेनिसिलिन जी 1 लाख इकाई	एक खुराक की शीशी	रु० 2.63
-वही-	पांच खुराक का शीशी	रु० 8.34
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन 1.0 ग्राम+प्रोकेन पेनिसिलिन 3 लाख इकाई और सोडियम पेनिसिलिन जी 1 लाख इकाई	पांच खुराक की शीशी एक खुराक की शीशी	रु० 8.34 रु० 3.49

(घ) और (ङ) अलग-अलग फार्मूलेशनों के उत्पादन की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती।

सूरत जिले के बुहरी गांव के डाकघर की इमारत में विस्फोट

2172. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 नवम्बर, 1985 को सूरत जिले के वेलोप तालुक में बुहारी गांव में डाकघर की इमारत में हुए विस्फोट से डाकपाल सहित पांच व्यक्ति घटना स्थल पर मारे गये थे और अन्य एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में डाकघर विभाग को हुए जान और माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्घटना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को कितना मुआवजा दिया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) बुहारी डाकघर के उप पोस्टमास्टर की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी और विस्फोट से डाकघर की एक सीमेंट का टेलटर बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया।

(ग) उप पोस्टमास्टर की विधवा को विभागीय कल्याण निधि से 5,000 रु० दिए गए हैं।

पंजाब को केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत आबंटन

2173. **श्री मेवा सिंह गिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैरासूल, सलाल और सिंगरौली जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं से पंजाब को कितनी बिजली देने पर सहमति हुई;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान पंजाब को वास्तव में कितनी बिजली सप्लाई की गई है;

(ग) यदि वास्तविक सप्लाई देय सप्लाई से कम बहुत थी, तो क्या अन्य राज्यों को भी परियोजनाओं से केन्द्रीय परियोजनाओं से उनके हिस्से की बिजली सप्लाई की स्थिति यही थी;

(घ) यदि उपर्युक्त (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो पंजाब के साथ विद्युत सप्लाई के मामले में इस प्रकार भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में पंजाब को उसके आबंटित हिस्से की बिजली की सप्लाई करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बैरास्यूल, सिंगरौली तथा सलाल में पंजाब का हिस्सा निम्नानुसार है :—

(1) बैरास्यूल (3×60 मेगावाट) :—एन० एच० पी० सी० की निर्माणाधीन परियोजनाओं की निर्माण सम्बन्धी विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात 47%।

(2) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र :
5×200 मेगावाट : 82 मेगावाट (8.2%)

(3) सलाल जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन) :
(3×115 मेगावाट) : 120 मेगावाट (35%)

(ख) से (ङ) विभिन्न राज्यों को बैरास्यूल तथा सिंगरौली से ऊर्जा की सप्लाई तथा इनमें उनका वास्तविक हिस्सा विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है। पंजाब को बैरास्यूल तथा सिंगरौली से इसका पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है जिसका कारण दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश प्रणालियों द्वारा अधिक विद्युत लेना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को सलाह दी जा रही है कि वे अपने हिस्से की विद्युत की सप्लाई लें।

विवरण-1

1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (अक्तूबर, 85 तक) के दौरान बैरास्यूल से ऊर्जा की सप्लाई तथा राज्यों का हिस्सा

(आंकड़े मि० यू० में)

	1983-84		1984-85		1985-86	
	हिस्सा	वास्तविक	हिस्सा	वास्तविक	हिस्सा	वास्तविक
पंजाब	338.4	194.5	260.7	127.9	197.5	37.8
हरियाणा	225.6	128.8	172.0	84.4	130.2	25.0
हि० प्र०	79.5	45.5	61.2	30.5	49.6	12.3
दिल्ली	79.5	354.2	61.0	312.0	46.1	348.3
जम्मू व कश्मीर	57.6	57.6	67.1	67.2	53.5	53.5

विवरण-2

1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (अक्तूबर, 1985 तक) के दौरान सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से ऊर्जा की वास्तविक सप्लाई तथा राज्यों का हिस्सा

(सभी आंकड़े मि० यू० में)

	1983-84		1984-85		1985-86	
	हिस्सा	वास्तविक	हिस्सा	वास्तविक	हिस्सा	वास्तविक
चंडीगढ़	—	2.0	—	3.0	—	5.1
दिल्ली	177.9	97.1	289.1	344.4	185.3	546.1
हरियाणा	235.3	93.0	388.1	143.4	244.7	218.1
हि० प्र०	—	10.7	—	24.1	—	10.8
जम्मू व कश्मीर	—	22.9	—	38.6	—	33.0
पंजाब	235.3	61.4	388.2	93.0	244.7	27.0
राजस्थान	355.8	412.3	570.0	508.2	370.5	376.6
उ० प्र०	1004.3	1791.3	1643.3	3305.2	1137.2	1881.2

पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों में विविधता लाना, उनका आधुनिकीकरण करना और उनमें प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए योजनायें

2174. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में रुग्ण

एककों का आधुनिकीकरण करने, विविधता लाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए योजनायें क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल की वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजनाओं में ऐसी योजनाओं के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के पहले छः महीनों के दौरान वार्षिक योजना पर इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के रुग्ण औद्योगिक एककों हेतु आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा प्रौद्योगिकी अभ्युत्थान का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों में पूंजी निवेश

2176. **श्री डाल चन्द जैन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितने उद्योग चलाए जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा 15 मार्च, 1985 को सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 में उपलब्ध है।

(ग) सरकारी उद्यमों ने कुल मिलाकर 1983-84 के दौरान 245.67 करोड़ रुपये और 1984-85 के दौरान 956.12 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है। 1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में राजसहायता में अनियमिततायें

2177. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खादी और ग्रामोद्योग आयोग में राज सहायता में हुए गंभीर घोटाले के पर्दाफाश की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या बायो गैस संयंत्र परियोजना, जो चीन के संयंत्र से काफी पीछे हैं, को निधियों के अन्यत्र लगाने के कारण इस परियोजना को विशेष रूप से धक्का पहुंचा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आयोग ने स्वयं शुरू किए सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच करने के बाद अदा की गई राजसहायता के ब्यौरे इकट्ठे करने के लिए आगे आर्रवाई करने तथा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग ने आन्तरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी आरम्भ कर दी है।

(घ) चूंकि निधियों को अन्यत्र नहीं लगाया गया है, अतः बताए गए अन्यत्र लगाने के कारण बायो गैस परियोजना में बाधा पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी जाने वाली राजसहायताओं के अन्तर्गत निम्नलिखित राजसहायताएं आती हैं :—(1) खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज राजसहायता; (2) खादी की बिक्री पर ग्राहकों को दी जाने वाली छूट के लिए राजसहायता और (3) बायोगैस संयंत्रों के निर्माण पर राजसहायता/बैंक ऋणों पर ब्याज राजसहायता का अन्यत्र लगाने संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। खादी की बिक्री पर छूट का भुगतान करने के संबंध में इसकी जांच और भुगतान के लिए एक सुव्यवस्थित लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है और आपत्तिजनक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। बायोगैस कार्यक्रम के खादी तथा ग्रामोणोग आयोग को एक कार्यान्वयनकारी एजेंसी के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। कार्य पूरा हो जाने के प्रमाण-पत्र सहित राजसहायता आवेदन मिलने पर इस कार्यक्रम के अधीन लाभग्राहियों को सहायता वितरित की जाती है। बायोगैस संयंत्र पूरा किए जाने के बाद ही राजसहायता का भुगतान (रिलीज) की जाती है। बैंक वित्तीय की सहायता से निर्मित संयंत्रों के मामले में राजसहायता संबंधित बैंकों को दी (रिलीज) जाती है।

अगस्त, 1982 में आयोग ने स्वयं ही आयोग के संरक्षण के अन्तर्गत 1974-75 से 1981-82 तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं बिहार राज्य के 14 चुने हुए जिलों में गठित बायोगैस संयंत्रों के सर्वेक्षण का निर्णय लिया है। कुल मिला कर स्थिति संतोषजनक है, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

क्रमांक	राज्य का नाम	सर्वे में निहित संयंत्र	कार्यशील प्रतिशत	गैर-कार्यशील प्रतिशत	सर्वे के दौरान बेसुराग संयंत्र
1.	तमिलनाडु	1979	1374 (69.4 प्रतिशत)	518 (26.2 प्रतिशत)	87 (4.4 प्रतिशत)
2.	महाराष्ट्र	7299	6036 (82.7 प्रतिशत)	1129 (15.5 प्रतिशत)	134 (1.8 प्रतिशत)
3.	बिहार	3938	2176 (55.3 प्रतिशत)	1157 (29.3 प्रतिशत)	605 (15.4 प्रतिशत)

बिहार में कुछ लाभ प्राप्तकर्त्ताओं ने पारिवारिक झगड़ों के बंटवारे आदि के कारण राज-सहायता को वापिस कर दिया है। इस प्रकार, ऐसे संयंत्रों को निकाल देने से, बेसुराग संयंत्रों की संख्या काफी कम रह जाएगी। मध्य प्रदेश में बायो गैस संयंत्रों की राजसहायता के अन्तरिम लेखा परीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं एवं प्रशासनिक भूलें देखने में आई हैं।

पेट्रोलियम एजेन्सियों द्वारा हवा और पानी मुफ्त सप्लाई करना

2178. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम एजेन्सी के आवेदन के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त के रूप में उपभोक्ताओं को हवा और पानी मुफ्त सप्लाई करने के लिए पेट्रोलियम एजेंसियों से कोई आश्वासन लिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम एजेंसी का आबंटन करने के लिए ऐसी पूर्व शर्त रखने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेल उद्योग उस अंश को आज्ञापक बनाने हेतु प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है जो खुदरा बिक्री केन्द्रों को दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं से संबंधित है।

विदेशी व्यापार चिह्न

2179. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के साथ सभी सहयोगों में यह शर्त रखे जाने के क्या कारण हैं कि कोई भी विदेशी व्यापार चिह्न प्रयोग नहीं किया जायेगा; और

(ख) इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र में, जैसे टी० वी०, वीडियो और कम्प्यूटर के मामले में विदेशी व्यापार चिह्न लगभग नगण्य होने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारतीय ब्रांड नामों के विकास हेतु विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग हतोत्साहित किया जाता है। सामान्य नीति के अनुसार आन्तरिक बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती तथापि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर उनका उपयोग किये जाने पर आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की एक शर्त विदेशी सहयोग के सभी अनुमोदनों में सम्मिलित की जाती है।

सोडा ऐश का उत्पादन और आयात

2180. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा ऐश का वार्षिक उत्पादन और आयात (टन में) कितना है;

(ख) क्या देश में मांग की तुलना में सोडा ऐश की सप्लाई कम है जिसे आयात से पूरा किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) देश में 1984-85 के दौरान 8.17 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन हुआ। मार्च, 1983 के बाद के वास्तविक आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने शुल्क की घटी दरों पर ओपन जनरल लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन आयातों की स्वीकृति दी है।

जौनपुर में दूरसंचार केबिल परियोजना के लिए धनराशि की मंजूरी

2181. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड की दूरसंचार केबिल परियोजना की स्थापना के लिए प्रारम्भिक खर्चों हेतु धनराशि की मंजूरी का मामला उनके मंत्रालय के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में धनराशि देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस परियोजना के लिए निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है।

आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में असन्तोषजनक ट्रंक काल सेवा

2182. **श्री सी० सम्बू : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों में ट्रंक सेवाओं का रखरखाव असन्तोषजनक है और टेलीफोन प्रयोक्ता प्राय: उनके खराब होने के बारे में शिकायत करते हैं; और

(ख) गुंटूर और प्रकाशम जिलों में टेलीफोन ट्रंक काल सेवाओं के परिचालन स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) गुंटूर और प्रकाशम जिलों की ट्रंक सेवाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और यदि कोई खराबी का पता चलता है तो उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है। जहां कहां भी ट्रंक परियात औचित्य पाया जाता है, वहां अतिरिक्त ट्रंक सर्किट प्रदान किए जा रहे हैं।

फ्लैटेड फैक्टरियों का आवंटन

2183. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री महेन्द्र सिंह :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री राज कुमार राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में बंगलिंग इन एलाटमेंट आफ फ्लैटेड फैक्टरीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्लैटों के आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच करने और दिल्ली के उद्यमियों, जिनमें अधिकतम महिलाएं हैं, की शिकायतों पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आवंटन नीति में महिला उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत फ्लैट्स आरक्षित किए गए थे। कुछ महिला उद्यमी चाहती थीं कि सबसे पहले उनका 10 प्रतिशत कोटा अलग से निकाला जाना चाहिए और असफल महिला उद्यमियों को सामान्य श्रेणी में ही मिला दिया जाना चाहिए और उन्हें दूसरे ड्रा में भी शामिल किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस प्रयोजन के लिए स्थानों का पब्लिक ड्रा न्यायपालिका सहित स्वतंत्र न्यालाधीशों द्वारा निकाला गया था। प्लास्टिक टोकनों के रूप में अनेक फ्लैट्स टोकरी में रख दिए गए थे। श्रोताजनों में से व्यक्तियों को एक समय से एक टोकन निकालने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि आवंटित किए जाने वाले फ्लैट को निर्दिष्ट किया जा सके। आवेदकों की सूची से मैचिंग संख्या का निर्धारण नंबर मशीन द्वारा किया गया जो कि श्रोताजनों में से ही किसी व्यक्ति द्वारा संचालित की गई है। न्यायाधीशों के निर्णय को ही अंतिम माना गया। वह ड्रा प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित फ्लैटों की संख्या के अनुसार ही हुआ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने और आगे सूचित किया कि ऊपर उल्लिखित समाचार रिपोर्ट में कुछ महिलाओं द्वारा दिए गए सुझावों पर उन्होंने विचार किया परन्तु यह महसूस किया कि सभी आरक्षित श्रेणियों को दोहरा अवसर दिया जाता है तो फ्लैटों का 60-65 प्रतिशत तक सुरक्षित परिमाण आरक्षित श्रेणियों को ही चला जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जांज करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

कोयला खानों के मुहानों पर भंडारों की सीमा

2184. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के भंडारों की सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मुहानों पर कोयले का भण्डार जमा हो जाने के वास्तविक कारण क्या हैं;

(ग) रेलवे द्वारा कोयले खानों से समय पर कोयला न उठाने के कारण किस हद तक ये भण्डार जमा हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे के साथ तालमेल किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। सरकार ने कोल इंडिया लि० के अधीन कोयला कंपरियों में कोयला स्टाक को निश्चित सीमाओं में सीमित रखने के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं :

(1) किसी सहायक कंपनी में खान मुहानों पर कोयला स्टाक कुल मिलाकर एक महीना के उत्पादन के बराबर होना चाहिए।

(2) प्रत्येक कोलियरी में खान मुहाना स्टाक तीन महीने के उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिए; एवं

(3) कोलियरीज के पास अपने खान मुहानों पर हमेशा इतना पर्याप्त कोयला स्टाक उपलब्ध होना चाहिए कि वे उपलब्ध वैगनों में समय पर कोयला लदान कर सकें।

(ख) और (ग) वर्ष के दूसरी छमाही में कोयला उत्पादन जाहिर तौर पर चोटी पर पहुंच जाता है। रेल परिवहन की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनसे इस बढ़े हुए कोयला उत्पादन की ढुलाई में कठिनाई महसूस होती है। सड़क द्वारा प्रेषण से भी उपर्युक्त चोटी उत्पादन अवधि में उत्पादन कोयले का जो भाग रेल प्रेषण से बच जाता है उसकी सड़क प्रेषण से भी पूरी ढुलाई नहीं की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में स्टाक इकट्ठा हो जाता है।

(ङ) कोयला विभाग एवं रेलवे के बीच लगातार बातचीत एवं कार्रवाई चलती रहती है एवं स्थिति की नियमित निगरानी "कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" के समन्वय अनुभाग द्वारा की जाती है।

"रिफामपिसिन" के निर्माण हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी

2185. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत ने मूल "रिफामपिसिन" के निर्माण हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है, जो क्षयरोग तथा कुष्ठ रोग के निदान के लिए नवीनतम और अत्यधिक प्रभावकारी दवा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स थैमिस कैमिकल्स ने दावा किया है कि उन्होंने मूल स्तर से रिफैम्पिसिन के उत्पादन की प्रौद्योगिकी विकसित की है और अन्यों को प्रौद्योगिक स्थानान्तरित के लिए तैयार हैं ।

भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए केन्द्र द्वारा दिए गए धन का अन्यत्र उपयोग

2186. **श्री महेन्द्र सिंह :**
श्री आनन्द सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों की सहायतार्थ अब तक कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) उससे सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में सहायता के लिय केन्द्र द्वारा दिये गये धन को अन्य सहायता योजनाओं पर व्यय किये जाने की बात आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 40 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं जिनमें 20 करोड़ रुपये मध्यावधि ऋण और 20 करोड़ रुपये राहत कार्य हेतु साधनों को जुटाने के लिये अग्रिम राशि के रूप में सम्मिलित है । राज्य सरकार पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने में इस राशि को व्यय कर रही है । इनमें से राहत अनुदान तथा खाद्यान्न का वितरण, चिकित्सा सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं स्वतः नियोजन के उचित साधन सम्मिलित है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के जाली "ट्रांसफर वाउचर"

2187. **श्री मोतीलाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर पूर्वी दिल्ली में खाना पकाने की गैस के डीलरों को

देहरादून और अन्य राज्यों से 1982 से चालू वर्ष तक की अवधि के दौरान कई जाली ट्रांसफर बाउचर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक डीलर को वर्ष-वार ऐसे कितने जाली बाउचर प्राप्त हुये;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम अभी तक कोई कार्यवाही करने में असफल रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय तेल निगम के सतर्कता विभाग के माध्यम से तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिये इन बाउचरों की जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) विवरण निम्न प्रकार दिया गया है :

वर्ष		डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	मामलों की संख्या
1982		शून्य	शून्य
1983		शहीद सुभाष गैस सर्विस, कृष्ण नगर, दिल्ली	1
1984	(I)	अमस गैस सर्विस, कृष्ण नगर, दिल्ली	2
	(II)	नन्दी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, शाहदरा, दिल्ली	3
	(III)	विजय रतन इंटरप्राइसेस, लक्ष्मीनगर, दिल्ली	1
	(Iv)	विशाल गैस सर्विस, शाहदरा, दिल्ली	1
1985	(I)	सागर इंटरप्राइसेस, गोल मार्केट, दिल्ली	2
	(II)	अमर गैस सर्विस, कृष्ण नगर, दिल्ली	3
	(III)	मनहर गैस सर्विस, जामा मस्जिद, दिल्ली	1
	(Iv)	विजय रतन इंटरप्राइसेस, लक्ष्मीनगर, दिल्ली	1

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमेंट की आवश्यकता

2188. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए देश में सीमेंट की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या सीमेंट औद्योगिक यूनिटें देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे अथवा कमी होने की संभावना है; और

(ग) यदि कमी होने की सम्भावना है तो सरकार का उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल (1985-90) ने चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) के दौरान 393.7 लाख मी० टन सीमेंट की मांग की परिकल्पना की है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 335 लाख मी० टन सीमेंट के स्वदेशी उत्पादन होने की आशा है। 1984-85 के दौरान 5 लाख मी० टन सीमेंट के अनुमत आयात में से राज्य व्यापार निगम चालू वर्ष के दौरान पहले ही सीमेंट की कमी को न्यूनतम करने के लिए 1.3 लाख मी० टन सीमेंट का आयात कर चुका है।

खादी तथा ग्रामोद्योग इम्पोरियम बम्बई के छूट संबंधी दावे का निपटान

2189. **श्री शरद दिघे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग इम्पोरियम चलाने वाली बम्बई खादी तथा ग्रामोद्योग एसोसिएशन के वर्ष 1980-81 से देय 35,44,000 रुपये के छूट संबंधी दावे को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन द्वारा अभी तक नहीं निपटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इम्पोरियम छूट संबंधी दावे का निपटान किये जाने से पूर्व पालिस्टर खादी की बिक्री करे, और इम्पोरियम ने इस शर्त को सिद्धांत रूप से स्वीकार नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बम्बई खादी तथा ग्रामोद्योग एसोसिएशन के छूट सम्बन्धी दावों का समय-समय पर निपटान किया जा रहा है। सामान्यतः छूट सम्बन्धी दावों का निपटान यथोचित संवीक्षा के पश्चात ही किया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लगभग एक करोड़ रुपये के लम्बित छूट सम्बन्धी दावों के निपटान के लिए एसोसिएशन को पहले ही तदर्थ आधार पर 78.06 लाख रु० की धनराशि जारी कर चुका है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इम्पोरियम पालिवस्त्र की बिक्री करे किन्तु इम्पोरियम के प्रबन्ध की इस सुझाव को स्वीकार करने में अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। इस मामले को शीघ्र होने वाली बैठक में सुलझाना होगा।

न्याय पंचायतों का गठन

2190. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** :
श्रीमती गीता मुगर्जी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम स्तर पर न्याय शीघ्रता से प्रदान कराने के लिए विधि आयोग ने न्याय

पंचायतों के गठन के लिए कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं। किन्तु विधि आयोग ने "आरंभिक स्तर पर विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक फोरम" विषय पर एक कार्यकारी पत्र परिचालित किया है जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों के विचार/रायें मांगी गई है। आयोग ने विचार/रायें भेजने के लिए अन्तिम तारीख 1 दिसम्बर, 1985 नियत की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स केलविनेटर आफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स एक्सपो मशीनरी लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

2191. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मोपेड और स्कूटरों के झूठे विज्ञापन देने के लिए मैसर्स केलविनेटर्स आफ इण्डिया लिमिटेड और मैसर्स एक्सपो मशीनरी लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में मैसर्स केलिविनेटर इंडिया लिमिटेड, और मैसर्स एक्सपो मशीनरी लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स केलविनेटर आफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स एक्सपो मशीनरी लिमिटेड के संबंध में यह सूचना प्राप्त होने पर कि ये कम्पनियां समाचार पत्रों में विज्ञापनों को देती रही थीं, जिनमें यह लिखा गया था कि 150 सी सी "अवन्ति" स्कूटर और 50 सी सी मोपेड इटली की अग्रेती-गरेल्ली के तकनीकी सहयोगी से विनिर्मित की जा रही थी, के विरुद्ध 19-12-1984 को जांच करने का आदेश दिया। तथापि, जांचों से यह प्रकट हुआ कि विदेशी सहयोग केवल 50 सी सी मोपेड के विनिर्माण के सम्बन्ध में था और मैसर्स केलविनेटर आफ इंडिया लिमिटेड ने केवल "अवन्ति" 150 सी सी स्कूटरों के विनिर्माण के लिए इटली के अग्रेती-गरेल्ली से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया था।

जांच की अवधि के दौरान, उपर्युक्त दो कंपनियों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36घ(2) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था तथा विज्ञापन नहीं देने या यह नहीं लिखने का कि इटली की अग्रेती-गरेल्ली के साथ तकनीकी सहयोग करार में 150 सी सी "अवन्ति" स्कूटर भी सम्मिलित है, वचन दिया। आयोग ने उपर्युक्त दो कम्पनियों द्वारा वचन द्वारा पालन करने के निर्देश के साथ जांच को 3-6-1985 को बन्द कर दिया।

मैसर्स अशोक पेपरमिल्स और रोहतास इण्डस्ट्रीज का पुनः खोला जाना

2192. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसर्स अशोक पेपर मिल्स और रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को निकट भविष्य में पुनः खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वित्तीय संस्थान, केन्द्रीय सरकार और असम तथा बिहार राज्य सरकारों से परामर्श करके अशोक पेपर मिल्स को शीघ्र पुनः खोलने की सम्भावनाओं का परिकलन कर रहे हैं।

जहां तक रोहतास इण्डस्ट्रीज का संबंध है, बिहार राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों से परामर्श करके इस एकक को पुनः खोलने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं, आवश्यक विभिन्न राहतों आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य उपायों को अन्तिम रूप दे रही है।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए एक लाख रुपए की योजना

2193. **श्री दौलत सिंहजी जडेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन्स प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक लाख रुपए की एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार करने के लिए अन्य उपभोक्ताओं के विचारों तथा भावनाओं को ध्यान में रखा है; और

(ग) जो आवेदक लम्बी अवधियों से प्रतीक्षा सूची में हैं उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपयुक्त मांग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय संचार नीति

2194. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय संचार नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में समाज के सभी वर्गों से विचार आमंत्रित करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालत के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विकास की दृष्टि से एक संरचनात्मक आधार के रूप में दूरसंचार के मामले पर विश्व संचार वर्ष, 1983 में विभिन्न मंचों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। वैसे इस समय माध्यम नीति पर विभिन्न मंचों पर चर्चा चल रही है और चर्चा अभी चलती रहेगी। इसके दूसरे पहलू पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही हे।

औद्योगिक एल्कोहल का आयात

2195. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक एल्कोहल की कितनी मात्रा का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मांग को पूरा करने के लिए देश में औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) गत अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर 84-नवम्बर 85) के दौरान औद्योगिक एककों (वास्तविक उपभोक्ताओं) को 500 लाख लिटर डिनेचर्ड स्पिरिट का शुल्क रहित आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) देश में अल्कोहल की उपलब्धता इसकी मांग से कम था।

(ग) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिये फांडस्टाक के रूप में अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे (1) वे सुनिश्चित करें कि सभी उपलब्ध शीरा का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जाए, (2) अल्कोहल का उत्पादन के लिए खण्डसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्साहित करें तथा (3) शीरे के लिए (चीनी मिलों द्वारा) पर्याप्त एवं उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं की संरचना सुनिश्चत करें। सरकार ने अल्कोहल उत्पादन की दक्षता फर्मेन्टेशन की प्रौद्योगिकी में सुधार, ईंधन संरक्षण तथा अल्कोहल पर आधारित उद्योग की उन्नति की जांच करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की थी। जनवरी, 1980 में सरकार को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट की सिफारिश राज्य सरकारों तथा मद्य-शाला उद्योग को कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 1983 में सरकार द्वारा गठित तीन कार्यकारी दलों अर्थात् ग्रुप आन लेविस आन मोलेसिस एण्ड अल्कोहल, वर्किंग ग्रुप आन स्टोरेज आफ मोलासिस तथा वर्किंग ग्रुप आन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ने भी अल्कोहल एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। वे सिफारिशें भी कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की जरूरत की विशेष सीमेंट का आयात

2196. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की विशेष सीमेंट का आयात करना पड़ा, जिसकी उसे तेल के कुंओं की केसिंग में प्रयोग के लिए जरूरत थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस विशेष सीमेंट का कुल कितना आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत करने की दृष्टि से इस विशेष सीमेंट का देश में ही उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में इस विशेष सीमेंट की कुल कितनी खपत है; और

(ङ) भारत में इसे किन प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां, ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने भूमि पर और

अप-तटीय ड्रिलिंग कार्यों में प्रयोग करने के लिए 91.140 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा कुल 98,200 मी० टन विशेष सीमेंट (ए० पी० आई० क्लास "जी") का आयात किया था (उपर्युक्त कुल आयात में से 4300 मी० टन की पूर्ति की जानी है)

(ग) दो विद्यमान सीमेंट उत्पादकों के पास तेल कुओं के सीमेंट का उत्पादन करने के लिए क्रमश 2 लाख मी० टन और 50,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता है। इसके अलावा सरकार ने प्रतिवर्ष एक लाख मी० टन और 66,000 मी० टन तेल कुआं सीमेंट का उत्पादन करने के लिए दो योजनाएं भी स्वीकृत की हैं और इन दोनों योजनाओं में विदेशी सहयोग निहित है।

(घ) सातवीं योजना अवधि में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तेल कुआं (क्लास "जी") सीमेंट की प्रत्यासित, खपत निम्न प्रकार हैं :

1985-86	72,150 मी० टन
1986-87	108,100 मी० टन
1987-88	147,700 मी० टन
1988-89	158,400 मी० टन
1989-90	152,300 मी० टन

(ङ) इस तेल कुआं (ए० पी० आई० क्लास "जी") सीमेंट का उपयोग विशेष प्रकार के कुएं के निचले छिद्र के तापमान और दबाव की निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल और गैस कुओं में विभिन्न केसिंग्स के सीमेंटकरण और उपचारी कार्यों के लिए किया जाता है। यह विशेष सीमेंट सल्फेट प्रतिरोधी होता है और सीमेंट स्लरी (गारा) अर्ध-सतही स्थितियों के उपयुक्त बनाई जाती है।

शीरे का निर्यात

2197. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है और इस तरह स्वदेशी उद्योगों को उसके उपयोग से वंचित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बिहार को 20 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की हानि हुई है; और

(ख) बिहार को इस राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति किस प्रकार किए जाने की सम्भावना है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गत अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर, 84 नवम्बर, 85) के दौरान बिहार सरकार को अपने अनुमानित अतिरिक्त शीरे में से नेपाल के लिए 5000 टन की छोटी-सी मात्रा देने के लिए कहा गया था। इसके विरुद्ध 30 सितम्बर, 1985 तक केवल 80 टन की वास्तविक आपूर्ति दी गई जिसका बिहार के उद्योगों पर कोई अधिक प्रभाव पड़ना असंभव है।

डबल रोटी और बिस्कुट का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं

2198. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोग के लिए तैयार खाद्यों अर्थात् डबलरोटी, बिस्कुट और अन्य बेकरी

उत्पादों का प्रति माह औद्योगिक उत्पादन (मीट्रिक टन में) कितना है;

(ख) कुल कितने औद्योगिक एकक डबलरोटी बना रहे हैं;

(ग) क्या डबलरोटी और बिस्कुट के लिए कोई नियंत्रित मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या 1990 तक डबलरोटी का उत्पादन 12.50 लाख मी० टन से और बिस्कुट का उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने की कोई योजना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संगठित क्षेत्र में वर्ष 1985 के दौरान डबलरोटी और बिस्कुट का औसत मासिक उत्पादन क्रमशः 11,666 मी० टन तथा 10,833 मी० टन होने का अनुमान है। लघु क्षेत्र में एककों के लिये ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) संगठित क्षेत्र में डबलरोटी का निर्माण करने वाले 20 एकक हैं। इसके अलावा यह अनुमान है कि 4050 लघु इकाइयां राज्य में डबलरोटी का निर्माण करने के लिए भिन्न-भिन्न उद्योग निदेशकों के पास पंजीकृत हैं।

(ग) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा डबलरोटी की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी दिल्ली और कलकत्ता में क्रमशः दिल्ली प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डबलरोटी की कीमत नियत की जाती हैं।

(घ) इस उद्योग का और आगे विकास केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है और यह आशा की जाती है कि इन मदों को भावी आवश्यकता लघु क्षेत्र के उत्पादन से पूरी की जायेगी।

विजयवाड़ा टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

2199. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) टेलीफोन केन्द्र के इसकी मूल क्षमता का उपयोग न किए जाने के बावजूद भी इसका दो बार विस्तार किये जाने पर संसद की लोक लेखा समिति ने इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त केन्द्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग न किए जाने की अनुमति देने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(ग) उक्त केन्द्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। वैसे संसदीय लोक लेखा समिति ने विजयवाड़ा के ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के विस्तार के बारे में तीखी प्रतिक्रिया की थी।

(ख) जी हां।

(ग) इस एक्सचेंज में अतिरिक्त सर्किटें जोड़ी गई हैं तथा 31-10-85 को टी० ए० एक्स० की उपयोगिता 72.9 प्रतिशत तक हो गयी थी। इसका और अधिक उपयोग करने के लिए कुछ और सर्किटों को प्रदान करने की योजना है।

बृहत्तर बम्बई में मिट्टी के तेल के नए डीलरों की नियुक्ति

2200. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान बृहत्तर बम्बई में मिट्टी के तेल के कितने नए डीलर नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) तेल चयन बोर्ड के माध्यम से कितने डीलरों की नियुक्ति की गई और सरकार द्वारा कितने डीलरों की सिफारिश की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान ग्रेटर बम्बई में आबंटित केरोसीन/एल० डी० ओ० डीलरशिपों की कुल संख्या 22 है। ये सभी डीलरशिपें संबंधित तेल कंपनियों द्वारा, तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, आबंटित की गई हैं। निर्धारित प्रणाली में सरकार द्वारा सिफारिश किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कागज उद्योग में मंदी

2201. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में छोटी और मध्यम कागज मिलों द्वारा मांग में मंदी का सामना किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या मांग में मंदी के बावजूद सरकार लाखों टन अखबारी कागज का वार्षिक आयात कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कागज उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश में इस समय कागज और गत्ते का उत्पादन लगभग खपत के बराबर ही है। किन्तु, अखबारी कागज की मांग पूरी करने के लिए अखबारी कागज का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए इसके आयात में वृद्धि करनी होगी।

(घ) उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए कागज उद्योग को समर्थ बनाने हेतु निम्नलिखित राजकोषीय और अन्य रियायतें दी गई हैं :—

(1) 1-4-79 और 31-3-87 के बीच चालू हुए नये एकक 5 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत तक के उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं।

(2) वजन में 75 प्रतिशत से अनधिक की लुगदी वाला कागज उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त है।

(3) परम्परागज कच्चे माल का उपयोग करने वाली छोटी कागज मिलें 50 प्रतिशत की सीमा तक उत्पादन शुल्क की रियायत पाने के पात्र हैं।

(4) लकड़ी की लुगदी, चिप्स और रद्दी कागज के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है और उससे सीमा-शुल्क भी हटा दिया गया है।

(5) लट्ठे (लॉग) के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है और उस पर रियायती दर से सीमाशुल्क लिया जाता है।

(6) उद्योग को समग्र लाइसेंस प्राप्त क्षमता में ही किसी भी प्रकार का कागज/गत्ता बनाने की अनुमति देने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है।

(7) कृषि अवशेषों, डीजल और लुगदी लिखाई, छपाई और लपेटने (रैपिंग) का कागज और लिंटर से बिनौले की खोई बनाने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

सीरमपेट और नरसापुर को गुम्माडिडल्ला टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से हैदराबाद के साथ जोड़ना

2202. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरमपेट और नरसापुर शहरों को, जो गुम्माडिडल्ला टेलीफोन एक्सचेंज के निकट स्थित हैं, हैदराबाद में संगारेड्डी टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से संचार सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है, जो बहुत लम्बा और अधिक सर्किट वाला मार्ग है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिक सर्किट वाले मार्ग को हटाने तथा सीरमपेट और नरसापुर को गुम्माडिडल्ला एक्सचेंज के माध्यम से हैदराबाद के साथ जोड़ने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) नरसापुर के छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज को मैनुअल एक्सचेंज में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इस परिवर्तन के बाद शिवमपेट (सिरमपेट नहीं) के छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज को नरसापुर से जोड़ दिया जाएगा और शिवमपेट से हैदराबाद की ट्रंक कालों को संगारेड्डी ट्रंक एक्सचेंज के बजाए नरसापुर ट्रंक केन्द्र के माध्यम से लगाया जाएगा। यद्यपि शिवमपेट और नरसापुर से हैदराबाद तक सीधे जंक्शन की व्यवस्था करने का इस समय औचित्य नहीं है तथापि, नरसापुर से हैदराबाद तक सीधे ट्रंक सर्किट की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा। गुम्माडिडल्ला को छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है और इस स्थान पर ट्रंक एक्सचेंज नहीं है।

विभिन्न राज्यों में टैरिफ दरें

2203. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :
डा० ए० के० पटेल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में विद्युत उत्पादन की लागत कई गुना अधिक होने के क्या कारण हैं

और उन्हें कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में हाल ही में पानी बिजली और ताप विद्युत उत्पादन की लागत और उनकी औसत टैरिफ दरें क्या हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में परमाणु विद्युत उत्पादन की लागत और टैरिफ दरों की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विद्युत उत्पादन की लागत एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र के बीच निम्नलिखित कारणों से भिन्न-भिन्न होती है :—

(1) परियोजना की पूंजीगत लागत;
(2) संयंत्र की जीवन अवधि;
(3) क्षमता समुपयोजन;
(4) केन्द्र का प्रकार कि व्यस्ततम भार वाला है या आधार भार वाला;
(5) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय; और
(6) प्रतिस्थापन लागतें आदि।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को लागतें बढ़ने से रोकने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने, क्षमता समुपयोजन अधिकतम करने तथा प्रचालन खर्चों को कम करने की सलाह दी है। ताप-विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम शुरू की गई है।

(ख) और (ग) जल-विद्युत केन्द्रों तथा ताप-विद्युत केन्द्रों की उत्पादन लागत और 15 राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में 1983-84 के दौरान औसत टैरिफ दरें, जिनके लेखे उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं। परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्य बिजली बोर्डों को बेची जाने वाली विद्युत की वर्तमान दर 35.40 पैसे प्रति यूनिट है।

विवरण

विद्युत उत्पादन की लागत (जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत) और 1983-84 के दौरान औसत टैरिफ

(आंकड़े प्रति यूनिट पैसों में)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड	विद्युत उत्पादन लागत		औसत टैरिफ
		ताप विद्युत	जल विद्युत	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.55	6.79	47.1
2.	बिहार	43.01	33.15	65.7

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	38.85	6.56	67.9
4.	हरियाणा	77.59	8.22	44.6
5.	हिमाचल प्रदेश	—	11.68	36.4
6.	कर्नाटक*	—	6.32	39.1
7.	केरल	—	8.15	30.0
8.	मध्य प्रदेश	31.57	8.98	58.2
9.	महाराष्ट्र	40.37	5.84	49.9
10.	उड़ीसा	22.69	6.93	45.1
11.	पंजाब	51.1	5.80	34.2
12.	राजस्थान	34.80	8.45	48.2
13.	तमिलनाडु	70.55	15.08	44.7
14.	उत्तर प्रदेश	56.24	17.40	51.5
15.	पश्चिम बंगाल*	30.37	30.29	61.4

*1982-83 के लेखों पर आधारित, क्योंकि 1983-84 के लेखों का लेखा-परीक्षण नहीं अभी किया गया है ।

दमण और दीव में माइक्रोवेव टावरों की स्थापना

2204. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमण और दीव जिलों को मुख्य राज्य-क्षेत्र गोवा से जोड़ने वाली संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का दमण और दीव में माइक्रोवेव टावर स्थापित करने का विचार है, ताकि दमण और दीव के लोग पणजी से सम्पर्क स्थापित कर सकें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (एक) दमन को ओपन वायर कैरियर प्रणाली द्वारा वापी से राष्ट्रीय नैटवर्क के साथ जोड़ा गया है। माइक्रोवेव प्रणाली का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(दो) दिव को ओपन वायर लाइन से राष्ट्रीय नैटवर्क के साथ जोड़ा गया है तथा कैरियर प्रणाली स्थापित की जा रही है । माइक्रोवेव प्रणाली का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय वहां परियात की दृष्टि से माइक्रोवेव प्रणाली चालू करने का कोई औचित्य नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल में तेल की खोज

2205. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष 1983 के दौरान केरल के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य शुरू करने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान अन्वेषी खुदाई के लिये ओ० एन० जी० सी० ने दो स्थान निश्चित किये हैं।

पंजाब में टेलीफोन प्रणाली

2206. **श्री बलबंत सिंह रामूवालिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण बहुत घटिया और खराब है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने पंजाब में टेलीफोन प्रणाली के विकास और विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण सामान्यता संतोषजनक है लेकिन बार-बार तथा लम्बे समय तक बिजली फेल हो जाने के कारण इन एक्सचेंजों के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) 1985-86 के दौरान 24 नए ग्रामीण आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की मौजूदा टेलीफोन प्रणाली में 610 अतिरिक्त टेलीफोन जोड़ने की भी योजना है।

कोल इंडिया लि० के अधीन और सहायक कंपनियों की स्थापना

2208. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि० के अधीन दो और सहायक कंपनियों की स्थापना के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन दो नई सहायक कंपनियों के नाम क्या होंगे;

(ग) इन दो नई सहायक कंपनियों के अंतर्गत कौन से विभिन्न कोयला क्षेत्र आएंगे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) भारत सरकार ने कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के रूप में दो नई कंपनियां बनाने का अनुमोदन कर दिया है। यह कंपनियां विद्यमान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का विभाजन करके उस दिन से बनाई जाएंगी जिस दिन से वे कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित की जाएं। इनमें से एक कंपनी का नाम होगा "नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०"। इसका मुख्यालय सिंगरौली (म० प्र०) में होगा और इसका कार्यक्षेत्र वर्तमान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० का "सिंगरोली प्रभाग" होगा। दूसरी कंपनी का नाम होगा "साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०"। इसका मुख्यालय बिलासपुर (म० प्र०) होगा और इसका कार्यक्षेत्र होगा विद्यमान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का "बिलासपुर प्रभाग" (इब-घाटी सहित) और विद्यमान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० का उड़ीसा (तालचेर) क्षेत्र।

परियोजनाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों को सरकारी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में खपाना

2209. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों द्वारा परियोजनायें पूरी फिर जाने पर वहां कार्य करने वाले श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी न बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में ड्रिलिंग हेतु रिगों का उपयोग

2210. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में ड्रिलिंग कार्य के लिए कितने रिग उपयोग में लाये जा रहे हैं; और

(ख) त्रिपुरा में आगामी पांच वर्षों में ड्रिलिंग कार्य हेतु कितने स्थानों को चुना गया है और इन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय त्रिपुरा में खुदाई के लिये तीन रिग कार्यरत हैं।

(ख) त्रिपुरा में खुदाई के लिये निम्नलिखित संचनाओं में 27 स्वतंत्र स्थानों को चुना गया है :—

रोखिया

तिचना

बारामुरा

गोजालिया

तुलामुरा

अथारमुरा

हुरा-रगाज

बचिया

अगरतला डोम

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए उपकरणों का निर्माण

2211. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए उपकरणों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का प्रस्ताव सातवीं योजना अवधि के दौरान तेल की खोज और उत्पादन में इस्तेमाल किये जाने वाले स्रोत उपकरणों (वेल-हेड असेम्बलीज) के लिए बाल वाल्व्स, शटडाउन वाल्व्स और क्रिसमस ट्री वाल्व्स बनाने का है।

लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में नए शाखा डाकघर खोलना

2212. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों में इस समय चल रहे डाकघरों, उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर करने का विचार है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में उन गांवों के नाम क्या हैं जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में शाखा डाकघर खोलने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय लद्दाख के

लेह, कारगिल जिलों में कार्य कर रहे प्रधान, उप और शाखा डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पदों के सृजन पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को मद्देनजर रखते हुए डाकघरों को खोलने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

इस समय लद्दाख क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों में कार्य कर रहे प्रधान, उप तथा शाखा डाकघरों के नाम

प्रधान डाकघर

1. लेह प्रधान डाकघर

उप डाकघर

1. बारू उप डाकघर	2. चुगलामसर उप डाकघर
3. दिसकित उप डाकघर	4. दरास्स उप डाकघर
5. कार्गिल उप डाकघर	6. खालसी उप डाकघर
7. मुलवेख उप डाकघर	8. पदम उप डाकघर
9. सांकू उप डाकघर	10. थिकसे उप डाकघर

शाखा डाकघर

1. बाजगू	2. चुककोट शामा	3. चुचुहल
4. डरबक	5. नीमू	6. न्योमामुद
7. माठू	8. फ्योंग	9. स्पिटुक
10. स्टाक	11. चोसकोर	12. मिंजी
13. सालिसकोट	14. ताम्बिस	15. त्रिसपोने
16. सब्बू	17. पानामिक	18. हुंदेर
19. टाइगर सुभूर	20. त्रिची	21. भीमबाट
22. चोक्याल	23. भाटियां	24. मुशकू
25. पांडराप्स	26. अकचाम्मल	27. बटालिक
28. चानागुड	29. गरकोल	30. दरदास
31. करकीटचू	32. शिमशारबू	33. सिलमोह
34. टुभैल	35. युबालटक	36. थासगम
37. अल्ची	38. दुभकार	39. हन्नू

40. हैमीशुकापचम	41. लाभायोरू	42. लीकीर
43. नुरला	44. सासबोल	45. स्फुरबुचान
46. टकमाचिक	47. तेमिसगांव	48. तिया
49. वानला	50. बोगखारबू	51. चिकतान
52. कारम्बा	53. लोचुम	54. प्रफुलुम 55. साफी
56. शाकर	57. करशा	58. बागला
59. बारसू	60. लांकरपे	61. नामसारू
62. ओम्बा	63. पमीखार	64. पुरताकचेकी
65. सांगरा	66. थासगम-थाबीना	67. युलयुक
68. चेभरी	69. चुभाथांग	70. गया-मीरू
71. हैमिस	72. इग्नू	73. खारू
74. हैमेया	75. कैरो	76. किंगुम
77. सक्ति	78. शारा	79. शेई

पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थित सुपर ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन

2213. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थित सुपर ताप विद्युत केंद्र में विद्युत उत्पादन शुरू करने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) इस केंद्र में विद्युत उत्पादन कब शुरू होगा और इसके अन्तिम चरण में कब तक पहुंचने की संभावना है तथा निर्धारित समय सीमा का चरणवार ब्यौरा क्या है तथा भिन्न-भिन्न चरणों में कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा; और

(ग) विभिन्न राज्यों को विद्युत के वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे तथा विभिन्न चरणों में संबंधित राज्यों का कितना-कितना हिस्सा होगा?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1 (3X200 मेगावाट) को चालू करने में विलम्ब मुख्यतः श्रमिक संबंधी समस्याओं तथा बिहार और पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण हुआ है।

(ख) चरण-1 का पहला यूनिट जनवरी, 1986 में तथा अनुवर्ती यूनिट छः-छः महीने के क्रमिक अन्तराल पर चालू किए जाने की संभावना है। पहले यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन 1986-87 की पहली तिमाही में आरम्भ होने का अनुमान है। परियोजना के दूसरे चरण (2×500 मेगावाट) के आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) केंद्रीय ताप-विद्युत केंद्र से उस क्षेत्र के राज्यों को विद्युत का आवंटन एक शेयरिंग

फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसके अन्तर्गत 15% विद्युत लाभभोगी राज्यों की समय-समय पर तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु केंद्र के अधिकार क्षेत्र में अनावंटित रखी जाती है, 10% विद्युत उस राज्य को दी जाती है जिस राज्य में परियोजना स्थित है और बाकी बची 75% विद्युत, उस क्षेत्र के राज्यों (परियोजना वाले राज्य सहित) के बीच इन राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय योजना सहायता तथा पांच वर्षों के दौरान इन राज्यों द्वारा ऊर्जा के उपभोग के आधार पर वितरित की जाती है। फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1 से पूर्वी क्षेत्र के भागों को किया गया विद्युत का आवंटन इस प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल	205 मेगावाट
बिहार	135 मेगावाट
उड़ीसा	75 मेगावाट
दा० घा० नि०	90 मेगावाट
सिक्किम	5 मेगावाट
अनावंटित	90 मेगावाट
जोड़ :	600 मेगावाट

बंगलौर शहर में बिना डोरी वाले टेलीफोन आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव

2214. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन शहरों के नाम क्या हैं जहां इस समय बिना डोरी वाले टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या बंगलौर शहर में इन्हें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;.

(ग) क्या बिना डोरी वाले टेलीफोनों का इस समय आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन का देश में ही निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां। समूचे देश में डोरी रहित टेलीफोन की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) जी हां। ये उपकरण उपभोक्ताओं को स्वयं प्राप्त करने होंगे।

(घ) अधिकृत तकनीकी विनिर्देशन के डोरी रहित टेलीफोन का देश में ही निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है।

केरल में अतिरिक्त विद्युत परियोजनायें स्थापित करना

2215. श्री के० कुन्जम्बु :
श्री के० मोहन दास :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि केरल के लिए अतिरिक्त विद्युत परियोजनाएं मंजूर नहीं की गई तो उसे

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत की कमी के कारण गंभीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य की कुल कितनी विद्युत आवश्यकता है;

(ग) क्या केरल में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल में सातवीं योजनावधि के अंत में विद्युत की कमी होने का अनुमान है ।

(ख) 12वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट के अनुसार सातवीं योजनावधि के अन्त में केरल में ऊर्जा की आवश्यकता 8647 मिलियन यूनिट तथा व्यस्ततमकालीन मांग 1659 मेगावाट होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) 3×130 मेगावाट क्षमता वाली इदुक्की जल-विद्युत परियोजना चरण दो का निर्माण कनाडा की सहायता से किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, लोअर पेरियार जल-विद्युत परियोजना (3×60 मेगावाट) विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है । दोनों परियोजनाओं के सातवीं योजनावधि में चालू हो जाने का अनुमान है ।

[हिन्दी]

छोटे शहरों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ना

2216. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ जिलों के छोटे शहरों को माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां । छोटे शहरों को अति उच्च आवृति (यू० एच० एफ०) डिजिटल रेडियो प्रणाली से आपस में जोड़ने की योजना है ।

(ख) इस प्रस्ताव में बाड़मेर, मथुरा, नैनीताल और कोहिमा के सेकेण्डरी क्षेत्रों में संघटित डिजिटल नेटवर्क को क्रियान्वित करने का विचार है जिस पर क्रमशः लगभग 4.95 करोड़, 3 करोड़, 4.68 करोड़ तथा 4.42 करोड़ की लागत आएगी । इन परियोजनाओं की विस्तृत जांच की जा जा रही है क्योंकि ये वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं ।

(ग) छोटे शहर बाड़मेर (राजस्थान), कोहिमा (उत्तर पूर्व), मथुरा और नैनीताल (उ० प्र०) में हैं ।

शहर और ग्राम

बाड़मेर : छोटन, धारीमन, बेतू, सिंधरी, समधारी, सीवान ।

मथुरा : वृंदावन, छाता, कोसीकला, शेरगढ़, गोवर्धन, बिसावर

नैनीताल : काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, हलद्वानी

कोहिमा : मोकाकचुंग, खिपरे, पारेन, छुपुकिद्दिमा, अलीचेन, आकुलोद्र, इम्पुर, तुली, छंगटोंगिया, छुछुमलांग ।

[अनुवाद]

बल्क ड्रग्स का उत्पादन और आयात

2218. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कौन-कौन बल्क ड्रग्स का उत्पादन किया गया तथा वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत किन-किन बल्क ड्रग्स का आयात किया गया;

(ख) ऐसे प्रत्येक ड्रग के निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक निर्माता की प्रत्येक ड्रग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ड्रग का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ तथा प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त ड्रग्स का प्रतिवर्ष कितना आयात किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि स्वदेशी उत्पादकों उनका उत्पादन करने में सक्षम होने तथा उनकी प्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद बल्क ड्रग्स का आयात वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और स्वदेशी उत्पादन घटना जा रहा है;

(ङ) उसके क्या कारण हैं तथा उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई वास्तविक अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो कब तथा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस समय देश में लगभग 500 प्रपुंज औषधियों का उपयोग होता है उनमें से लगभग 225 का स्वदेशी उत्पादन होता है । 347 प्रपंज औषधों के नाम औषध (मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 में सूचीबद्ध किए गए हैं ।

(ख) समय-समय पर जारी किए जाने वाले औद्योगिक अनुमोदन, इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । यह मंत्रालय 87 प्रपुंज औषधों के उत्पादन पर निगरानी रखता है । उपलब्ध सीमा तक संगठित क्षेत्र में इन 87 प्रपुंज औषधियों के उत्पादन के ब्यौरे इस मंत्रालय के निष्पादन बजट में प्रकाशित किए जाते हैं, जो सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) आयात के ब्यौरे मन्थली स्टेटिक्स फार फोरेन ट्रेड इन इंडिया, भाग-II में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

(घ) जी नहीं। वास्तव में स्वदेशी उत्पादन बढ़ रहा है तथा आयातित प्रपुंज औषधों के मूल्य की प्रतिशतता वास्तव में स्वदेशी रूप से उत्पादित की जाने वाली प्रपुंज औषधों की प्रतिशतता की तुलना में घट रही है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिजली के अन्तरण और वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि

2219. **प्रो० के० बी० थामस :**
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिजली के अन्तरण और वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि होती है;

(ख) क्या यह ऊर्जा की हानि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है;

(ग) इस हानि को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बिजली की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने और कठोर दण्ड देने हेतु वर्तमान कानून में उचित संशोधन करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) विद्युत संबंधी हानि को कम करने के लिए राज्यों को सुझाए गए उपायों में ये शामिल हैं :--(1) उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना; (2) विद्युत संघटकों में सुधार करने के लिए कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना और (3) ऊर्जा की चोरी को कम करने और समाप्त करने के लिए संघन पर्यवेक्षण और बारम्बार निरीक्षण करना।

(घ) कानून को और प्रभावशाली बनाने के लिए, ताकि बिजली की चोरी को दण्डनीय अपराध करार दिया जा सके, एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

2220. **प्रो० के० वी० थॉमस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने स्वचालित एक्सचेंज हैं;

(ग) केरल में कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं और उनमें से कितनों में सीधी ट्रंक डायल सुविधा है;

(घ) केरल के कितने गांव टेलीफोन और तार सुविधाओं द्वारा जुड़े हैं;

(ङ) यह सुविधा सभी गांवों में कब तक उपलब्ध होगी;

(च) वर्ष 1985-86 में कितने एस० ए० एक्स-टू एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया; और

(छ) वर्ष 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 570.

(ख) 555.

(ग) केरल में 2811 सार्वजनिक टेलीफोन हैं जिनमें से 84 पर एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) 1374 श्रेणी वाले ग्रामों में से 1287 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा और 1186 ग्रामों में तार सुविधा उपलब्ध हैं।

(ङ) 7वीं योजना अवधि के दौरान बाकी ग्रामों में भी तार टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(च) 1985-86 में अब तक एम० ए० एक्स-II में परिवर्तित किए गए एस० ए० एक्स० की संख्या 8 है।

(छ) 1985-86 में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 एस० ए० एक्स० खोले गये हैं।

मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों को भोपाल से एस० टी० डी० सम्पर्क द्वारा जोड़ना

2221. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी भोपाल से एस० टी० डी० सम्पर्क द्वारा जोड़ा गया है;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में अन्य जिलों का राजधानी भोपाल से एस० टी० डी० सम्पर्क सुविधा से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से भोपाल के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त जिला मुख्यालयों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. बिलासपुर 2. ग्वालियर 3. इन्दौर 4. सिहोर 5. खण्डवा 6. रायपुर 7. जबलपुर 8. उज्जैन 9. सागर 10. दुर्ग।

(ग) और (घ) 7वीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश के बाकी जिला मुख्यालयों को भी एस० टी० डी० से राज्य की राजधानी भोपाल के साथ जोड़ने की योजना है बशर्ते कि स्विचन और संचारण उपस्कर उपलब्ध हों।

हिमाचल प्रदेश में तेल की खोज के लिए किया गया सर्वेक्षण

2222. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में राम शहर और ज्वालामुखी में तेल और गैस का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और वहां बोरिंग कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, सरकार ने उस पर कितनी धनराशि खर्च की थी;

(ग) उक्त कार्य को रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वास्तविक कार्य शुरू करने से पहले उस स्थान पर बहुत से मकानों का निर्माण किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब उन मकानों को उपयोग करने का है; और

(च) हिमाचल प्रदेश में उन नए स्थानों के नाम क्या हैं जहां नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू करने का विचार है और यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सर्वेक्षणों के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने रामेश्वर में एक और ज्वालामुखी में 4 कुओं की खुदाई की थी। 31.3.85 तक हुआ कुल व्यय 7.03 करोड़ रुपये था। रामेश्वर कूप को तकनीकी समस्याओं के कारण छोड़ना पड़ा था। ज्वालामुखी में खुदाई पहले ही बंद कर दी गयी थी क्योंकि वहां को कोई खोज वाणिज्यिक नहीं थी।

(घ) और (ङ) रामेश्वर में खुदाई स्थल पर कोई मकान नहीं बनाये गये थे। तथापि ज्वालामुखी के सापरी में एक आवासीय कालोनी का निर्माण किया गया था जिसका खुदाई चालकों के बाद निपटारा कर दिया गया था।

(च) नलगढ़ के समीप भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और इन्हें मण्डीपातलपुर क्षेत्र तक बढ़ाये जाने का विचार है। सातवीं योजना अवधि के दौरान सर्वेक्षण जारी रखे जाने की सम्भावना है।

रामगुण्डम ताप बिजली घर से अनाबंटित बिजली के लिए कर्नाटक की मांग

2223. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में कर्नाटक के विद्युत मंत्री द्वारा रामगुण्डम ताप बिजली घर से अनाबंटित 15 प्रतिशत बिजली सिर्फ कर्नाटक को आबंटित करने का कोई सुझाव दिया गया है;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा यह मांग कब की गई थी; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1985 में कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र की समस्त 15 प्रतिशत अनाबंटित विद्युत कर्नाटक राज्य को आबंटित करने का अनुरोध किया था।

(ग) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को अनाबंटित विद्युत का भाग दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों को समय-समय पर तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। कर्नाटक सरकार को मई, 1985 में स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

तारों के शीघ्र वितरण हेतु मानवण्ड

2224. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग के (एक) दो सीधे स्टेशनों से बीच से गुजरने वाले, (दो) एक मार्ग से गुजरने वाले, (तीन) दो मार्गों से गुजरने वाले, और (चार) दो से अधिक मार्गों से गुजरने वाले तारों के शीघ्र वितरण हेतु कतिपय मानदण्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मामले में कितना समय अनुदेय है;

(ग) क्या निर्धारित मानदण्डों की तुलना में होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु नमूना सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1985 के दौरान उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के मानदण्डों की तुलना में नई दिल्ली तथा कलकत्ता स्थित केन्द्रीय तारघरों में प्राप्त तारों की प्रतिशतता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। एक मार्ग और दो मार्गों से होकर भेजे जाने वाले दो सीधे स्टेशनों के बीच निजी, व्यक्तिगत और प्राथमिक श्रेणी वाले तारों के शीघ्र निपटान के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं।

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में अनुदेय समय इस प्रकार है :—

	निजी, व्यक्तिगत श्रेणी वाले तार	प्राथमिक श्रेणी वाले तार
(एक) सीधे स्टेशन	2 घंटे	1 घंटा
(दो) एक मार्ग होकर	4 घंटे	2 घंटे
(तीन) दो मार्गों होकर	6 घंटे	3 घंटे

(ग) नमूना सर्वेक्षण पहले से ही किए जा रहे हैं।

(घ) नई दिल्ली और कलकत्ता के केन्द्रीय तारघरों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

माह	केन्द्रीय तारघर		नई दिल्ली	केन्द्रीय तारघर कलकत्ता		
	सीधा	1 मार्ग	2 मार्ग	सीधा	1 मार्ग	2 मार्ग
जुलाई, 85	85%	83%	81%	92	89%	90
अगस्त, 85	83%	81%	79%	95%	88	91%
सितंबर, 85	85%	83%	81%	94%	93.6%	95%

[हिन्दी]

राजस्थान के टोंक जिले में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

2225. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के टोंक जिले में कार्य कर रही खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस की और अधिक एजेंसियां स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय राजस्थान के टोंक जिले में एक एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप काम कर रही है।

(ख) और (ग) तेल उद्योग की 1985-86 की अपनी विपणन-योजना में अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत टोंक जिले के निवाई नामक स्थान पर एक अतिरिक्त एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप विकसित करने की योजना है।

[अनुवाद]

राज्य बिजली बोर्ड में घाटा

2226. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से कौन-कौन से राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं तथा प्रत्येक बोर्ड को प्रति वर्ष अलग-अलग कितना-कितना घाटा हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी क्षमता का उपयोग 60 प्रतिशत से भी कम किया तथा प्रत्येक बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष कितनी बिजली का उत्पादन किया गया ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान लाभों/हानियों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों वाले राज्य बिजली बोर्डों का ताप-विद्युत क्षमता समुपयोजन तथा ताप-विद्युत का उत्पादन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के लाभ (+) तथा हानियां (—)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	+13.00	+10.3	+10.7

1	2	3	4	5
2.	असम	—10.30	—23.40	—48.9
3.	बिहार	—8.50	+9.10	—12.70
4.	गुजरात	+7.80	—12.00	+14.80
5.	हरियाणा	—48.30	—55.20	—40.70
6.	हिमाचल प्रदेश	—10.20	—7.30	—11.10
7.	कर्नाटक	+17.90	+28.50	+1.50
8.	केरल	+0.80	—3.80	—11.70
9.	मध्य प्रदेश	—32.70	+2.00	—1.40
10.	महाराष्ट्र	—21.40	—20.60	—28.00
11.	मेघालय	—2.40	—1.10	—4.30
12.	उड़ीसा	—4.30	—4.50	+6.70
13.	पंजाब	—7.90	—3.30	—16.40
14.	राजस्थान	—37.10	—31.50	—46.30
15.	तमिलनाडु	+0.90	+5.30	—10.30
16.	उत्तर प्रदेश	+59.40*	—48.50**	—75.60**
17.	पश्चिम बंगाल	—28.50	—34.50**	—37.70**
	हानियां	—211.60	—245.70	—345.10
	अधिशेष	+99.80	+55.20	+33.70
	निवल	(—)111.80	(—)190.50	(—)311.40

*राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रु० का ब्याज छोड़ दिया गया है।

**आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-2

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों का ताप विद्युत उत्पादन और क्षमता समुपयोजन (संयंत्र अनुपात %)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड	वर्ष	ताप विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)	क्षमता समुपयोजन संयंत्र भार अनुपात (%)
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	1981-82	1323	37.3

1	2	3	4	5
		1982-83	1186	32.2
		1983-84	1132	31.1
2.	राजस्थान	1981-82	—	—
		1982-83	13	—
		1983-84	685	72.3
3.	पंजाब	1981-82	1593	41.3
		1982-83	1967	51.0
		1983-84	2204	57.0
4.	उत्तर प्रदेश	1981-82	8728	40.6
		1982-83	8433	39.6
		1983-84	7661	35.1
5.	गुजरात	1981-82	9068	54.7
		1982-83	8550	57.9
		1983-84	9106	55.3
6.	मध्य प्रदेश	1981-82	6717	49.9
		1982-83	8002	58.5
		1983-84	8433	53.1
7.	महाराष्ट्र	1981-82	12500	52.8
		1982-83	12238	50.2
		1983-84	13429	51.0
8.	आन्ध्र प्रदेश	1981-82	5093	46.8
		1982-83	5562	51.1
		1983-84	5909	54.6
9.	तमिलनाडु	1981-82	6570	48.1
		1982-83	4041	44.0
		1983-84	3985	39.4
10.	बिहार	1981-82	2376	35.5
		1982-83	2581	38.5
		1983-84	2243	32.8

1	2	3	4	5
11.	उड़ीसा	1981-82	786	35.9
		1982-83	1024	35.2
		1983-84	1270	33.3
12.	पश्चिम बंगाल	1981-82	5443	40.5
		1982-83	3176	38.5
		1983-84	3332	35.9
13.	असम	1981-82	709	34.8
		1982-83	888	36.9
		1983-84	970	34.2

उड़ीसा में नई कोयला खानों की खुदाई

2227. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 और 1985-86 में उड़ीसा में कुछ नई कोयला खानों की खुदाई के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये नई कोयला खानें किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) इन खानों में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है; और

(घ) उड़ीसा में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र (धेनकनाल जिले) और इब-घाटी कोयला क्षेत्र (संबलपुर जिले) में नई कोयला-खानों के विकास की दृष्टि से संभावित क्षेत्रों के भू-वैज्ञानिक समन्वेषण के लिए अतिरिक्त ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है।

(ग) अब तक किए गए समन्वेषण के आधार पर, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्र में सभी ग्रेडों के कोयले के कुल 12682 मि० टन० भंडार का अनुमान लगाया है।

(घ) उड़ीसा में कोयले का उत्पादन आशा है कि 5.44 मि० टन (1984-85) के वर्तमान स्तर से बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना (1989-90) के अंत तक लगभग 14.00 मि० टन हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, तालचेर कोयला क्षेत्र में भरतपुर ओपेनकास्ट तथा

जगन्नाथ विस्तार योजनाएं और घाटी कोयला क्षेत्र में बेलपहाड़ एवं लाजकुरा ओपेनकास्ट खनन परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और भी परियोजनाएं हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

विदेशी सहयोग से 6 ए० पी० ए० का उत्पादन

2228. **श्री एस० जी० घोलप : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पिसिलिन जैसी जीवन रक्षक औषधि के लिए 6 ए० पी० ए० औषध इन्टरमीडियट की कमी है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम इस औषधि का आयात करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो इस औषधि का भारत में विदेशी सहयोग से उत्पादन करने के लिए अनेक भारतीय कम्पनियों ने आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है और कितनी कम्पनियों को विदेशी सहयोग की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य व्यापार विभाग को 6 ए० पी० ए० उपलब्ध करने में कुछ समस्या हुई थी किन्तु अब उनका स ।ाधान हो गया है।

(ग) 4 कम्पनियों ने विदेशी सहयोग के लिए आवेदन दिया।

(घ) और (ङ) 6 ए० पी० ए० के निर्माण के लिए 3 भारतीय कम्पनियों के विदेशी सहयोग प्रस्ताव/करार अनुमोदित/रिकार्ड कर दिये गये है।

दुलियाजान, असम में स्कूल का अधिग्रहण

2229. **श्री सी० पी० ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दुलियाजान, असम में एक स्कूल का प्रबंध आंशिक रूप से अपने हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्कूल को पूरी तरह से अपने हाथ में न लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्कूल का प्रबन्ध पूर्णतया कब तक हाथ में लिए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय साइकिल निगम में घाटा

2230. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**
डा० सुधीर राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साइकिल निगम का राष्ट्रीयकरण होने के बाद से घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या श्रमिकों की यूनियनों ने अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जिसमें कम्पनी को सक्षम बनाने के सुझाव दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मजदूर संघों (ट्रेड यूनियनों) द्वारा दिए गए सुझाव मुख्यतः व्यवस्था सुदृढ़ करने, उत्तम सामग्री प्रबन्ध और वस्तुसूची नियंत्रण, मशीनों का इष्टतम उपयोग, गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करने, वर्बादी कम होने देने, सरकारी वित्तीय सहायता के उपयुक्त उपयोग, उपयुक्त क्रय-प्रणाली लागू करने कामगरों के साथ मानवीय सम्बन्धों में सुधार, भण्डार और फालतू पुर्जों पर उचित नियंत्रण, औद्योगिक तथा आर्थिक प्रबन्ध में सुधार कल्याणी स्थिति अनुषंगी प्रभागों के इष्टतम उपयोग किए जाने बाहर से उपकरण बनवाने की प्रणाली समाप्त करने तथा विपणन प्रभाग के पुनर्नवीकरण करने आदि से सम्बन्धित हैं। सरकार ने इन सभी सुझावों को नोट कर लिया है। चूंकि उपक्रम को गैर-सरकारी क्षेत्र के बेहतर संगठित एककों से जिनकी तुलना में इसका मजदूरी स्तर लगभग ढाई गुना कम है, से प्रतियोगिता करनी होगी, अतः निगम के नये अध्ययन तथा प्रबंध-निदेशक इस उपक्रम की आर्थिक जीव्यता सुधारने के लिए किए जाने वाले विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रहे हैं।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० को पश्चिमी जर्मनी की एम० ए० एन० द्वारा खराब बक्केट व्हील एक्सकेवेटर सप्लाई किया जाना

2231. **श्री वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० ने वर्ष 1984-85 में पश्चिमी जर्मनी की एम० ए० एन० से दो बक्केट व्हील एक्सकेवेटर खरीदे थे;

(ख) क्या इस वर्ष ये एक्सकेवेटर टूट गए और इन दुर्घटनाओं में अनेक श्रमिक मारे गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) पश्चिमी जर्मनी की उपरोक्त फर्म द्वारा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजनाओं को और सामान सप्लाई किए जाने को रोकने के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है; और

(ङ) उसके द्वारा देरी से और खराब मशीनें सप्लाई किए जाने के लिए कितना मुआवजा मांगा गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स एम० ए० एन० को 1400 लीटर क्षमता (प्रत्येक) के दो बक्केट व्हाल एक्सकेवेटरों का क्रय-आदेश दिया था। इस फर्म का एक भारतीय फर्म से सहयोग है। पहले एक्सकेवेटर में 1983-84 में एवं दूसरे में 1984-85 में काम चालू किया गया। दूसरे एक्सकैवेटर का दीर्घ-कालीन कार्य निष्पादन परीक्षण 5-7-1984 को शुरू किया गया एवं 1-10-1984 को पूरा किया गया। चूंकि सुपर संरचना में कुछ दरारें पाई गईं थीं अतः मरम्मत कार्य 6-10-1984 को शुरू किया गया। जब नई वेल्डिंग कार्य को शुरू करने हेतु थ्रस्ट प्लेटों में से एक ही मूल वेल्डिंग को काटा जा रहा था तब काउंटर वेट बूम गिर पड़ा जिससे तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा तीन व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं।

(घ) और (ङ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा की गई आंतरिक जांच के अतिरिक्त इस दुर्घटना की जांच खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ द्वारा भी गई। अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को निश्चित करने के लिए जांच रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है कि क्या उपकरण में किसी तरह की डिजाइन संबंधी कमी है।

[हिन्दी]

गैस और तेल के छिद्रण के लिए सोवियत संघ को दिया गया ठेका

2232. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्बात की खाड़ी क्षेत्र में गैस और तेल के छिद्रण के लिए सोवियत संघ को दिये गये ठेके की शर्तें क्या हैं;

(ख) विदेशी कम्पनियों को देश में किन-किन क्षेत्रों में छिद्रण कार्य हेतु ठेके दिए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य कम्पनियों को ठेके देने के क्या कारण हैं जबकि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में छिद्रण कार्य हेतु आवश्यक उपकरण और तकनीशियन उपलब्ध हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) भारत के दो तटीय थालों (अर्थात् खम्भात और कावेरी थाले) में हाइड्रोकार्बनों की खोज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और यू० एस० एस० आर० के टैक्नों-ऐक्सपोर्ट के बीच किये गये करार के एक भाग के रूप में, यू० एस० एस० आर० के टैक्नों-ऐक्सपोर्ट को खम्भात थाल में खुदाई कार्य करना है। करार की मुख्य शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया कि :—

—कार्यक्षेत्र में टर्न-की के आधार पर सम्पूर्ण संचालनात्मक प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

—कार्यों के मूल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आधार पर परस्परिक बातचीत की जाएंगी।

—सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करते समय टैक्नों-ऐक्सपोर्ट यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि परियोजना की मूल्य लागत का कम से कम 70% लागत को सोवियत ऋण से पूरा किया जाता है और आयोग द्वारा रखे गये कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

—और अगर पारस्परिक करार द्वारा समय बढ़ाया न गया तो यह कार्य-चालन 1995 के अन्त तक कार्य के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जायेगा।

(ख) और (ग) देश में तेल की खोज और उत्पादन की शर्तें विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अभी तक निश्चित नहीं की गई हैं। भारत में अन्वेषी कार्य आरम्भ करने के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लि० के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए है।

[अनुवाद]

बिजली उत्पादन और राज्यों को वितरण

2233. **श्री चित्त महाता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष-वार कितनी बिजली दी गई; और

(ख) इसके लिए सातवीं योजना में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) स्व-उत्पादन, संयुक्त/केन्द्रीय केन्द्रों की विद्युत के समुपयोजन और पड़ोसी प्रणालियों के साथ विनिमयोजन को ध्यान में रखते हुए राज्यवार/वर्षवार निवल ऊर्जा उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में विद्युत के उत्पादन तथा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सातवीं योजनावधि के दौरान 22,245 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने का कार्यक्रम है। वर्तमान ताप-विद्युत क्षमता में ऊर्जा की बढ़ोतरी करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(2) अपेक्षित गुणवत्ता वाला और पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त करने के लिए और स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(3) ऐसे कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने जिनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है तथा सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरे करना।

(4) इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(5) केन्द्रीय ऋण सहायता से ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित करना।

विवरण

विभिन्न राज्यों में छठी योजना के दौरान निबल ऊर्जा उपलब्धता

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	3526	3972	4293	4204	3963
हि० प्र० (बी० एस० एल० सहित)	345	387	489	536	650
जम्मू व कश्मीर	981	1067	1217	1214	1270
पंजाब एन० एफ० एफ० सहित	6186	6366	7204	7787	7741
राजस्थान	3997	4219	4388	5617	5903
उत्तर प्रदेश	10615	11781	14374	13674	14193
दिल्ली	2782	3182	3584	3811	4448
चंडीगढ़	231	249	270	278	303
क्षेत्र	28663	31223	35819	37121	78471
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	9413	10132	10771	11846	12784
मध्य प्रदेश	5871	6448	7413	8701	10232
महाराष्ट्र (गोआ सहित)	17507	18603	19320	20858	23102
क्षेत्र	32791	35183	37504	41405	46118
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	6707	8117	9537	10045	12036
कर्नाटक	7050	7873	8004	8299	9532
केरल	3553	3899	3912	3704	4662
तमिलनाडु(पांडिचेरी सहित)	10942	11518	11002	10449	13580
क्षेत्र	28252	31407	32455	32497	39810

1	2	3	4	5	6
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	2235	2527	2856	2635	2678
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	5175	5582	6041	6109	6621
दा० वा० नि०	3802	4666	4856	5134	5344
उड़ीसा	3116	3513	3285	3948	4339
क्षेत्र	14328	16288	17038	17826	18982
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	898	1175	1409	1490	1632
अखिल भारत	104932	115276	124225	130339	145013

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में क्षेत्रीय विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय खोलना

2234. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर शहर के तीव्र विकास के कारण पुराना शहर, बनमीन्दा फारेस्ट पार्क और भुवनेश्वर में हंसेश्वर के क्षेत्रीय टेलीग्राफ कार्यालयों का काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भुवनेश्वर में शाहिदनगर विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय से संबंधित तार, टेलीग्राफ से भेजने के स्थान पर, संदेशवाहकों द्वारा भेजा जा रहा है, ताकि उक्त विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय बन्द हो जाये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। इन स्थानों के लिए तार परियात नगण्य हैं।

(ख) निर्धारित मानदंडों के अनुसार परियात की दृष्टि से औचित्य पाए जाने पर ही विभागीय तारघर खोले जाते हैं।

(ग) जी नहीं, भुवनेश्वर में शहीदनगर विभागीय तारघर की तारों को कभी-कभी संदेशवाहक द्वारा इस दृष्टि से भेजा जाता है ताकि संदेशों का वितरण तुरन्त किया जा सके न कि विभागीय तारघर बन्द करने का विचार है।

[हिन्दी]

फाफामऊ-इलाहाबाद एक्सचेंज को क्रास-बार प्रणाली में परिवर्तित करना

2235. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुचित फाफामऊ-इलाहाबाद टेलीफोन एक्सचेंज का

उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए इस एक्सचेंज को क्रास-बार प्रणाली में परिवर्तित करने का ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस अवधि तक तैयार हो जायेगा और कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2236. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने पिछड़े क्षेत्र हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की जा रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 19 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले माना गया है ।

(ख) से (घ) किसी विशेष जिले/क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है । फिर भी केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय राजकोषीय रियायतें और सहायताएं प्रदान करके इनके प्रयासों में मदद करती है । चूंकि सरकार सभी राज्यों और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक छितराव और विकास के उद्देश्य को लेकर चल रही है, अतः किसी विशेष क्षेत्र को चुनने का प्रश्न ही नहीं है ।

मारुति द्वारा मशीनिंग लाइनों का आयात

2237. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग के उपकरणों की सप्लाई और दो मशीनिंग लाइनों की स्थापना का ठेका जापान की एक फर्म को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सिफारिश की है, जो कि इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी उसी के समान है तथा उसने समय पर सप्लाई का आश्वासन भी दिया है; और

(ग) क्या मारुति उद्योग द्वारा किये गये इस सौदे का भारत में स्वदेशी प्रोद्योगिकी के विकास और संवर्धन पर प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कार को 95 प्रतिशत तक स्वदेशी बनाने की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए मारुति उद्योग लिमिटेड मशीनिंग लाइनों के स्वदेशी विकास की प्रतीक्षा नहीं कर सका और इसलिए आयात का सहारा लिया है।

रुग्ण एकक

2238. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितने एकक रुग्ण हो गए थे;

(ख) ऐसे एककों में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) कितने एककों के संबंध में बातचीत हो चुकी है तथा अब तक सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) ऐसे एककों के नाम क्या हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, उसके द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम आंकड़ों (अनंतिम) के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अंत में रुग्ण एककों की संख्या 93282 थी (लघु 91,450, मझौले 1287 और बड़े 545) और इन एककों की तरफ बकाया कुल राशि 3638.39 करोड़ रु० थी।

(ग) और (घ) इस समय, ऐसे 28 औद्योगिक एकक हैं जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत अपने अधिकार में ले लिया गया है। इन उपक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम
1	2
1.	मे० इंडिया मशीनरी कंपनी लि०
2.	मे० कृष्णा सिलिकोट एंड ग्लास वर्कस लि०
3.	मे० एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (असम) लि०
4.	मे० इंडिया बेल्डिंग एंड कॉटन मिल्स लि०
5.	मे० ग्लुकोनेट लि०

1	2
6.	मे० ऐजल इंडिया मशीन एंड टूल्स लि०
7.	मे० प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज लि०
8.	मे० बंगाल पॉटरीज लि०
9.	मे० कावेरी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
10.	मे० प्रिया लक्ष्मी मिल्स लि०
11.	मे० श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लि०
12.	मे० इंदौर टेक्सटाइल्स लि०
13.	मे० सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स
14.	मे० श्रीराम शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० (बोबिली यूनिट)
15.	मे० आलोक उद्योग वनस्पति एंड प्लाईवुड लि०
16.	मे० स्वदेशी कॉटन मिल्स
17.	मे० श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०
18.	मे० डा० पॉल लोमन (इंडिया) लि०
19.	मे० श्रीराम शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० (सीतानगरम यूनिट)
20.	मे० ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (आई) लि०
21.	मे० लिली बारील मिल्स प्रा० मि०
22.	मे० लिली बिस्कुट्स प्रा० लि०
23.	मे० महादेव टेक्सटाइल्स मिल्स
24.	मे० अपोलो जिपर कंपनी प्रा० लि०
25.	मे० इंडिया हेल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी लि०
26.	मे० मोतीपुर शुगर फैक्टरी लि०
27.	मे० मोहिनी मिल्स लि०
28.	मे० कांति कॉटन मिल्स

[हिन्दी]

बिहार में समानान्तर डाक सेवाएं

2239. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पुनिया फार्बीसगंज, जोगबानी, कटिहार, किशनगंज आदि क्षेत्रों में कुछ संगठित गिरोहगत अनेक वर्षों से समानान्तर डाक सेवाएं चला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसी दो सेवाओं के बारे में रिपोर्ट मिली है जो मुजफ्फरपुर और किशनगंज में चल रही हैं ।

(ख) जब कभी भी ऐसे मामलों का पता चलता है, उन्हें भारतीय डाक घर अधिनियम के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी जाती है ताकि ये पार्टियां अपनी गतिविधियां जारी न रख सकें ।

[अनुवाद]

केरल में लोअर पम्पा पनबिजली परियोजना को मंजूरी

2240. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में लोअर पम्पा पनबिजली परियोजना को मंजूरी देने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं । केरल राज्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना प्रारम्भिक जांच के चरण में है और परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले और बिजली की विद्यमान कीमतों में परिवर्तन

2241. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और बिजली की विद्यमान कीमत उनकी उत्पादन लागत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में अपर्याप्त ईंधन को व्यर्थ होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र के लिए विद्यमान मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोयले की वर्तमान कीमतें उत्पादन लागत से कम हैं । उत्पादन-लागत बढ़ गई है जिसके कारण इस प्रकार हैं—उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि, अधिक मूल्य ह्रास और ब्याज का भार, वेतन और मजदूरी में वृद्धि जिसके कारण हैं, अनुग्रह राशि की ऊपरी सीमा में संशोधन, महंगाई भत्ते की बकाया राशि सहित इसकी दरों में संशोधन

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ने के कारण परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि, भूमिगत भत्ते में तथा वेतनवृद्धि, रेल किराया, आदि अन्य खर्चों में वृद्धि।

कोयला कम्पनियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सुदृढ़ वित्तीय आधार दिया जा सके और आगामी वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए उन्हें पूरी उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा सके। कोयला कम्पनियों में उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें यह उपाय शामिल हैं : नई खानों में निवेश, पहले ही उपलब्ध खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल तथा रख-रखाव, सामग्री-सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडारों के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण तथा अनुशासन लागू करके जनशक्ति का बेहतर इस्तेमाल और बेशी कामगारों को अलग करके उचित प्रशिक्षण के बाद उनका पुनर्नियोजन, विस्फोटक, इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन-सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, तीव्रतर संचलन तथा प्रणालीबद्ध वितरण द्वारा खान-मुहाना स्टाकों में कमी, नई परियोजनाएं शीघ्रता से एवं समय से पूरी करना तथा कानून एवं व्यवस्था में सुधार और बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया-गिरोहों के क्रियाकलाप पर नियंत्रण।

जहां तक बिजली की कीमत और उत्पादन-लागत का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने "सातवी योजना प्रलेख" में ऊर्जा की कीमत तय करने के लिए एक समेकित संरचना की आवश्यकता का उल्लेख किया है जो अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की असली लागत को प्रतिबिम्बित करे और साथ ही ऊर्जा उद्योग की वित्तीय क्षमता को सुनिश्चित करने में भी सहायक हो। एक अन्य सुझाव यह भी है कि ऊर्जा कीमत नीति ऐसी हो जिसमें ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में उपयोग में किफायत हो सके एवं एक ईंधन के स्थान पर दूसरे वांछित ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहन मिल सके। इसमें जहां लाभदायक हो वहां नवीकरणीय ऊर्जा भी सम्मिलित है।

छोटे पैमाने के रुग्ण उद्योग

2242. **श्रीमती माधुरी सिंह :**
श्री सैयद मसुदल हुसैन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे पैमाने के उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) रुग्ण एककों की राज्यवार संख्या क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कुल कितने प्रतिशत एकक रुग्ण हैं;

(ग) रुग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) रुग्णता के कारण कितने अनुमानित मूल्य के उत्पादन का तथा कितनी मजदूरी का नुकसान हो रहा है; और

(ङ) रुग्णता की रोकथाम करने तथा छोटे पैमाने के एककों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर लघु औद्योगिक एककों की राज्यवार कुल संख्या और उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) साथ-साथ या अकेले चलने वाले आतंरिक और बाह्य दोनों ही अनेक प्रकार के कारण औद्योगिक रुग्णता के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रबन्ध कुव्यवस्था, वित्तीय नियंत्रण की अदक्षता, स्रोत्रों का दिशान्तर, अनुसंधान और विकास की ओर अपर्याप्त ध्यान देना, प्रौद्योगिकी और मशीनरी का गत प्रयोग हो जाना, खराब औद्योगिक संबंध, मांग की अपर्याप्तता, कच्चे माल, वित्त और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना संबंधी रुकावटें होना औद्योजिक रुग्णता के प्रमुख कारण हैं। रुग्णता के कारण उत्पादन और मजदूरी में हुई हानि का अनुमानित मूल्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) रुग्णता को रोकने और लघु औद्योगिक एककों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विचारार्थ उपायों में गुणवत्ता के सुधार की ओर और अधिक बल देना, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत कार्य का विस्तार करके लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, कार्यशाला सुविधाओं का संकलन और सुधार करना, प्रक्रिया-सह-उत्पादन विकास केन्द्रों और क्षेत्रीय (फील्ड) परीक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय (रीजनल) परीक्षण केन्द्रों, औजार कक्षों आदि की स्थापना शामिल है।

विवरण

दिसम्बर, 1981, दिसम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1983 को समाप्त वर्षों की लघु औद्योगिक की कुल संख्या, रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और कुल लघु औद्योगिक एककों की प्रतिशतता के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के अंश को दर्शाने वाला विवरण

दिसम्बर, 1981

राज्य/संघशासित क्षेत्र	लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	रुग्ण, लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	रुग्ण कुल लघु औद्योगिक एककों के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का अंश
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	80343	1050	1.3
असम	15469	1595	10.3
बिहार	53549	987	1.8

1	2	3	4
गुजरात	56292	881	1.6
हरियाणा	26999	204	0.8
हिमाचल प्रदेश	12720	74	0.6
जम्मू और कश्मीर	9877	60	0.6
कर्नाटक	74773	2449	3.3
केरल	51509	692	1.3
मध्य प्रदेश	53417	495	0.9
महाराष्ट्र	65308	2646	4.1
उड़ीसा	44092	838	1.9
पंजाब	41501	699	1.7
राजस्थान	48180	475	1.0
सिक्किम	76	—	—
तमिलनाडु	113667	1686	1.5
उत्तर प्रदेश	109610	1301	1.2
पश्चिम बंगाल	77071	7827	10.2
गोवा/दमन और दीव	2000	69	3.5

दिसम्बर, 1982			दिसम्बर, 1983		
लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	रुग्ण, लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	कुल लघु औद्योगिक एककों के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का अंश	लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	रुग्ण, लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या	कुल लघु औद्योगिक एककों के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का अंश
5	6	7	8	9	10
89885	4592	5.1	105274	5412	5.1
17458	2565	14.7	19352	4029	20.8
52571	2504	4.8	59605	3540	5.9

5	6	7	8	9	10
71449	2564	3.6	84329	2600	3.1
20560	1107	5.4	26533	1172	4.4
10508	193	1.8	13669	216	1.6
12988	449	3.5	16005	501	3.1
79966	4094	5.1	85189	4565	5.4
50271	1238	2.5	58528	1243	2.1
61392	1197	1.9	73270	2329	3.2
67476	5910	8.8	93712	7066	7.5
47051	1438	3.1	55270	2135	3.9
45632	1085	2.4	51980	898	1.7
50882	689	1.4	71343	887	1.2
225	—	—	321	—	—
124004	8111	6.5	138238	16947	12.3
124883	6771	5.4	146731	7801	5.3
91684	11201	12.2	102285	4165	13.8
2235	133	6.0	3069	221	7.2

दिसम्बर, 1981

1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	57	—	—
अरुणाचल प्रदेश	100	—	—
चण्डीगढ	2021	30	1.5
दिल्ली	15817	826	5.2
दादरा और नगर हवेली	87	3	3.5
लक्षद्वीप	3	—	—
मणिपुर	799	284	35.5
मेघालय	1070	26	2.5
मिजोरम	110	—	—

1	2	3	4
नागालैण्ड	934	4	0.4
पांडिचेरी	1381	34	2.5
त्रिपुरा	1816	107	5.9
जोड़ :	960648	25342	2.6

दिसम्बर, 1982			दिसम्बर, 1983		
5	6	7	8	9	10
118	22	18.6	160	23	14.4
172	—	—	274	2	0.7
2166	77	3.6	2567	117	4.6
18382	1326	7.2	26695	1620	6.1
156	2	1.3	175	—	—
2	—	—	1	—	—
1188	385	32.4	1196	339	28.3
1253	176	14.0	1813	189	10.4
226	2	0.9	206	1	0.5
1212	51	4.2	1375	—	—
1266	489	38.6	2000	114	5.7
2411	177	7.3	2498	219	8.8
1049675	58551	5.6	1243753	78351	6.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

[हिन्दी]

बिहार के मधुबनी जिले में एस० टी० डी० सुविधा

2243. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एस० टी० डी० लाइन बिछा दी गई है, परन्तु इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मधुबनी में यू० एच० एफ० संचारण लिंक प्रदान किया गया है। वैसे अभी मधुबनी के टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचल बनाया जाना है।

(ख) 7वीं योजना अवधि के दौरान बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों को पेंशन लाभ

2244. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 3 अक्तूबर, 1985 को खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के सामने और पुनः 14 जुलाई, 1983 को कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित समारोह में यह घोषणा की थी कि खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पेंशन का लाभ कब तक दिए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। मंत्री जी ने 1983 में यह घोषणा की थी कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पेंशन योजना में सम्मिलित करने संबंधी खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

(ख) खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारी व्यापारिक प्रतिष्ठान से संबंधित हैं और इनकी सेवा शर्तें तथा प्रोत्साहन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के नियमित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न हैं, जिन्हें पेंशन देय है। फिर भी, मामला सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में नए पेट्रोल/डीजल पम्प खोलना

2245. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भोपाल, सिहोर, रायसेन और देवास जिलों में निकट भविष्य में नए पेट्रोल और डीजल पम्प खोले जाने की कोई योजना है और वहां पर कितने पेट्रोल तथा डीजल पम्प खोले जाने का विचार है; और

(ख) यदि कोई नए पेट्रोल और डीजल पम्प नहीं खोले जा रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग का अपनी वार्षिक विपणन योजनाओं में मध्य प्रदेश के भोपाल, सिहोर, रायसेन तथा मंदेवास

जिलों में निम्नलिखित अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) को विकसित करने का प्रस्ताव है :—

जिले का नाम	स्थान	रिटेल आउटलेटों की संख्या
1. भोपाल	खाजूरी	1
	भोपाल बाई-पास	2
2. सिहोर	शून्य*	
3. रायसेन	मण्डीदीप	2
	सुल्तानपुर क्रोसिंग	1
	चिकलोड	1
	गोहारगंज	1
4. देवास	पीपल-रंग	1
	हरनगांव	1
	देवास सिटी	1
	कसिपरा	1
	नियोरी गांव (तहसील बगली)	1

*सिहोर में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विकास के लिए स्थानों के चयन के मामले में आई० ओ० सी० द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सतना में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

2246. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना तथा विजयराहगढ़ जिलों के लिए तथा सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बढ़वाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उनके लक्ष्य क्या हैं तथा 31 अक्तूबर, 1985 तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है; और

(ग) क्या सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत की जानी है और क्या कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले और विजयराहगढ़ तथा बदवारा विधान सभा चुनाव

क्षेत्रों में 31.3.1985 तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में 1222 गांवों तथा 6979 पम्पसैटों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 31.12.1984 तक 214 गांवों तथा 1991 पम्पसैटों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सतना जिले के चार नयी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की हैं। एक स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है और तीन स्कीमें संशोधन के लिए राज्य बिजली बोर्ड को वापिस भेज दी गई हैं।

बन्द हुए एककों के कर्मचारियों को वैकल्पित रोजगार

2247. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1985 से बारह महीने पूर्व के दौरान कितने औद्योगिक एकक बन्द हुए हैं;

(ख) बन्द हुए एककों में ऐसे कितने एकक हैं जिनमें से प्रत्येक में 300 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त थे; और

(ग) सरकार ने एककों को पुनः चालू करने अथवा प्रभावित श्रमिकों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में बंद पड़े हुए औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में सूचना और उनसे सम्बन्धित ब्यौरा इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, फैक्टरी ऐक्ट, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उन कारखानों के सम्बन्ध में जो लम्बे अथवा थोड़े समय से बंद पड़े हुए हैं सूचना इंडियन लेबर जरनल, जो श्रम ब्यूरो का मासिक प्रकाशन है, में प्रकाशित मानक सारणीबद्ध फार्मों में दी जाती है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार के प्रत्येक बंद पड़े हुए औद्योगिक एकक को, केवल इसके बंद हो जाने से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के रोजगार के संरक्षण के लिए फिर से चालू करना न तो संभव है और न ही उचित है। तथापि, फिर से चालू किए जा सकने की सम्भावना वाले रुग्ण उद्योगों को फिर से चालू करने के संबंध में सरकार ने अक्तूबर, 1981 में जाति सम्बन्धी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें लोक सभा में दिनांक 23.1.1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 204 के उत्तर में प्रस्तुत की जा चुकी है।

इसके अलावा, सरकार ने लोक सभा में "रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) विधेयक, 1985" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना करने की व्यवस्था भी है जो अलग-अलग एककों की रुग्णता के विभिन्न पहलुओं और ऐसे एककों के पुनर्वास और इन्हें फिर से चालू करने की वैकल्पित संभावनाओं पर विचार करके रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के सीतापुर तथा बाराबंकी जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

2248. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सीतापुर तथा बाराबंकी जिलों में वर्ष 1985 के दौरान डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस वर्ष के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के हैदरगढ़ के आई० ओ० सी० के एक डीलर के विरुद्ध एक शिकायत मिली है।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों के एक संयुक्त दल ने संबंधित फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र का निरीक्षण किया। स्टाक में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी और मिलावट के लिए निर्धारित स्थलीय निरीक्षण का परिणाम नगन्य था।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में मांडला जिले में एस० टी० डी० सुविधा

2249. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांडला जिले में (एक) मांडला तथा डिन्डोरी (दो) मांडला तथा लखनदांऊ और (तीन) डिन्डोरी तथा पेंडरा के बीच एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) कब तक एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था कर दी जाएगी; और

(घ) क्या पहले भी इस संबंध में कोई कारंवाई की गई है, यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सीमित संसाधनों की वजह से जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने पर प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल (एक) मांडला और डिन्डोरी (दो) मांडला और लखनदांऊ तथा (तीन) डिन्डोरी और पेंडरा के बीच एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने की कोई योजना नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उत्पादन

2250. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उसी अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) मुनाफा के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 (खण्ड-1) की ओर दिलाया जाता है जिसमें 1983-84 को समाप्त तीन वर्ष के दौरान हुए उत्पादन का विवरण उपलब्ध है तथा जिसे 15 मार्च, 1985 को लोक सभा पटल पर रखा गया था ।

(ख) उसी अवधि के दौरान निधियों के विनिधान का विवरण, निष्पादन बजट सहित बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है, जिसे साल-दर-साल सभा-पटल पर रखा गया है ।

(ग) सरकारी उद्यमों में उत्पादन तथा लाभकारिता को बेहतर बनाने के लिए किये गये अथवा विचाराधीन सदुपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से परिवीक्षण करना, निजी उपयोगार्थ और आपाती बिजली पैदा करने की व्यवस्था करना, संतोलक सुविधाओं मे पूंजी लगाना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण दिलाना ।

[हिन्दी]

सीधी डायल सेवा द्वारा फैजाबाद को अन्य नगरों से जोड़ना

2251. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नगरों को सीधी डायल सेवा द्वारा फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) से जोड़ा गया है; और

(ख) 1985-86 के दौरान फैजाबाद को सीधी डायल सेवा द्वारा किन-किन नगरों से जोड़े जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अगस्त, 1984 से फैजाबाद को कानपुर टी० ए० एक्स० से जोड़ा गया है । फैजाबाद के उपभोक्ताओं को एस० टी० डी० पर उपलब्ध स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) 1985-86 के दौरान फैजाबाद को एस० टी० डी० पर किसी नये शहर से जोड़ने की संभावना नहीं है ।

विवरण

फैजाबाद से एस० टी० डी० उपलब्ध स्थानों की सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	क्रम सं०	जिले का नाम
1.	बरेली	2.	मुरादाबाद
3.	शाहजहांपुर	4.	सीतापुर
5.	पीलीभीत	6.	रामपुर
7.	जयपुर	8.	कोटा
9.	उदयपुर	10.	भरतपुर
11.	अलवर	12.	अजमेर
13.	ब्यावर	14.	आगरा
15.	इलाहाबाद	16.	लखनऊ
17.	गोरखपुर	18.	रायबरेली
19.	वाराणसी	20.	मिर्जापुर
21.	कानपुर	22.	दिल्ली
23.	पटना	24.	आरा
25.	भुबनेश्वर	26.	छपरा
27.	कटक	28.	दरभंगा
29.	धनबाद	30.	जमशेदपुर
31.	कटिहार	32.	मोतीहारी
33.	मुजफ्फरपुर	34.	रांची
35.	राउरकेला	36.	समस्तीपुर
37.	सासाराम	38.	डालमियानगर
39.	नैनीताल	40.	चंडीगढ़
41.	गांतोक	42.	जालंधर
43.	कोशीकलां	44.	शिलांग
45.	अहमदाबाद	46.	मेहसाना
47.	बड़ौदा	48.	बेलगाम
49.	भोपाल	50.	बंबई
51.	गांधीनगर	52.	हुगली
53.	इंदौर	54.	कोल्हापुर
55.	नदियाद	56.	नागपुर
57.	नासिक	58.	पंजिम
59.	पुणे	60.	राजकोट
61.	सूरत	62.	वासी
63.	कल्याण		

[अनुवाद]

तीस्ता झाल (कमाल फाल) पनबिजली विस्तार परियोजना

2252. डा० फूलरेणु गुहा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3×3×7.5 मे० वा० तीस्ता झाल पनबिजली विस्तार परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को स्वीकृति देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) तीस्ता नहर प्रपात सं० 1, 2 और 3 संयुक्त और सं० 4 जल विद्युत परियोजना (3×3×7.5 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग ने स्वीकृति कर दी हैं। यह स्कीम योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1985 में स्वीकृत की गई थी।

रसायन उद्योग के लिये वृहद् वर्गीकरण योजना (ब्राड बैंडिंग स्कीम)

2253. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस देने के प्रयोजन के लिये वृहद वर्गीकरण योजना ब्रांड बैंडिंग स्कीम को संपूर्ण रसायन उद्योग पर लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय रसायन निर्माता संघ (इंडियन कैमिकल मैनुफैक्सचरर्स एसोसिएशन) से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) दि इण्डियन कैमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रसायन/प्लास्टिक औषध उद्योगो के उत्पाद समूह का 26 विभिन्न श्रेणियों में ब्राड बैण्डिग करने का प्रस्ताव रखा है।

सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

ताप और पन-बिजली घरों का कार्य-निष्पादन

2254. डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार अभिकरणों और केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत उन ताप और पन-

बिजली घरों के नाम क्या है जिनके बिजली उत्पादन में गत दो वर्षों के दौरान गिरावट आई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन बिजली घरों के नाम क्या हैं जिनकी क्षमता उपयोग सर्वश्रेष्ठ रहा है और उनके संयंत्र की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी; और

(ग) क्या (क) भाग में उल्लिखित संयंत्रों के घटिया कार्य निष्पादन के लिए निम्न स्तर के उपकरण खराब रख-रखाव, कोयला सप्लाई में भष्ट्राचार और चोरी भी जिम्मेदार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राज्य सरकार की एजेंसियों और केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन उन ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं जिनमें 1982-83 की तुलना में 1983-84 और/अथवा 1984-85 के दौरान विद्युत उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) जल विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन को आंकने का पैरामीटर संयंत्र भार अनुपात नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 70 प्रतिशत तथा उससे अधिक था उनके नाम संलग्न विवरण 3 में दिए गए हैं।

(ग) उपस्कर में कमियों, प्रचालन और अनुरक्षण में कमियों और कोयले की घटिया गुणवत्ता के कारण ऊपर उल्लिखित विद्युत केन्द्रों में से कुछ विद्युत केन्द्रों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

विवरण-1

उन ताप विद्युत केन्द्रों की सूची जिनमें 1982-83 की तुलना में 1983-84 या 1984-85 में कम विद्युत उत्पादन हुआ तथा इनका वर्षवार विद्युत उत्पादन

1. राज्य बिजली बोर्ड

केन्द्र का नाम	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	1312	1245	1527
राजघाट	76	57	75
फरीदाबाद विस्तार	447	441	440
पानीपत	692	630	765
ओबरा	5581	4855	4038
पनकी	1108	1024	1095
हरदुआगंज "क"	195	162	252
हरदुआगंज "ख" व "ग"	1348	1424	1162

1	2	3	4
धुवारन	3523	3241	3098
उकई	3270	2791	2910
उत्राण	372	345	319
कोराडी	4010	3450	3403
खापरखेड़ा	198	223	147
पारस	430	357	249
पार्ली	1780	1657	1754
कोरबा-2	1142	1136	777
कोरबा-3	1294	755	1181
कोठागुडम ख	521	467	619
रामागुण्डम ख	424	399	276
विजयवाडा	2910	3106	2847
एन्नोर	1483	1103	1427
बेसिन ब्रिज	213	87	87
पतरातू	2198	1866	1984
संथालडीह	1284	1156	1039
गौरीपुर	43	29	30
गैस टर्बाइन (प० बं०)	190	58	65
चन्द्रपुर	110	131	92
2. केन्द्रीय क्षेत्र			
बदरपुर	3063	3078	3014
बोकारो	1022	972	915

विवरण-2

उन जल विद्युत केन्द्रों की सूची जिनमें 1982-83 की तुलना में 1983-84 या 1984-85 में कम विद्युत उत्पादन हुआ तथा इनका वर्षवार विद्युत उत्पादन

1. राज्य बिजली बोर्ड

केन्द्र का नाम	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
गीरी बाटा	272	272	190

1	2	3	4
लोअर जेहलम	600	578	565
चिन्नाई अपर सिंध अन्य	307	316	207
रिहन्द	661	520	923
यमुना चरण-2 (चिबरो)	944	987	775
यमुना चरण-1 व 4	642	592	523
ओवरा	242	198	332
गंगा नहर	225	190	208
माटाटीला	129	37	—
चिल्ला	828	850	708
कोयना बांध	4247	4478	4073
वैतरना	159	116	159
तुंगभद्रा बांध	249	214	259
नागार्जुनसागर	2240	2081	1958
शरावती	5043	4695	4851
जोग	610	554	511
शिवासमुद्रम	154	131	138
शिमशापुरा	133	123	138
लिग्नामक्की	262	249	216
इदुकी	2391	1435	1936
साबरीगिरी	1072	849	1377
कुडाह 1-5	1450	858	1665
कोडयार	239	210	245
शोलायार	228	276	215
पाइकारा	360	219	393
सरकारपाथी	113	97	144
मोयर	146	91	170

1	2	3	4
पापानाराम	104	85	125
केरडामकुतई	180	181	155
2. केन्द्रीय क्षेत्र			
बैरास्यूल	823	846	656
भाकीरी गंगाबाल कोटला	6887	7007	5931
पोंग	1454	1521	1190

विवरण-3

उन ताप विद्युत केन्द्रों की सूची जिन्होंने 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान 70% या इससे अधिक संयंत्र भार अनुपात प्राप्त कर लिया था

केन्द्र का नाम	संयंत्र भार अनुपात (%)			
	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर)
राज्य बिजली बोर्ड				
धुवारन	75.2	69.1	66.2	52.6
पारली	75.3	69.9	74.2	86.6
उरण (गैस टर्बाइन)	56.9	75.6	61.6	30.2
विजयवाड़ा	79.1	84.2	77.4	87.4
रामागुंडम "ख"	77.4	72.7	50.4	90.3
केन्द्रीय क्षेत्र				
नेवेली	73	74.2	77.2	72.7

उड़ीसा में निर्धनों को विधिक सहायता

2255. डा० कृपासिंधु भोई : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धनों को नि:शुल्क विधिक सहायता और सलाह देने में उड़ीसा सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है; और

(ख) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान इस स्कीम के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी रकम मंजूर की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति ने जो जानकारी भेजी है उसके अनुसार उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा पिछले दो वर्षों में की गई प्रगति निम्नलिखित है :—

वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सहायता और सलाह की गई	लगाए गए विधिक सहायता शिविरों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या
1983	4279	105	3708
1984	16588	115	2135

(ख) उक्त समिति द्वारा, उड़ीसा सरकार से 1983 से 1985 के लिए सहायता अनुदान के लिए, कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को निम्नलिखित सहायता अनुदान मंजूर किए गए हैं :—

मास	रकम	प्रयोजन
फरवरी, 1983	50,000 रु०	परा-विधिकों का प्रशिक्षण, विधिक साक्षरता आदि पर उड़िया भाषा में पुस्तिका का प्रकाशन।
मार्च, 1984	1,00,000 रु०	उड़ीसा राज्य में विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वियन।
1985	कुछ नहीं	

किराये के टेलीफोन एक्सचेंज भवन

2256. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज भवन (30 जून, 1985 तक की स्थिति) किराये पर लिये गये; और

(ख) उनमें से कितने भवन ऐसे हैं जिनके किराये पर लिये जाने संबंधी समझौते की अवधि पूरी हो चुकी है, परन्तु वे अभी तक सरकार के कब्जे में हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस देने के लिये नियम और दिशा निर्देश

2257. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार द्वारा क्या नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में चल रहे ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है और उन तेल निगमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ये पेट्रोल पम्प चल रहे हैं ?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) क्षेत्र में मांग की क्षमता तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का विकास तेल उद्योग द्वारा घनत्व और दूरी से संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रख किया जाता है। आरक्षित से (70 प्रतिशत) और खुली श्रेणी से (30 प्रतिशत) डीलरों की नियुक्ति तेल उद्योग द्वारा तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य का नाम	आई० ओ० सी०	आई० ओ० सी० (ए० ओ० डी०)	एच० पी० सी०	बी० पी० सी०	आई० बी० पी०
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	366		323	291	83
असम	89	143	24		5
बिहार	283		189	202	86
दिल्ली	80		65	61	25
गुजरात	346		199	219	85
हरियाणा	166		99	77	85
कर्नाटक	299		237	241	28
केरल	194		224	186	19
मध्य प्रदेश	315		203	211	33
महाराष्ट्र	397		447	458	63
उड़ीसा	110		77	86	2
पंजाब	340		161	182	175
राजस्थान	281		209	180	22
तमिलनाडु	420		404	379	29

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	648		332	387	247
पश्चिम बंगाल	307		260	248	87
चण्डीगढ़	6		7	4	
दादर/नगर हवेली	1		1		
गोआ/दमन/दीयू	9		24	30	1
हिमाचल प्रदेश	27		11	18	2
जम्मू और कश्मीर	55		15	29	1
पांडिचेरी	11		7	4	1
मेघालय	13	15	4		
मणिपुर	5	8			
मिजोरम	3	4			
नागालैंड	7	10			
सिक्किम	5			2	
त्रिपुरा	6	21			
अण्डमान/निकोबार	1				
अरुणाचल प्रदेश	6	10			

तलाई लघु स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को घुमारविन मूल एक्सचेंज के अन्तर्गत लाना

2258. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलाई लघु स्वचालित एक्सचेंज को घुमारविन मूल एक्सचेंज के अंतर्गत लाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) हाल ही में पूरा साज सामान प्राप्त कर लिया गया है और तलई के छोटे ऑटोमेटिक एक्सचेंज को घुमारविन के साथ जोड़ने का कार्य संभवत: 31-3-1986 तक पूरा हो जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोल, डीजल तथा खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां खोलना

2259. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं जहां वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 के दौरान पेट्रालियम डीजल के बिक्री केन्द्र तथा गैस एजेन्सियां आबंटित की गई थीं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये बिक्री केन्द्र हैं/एजेन्सियां इस बीच खोली जा चुकी हैं;

(ग) शेष स्थानों में बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों के किस तारीख तक खोले जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या आबंटन के कोई मामले अब भी सरकार के पास लम्बित पड़े हैं, और उन्हें अब तक आबंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें किस संभावित तारीख तक आबंटित किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण 1 के रूप में संलग्न विवरण में दी जा रही है।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण 2 के रूप में संलग्न विवरण में दी जा रही है।

(ग) और (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों पर विचार करते हुए यह बताना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है कि शेष केन्द्र कब तक चालू किये जा सकेंगे।

(घ) अनेक मामलों में आबंटन/चालू किया जाना निम्नलिखित में से किसी न किसी कारण से संभव नहीं हो पाया है।

(I) नये सिरे से आवेदन मांगने के लिए दुबारा विज्ञापित करने की आवश्यकता।

(II) चयन कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(III) पैनल में रखे पहले अभ्यर्थी के द्वारा डीलरशिप चालू करने में असमर्थ होने पर तथा दूसरे को आमंत्रित करने की आवश्यकता, आदि।

विवरण-1

एल० पी० जी०

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	कुड्डपहा	कुड्डपहा
2.	विजयवाड़ा (8)	कृष्णा

1	2	3
3.	मसुलिपतनम	-वही-
4.	गुडीवाड़ा	-वही-
5.	मचीलिपतनम (2)	-वही-
6.	राजामुंदरी (3)	पूर्वी गोदावरी
7.	काकीनादा (3)	-वही-
8.	रामाचन्द्रमपुरम	-वही-
9.	दोलेश्वरम	-वही-
10.	विशाखापतनम (7)	विशाखापतनम
11.	हैदराबाद (14)	हैदराबाद
12.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद-ए (2)	-वही-
13.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद-बी (2)	-वही-
14.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद-सी (2)	-वही-
15.	निर्मल	अदीलाबाद
16.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद-(2)	हैदराबाद
17.	हिन्दुपुर	अनन्तपुर
18.	धर्मावर्म	-वही-
19.	तडपतरी	-वही-
20.	खुटी	-वही-
21.	गुंटाकल	-वही-
22.	कादीरी	-वही-
23.	नेलोर (2)	नेलोर
24.	श्रीकाकूलम	श्रीकाकूलम
25.	नन्दयाल	करनूल
26.	अदोनी	-वही-
27.	श्रीसालेम	-वही-
28.	यमीगनूर	-वही-
29.	कुरनूल	-वही-
30.	गंटूर (3)	गंटूर
31.	चिलकालूरीपत	-वही-
32.	पन्नूर	-वही-

1	2	3
33.	मचीरला	-वही-
34.	नरसारावपत	-वही-
35.	हैदराबाद (2)	रंगारेड्डी
36.	वरांगल (2)	वरांगल
37.	जनगांव	-वही-
38.	भीमवरम	पश्चिमी गोदावरी
39.	ईलूर (2)	-वही-
40.	तदेपल्लीगुडम	-वही-
41.	नरसापुर	-वही-
42.	खम्माम	खम्माम
43.	मिरयालगुड्डा	नलगोंदा
44.	नलगोंदा	-वही-
45.	सूर्यपत	-वही-
46.	विशाखापतनम (2)	विजाग
47.	अनाकपाले	-वही-
48.	विजीयानगरम (2)	विजीयानगरम
49.	सुरंगवारा (पियोकोटा)	-वही-
50.	श्रीपुर कागजनगर	अदीलाबाद
51.	बेल्लमपल्ली	-वही-
52.	सदासिपट	मेडक
53.	जेहराबाद	-वही-
54.	मेडक	-वही-
55.	बोधान	निजामाबाद
56.	निजोमाबाद (2)	निजामाबाद
57.	कामारेड्डी	-वही-
58.	गदवाल	महबूबनगर
59.	वानरपत्ति	-वही-
60.	नारायणपत	-वही-
61.	महबूबनगर	-वही-

1	2	3
62.	रामगुद्दम	करीमनगर
63.	करीमनगर(2)	-वही-
64.	जगतयाल	-वही-
65.	त्रिपति	चित्तूर
66.	पुंगनोर	-वही-
67.	श्रीकालाहस्ती	-वही-
68.	चिराला	प्रकासम
69.	मरकापुर	-वही-

खुदरा बिक्री केन्द्र

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1	2	3
1.	कोथागुदम'	हम्माम
2.	पोल्लावरम	पश्चिमी गोदावरी
3.	भीमवरम	-वही-
4.	अतीली	-वही-
5.	लक्कवरम	-वही-
6.	यलदुरथी	कूरनूल
7.	यमनीगनूर	-वही-
8.	चगेलमर्री	-वही-
9.	सरवाल	-वही-
10.	अलूर	-वही-
11.	पियापल्ली	-वही-
12.	मुलूग	वारांगल
13.	चित्याल	-वही-
14.	नेल्लीकदूर	-वही-

1	2	3
15.	वरधानापत	-वही-
16.	काजीपत	-वही-
17.	जुंगालापल्ली	-वही-
18.	वायुपुरी क्रास रोड	सिकन्दराबाद
19.	गूटी	अन्नतपुर
20.	कानेकल	-वही-
21.	गूटी-I	-वही-
22.	कलूरी	-वही-
23.	यादकी	-वही-
24.	चल्लामथुर	-वही-
25.	नागासौमद्रम	-वही-
26.	मुडीगुब्बा	-वही-
27.	गुटी-II	-वही-
28.	पूट्टापरथी	-वही-
29.	छपरा	श्रीकाकूलम
30.	लकीकीरेड्डीपल्ली	गुड्डापा
31.	मदानूर	-वही-
32.	मेडकूर	-वही-
33.	भंगाड़ागुदम	खम्माम
34.	बोनाकल्ली	-वही-
35.	बुरगामपडु	-वही-
36.	चट्टी	-वही-
37.	खम्माम क्रास रोड	-वही-
38.	मोथकुर	नालगोंदा

1	2	3
39.	वाडेपल्ली	-वही-
40.	तुंगातुरथी	-वही-
41.	निदामानूर	-वही-
42.	बालाचेरू	विजाग
43.	मल्कापुरम	-वही-
44.	नागुलाधुलापदऊ	प्रकासम
45.	उप्पूगंटूर	-वही-
46.	गजापथीरनगरम	वासियानगरम
47.	विशाखापतनम-(बी)	विशाखापतम
48.	-वही-(ए)	-वही-
49.	पदेरू	-वही-
50.	भीलगल	निजामाबाद
51.	निजामबाद	-वही-
52.	गोपालपत	-वही-
53.	माणिकभंडर	-वही-
54.	रूदरूर	-वही-
55.	विजयवाड़ा	कृष्णा
56.	विसानापता	-वही-
57.	गिलाकालादींडी	-वही-
58.	गोलापुरी	-वही-
59.	अटमाकुर	नेल्लोर
60.	कोटा	-वही-
61.	वैंकटगिरी	-वही-
62.	राहपुर	-वही-
63.	मायापद्ध	-वही-

1	2	3
64.	रेबाना	अदीलाबाद
65.	नेरेदीगोंडा	-वही-
66.	नथावोलसो	विजीयानगरम
67.	राणास्थलम	-वही-
68.	कोथापलसा	-वही-
69.	विजाग	-वही-
70.	मदचाल (2)	रंगारेड्डी
71.	उप्पल/तरनाका	-वही-
72.	पारगी	-वही-
73.	पलमाकुल	-वही-
74.	शनीरपत	-वही-
75.	काकीनादा	पूर्वी गोदावरी
76.	अंगारा	-वही-
77.	प्रतिपद्दू	-वही-
78.	अम्बादीपक	-वही-
79.	रमाणीयापत	-वही-
80.	मुम्मीदीवारन	-वही-
81.	अन्नावरम	-वही-
82.	चित्तूर	चित्तूर
83.	रंगामपत	-वही-
84.	गंगाधारा नेलोर	-वही-
85.	नत्तूगूवा	हैदराबाद
86.	पुरानापूल	-वही-
87.	बरकतपुरा	-वही-
88.	माब्बीपतनम	-वही-

1	2	3
89.	नरसापुर रोड़	-वही-
90.	विशाख स्टील प्लांट	विशाख
91.	विशाख स्टील सीटि	-वही-
92.	नाकापल्ली	-वही-
93.	अन्नवपुरम	-वही-
94.	श्रीहरपुरम	-वही-
95.	याल्लामनचली	-वही-
96.	चल्लापलम	-वही-
97.	नाकापल्ली	-वही-
98.	अटमाकुर	महबूबनगर
99.	ईज	-वही-
100.	मखताल	-वही-
101.	कोलापुर	-वही-
102.	बिजानापल्ले	-वही-
103.	देवरकादरा	-वही-
104.	अमनगोल	-वही-
105.	गुंटूर	गुंटूर
106.	भट्टीपरेलू	-वही-
107.	परचेरला	-वही-
108.	अंकीरेड्डीपलम	-वही-
109.	नकारीकल्लू	-वही-
110.	कर्मपुड़ी	-वही-
111.	रामगुंडम	करीमनगर
112.	कटरम	-वही-
113.	गोदावरीवानी	-वही-
114.	पद्दापल्ली	-वही-
115.	धर्मारम	-वही-

विवरण-2

एल० पी० जी०

क्र० सं० स्थान का नाम	क्र० सं० स्थान का नाम
1. गुड्डप्पा	29. टादपत्तरी
2. विजयवाडा (8)	30. त्रिपति
3. राजामुन्दरी (3)	31. काकीनादा (2)
4. मंसुलीपटनम	32. है/० सि० बाद
5. विशाखापतनम (7)	33. जगतपयाल
6. हैदराबाद (13)	34. करीमनगर (2)
7. हिन्दूपुर	35. गुदीवादा
8. नैलोर (2)	36. मछलीपतनम
9. श्रीकुलम	37. अदोनी
10. नन्दयाल	38. मिरयालगुदा
11. हैदराबाद/सिकन्दराबाद-क(2)	39. निजामाबाद
12. है०सि०बाद-ख (2)	40. चेराला
13. है० सि०बाद-ग (2)	41. मरकापुर
14. गुनतूर (3)	42. भीमवरम
15. चिलकालौरी पट	43. वारांगल
16. विजयीनगरम (2)	44. गुंडाकल
17. धर्मावर्म	45. महबूबनगर
18. श्रीसलीम	46. नालगोदा
19. यामीगनौर	47. इलूरु
20. श्रीपुर कार्गजनगर	48. नरमापुर
21. सदाशिवपट	49. श्रीकालाहस्ती
22. बोधान	50. जनगांव
23. रामचन्द्रपुरम	51. पनूरु
24. निरमल	52. बेलमपली
25. गदवाल	53. कादिरी
26. दोबलस्वरम	54. जाहिराबाद
27. कुरनूल	55. बनारपत्ती
28. रामगुन्दम	56. अनाकापल्ले

खुदरा बिक्री केन्द्र

क्र० सं० स्थान का नाम	क्र० सं० स्थान का नाम
1. मूलुग	34. गंगाधारा
2. वायुपूरी क्रास रोड़	35. अंगारा
3. गूटी	36. अंबाजीपत
4. कलूरु	37. अंकीरेड्डीपालम
5. चीलममाधुर	38. भंगड़ागुदम
6. चित्तुर	39. बोनांकल
7. रंगमपत	40. बुरगमपट्ट
8. मतूगुदा	41. विशानापत
9. विशाख स्टील प्लांट	42. मोथापुर
10. अनाकापल्ली	43. वेकटगिरी
11. अनन्दपुरम	44. नलीकुदुर
12. श्री हरुपुरम	45. काजीपट्ठ
13. अटमाकुरु (2)	46. पदापली
14. इमेज	47. तुंगातुरथी
15. गुंटूर बाई पास	48. गजापतीनगरम
16. रामागुंडम	49. जुंगालापल्ली
17. भीमगल	50. निदामानुर
18. पुरनापल	51. मखताल
19. बाड़कटपुरम	52. उप्पल/तरंका
20. यल्लामचंली	53. मेंदाकुर
21. तालापल्लम	54. पारगी
22. विजयवाड़ा	55. पलमाकुर
23. कतराम	56. उप्पूगुटर
24. विप्पली	57. निरोदीगोंडा
25. रेवाना	58. नकारीकल्लू
26. निजामाबाद	59. सांवरीपट्ट
27. कोटा	60. करमपुड़ी
28. मुदीगस्सा	61. कोथावलसा
29. विशाख स्टील सिटी	62. अतीली
30. नाकापल्ली	63. मायापट्ट
31. भीमवरम	64. माणिकभण्डर
32. मदघाल	65. वरधानापट्टे
33. भट्टीपरोलू	66. विजनापल्ले

कोयले से बहु-प्रयोजनीय गैस

2260. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी भी किस्म के कोयले से बहु-प्रयोजनीय गैस के उत्पादन की ऊर्जा की दृष्टि से बचतपूर्ण प्रौद्योगिकी किस्म की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ईंधन तेल और ईंधन गैस की तथा ईंधन गैस की कमी की समस्या हल करने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शीरा के दामों में वृद्धि

2261. **श्री चिन्तामणि जेना** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे के दामों में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन पर इस मूल्य वृद्धि से प्रभाव पड़ा था; और

(घ) शीरे के दामों में हो रही वृद्धि की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) शीरे का मूल्य शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन नियंत्रित किया जाता है । सरकार ने अक्तूबर, 1975 के पश्चात शीरे का मूल्य संशोधित नहीं किया है ।

आई० एन० एच० औषधि का निर्माण

2262. **श्री विजय एन० पाटिल** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जाने वाली दवाइयों की प्राथमिकता सूची क्या है;

(ख) क्या तपेदिक के रोगियों के लिए आवश्यक आई० एन० एच० औषधि का आयात किया जाता है जबकि भारत इसका निर्माण करने में पर्याप्त रूप में सक्षम है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ही आई० एन० एच० औषधि का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार ने इस प्रकार की कोई अग्रता सूची तैयार नहीं की है।

(ख) 1984-85 में उत्पादन समस्याओं के कारण कुछ मात्रा आयात की गई थी। वर्तमान अपेक्षाएं स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी जा सकती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य डाकघरों और उप-डाकघरों के लिए विभागीय इमारतों का निर्माण

2263. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम डाक सर्किल ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य डाकघरों और विभागीय उप-डाकघरों के लिए विभागीय इमारतों के निर्माण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्किल के प्रत्येक संगठित राज्य के लिए जिला-वार, संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनमें उस वर्ष के दौरान इमारतों का निर्माण शुरू किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कार्यक्रम को कौन-सी तारीख तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य के लिए प्रस्तावित संस्थाओं के जिलावार नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह निधियों की उपलब्धता की शर्त पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1985-86 के दौरान उत्तर पश्चिम डाक सर्किल में शुरू किए जाने वाले भवन निर्माण कार्य की राज्यवार सूची

हरियाणा राज्य	जिला
1. अम्बाला प्रधान डाकघर	अम्बाला
2. शदर बाजार उप डाकघर	अम्बाला
3. बहादुरगढ़ मुख्य डाकघर	रोहतक
4. एनआईटी मुख्य डाकघर ऊर्ध्वाधर (विस्तार)	फरीदाबाद
5. नांगल चौधरी उप डाकगर	महेन्द्रगढ़
पंजाब राज्य	
1. खन्ना मुख्य डाकघर	लुधियाना

संघ क्षेत्र चण्डीगढ़

1. चण्डीगढ़ सेक्टर 9 उप डाकघर	चण्डीगढ़
2. चण्डीगढ़ सेक्टर 29 उप डाकघर	चण्डीगढ़
3. चण्डीगढ़ सेक्टर 30 उप डाकघर	चण्डीगढ़

हिमाचल प्रदेश

1. हमीरपुर मुख्य डाकघर (विस्तार)	हमीरपुर
2. मंडी उप डाकघर	कुलु
3. रामपुर बुसाहर मुख्य डाकघर	रामपुर
4. पालमपुर मुख्य डाकघर	कांगड़ा
5. पूह उप डाकघर	किन्नौर

विभागेतर उप-डाकघरों और विभागेतर शाखा डाकघरों के दर्जे बढ़ाना। घटाना और बढ़ाना

2264. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी विभागेतर उप डाकघर का दर्जा घटाकर विभागेतर शाखा उप-डाकघर किया है और विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उप-डाकघर किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संबंधित राज्य के प्रत्येक डाक सर्किल (राज्य-वार) के उप डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिनका दर्जा बढ़ाया या घटाया गया है और प्रत्येक मामले में ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखा खोलना

2265. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग संस्थान की हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में एक शाखा तथा मेहतपुर में उसका एक विस्तार केन्द्र खोलने के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शाखा और केन्द्र के किस तारीख तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में किस तारीख तक निर्णय किए जाने की संभावना है और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु

उद्योग सेवा संस्थान की शाखा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और एक वितार केन्द्र मेहतपुर नामक स्थान पर खोलने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनकी अभी जांच की जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति

2266. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1985 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने के कितने मामले लम्बित पड़े थे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामला कितने समय से लंबित पड़ा है;

(ख) क्या ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कोई अधिकतम समयसीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल नियमित कर्मचारियों के आश्रितों के मामलों पर विचार किया गया है, जबकि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो नैमित्तिक कर्मचारियों को अलग रखने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी क्षेत्र में तट दूर खुदाई परियोजना के लिए ठेका देना

2267. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने, पूर्वी क्षेत्र में अपनी प्रथम तट दूर खुदाई परियोजना का पूरा ठेका पर अमरीकी तेल का पता लगाने वाली कम्पनी को देने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय पर पहुंचने की शर्तों तथा अन्य निबन्धनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोलाघाट टेलीफोन एक्सचेंज का नवीकरण

2268. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि मे कोलाघाट टेलीफोन एक्सचेंज के नवीकरण का कोई प्रस्ताव टेलीफोन विभाग के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान 100 लाइन के मैनुअल एक्सचेंज को नए बोर्ड द्वारा बदला जाएगा।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ताप बिजली संयंत्रों का निर्माण

2269. **श्री मुरलीधर माने** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप बिजली संयंत्रों का निर्माण आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बिजली संयंत्र की अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या होगी और उसे कहां बनाया जाएगा;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्य राज्यों में भी ऐसे बिजली संयंत्र बनाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात में किन स्थानों पर बिजली संयंत्र बनाए जाएंगे;

(ङ) क्या बिजली संयंत्रों के लिए कोई विदेशी सहयोग भी होगा; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा निम्नानुसार है :

स्कीम का नाम	क्षमता मेगावाट	लगभग अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
इब ताप विद्युत केन्द्र	4×210	888
तलचेर सुपर ताप वि० केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	2×500	955

(ग) और (घ) महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुज्रात के वे स्थान जहां पर ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं, में ये स्थान शामिल हैं :

महाराष्ट्र

1. चन्द्रपुर विस्तार
2. उरण गैस टर्बाइन विस्तार
3. खापर खेड़ा विस्तार
4. पारली विस्तार
5. ट्राम्बे यूनिट-6

आन्ध्र प्रदेश

1. विजयवाड़ा विस्तार
2. रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)

कर्नाटक

1. रायचूर ताप वि० के० चरण-1
2. रायचूर ताप वि० के० चरण-2

गुजरात

1. वानक बोरी विस्तार
2. सिक्का प्रतिष्ठापन
3. गांधी नगर विस्तार
4. कच्छ लिग्नाइट

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में कुछ नई ताप विद्युत स्कीमों की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है।

(ङ) और (च) ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए समय-समय पर विश्व बैंक ग्रुप से सहायता और अन्य बाह्य सहायता प्राप्त की जा रही है। विदेशी सहायता की सही मात्रा का तभी तभी पता लग पाता है जबकि इस प्रकार की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया जाता है।

विद्युत परियोजनाओं की ऊंची लागत और उसमें लगने वाली अधिक समयावधि

2270. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विद्युत इंजीनियरों से कुल परियोजना प्रबंध तकनीक और कम्प्यूटरीकृत संचालन प्रणाली द्वारा विद्युत परियोजनाओं की उच्च लागत और उसमें लगने वाली अधिक समया-वधि को कम करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राज्यों के विद्युत मंत्रियों के हाल ही के सम्मेलन के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं की उच्च लागत को और समय से अधिक अवधि लगने को कम करने के लिए प्रभावशाली मानिटरिंग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे परियोजना क्रियान्वयन के आधु-निक तकनीकों का समुपयोजन करते हुए परियोजनाओं को समयानुसार पूरा करना सुनिश्चित करें। मानिटरिंग करने की पद्धति समस्याओं का पता लगाने और इनका समाधान करने के अनुकूल होनी चाहिए जो कि सख्ती से पालन किए जा रहे कार्यक्रम के विरुद्ध होती है।

ऊर्जा के नए तथा बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहन

2271. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ऊर्जा के नये तथा बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) इस समय क्या वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध है;

(ग) क्या इस समय इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, इस समय ऐसे बायो-गैस संयंत्रों की संख्या कितनी है जो काम नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) सौर तापीय प्रणालियों की लागत कम करने तथा इन्हें और आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) नए और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों में तकनीकी परामर्श और सहायता, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के निर्माण/स्थापना के लिए राजसहायता और अन्य आर्थिक प्रोत्साहन, प्रदर्शन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनारों के माध्यम से

जानकारी बढ़ाना, विचार-गोष्ठी, रेडियो एवं दूरदर्शन; राज्य नोडल एजेंसियों और क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करना और उपयोग करना सम्मिलित हैं। विद्यमान कार्यक्रमों के ज्यादा क्षेत्रों में विस्तार को बढ़ाने के लिए और इसकी लागतों को कम करने और इन उपकरणों की कार्यकुशलता को अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सुधारने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) राजस्व प्रोत्साहन जो अब उपलब्ध हैं कुछ प्रणालियों/उपकरणों के लिए राजसहायता उद्योगों के लिए आयकर को ऊंची दरों का अवमूल्यन और इन प्रणालियों में से कुछ को प्राथमिक रूप से बैंकों से ऋण देने के लिए सम्मिलित करना है। इन प्रणालियों में से कुछ उत्पादन-कर से मुक्त हैं। वायु जनित्रों, विद्युत चालित दुपहियों या तिपहिया आदि के लिए स्थायी मेगनेट क्षेत्र डी सी मोटरों पर सीमा कर नहीं लगाया गया है। बड़ी संख्या में राज्य सरकारें भी इन मदों को बिक्री कर से मुक्त कर चुकी हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 1984-85 में तीन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया गया बायो-गैस संयंत्रों का मूल्यांकन सर्वेक्षण, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु में सांख्यिकीय नमूने संयंत्रों के लिए किया गया सर्वेक्षण, यह दर्शाता है कि केवल 12.9 प्रतिशत बिना काम करते हुए पाए गए और इनमें से बहुतों में केवल गौण संचालन सम्बन्धी समस्याएं थीं।

(ङ) सौर तापीय प्रणालियों की लागत को कम करने, उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने और उनको और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयत्न लगातार किए जा रहे हैं। कुछ निर्माताओं ने अच्छी प्रतियोगिता का सृजन करने और लागतों को घटाने के लिए सौर तापीय प्रणालियों के उत्पादन और स्थापना की जिम्मेदारी ली है। इन प्रणालियों के लिए मार्केट का उत्तेजन लागत को घटाने के लिए आवश्यक अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ायेगा। मानक और टिकाऊ वस्तुओं के सुगम उत्पादन को दृष्टि में रखकर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग तकनीकी मार्ग-निर्देशन जारी कर चुका है।

वर्ष 1984-85 के दौरान औषधियों का उत्पादन और खपत

2272. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिन पर थोक मूल्य सूचकांक आधारित है;

(ख) आधार वर्ष के दौरान प्रत्येक औषधि का उत्पादन और उनका प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था तथा वर्ष 1984-85 के दौरान उनका उत्पादन और मूल्य कितना रहा; और

(ग) आधार वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक औषधि का कुल कितनी खपत हुई और वर्ष 1984-85 के दौरान यह खपत कितनी थी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सीमा तक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। आधार वर्ष के दौरान निर्दिष्ट औषधों के उत्पादन उनके उपयोग तथा उनके मूल्य के सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

क्रमांक	प्रपुंज औषध का नाम	1984-85 वर्ष के दौरान उत्पादन (टन)	1984-85 के दौरान डी० पी० सी० ओ० के अधीन निर्धारित मूल्य (रु०/किग्रा०)
1.	अमोडियाक्वीन	24.41	525.00
2.	क्लोरमफेनिकोल पाउडर	136.65	756.00
3.	आई० एन० एच०	192.56	174.00
4.	बेन्जाइल प्रोकेन पेनिसिलिन	अनुपलब्ध	856.71 (प्रति बांधू)
5.	पी० ए० एस० और साल्ट	119.07	99.92 (पी० ए० एस० सो०) 105.34 (पी० ए० एस० एसिड) 127.20 (केलसियम पी० ए० एस०) 100.40 (केलसियम बी० पी० ए० एस०)
6.	क्वीनाइन साल्ट	अनुपलब्ध	1632.53
7.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	235.06	847.42 (पूल्ड)
8.	सोडियम सेलिसाइलेट	अनुपलब्ध	शून्य
9.	टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०	227.94 (साल्ट सहित)	801.49
10.	विटामिन ए	60.58 (एम० एम० यू०)	730.00/1000 एम० आई० यू० (विटामिन ए एसिटेट ड्राइ पाउडर 0.5 एम० आई० यू० प्रति ग्राम) 716.00/1000 एम० आई० यू० (विटामिन ए आयली फार्म)
11.	विटामिन बी-12	136.16 कि० ग्रा०	124.87 ग्राम (साइनाकोबलामिन) 184.94 ग्राम (हाइड्रोक्सीकोबालामाइन)
12.	विटामिन सी	716.23	विटामिन सी प्लेन 154.69/219.50 (साराभाई) 200.37 (जयन्त विटामिन लि०) विटामिन सी कोएटेड 160.69/230.50 (साराभाई) 206.37 (जयन्त विटामिन लिमिटेड)

उर्वरक उत्पाद और विद्युत निर्माण के लिए गैस का उपयोग

2273. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में, टाटा इन्स्टीट्यूट आफ एनर्जी रिसर्च, नई दिल्ली के तत्वावधान में ऊर्जा पर दो दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक तथा एशियन विकास बैंक के विशेषज्ञों ने भाग लिया था, और उन्होंने उर्वरकों के उत्पादन तथा विद्युत निर्माण आदि के लिए गैस का उपयोग करने के प्रयोजन से गैस के केवल सुस्थिर तथा प्रमाणित संसाधनों के आधार पर निवेश के हक में मत प्रकट किया और प्राकृतिक गैस की आयोजन तथा इस्तेमाल के लिए 10 से 15 वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित करने का सुझाव दिया;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चित सुझाव तथा टिप्पणियां की गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1985 में जयपूर में टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा आयोजित दो दिवसीय वार्षिक कार्यशाला में ऊर्जा नीति के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इसमें भारत में प्राकृतिक गैस के विकास के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। भारत तथा विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की भूमिका पर सामान्य रूप से टिप्पणी की गई। यह देखा गया कि इसकी अनुमानित उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक गैस आने वाले वर्षों मे आज की तुलना में एक बड़ी सीमा तक अन्य हाइड्रोकार्बनों का विकल्प होगी।

(ग) सरकार आने वाले वर्षों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने तथा इसका विभिन्न क्षेत्रों, यथा फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स आदि में इसके अनुकूलतम उपयोग के लिए सरकार कदम उठा रही है।

सहदायिकी सम्पत्ति में महिलाओं को बराबर का अंश प्रदान करने के लिए विधान

2274. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहदायिकी सम्पत्ति में महिलाओं को बराबर का अंश प्रदान करने के लिए कोई विधान पर पुरःस्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह विषय किस प्रक्रम पर है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में खादी और ग्रामोद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

2275. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खादी और ग्रामोद्योग लोकप्रिय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस उद्योग को विशेष रूप से देश के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों का उत्थान करने के लिए, लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अनुभव प्राप्त करने तथा नई तकनीकी सीखने के लिए बुनकरों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गुजरात राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग काफी लोकप्रिय हैं। वर्ष 1983-84 में खादी के उत्पादन का मूल्य लगभग 966 लाख रुपये और ग्रामोद्योगों के उत्पादन का मूल्य लगभग 3393 लाख रुपये था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों को लोकप्रिय बनाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग द्वारा पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सहायता के विशेष उदारीकृत ढांचे तैयार किए गए हैं। आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को विभागीय रूप से चलाने के लिए इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले हैं तथा इसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इन क्षेत्रों की औद्योगिक विभवसम्पन्नता के सम्बन्ध मे अध्ययन भी किए हैं।

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग परम्परागत बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए और संस्थाओं को सुधरे हुए करघे चलाने हेतु निधियां प्रदान कर रहा है। नये बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए चार प्रशिक्षण केन्द्रों में एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें 200 रुपये प्रति मास वजीफा भी दिया जाता है।

लघु औद्योगिक एककों को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के सम्बन्ध में शिकायतें

2276. **श्री विजय एन० पाटिल** :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को लघु औद्योगिक एककों को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के बारे में बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया किस्म का सप्लाई किया गया कोयला, बायलर, कांच और सिरेमिक उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोयले की किस्म और कोयले में फालतू पदार्थ होने के बारे में कोयला उपभोक्ताओं (शीशे और चीनी-मिट्टी उद्योग सहित) से कुछ शिकायतें मिली हैं। सरकार, उपभोक्ताओं को कोयले की ठीक क्वालिटी की सप्लाई को अत्यधिक महत्व

देती रही है। किस्म से संबंधित शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए लगातार निगरानी रखी जाती है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। लगातार पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप, शिकायतों की संख्या में काफी कमी आई है।

सभी औद्योगिक इकाइयां, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके लिए नियत परिमापों के अनुसार, कोयले के लिए संयुजित हैं और सप्लाई यथासंभव तदनुसार ही की जाती है। शीशा और चीनी-मिट्टी उद्योगों को उच्च ग्रेड का कोयला चाहिए जो अधिकांशतः रानीगंज और साउथ कर्णपुरा क्षेत्र का होना है। चूंकि इन कोयला क्षेत्रों से भाप-कोयला कम मिल पाता है, इसलिए इन उद्योगों की जरूरत अन्य कोयला क्षेत्रों से बेहतर ग्रेड का कोयला लेकर पूरी की जाती हैं। कोयले को ठीक आकार देने और फालतू सामग्री निकालना सुनिश्चित करने के लिए, कोयला-रख-रखाव संयंत्रों के निर्माण के लिए एक क्रैश कार्यक्रम बनाया गया है। इस बीच में, कोयला कंपनियों को यह निदेश दिया गया है कि वह आदमी लगाकर बड़े आकार के कोयले तुड़वाएं और फालतू सामग्री कोयले से अलग कराएं। कोयले के ठीक किस्म और आकार का लदान सुनिश्चित करने के लिए, अधिकांश गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं को संयुक्त नमूना प्रणाली के अधीन लाया जा रहा है। वैगनों के लदान के समय निरीक्षण की सुविधा उन उपभोक्ताओं को भी दी गई है जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक कोयला कंपनी में "किस्म नियंत्रण एकक" स्थापित किया गया है और विवाद के मामलों में, निर्णय देने के लिए कोयला नियंत्रक को सांविधिक प्राधिकारी घोषित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्पादन

2277. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की खानों में वर्ष 1977-78 से 1984-85 के बीच की अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अन्य कोयला उत्पादक राज्यों का तुलनात्मक कार्य निष्पादन कैसा रहा; और

(घ) पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की खानों में कोयले का उत्पादन वर्ष 1977-78 के 22.96 मि० टन से घटकर वर्ष 1984-85 में 19.00 मि० टन हो गया है। इन कोयला खानों का वर्षवार उत्पादन निम्नलिखित है :—

(मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1	2
1977-78	22.96

1	2
1978-79	19.83
1979-80	18.29
1980-81	19.74
1981-82	19.01
1982-83	19.07
1983-84	19.27
1984-85	19.00

पश्चिम बंगाल की अधिकांश खानें ईस्टर्न कोलफीड्ल्स लि० के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र में आती हैं। इन खानों के उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) पूर्वी-क्षेत्र में प्रतिकूल कार्य वातावरण।

(2) भंडारों के खाली होते जाने के कारण चालू खानों में खनन-कार्य की कमी।

(3) दोहन के लिए अछूते अंचलों का सीमित मात्रा उपलब्ध होना।

(4) भूमि-अधिग्रहण के मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कठिन समस्याओं का सामना करना जिसके परिणामस्वरूप नई खानें/परियोजनाएं शुरू करने में बिलम्ब।

(5) पश्चिम बंगाल की कोयला-खानों को बिजली की सप्लाई मिलने में अत्यधिक कठिनाई।

(ग) जिन अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में कोल इंडिया लि० काम करता है उनमें कोयले का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

राज्य	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
बिहार	39.05	39.46	39.76	43.82	48.23	50.53	49.44	50.82
उड़ीसा	2.06	2.60	2.57	3.24	3.33	3.46	4.19	5.44
मध्य प्रदेश	20.46	22.00	25.93	27.84	30.74	36.34	36.35	41.75
महाराष्ट्र	3.56	4.32	4.75	5.77	6.89	7.80	8.82	10.30
उत्तर प्रदेश	0.15	0.60	1.20	1.75	2.04	2.37	2.55	2.70
असम	0.62	0.62	0.56	0.61	0.70	0.71	0.80	0.81

(घ) पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम यह हैं :—

(1) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने और नई परियोजनाओं के खोले जाने में स्थानीय युवकों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से बचने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार का सहयोग मांगा गया है। आपसी बातचीत और समझ के परिणामस्वरूप, कानून और व्यवस्था की समस्या काफी हद तक सुधर गई है।

(2) दिनांक 31-3-1985 तक स्वीकृत रु० 2 करोड़ (प्रत्येक) और इसके ऊपर की लागत वाली कुछ परियोजनाएं 33 हैं। इनकी कुल स्वीकृत क्षमता 25.93 मि० टन है। यहां 4.92 मि० टन क्षमता और रु० 48.08 करोड़ की लागत वाली जो तीन परियोजनाएं 1980 में खोले जाने के लिए निर्धारित की गई थीं और स्थानीय युवकों के विरोध के कारण नहीं खोली जा सकी थीं, वे हाल ही में शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का वर्ष 1984-85 में वास्तविक उत्पादन केवल 2.61 मि० टन था।

(3) इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए विद्यमान भूमिगत परियोजनाओं में "खनन-जिलों" का पुनर्गठन कर दिया गया है।

(4) ओपेनकास्ट परियोजनाओं में भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों की उपलब्धता और उनके उपयोग में सुधार किया गया है।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया गया है।

(6) नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनके कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब को बचाने के लिए एक "परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली" शुरू की गई है।

(7) भूमिगत खनन में नवीनतम प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए सोवियत रूस और ब्रिटेन की तकनीकी सहायता के साथ कुछ कठिन नई परियोजनाओं का काम हाथ में लिया गया है।

विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में पूंजी निवेश

2278. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारी उपक्रमों आदि में किये जाने वाले केन्द्रीय पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनसंख्या के आधार पर पूंजी निवेश का अनुपात क्या होगा; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं, उद्योगों आदि पर योजना अवधि के दौरान इन राज्यों में कितनी और धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना पूंजी निवेश किया जायेगा तथा सातवीं योजना के दौरान उसका राज्यवार एवं उद्योगवार संवितरण क्या होगा, यह इस अवस्था में यथार्थ रूप से बताना सम्भव नहीं है।

दामोदर नदी तट से कोकिंग कोल निकालने हेतु परियोजना

2279. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर नदी तट से मध्यम कोकिंग कोल के भण्डार निकालने हेतु कोई परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस नदी तट पर इस प्रकार का कितना और कितने मूल्य का कोकिंग कोल पड़ा हुआ है;

(घ) परियोजना के कार्यान्वियन में क्या बाधायें आ रही हैं; और

(ङ) परियोजना के कार्यान्वियन हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है जो इस समय वर्तमान दामोदर नदी की धारा के नीचे बन्द पड़े मीडियम कोक कर कोयले की लगभग 60 मि० टन मात्रा निकालने के लिए दामोदर नदी की धारा बदलने के लिए है। बदली जाने वाली धारा की लम्बाई 6.5 कि० मी० और नया संयुजन-मार्ग लगभग 3.37 कि० मी० लम्बा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग रु० 175 करोड़ है और इसके पूरा होने का अनुमानित समय लगभग 6 वर्ष है। दामोदर नदी की धारा को बदलने के बाद उपलब्ध कोयला भंडार को निकालने का काम विद्यमान बोकारो और कारगली ओपेनकास्ट खानों के खनन-स्थलों का विस्तार करके दिया जाएगा। इस प्रकार निकालने के लिए उपलब्ध कोयले का कुल मूल्य, कोयले की वर्तमान बिक्री कीमत के आधार पर लगभग रु० 1500 करोड़ होगा।

रु० 2.00 करोड़ की एक अग्रिम कार्रवाई योजना पहले ही स्वीकृत हो चुकी है ताकि आरंभिक काम किए जा सकें यथा भूमि अधिग्रहण, पहुंचने के लिए सड़कें तथा पुलियां, वाहनों की खरीद और आरंभिक भवन निर्माण। मुख्य परियोजना रिपोर्ट पर अभी सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। इस बीच में, कोयला कंपनी को यह सलाह दी गई है कि नदी बदलाव परियोजना के कार्यान्वियन के तरीकों की रूपरेखा तैयार कर ले।

[हिन्दी]

राजस्थान में लिग्नाइट का भण्डार

2280. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है;

(ख) राजस्थान में लिग्नाइट के लिए सर्वेक्षण तथा खोज के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) राजस्थान में किस किस्म का और कितना लिग्नाइट पाया गया है और इन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां यह पाया गया है; और

(घ) इस लिग्नाइट का उपयोग किस प्रकार और कब तक उपयोग करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) तमिलनाडु के दक्षिण अरकाट जिले में नेवेली में लिग्नाइट बहुतायत से पाया जाता है। लिग्नाइट भंडार मिलने की सूचना निम्नलिखित राज्यों से भी मिली है :—

(i) गुजरात—ज्यादातर कच्छ जिले में।

(ii) राजस्थान—बीकानेर जिले के पालना और गुर्हा में, बाड़मेर जिले के कापुर्दी में और नागौर जिले के मरटा रोड में।

(iii) जम्मू एवं काश्मीर—जिला बारामूला में निकाहोम।

(ख) राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वेक्षण एवं समन्वेषण के लिए विभिन्न अभिकरण

राजस्थान सरकार की सहायता कर रहे हैं जैसे नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०, खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड आदि। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि लिग्नाइट के समन्वेषण के लिए खनन योग्य भंडार का पता लगाया जा सके। अभी तक 78,226 मीटर की ड्रिलिंग की गई है, जिसमें 563 बोर हाल हुए हैं।

(ग) राजस्थान में पाए गए लिग्नाइट की मात्रा एवं किस्म का अनुमान नीचे दिया गया है :—

स्थान	मात्रा (मिलियन टन)	किस्म (कैलोरिफिक मूल्य-के० कैलो०/कि० ग्राम में)
पालना	13.65 (खनन योग्य भंडार)	2600
गुरघा	15.00 (1:15 लिग्नाइट : ऊपरी मलबा अनुपात)	2650
मर्टा रोड	23.90 (1:15 लिग्नाइट : ऊपरी मलबा अनुपात)	2690
कापुर्दी	56.84 (निश्चित किया जाना है)	2700

(घ) पालना स्थित लिग्नाइट को सरकारी क्षेत्र के एक विद्युत घर (2×60 मेगावाट) में प्रयोग करने का प्रस्ताव है। अभी खनन की साध्यता एवं अन्य क्षेत्रों की लिग्नाइट के उपयोग के सम्बन्ध में अनेक तकनीकी एवं आर्थिक मुद्दों का समाधान होना बाकी है।

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आस्तियों की सीमा का पुनर्मूल्यांकन

2281. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों की वर्तमान सीमा के कारण उनको हो रही कठिनाइयों का वास्तविक अनुमान लगाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय लिया जाना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही, इस आधार के मूल्यांकन पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा, एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार उपक्रमों को आस्तियों की न्यूनतम प्रभाव सीमा को 20 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में खादी तथा ग्रामोद्योग

2282. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वित्तीय और तकनीकी सहायता से उड़ीसा में प्रारम्भ किये गये 19 ग्रामोद्योगों से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में जो कि देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है, खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के ग्रामोद्योग में उत्पादन और रोजगार निम्नलिखित रहा :—

(उत्पादन : करोड़ रुपयों में)
(रोजगार : लाख व्यक्ति)

	उत्पादन	रोजगार
1981-82	9.89	1.18
1982-83	9.51	0.83
1983-84	11.40	1.00

यह देखा जा सकता है कि उतार-चढ़ाव अधिक नहीं हैं।

(ख) तकनीकी कार्मिकों की कमी, संस्थानात्मक अवस्थापना की कमजोरी और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यमान कठिन परिस्थितियों के कारण ग्रामोद्योग कार्यक्रम में अभीष्ट प्रगति नहीं हो सकी है।

(ग) राज्य सरकार से राज्य में ग्रामोद्योग कार्यक्रम तेज करने का अनुरोध किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भी समय-समय पर इन कार्यकलापों की समीक्षा करता रहता है।

फ्रांस की सहायता से बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

2283. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस का एक विशेषज्ञ दल भारत आया था और उसने एक बहुत बड़े बायोगैस

संयंत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन दिया था जो सीवेज हैंडलिंग सुविधाओं की दृष्टि से अति आधुनिक होगा;

(ख) यदि हां, यो क्या भारत ने विशेषज्ञों का परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो फ्रांस की सहायता से बायोगैस संयंत्र की स्थापना के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे कितने संयंत्र स्थापित करने का विचार है और उन पर कुल कितनी लागत आएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां। यह केवल वाराणसी से संबंधित है।

(ख) और (ग) परियोजना रिपोर्ट जांच-पड़ताल के अधीन है।

(घ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत शामिल शहरों में मलजल शोधन के साथ जुड़े हुए बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। बायोगैस संयंत्रों की आकृति और नमूने अलग-अलग शहरों में भिन्न और स्थानीय अवस्थाओं पर निर्भर होंगे।

[हिन्दी]

सीमेंट के मूल्यों में कटौती

2284. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अक्तूबर से सीमेंट के मूल्य घटाने का निर्णय किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो प्रति बोरी मूल्य में कितनी कटौती की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी सीमेंट के मूल्य घटाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक कितनी कटौती की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) उपभोक्ताओं के लिए दो श्रेणियों का सीमेंट उपलब्ध है अर्थात लेवी सीमेंट और गैर-लेवी सीमेंट। गैर-लेवी सीमेंट मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण से मुक्त है। देश में लेवी सीमेंट का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट पैक करने के लिए पैंकिंग खर्च की दरों में परिवर्तन के अनुसार प्रत्येक तिमाही के आरंभ में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लेवी सीमेंट के खुदरा मूल्य में संशोधन किया जाता है। अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 की तिमाही के लिए पैंकिंग खर्च 128.12 रुपये प्रति मी० टन निर्धारित किया गया है जबकि जुलाई-सितम्बर, 1985 की तिमाही में पैंकिंग खर्च 143.29 रुपये प्रति मी० टन था।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1-10-1985 से 31-12-1985 की अवधि में

सीमेंट के पैकिंग खर्च में कमी को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का मूल्य अक्तूबर, 1985 से 79 पैसे प्रति बोरी कम कर दिया गया है।

बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में टेलीफोनों का कार्य करना

2285. श्री **जगन्नाथ चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के सिकन्दरापुर, नीमा नगर, रानीगंज बाजार और बलिया शहर में टेलीफोन आमतौर पर खराब पड़े रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस खराबी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। बलिया जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण सामान्यतः संतोषजनक है। फिर भी विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग तथा इस मामले में आवश्य कार्रवाई करके बलिया जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में आगे और सुधार लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारी उद्योग के एककों को ब्याजमुक्त ऋण सुविधा

2286. **श्री अमल दत्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न एककों को कोई ब्याज मुक्त ऋण देना सरकार ने मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1980-85 में वर्ष-वार प्रत्येक एकक से कितना ब्याज वसूल नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के एककों को दिए गए कुछ ऋणों को इक्विटी ऋणों में बदल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार बदले गये ऋणों के आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1980-85 के बीच वर्ष-वार उन पर कितना ब्याज प्राप्त होता ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लक्ष्य प्राप्ति में कमी

2287. **श्री अमल दत्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य निर्धारित किये जाने के वर्ष से आज तक का इन लक्ष्यों और उपलब्धिओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में जहां लक्ष्य प्राप्ति में कुछ कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए वर्ष-वार लक्ष्य सरकारी उद्यमों द्वारा स्वयं अपने सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से निरूपित किये जाते हैं। ये लक्ष्य सामान्यत: हर वर्ष के शुरू में वार्षिक आधार पर वित्तीय तथा वास्तविक दोनों रूपों में निर्दिष्ट किये जाते हैं। उसके बाद सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के रूप में आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है। उद्यमों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में तिमाही कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। इन समीक्षात्मक बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने तथा हानि में कमी करने के लिए यथावश्यक समझे गए सुधारात्मक सदुपाय भी किए जाते हैं।

सरकारी उद्यम विभाग प्रत्येक वर्ष "लोक उद्यम सर्वेक्षण" प्रकाशित करता है जिसमें सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के कार्य-निष्पादन का विवरण विश्लेषित तथा प्रस्तुत किया जाता है। 1960-61 से लेकर यह लोक उद्यम सर्वेक्षण हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

(ग) ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनसे लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट आती है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—(क) बिजली की कमी, (ख) कुछ उद्योगों में मन्दी की परिस्थितियां, (ग) विशेषकर नियंत्रित मूल्यों वाली उपयोगी वस्तुओं जैसे कोयला, उर्वरक आदि के अलाभकारी मूल्य, और (घ) श्रमिक अशांति।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा में गिरावट

2288. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में टेलीफोन सेवा में गिरावट आई है और सरकार को प्रयोक्ताओं से भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल की टेलीफोन सेवायें सामान्यत: संतोषजनक हैं। पिछले 7 महीनों के दौरान प्राप्त लिखित शिकायतों की संख्या प्रति 100 टेलीफोन प्रतिमाह लगभग 0.5 है।

(ख) सामान्यतः शिकायतें, टोन नहीं है, टेलीफोन बंद है, टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, ट्रंक काल में विलंब होता है, आदि के बारे में होती हैं।

(ग) शिकायतें मिलने पर तुरंत कारंवाई की जाती है।

पश्चिमी बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऋण का लक्ष्य

2 89. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण मंजूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983, 1984 और 1985 (जून, 1985 तक) के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कितने आवेदन पत्रों का अनुमोदन किया गया है;

(घ) बैंकों द्वारा कितने आवेदन पत्रों को मंजूर किया गया है;

(ङ) बैंकों द्वारा कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया है; और

(च) उक्त भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) में पूछी गई बातों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के अनुसार शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए चलाई गई स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उसके बाद इसे राज्य सरकारें राज्यों के विभिन्न जिलों को वितरित करती हैं। जिला उद्योग केन्द्रों के कृतिक बलों की सिफारिश पर बैंक लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 25,000 रु० से अनधिक के ऋण स्वीकृत करते हैं।

(ख) से (च) राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वित्तीय वर्ष 1985-86 समाप्त हो जाने के बाद ही 1985-86 की उपलब्धियों की स्थिति का पता चल सकेगा।

विवरण

क्र० सं०	प० बंगाल में जिला उ० केंद्रों के नाम	1983-84 लक्ष्य	1983-84 बैंको द्वारा अनुशंसित आवेदन (सं०)	1983-84 बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन (सं०)	1983-84 बैंकों द्वारा स्वीकृत धन राशि (लाख रु० में)	1984-85 लक्ष्य	1984-85 बैंकों द्वारा अनुशंसित आवेदन (सं०)	1984-85 बैंका द्वारा स्वीकृत आवेदन	1984-85 स्वीकृत ऋण की धनराशि (लाख रु० में)	1985-86 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हावड़ा	2419	9290	2350	500.00	2450	5252	2536	507.20	2500
2.	हुगली	2314	3822	2603	567.00	2600	3342	2358	391.70	2600
3.	24 परगना	5416	7687	3986	668.65	4050	6015	3487	725.00	4000
4.	मिदनापुर	2678	3308	2384	506.40	2650	4037	3145	655.52	3000
5.	पुरुलिया	738	996	744	124.65	750	1136	887	215.65	1000
6.	बांकुरा	947	2380	1063	182.68	1050	1617	746	128.40	1000
7.	वर्धवान	2336	4071	2572	514.40	2630	3721	2286	408.95	2500
8.	बीरभूम	834	2830	1213	210.82	1250	2493	1178	252.51	1200
9.	मालदा	812	1023	754	139.09	750	1677	843	151.74	900
10.	मुर्शिदाबाद	1475	2060	1258	239.16	1300	1958	1215	260.55	1100
11.	नाडिया	1987	1985	1607	222.77	1650	2663	1581	260.50	1600
12.	कूच बिहार	706	828	678	130.20	700	850	680	142.10	700
13.	जलपाईगुड़ी	879	1117	842	149.89	870	1216	803	157.16	800
14.	प० दीनाजपुर	957	1132	792	131.35	800	1462	715	134.97	800
15.	दार्जिलिंग	402	838	534	107.69	600	917	641	141.18	600
	जोड़	25500	40967	23680	4394.75	24100	38256	33101	4533.21	54300

[हिन्दी]

शिनोर में नर्मदा ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

2290. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए शिनोर में 500 मेगावाट का नर्मदा ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ताप विद्युत केन्द्र को कब तक मंजूरी मिल जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) गुजरात बिजली बोर्ड ने मई, 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें बड़ौदा जिले के शिनोर तालुका में 1200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नर्मदा ताप विद्युत परियोजना (4×500 मेगावाट) प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना की गई थी। रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की समस्या को मद्देनजर रखते हुए गुजरात बिजली बोर्ड को समुद्री मार्ग से कोयला ढोने की सलाह दी गई है क्योंकि परियोजना समुद्र तट के समीप स्थित है और बहु-ईंधन बायलरों के इस्तेमाल के लिए कहा गया है।

बाड़मेर के जिला मुख्यालय में हिंदी टेलीप्रिंटर सेवा

2291. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां हिन्दी टेलीप्रिंटर सेवा उपलब्ध करायी गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बाड़मेर के जिला मुख्यालय में यह सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) उक्त सेवा वहां पर कब तक उपलब्ध करायी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान के दस जिला मुख्यालयों अर्थात अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकनेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर और जयपुर में हिन्दी टेलीप्रिंटर सेवा में प्रदान की गयी हैं।

(ख) जी हां। अभी तक यह सेवा बाड़मेर जिला मुख्यालय में प्रदान नहीं की गयी है क्योंकि मौजूदा दैनिक परियात के औसत की दृष्टि से सेवा प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता।

(ग) जब कभी भी परियात पर्याप्त होगा, टेलीप्रिंटर सेवा प्रदान कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास और विदेशी सहयोग

2292. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री एम० बी चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1985-86 के प्रथम चार महीनों में 6.1 प्रतिशत रिकार्ड किया गया और इसके साथ ही विदेशी सहयोग की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या वर्ष 1985 के पूर्वार्द्ध में स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग बढ़कर 31 प्रतिशत हो गये थे;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नवीनतम उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अगस्त, 1985 के दौरान औद्योगिक वृद्धि की समग्र दर पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई है।

(ख) और (ग) जनवरी-जून, 1985 के दौरान विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की संख्या 440 थी जबकि 1984 की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 336 थी, अत: 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(घ) सरकार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण और आयात नीतियों में यथोचित परिवर्तन के साथ-साथ पूंजीगत एवं राजकोषीय तथा आधारिक संरचनों में सुधार जैसे विभिन्न उपाय कर रही है।

ऊर्जा विकास परिषद की स्थापना

2293. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा उत्पादन और इसके वितरण के मामले में प्रशासन को परामर्श देने के लिए एक ऊर्जा विकास परिषद बनाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या राज्य सरकारों को इस परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परिषद के गठन से विद्युत वितरण के मामले में राज्यों और केन्द्र के बीच बेहतर प्रशासन में कितनी सहायता मिलेगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) प्रस्तावित ऊर्जा विकास परिषद के गठन और कार्य आदि विचाराधीन हैं।

सोडा ऐश का उत्पादन और वितरण

2294. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा सोडा ऐश के संबंध में तैयार किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर सोडा ऐश की मांग का पता लगा इसके वितरण, अनुमानित उत्पादन और आबंटन के बारे में 31 अगस्त, 1985 को सोडा ऐश निर्माताओं और उपभोक्ताओं के एक दल की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या उस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय ने उसकी सिफारिश को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) निर्माताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को सोडा ऐश का वितरण करने के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वियन की समीक्षा करने के लिए मानिटरिंग आफ सप्लाईस आफ सोडा ऐशा की उप-समिति की बैठक 30-8-85 को हुई थी। सरकार ने ये निर्देश 18-7-1985 को जारी किए थे। इस उप-समिति में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं तथा सोडा ऐश के वितरण की समीक्षा करने के लिए इसकी समय-समय पर बैठक होती रहती है।

जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल की भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के साथ बैठक

2295. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन उद्योगों के परिसंघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग के साथ चर्चा के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले;

(ग) आयात और निर्यात के बीच अन्तर को कम करने की दृष्टि से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच क्या समझौते हुए हैं; और

(घ) भारत की उदार आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को कितनी साम्य पूंजी में भागीदार की अनुमति दी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के परिसंघ के साथ प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों के सदस्यों ने व्यापार, उद्योग तथा तकनीकी सहयोग में सहयोग के संभाव्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में चर्चा की। एसोसिएशन आफ इन्डियन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री के साथ हुई बैठक में सहयोग के कई विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया गया। बैठक में तीसरे विश्व के देशों की परियोजनाओं में सहयोग करने की गुंजाइश पर भी प्रकाश डाला गया।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय में प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी बल दिया गया कि जर्मन संघीय गणराज्य के साथ भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि आयात और निर्यात के बीच होने वाले अन्तर को कम किया जा सके।

(घ) विदेशी निवेश की सामान्य सीमा कुल इक्विटी पूंजी का 40 प्रतिशत होता है, किन्तु यदि प्रौद्योगिकी जटिल प्रकार की है और वह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है या प्रतिष्ठान पर्याप्त रूप से निर्यातोन्मुख है, तो प्राथमिकता वाले उद्योगों में अधिक प्रतिशत में इक्विटी देने पर विचार किया जाता है। इक्विटी भागीदारिता और उसकी प्रतिशतता प्रस्तावों के गुणावगुणों पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ में ताला प्रशिक्षण और विकास केन्द्र

2296. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक ताला प्रशिक्षण और विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो ताला उद्योग का किस प्रकार विकास करने का विचार है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अलीगढ़ में तालों के उद्योग के लिए उत्पादन और आद्यरूप के विकास के लिए औजार बनाने हेतु आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और कारीगरों को उनकी कार्यकुशलताओं, विपणन आदि में सुधार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। भूमि और इमारत के अधिग्रहण, उपकरण, कर्मचारियों की तैनाती आदि के लिए प्रारम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को कार्यसंचालन से पूर्व होने वाले व्यय के लिए 25 लाख रु० की धन राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से अंतिम प्राक्कलन प्राप्त हो जाने के बाद और अधिक राशि प्रदान की जाएगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन केबलों की कमी

2297. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबलों की कमी के कारण नये टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रयोक्ताओं की संख्या कितनी है, जिन्हें इस कारण टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है; और

(ग) ऐसे प्रयोक्ताओं को नये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। केबिलों की कमी के कारण कुछ नये टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसे कनेक्शनों को केबिल बिछाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा।

बिजली घरों का पूर्ण उपयोग

2298. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान बिजली घरों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) प्रतिठापित क्षमता का 100% समुपयोजन करना संभव नहीं है। जल विद्युत केंद्रों के मामलों में उत्पादन जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है तथा ताप विद्युत केंद्रों के मामले में बायलर की अनिवार्य ओवर-हालिंग तथा टरबाइनों के आद्योपान्त अनुरक्षण के लिए उत्पादन यूनिटों को बन्द करना होता है जो कि यूनिटों की स्थिति तथा निर्माताओं के निर्देशों पर निर्भर करता है। प्रणाली भार भिन्नता के कारण क्षमता का गैर-समुपयोजन भी होता है। अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 50.4% रहा है। जल विद्युत केन्द्रों के मामले में इनके कार्य निष्पादन के लिए संयंत्र भार अनुपात को एक पैरामीटर के रूप में नही माना जा सकता।

(ख) और (ग) ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में और सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना।
2. अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयला प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फालतू पुर्जे प्राप्त करने में भी राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना।

3. कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरा किया जाना ताकि सुधार करने योग्य, कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना ।

4. इन्जीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना ।

5. केन्द्रीय ऋण की सहायता से ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम का क्रियान्वयन करना; और

6. वार्षिक ओवर हाल/पूंजीगत अनुरक्षण संबंधी कार्यों को समुचित आयोजना और इन कार्यों को समयानुसार क्रियान्वित करना ।

[अनुवाद]

विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन

2299. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विद्युत के अतिरिक्त उत्पादन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) इससे लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने को संभावना है;

(ग) राज्य-वार कितना आबंटन किया गया है;

(घ) किन-किन राज्यों में विद्युत का कम उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) उन राज्यों की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन के संबंध में उद राज्या की ओर क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए लगभग 34,273 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान 22,245 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) अप्रैल-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य, दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश और केरल और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कुल मिलाकर अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे । तथापि, अन्य प्रणालियों को भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा ।

(ङ) विद्युत उत्पादन और विद्युत उपलब्धता में और सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं । इनमें ये शामिल हैं :—

1. निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना ।

2. ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्रभार अनुपात में सुधार करने के लिए गए उपाय यथा :

(क) ताप विद्युत केंद्रों के लिए केंद्रीय प्रोयोजित स्कीम के अन्तर्गत सघन नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम ।

(ख) प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों की कुशलता और जानकारी को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ।

(ग) प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यक्षेत्र के लिए माल सूची नियंत्रण और विद्युत केंद्रों के समग्र प्रबंध के लिए आधुनिक पद्धतियां और तकनीकें अपनाना ।

(घ) वार्षिक ओवरहाल/पूंजीगत अनुरक्षण संबधी कार्य के लिए समुचित आयोजना करना और कार्यों को समय पर पूरा करना; और

(ङ) कोयले की गुणवता में सुधार करना ।

3. पारेषण और वितरण हानियों को कम करना ।

विवरण

सातवीं योजना परिव्यय—विद्युत क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

राज्य	परिव्यय
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1104.90
2. असम	485.00
3. बिहार	1065.00
4. गुजरात	1437.00
5. हरियाणा	1010.25
6. हिमाचल प्रदेश	260.11
7. जम्मू और कश्मीर	278.22
8. कर्नाटक	800.00
9. केरल	396.80
10. मध्य प्रदेश	2646.00
11. महाराष्ट्र	3048.87
12. मणिपुर	35.97
13. मेघालय	70.00
14. नागालैंड	33.50

1	2
15. उड़ीसा	780.00
16. पंजाब	1638.00
17. राजस्थान	874.20
18. सिक्किम	33.94
19. तमिलनाडु	2000.00
20. त्रिपुरा	46.00
21. उत्तर प्रदेश	3395.00
22. पश्चिम बंगाल	1248.00

कच्चे तेल की मांग, उत्पादन तथा आयात

2300. **श्री मोहनभाई पटेल :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष की पहली छमाही में देश में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है, यदि हां, तो कितनी वार्षिक वृद्धि हो रही है;

(ग) कच्चे तेल की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) मांग को पूरा करने के लिए देश में कच्चे तेल का और अधिक उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कच्चे तेल की कितनी मात्रा आयात की गई और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(च) चालू वर्ष के दौराम कितना कच्चा तेल आयात किये जाने की संभावना है और उस पर कितना खर्च होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मि० मी० टनों में)	पिछले वर्ष में % की वृद्धि
1982-83	21.06	30.1
1983-84	26.02	23.6
1984-85	28.99	11.4
1985-86 (अप्रैल-सितम्बर 85) (अस्थायी)	14.30	

(ग) चालू वर्ष (1985-86) के दौरान रिफाइनरी उत्पादन के संदर्भ में करीब 42 मि० मी० टन कच्चे तेल की मांग का अनुमान है।

(घ) कच्चे तेल के अधिक उत्पादन के लिए किये गये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(I) अधिक तेल प्रतिप्राप्ति तकनीकों का प्रयोग करना;

(II) वर्क ओवर चालनों को तेज करना;

(III) अन्वेषण तेज करना जिससे अन्त में अधिक उत्पादन हो सके; और

(IV) विकसित प्रौद्योगिकी लगाना।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का निवल आयात और इसका मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (मि० मी० टनों में)	मूल्य/करोड़ रुपये
1982-83	12.40	2981
1983-84	10.45	2310
1984-85	7.16	1867

(च) 1985-86 के दौरान आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की अनुमानित मात्रा (कुल) 12.5 मि० मी० टन है जिसका मूल्य 3200 करोड़ रुपये है।

बड़ौदा में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

2301. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में बड़ौदा में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कुल कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) क्या नये टेलीफोन कनेक्शनों की कुल अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने या नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में बनाई गयी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार/चालू किये जाने वाले अलग-अलग टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस शताब्दी के अन्त में बड़ौदा में टेलीफोनों की मांग कितनी हो जाने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक बड़ौदा टेलीफोन के लिए नए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संभावित मांग 52,700 है।

(ख) विस्तार कार्य तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज इस प्रकार है :—

शहर	10-के से 12-के लाइनें
1. फतेहगंज	2400 लाइनें
2. मकरपाड़ा	6000 लाइनें
3. अल्कापुरी-I	10000 लाइनें
4. कोयाली	2000 लाइनें
5. अल्कापुरी-II	5000 लाइनें

(ग) अभी तक जो विस्तार कार्य पूरे हुए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(एक) सिटी 10-के-12-के का विस्तार 25-5-85 को चालू किया।

(दो) अल्कापुरी 7000 लाइनें तथा फतेहगंज 1200 लाइनों का संस्थापन कार्य चल रहा है। ये लाइनें मार्च, 1986 तक चालू हो जाएंगी।

(तीन) मकरपाड़ा और कोयाली में टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के लिए नक्शों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) शताब्दी के अन्त तक बड़ौदा टेलीफोन की अनुमानित मांग 1,72,000 टेलीफोन हैं।

बड़ौदा में "डिजिटल टैक्स" प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

2302. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में सीधी डायल सेवा में सुधार के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक "डिजिटल टैक्स" प्रारंभ करने की योजना है;

(ख) "टैक्स" प्रारम्भ करने के पश्चात् बड़ौदा को/से कितने और कौन-कौन से केन्द्र जोड़े जाएंगे; और

(ग) इस समय सीधी ट्रंक डायल सेवा सुविधा वाले कितने और कौन-कौन से केन्द्रों को बड़ौदा से जोड़ा गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के लिए टी० ए० एक्स० के संस्थापन कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बड़ौदा में टी० ए० एक्स० स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। बड़ौदा टी० ए० एक्स० से जोड़े जाने वाले स्थानों की संख्या और नामों के बारे में निर्णय टी० ए० एक्स कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के बाद लिया जाएगा।

(ग) इस समय जिन स्थानों से बड़ौदा के लिए और बड़ौदा से एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है उनकी संख्या तथा नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां से बड़ौदा के लिए और बड़ौदा से एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है

1. अबोहर	2. अदीलाबाद	3. हुडोनी
4. अदूर	5. आगरा	6. अकोला
7. इलाहाबाद	8. अल्लेपी	9. अलवाय
10. अम्बाला	11. अमरावती	12. अमृतसर
13. अंकापल्ले	14. अनन्तपुर	15. अंगामल्ले
16. आराह	17. आसनसोल	18. आत्तूर
19. अतिंगल	20. औरंगाबाद	21. अल्यप्पानगर
22. अजमेर	23. अलवर	24. बेंगलूर
25. बरेली	26. बड़ौदा	27. बेलगांव
28. बेल्लारी	29. भद्रावती	30. भाटिंडा
31. भवानी	32. भावनगर	33. भीमावरम
34. भोपाल	35. भुवनेश्वर	36. बिलासपुर (म० प्र०)
37. बम्बई	38. बलसा	39. बर्द्धवान
40. बागलकोट	41. बुरहानपुर	42. बाहुला
43. बालीपट्टनम	44. भरतपुर	45. बागडोगरा
46. बाराकर	47. बुरानपुर	48. बोलपुर
49. कलकत्ता	50. कन्नानोर	51. चालाकुडी
52. चंडीगढ़	53. छपरा	54. चेंगानूर
55. चिदाम्बरम	56. चिंगलपैट	57. चित्रदुर्ग
58. चौघाट	59. कोयम्बतूर	60. कूचबिहार
61. कूनूर	62. कटक	63. चिलकालुरीपेट
64. चिंगावनम	65. चेरपुर	66. चिकलथाना
67. चौधवार	68. चिनसुराह	69. दरभंगा
70. दार्जिलिंग	71. देवनगेरि	72. धनबाद
73. डिंडीगुल	74. धर्मापुरी	75. दीमापुर

76. दुर्गापुर	77. डालमियानगर	78. धारवाड़
79. एर्नाकुलम	80. इरोडे	81. एलुरू
82. फिरोजपुर	83. फोरबेसगंज	84. फैजाबाद
85. गोदग	86. गांधीनगर	87. गंतोक
88. गुवाहाटी	89. गुडीवाडा	90. गुंटाकल
91. गोरखपुर	92. गुरुवायूर	93. गुंटूर
94. गुडुर	95. गुड़गांव	96. ग्वालियर
97. हल्दिया	98. हस्सन	99. हुबली
100. हैदराबाद	101. होसुए	102. हरिहर
103. इन्दौर	104. इरिंजलाकुडा	105. जबलपुर
106. जामनगर	107. जमशेदपुर	108. जालंधर
109. जयपुर	110. जमूरिया	111. काकीनाडा
112. कालिम्पोंग	113. कल्याण	114. कांचीपुरम
115. कानपुर	116. करनाल	117. कटिहार
118. खम्माम	119. खड़गपुर	120. कोडीकनाल
121. कोहिमा	122. कोल्हापुर	123. कोटा
124. कोटागकारा	125. कोट्टायम	126. कोविलपट्टी
127. कोजीकोडे	128. कृष्णनगर	129. कुन्दरा
130. कुन्नामकुलम	131. कुजीथुराई	132. खांडवा
133. कराईकुडी	134. करवार	135. करीमनगर
136. कुरनूल	137. कलपेटा	138. लखनऊ
139. लुधियाना	140. मद्रास	141. मदुरै
142. महबूबनगर	143. मालापुरम	144. मेंगलोर
145. मनारगुडी	146. मंजेरी	147. माल्दा
148. मछलीपट्टनम	149. म्यूरम	150. मोरकारा
151. मुतुपलायम	152. मेहसाना	153. मिर्जापुर
154. मोतीहारी	155. मुजफ्फरपुर	156. मैसूर
157. मावेलीकारा	158. मेरठ	159. मुरादाबाद
160. मुजफ्फरनगर	161. मिदनापुर	162. मुदगांव
163. नडियाड	164. नागापतमम्	165. नागरकोइल
166. नागपुर	167. नलगोंडा	168. नन्दयाल

169. नारक्कल	170. नासिक	171. नेल्लोर
172. न्यातिकारा	173. नई दिल्ली	174. नामक्कल
175. नेवेली	176. नांदीगामा	177. निजामाबाद
178. नियामतपुर	179. नैनी	180. नैनीताल
181. अंगोले	182. ऊटी	183. अल्लूरु
184. पलाई	185. पालाकोल	186. पालघाट
187. पंजिम	188. परमकुडी	189. पटियाला
190. पटना	191. पूना	192. पुट्टूर
193. पुंडुकोटलाई	194. पांडिचेरी	195. पाटोनचेरू
196. पोल्लाची	197. पानीपत	198. पान्मबूर
199. पीलीभीत	200. क्वलौन	201. रायबरेली
202. राजमुन्दरी	203. राजापलायम	204. राजकोट
205. रांची	206. रानीगंज	207. राउरकेला
208. राजपुरा	209. रानीपेट	210. रानेबेनूर
211. रेनीगुंटा	212. रोहतक	213. रामपुर
214. रूपनारायणपुर	215. सलेम	216. समस्तीपुर
217. संगरूर	218. संगारेड्डी	219. सासाराम
220. सागर	221. सातुर	222. शिलांग
223. शिमोगा	224. शिमला	225. सिरसा
226. श्रीकाकुलम	227. सूरत	228. सांगली
229. शिवकासी	230. शोलापुर	231. सुल्लूर
232. शेरतलाई	233. शाहजहांपुर	234. सीतापुर
235. सिलीगुड़ी	236. सूरी	237. तादेपल्लीगुडम
238. तेनाली	239. थेनी	240. त्रिची
241. तिरुनेलवेल्ली	242. तिरुपति	243. त्रिपुर
244. तिरुवल्ला	245. तिरुवारुर	246. त्रिचुर
247. त्रिवेन्द्रम	248. तुमकुर	249. तूतीकोरिन
250. तिरुमंगलम	251. तंजौर	252. त्रिवेणी
253. उदयपुर	254. उड्डीपी	255. उदमलपेट
256. उज्जैन	257. उन्नाव	258. उल्लाल
259. वासी	260. वेल्लोर	261. विजयवाड़ा

262. वेलुपुरम	263. विरुद्धनगर	264. विजयानगरम
265. वाराणसी	266. वारंगल	267. वर्धा
268. यमुनानगर	269. यवतमाल	270. रायपुर
271. अमरेली	272. मोरवी	273. विखापत्तनम

खम्बात की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना

2303. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खंबात की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना की जांच और अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) निधियां संबंधी बाधा के कारण काम्बे की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान अन्वेषण और अध्ययन संबंधी कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

खाना पकाने की गैस का उत्पादन तथा उसके कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन

2304. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** :

श्री मुरलीधर माने :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाना पकाने की गैस की उत्पादन क्षमता कितनी थी तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के कुल कितने नये कनेक्शन दिये गए तथा उनमें से गुजरात के लिये कितने कनेक्शन दिये गये; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1985 को खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन लम्बित तथा गुजरात में उनकी संख्या कितनी थी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एल० पी० जी० का योजनाबद्ध उत्पादन और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	योजनाबद्ध उत्पादन	वास्तविक उत्पादन
1982-83	727,000 एम० टी०	575,000 एम० टी०
1983-84	840,000 एम० टी०	737,000 एम० टी०
1984-85	945,000 एम० टी०	872,000 एम० टी०

(ख) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान दिये गये नये कुकिंग गैस कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

1982-83	1.17 लाख
1983-84	1.73 लाख
1984-85	1.63 लाख

(ग) 31 अक्तूबर, 1985 को गुजरात राज्य में कुकिंग गैस के कनेक्शनों के लिए बकाया आवेदन-पत्रों की संख्या करीब 5 लाख है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में झाबुआ में न्युक्लियस संयंत्र स्थापित करना

2305. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में न्युक्लियस संयंत्र स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई धनराशि उपलब्ध की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछड़े हुए विभिन्न जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्र स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों पर है। केन्द्रस्थ संयंत्रों के प्रमाणीकरण हेतु मानदण्डों और प्रमाणित केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए अतिरिक्त रियायतों जैसे कि श्रेणी "ख" तथा "ग" में केन्द्रस्थ संयंत्रों को केन्द्रीय राजसहायता को ऊंची दर, अन्तर-निगमित निवेश में छूट और परिवर्तनीयता संबंधी नियम आदि की घोषणा सरकार द्वारा अपने प्रेस टिप्पण सं० 4/1/81-बी० ए० डी० (वाल्यूम-3) दिनांक 27-4-83 (प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध) द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

अब तक झबुआ जिले में केन्द्रस्थ संयंत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता वितरित किये जाने के लिये कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में झाबुआ में न्युक्लियस संयंत्र स्थापित करने में हुई प्रगति

2306. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में न्युक्लियस संयंत्र स्थापित करने के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह प्रगति संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रगति की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछड़े हुए विभिन्न जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्र स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित

राज्य सरकारों पर है। केन्द्रस्थ संयंत्रों के प्रमाणीकरण हेतु मानदण्डों और प्रमाणित केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए अतिरिक्त रियायतों जैसे कि श्रेणी "ख" तथा "ग" में केन्द्रस्थ संयंत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता की ऊंची दर, अंतर-निगमित निवेश में छूट और परिवर्तनीयता संबंधी नियम से मुक्ति आदि की घोषणा सरकार द्वारा अपके प्रेस टिप्पण सं० 4/1/81-बी० ए० डी० (वाल्यूम 3) दिनांक 27-4-83 (प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

झबुआ जिले में केन्द्रस्थ संयंत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता वितरित किये जाने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कूड़े-कचड़े का बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग

2307. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्तूबर, 1985 के "फाइनेंसिएल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा गया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने सफल प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि कलकत्ता के कचरे से 2000 टन बायोगैस तैयार की जा सकती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोग पर तुरन्त कार्य करने का है ताकि बड़े शहरों के कचड़े का उपयोग बड़े पैमाने पर बायोगैस का उत्पादन करने के लिये किया जा सके;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बर्न स्टैंडर्ड ने इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक प्रयोग के लिये इस प्रणाली का कब तक उपयोग किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तकनीकी संभाव्यता को निश्चित रूप से जानने के लिए प्रक्रिया की लागत के रूप में भी कलकत्ता में किए जा रहे परीक्षण के विवरणों और निष्कर्षों की जांच की जा रही है। प्रतिदिन 500 किलोग्राम कूड़े-कचड़े की क्षमता का एक प्रायोगिक संयंत्र कलकत्ता में लगाया जा रहा है। वर्तमान प्रायोगिक संयंत्र के सफलतापूर्वक पूरा होने एवं अध्ययनों के पश्चात और कहीं इस प्रौद्योगिक को आगे बढ़ाने और उपयोग करने के लिए विचार किया जाएगा। ऊर्जा के निष्कर्षण के लिए बड़े शहरों के कूड़े-कचड़े का उपयोग करने के लिए अन्य प्रौद्योगिकियों की भी खोज की जा रही है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के बारे में स्पष्टीकरण

2308. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कंपनियों और औषध मिश्रणों के नाम क्या हैं जिनके लिए निर्माताओं ने

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के उपबन्ध 30 के अन्तर्गत तीसरी अनुसूची की श्रेणियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) उन दवाइयों के नाम क्या हैं और इस श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके उनके मंत्रालय ने अब तक श्रेणियां निश्चित कर ली हैं; और

(ग) अभी भी कितने मामले विचाराधीन हैं और प्रत्येक का ब्यौरा क्या है तक इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आवश्यक दवाइयों की कमी

2309. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में कोमाइसिन इंजेक्शन, एलट्रोक्सिन कुआनिमाईसिन सस्पेंशन फोर्ट, मुनोमाइसिन इंजेक्शन और प्रोकेन पैंसिलीन जी आयली इंजेक्शन की भारी कमी है और इससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक कठिनाई हो रही है,

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान उक्त अनिवार्य दवाओं का उत्पादन करने के लाइसेंस दिए गए और उनकी अनुमत वार्षिक क्षमता क्या है तथा उन्होंने कितना उत्पादन किया;

(ग) क्या यह सच है कि ये कंपनियां अनिवार्य दवाओं का तो उत्पादन नहीं करती हैं और इसके विपरीत टानिक, विटामिन और मरहम बहुत अधिक बना रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उक्त प्रत्येक मद की अनुमत उत्पादन क्षमता कितनी थी और उनमें से प्रत्येक मद का कितना-कितना उत्पादन किया गया; और

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) केवल एलट्रोक्सिन गोलियों की स्थानीय कमी की सूचना मिली थी और सरकार के परामर्श पर कंपनी ऐसे क्षेत्र में भण्डार शीघ्र भेजती रही है ।

(ख) और (ग) अलग-अलग कंपनियों द्वारा फार्मूलेशनों का उत्पादन बाजार मांग के अनुसार किया जाता है ।

राज्य औषध नियंत्रण संगठनों के केन्द्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह मंत्रालय देश में महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धि पर निगरानी रखता है । सूचित की गई कमियां सामान्यतः स्थानीय स्वरूप की तथा ब्रांड फार्मूलेशनों की होती हैं । जिनका समकक्ष औषधें सामान्य उपलब्ध होती हैं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में घाटा

2310. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन विभिन्न उद्योगों के नाम क्या हैं, जो अपने अग्रेतर विकास के लिए अपने आन्तरिक साधनों से धन जुटाने में समर्थ हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के सरकारी क्षेत्र में कितने तथा कौन से उद्योग घाटे में चल रहे थे तथा कितने और कौन से उद्योग लाभ अर्जित कर रहे थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रत्येक उद्योग को उनके स्थापित होने से लेकर अब तक कितनी राशि उपलब्ध की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस विषय में ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड 1 में "सरकारी उद्यमों में आंतरिक संसाधन जुटाने" सम्बन्धी अध्याय में उपलब्ध है, जिसे लोक सभा-पटल पर 15 मार्च, 1985 को रखा गया था।

(ख) लाभ कमाने वाले और हानि उठाने वाले उद्यमों की संख्या लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड-1 में "चालू उद्यमों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन" सम्बन्धी अध्याय 2 में उपलब्ध है। 31 मार्च, 1984 को समाप्त लगातार तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक उद्यम के लाभ हानि का विवरण उपर्युक्त सर्वेक्षण के खण्ड 3 में उपलब्ध है।

(ग) 31 मार्च, 1984 को केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों, वित्तीय संस्थाओं आदि में सामान्य शेयर पूंजी एवं ऋणों के रूप में पूंजी निवेश का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड 1 में "सरकारी उद्यमों में लगी पूंजी में वृद्धि और उसके स्वरूप" संबंधी 16वें अध्याय में उपलब्ध है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

2311. **श्री एम० एस० भट्टम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो (एक) चल रहे कार्यों तथा (दो) भावी योजनाओं अथवा स्कीमों के बारे में ऐसे प्रत्येक मामले में कितना धन खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा कितना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अपेक्षित विवरण प्रशासनिक मंत्रालयों के निष्पादन बजट सहित बजट-प्रलेखों में उपलब्ध है, जिसे साल-दर साल सभा-पटल पर रखा गया है।

सिक्किम में कागज कारखाने की स्थापना

2312. **डा० औ० विजयरामा राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सिक्किम में कागज कारखाने की स्थापना के लिए पुनः उपयोग हेतु व्यापक संसाधन और कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई योजना तैयार की गई है जिसमें वह रोजगार के अवसर पैदा होने के अलावा देश में कागज के आयात में कमी आएगी; और

(ग) क्या सिक्किम के वन उत्पादों के उपयोग और विपणन के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सिक्किम राज्य में आर्थिक दृष्टि से जीव्य कागज एकक स्थापित करने के लिए वनों पर आधारित कच्चे माल तथा पुनः उपयोग हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है ।

(ग) सिक्किम सरकार ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू के सहयोग से सुगन्धित (ऐरोमैटिक) संयंत्रों तथा औषधीय जड़ी बूटियों पर आधारित एक एकक स्थापित करने के लिए एक व्यापक जीव्यता रिपोर्ट तैयार की है । यह प्रयोगशाला सैलूलोज लुग्दी और पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए इलायची डंठल छीजन की उपलब्धता का अध्ययन कर रही है ।

ऊर्जा का अपव्यय

2313. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्ययनों से यह पता चला है कि भारत उतने ही मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में दुगनी ऊर्जा की खपत करता है जिसके परिणामस्वरूप न केवल उनका मूल्य बढ़ जाता है बल्कि ऊर्जा का भारी अपव्यय होता है;

(ख) क्या सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले एककों की अनिवार्य रूप से ऊर्जा लेखा परीक्षा करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश की जांच की है जैसा जापान में किया जाता है, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) जापान में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इसे भारत में अपनाए जाने की स्थिति में क्या आवश्यक संशोधन करने होंगे ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय उद्योग की ऊर्जा इन्टेन्सिटी कुछ अन्य देशों की ऊर्जा इन्टेन्सिटी की तुलना में अधिक है ।

(ख) और (ग) भारत में ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन करने के लिए यह परिकल्पना की गई है कि कम्पनियों के लिए यह अपेक्षित होना चाहिए कि वे अपने वार्षिक परीक्षित लेखों में ऊर्जा खपत का ब्यौरा दें । इस समय ऊर्जा संरक्षण कानून लागू करने का प्रस्ताव नहीं है । ईंधन संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल करने के लिए जापान का कानून ऊर्जा खपत को युक्तिसंगत बनाने की अनुमति देता है ।

जर्मन प्रौद्योगिकी से रेत-चूने की पक्की ईंटें बनाना

2314. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को एक अनिवासी भारतीय द्वारा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में सखापुर में 3.89 करोड़ रुपये की लागत से जर्मन प्रौद्योगिकी की सहायता से रेत-चूने की पक्की ईंटें बनाने का कारखाना खोले जाने की जानकारी है;

(ख) क्या ऐसे कारखाने देश के अन्य भागों में भी खोले जा सकते हैं;

(ग) इस प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यह भारतीय परिस्थितियों में कहां तक उपर्युक्त होगी; और

(घ) (एक) प्रति हजार ईंटों की लागत (दो) ईंटों की मजबूती तथा उपयोगिता की दृष्टि से ये ईंटें पारम्परिक तरीके से बनाई गई ईंटों की तुलना में कैसी होंगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक अनिवासी भारतीय द्वारा 3.89 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से आंध्र प्रदेश राज्य के जिला महबूबनगर में रेत-चूने की ईंटें बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत किया गया है, प्रस्ताव में कोई विदेशी सहयोग निहित नहीं है। तकनीकी जानकारी देने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए विदेशी तकनीशियन के रूप में एक ब्रिटिश नागरिक को नियोजित करने विषयक पार्टी के प्रस्ताव पर सरकार ने हाल में स्वीकृति दे दी है।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने भी मैसर्स एशियन स्पेशियलिटी ब्रिक्स लिमिटेड द्वारा जिला मेहसाना, गुजरात में एक जर्मन फर्म के विदेशी सहयोग से रेत-चूने की ईंटें बनाने के लिए एक प्रस्ताव पंजीकृत किया है।

(ग) और (घ) रेत-चूने की ईंटें मिट्टी की लाल साधारण ईंटों की तुलना में अधिक उपयोगी और अधिक सुदृढ़ वैकल्पिक निर्माण सामग्री है। यद्यपि, रेत-चूने की ईंटें बनाने की प्रौद्योगिकी काफी पुरानी है और अनेक स्रोतों से उपलब्ध है किन्तु मिट्टी से बनी लाल ईंटों की तुलना में ऐसी ईंटों के उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण देश में रेत-चूने की ईंटें बनाने वाला कोई एकक फलीभूत नहीं है। तथापि, मिट्टी की लाल साधारण ईंटों की कीमतों में वृद्धि और अच्छी किस्म की निर्माण सामग्री की सामान्य कमी होने के कारण भी ऐसी योजनाओं की व्यवहार्यता एक स्पष्ट संभाव्यता बन गई है। रेत-चूने की ईंटें बनाने के लिए एककों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव के प्राप्त होने पर सरकार द्वारा गुण-अवगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में घाटा

2315. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) को 35 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की आर्थिक स्थिति

इसलिए और भी खराब हो गई है क्योंकि यह राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की ओर लगभग 36 करोड़ रुपए की बकाया धनराशियां वसूल करने में असमर्थ है; और

(ग) सरकार का इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) आई० डी० पी० एल० के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार कुल 28.92 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि की सम्भावना है ।

(ख) शुद्ध हानि के कारणों में से एक कारण यह है कि राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ बहुत बड़ी राशि बकाया है । दिनांक 30-9-85 को बकाया राशि 26.47 करोड़ रुपये थी ।

(ग) आई० डी० पी० एल० की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों में क्षमता उपयोगिता एवं विपणन में सुधार लाने के प्रयास, उत्पाद मिश्र में परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी एवं उत्पादकता को प्रोन्नत करने के प्रयास करने के प्रयास सम्मिलित हैं ।

रामगुण्डम ताप बिजली घर का आधुनिकीकरण

2316. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से लगभग तीन करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रामगुण्डम ताप बिजली घर के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) आधुनिकीकरण के लिए इस प्रस्ताव की क्रियान्वित हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) रामागुण्डम ताप विद्युत केन्द्र "ख" (1 × 62.5 मेगावाट) की सुधार स्कीम को 297 लाख रुपये की अनुमानित लागत से राज्य योजना में क्रियान्वित किए जाने के लिए योजना आयोग ने जुलाई, 1985 में अनुमोदित कर दिया है ।

अनिवासी भारतीयों और गैर-सरकारी क्षेत्र का विद्युत परियोजनाओं में सहयोग लेना

2317. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ विद्युत परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों और गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बिजली के

उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित नीति औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के द्वारा विनियमित होती है। इस संकल्प के अनुसार बिजली का उत्पादन और वितरण उद्योगों की अनुसूची "क" श्रेणी के अन्तर्गत आता है जिसके भावी विकास का दायित्व एकमात्र राज्य का है। नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने की सम्भाव्यता पर जबकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना अपेक्षित हो, यह संकल्प कोई रोक नहीं लगाता है।

इस नीति के अनुसरण में सरकार ने वर्तमान निजी स्वामित्व वाली विद्युत युटिलिटियों में यूनिटों के प्रतिस्थापन/विस्तार की अनुमति दी है। जहां भारी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है और सतत् एवं विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए अनुमति दी जाती है। यद्यपि, कुछ अप्रवासी भारतीयों ने इच्छा व्यक्त की है परन्तु विद्युत परियोजनाओं में उनके भाग लेने के बारे में कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रभाव का मूल्यांकन

2318. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये गये उद्योगों में पिछड़े क्षेत्रों में वर्ष-वार अलग-अलग कितने प्रतिशत उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि इस बारे में संतोषजनक प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में तेजी जाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापनार्थ 1983 से 1985 (जन०-सित०) के बीच जारी किए गये आशय पत्रों (आ० प्र०) औद्योगिक लाइसेंसों (औ० ला०) तथा औद्योगिक विकास महानिदेशालय पंजीकरणों का प्रतिशत निम्नांकित है :—

	1983	1984	1985
आ० प्र०	62.94	58.93	52.12 जनवरी से
औ० ला०	29.49	35.69	43.72 सितम्बर
तकनीकी विकास महा नि० पजी०	57.07	59.65	58.12 जून से जून

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तापीय विद्युत स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

2320. **श्री भोला नाथ सेन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में तापीय विद्युत स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्यों का इस कार्यक्रमों में शामिल किए गए एककों/तापीय स्टेशनों तथा छठी योजना में ऐसे कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा और विवरण क्या है;

(ग) छठी योजनावधि की वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी और ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधारित राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) छटी योजनावधि के दौरान पंश्चिम बंगाल की उपलव्धियां क्या थीं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वयन के लिए एक नई स्कीम के रूप में 1984-85 में ही अनुमोदित किया गया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नही उठते।

6 एपीए का वितरण

2321. **श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 एपीए का सरणीकरण किया गया है और इसका वितरण राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है;

(ख) इसके वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए कुल कितनी मात्रा के लिए पंजीकरण कराया गया है;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान इसकी कुल कितनी मांग का आयात किया गया और कितने प्रतिशत दवा का उपयोग किया गया;

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को प्रति किलोग्राम किस दर से इसकी सप्लाई की जाती है;

(ङ) क्या 6 एपीए का देश में भी उत्पादन किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो स्वदेशी उत्पादकों के नाम क्या हैं, प्रत्येक की लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है और वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1985 तक प्रत्येक ने कितना उत्पादन किया ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) उपलब्धि की सीमा तक स्वदेशी उत्पादन की सूचना नीचे दी गई है :—

(टनों में)

निर्माता	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन		
		1982-83	1983-84	1984-85
आई० डी० पी० एल०	40 टन	3.75	17.10	17.44
एच० ए० एल०	28 ,,	—	1.48	15.61
एल्मबीक	20 ,,	—	2.36	1.70
मैक्स इंडिया	80 ,,	—	शून्य	5.17
गुजरात	35 ,,	—	शून्य	शून्य
इयूपोरिक	50 ,,	—	शून्य	शून्य

प्रत्येक गांव में डीजल पम्प स्थापित करना

2322. **श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डीजल की अतिरिक्त खपत व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान लगाया है, जिसे किसान अपने ट्रैक्टरों के लिए इंधन लेने हेतु खेत से नजदीकी डीजल पम्प तक दूरी तय करने में खर्च करते हैं;

(ख) क्या यह मात्रा बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार किसानों की सहायता के लिए और डीजल की बरबादी को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक डीजल पम्प खोलने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल उद्योग ने कृषकों द्वारा डीजल प्राप्त करने के लिये खुदरा बिक्री केन्द्र तक की दूरी तय करने में खर्च किए गए डीजल का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए स्थान का निर्धारण वहां की बाजार क्षमता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

संगरूर टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

2323. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि संगरूर (पंजाब) टेलीफोन

एक्सचेंज पर बहुत अधिक भार है और यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिसके कारण अक्सर काम करना बंद कर देता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। संगरूर का टेलीफोन एक्सचेंज पर अधिक भार नहीं है और यह गर्म नहीं होता है, जिसके कारण इसमें कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त, एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

केरल में मवेलीकेरा में त्रिबुला स्थित टेलीफोन एक्सचेंज

2324. **श्री तम्पन थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मवेलीकेरा में त्रिबुला स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त मांग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रूस की सहायता से कोयला तैयार करने संबंधी इंजीनियरी संस्थानों की स्थापना

2325. **श्री सोमनाथ रथ** :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूस की सहायता से कुछ कोयला तैयार करने संबंधी इंजीनियरी संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये नये संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या एक ऐसा संस्थान तालचेर में या उड़ीसा के किसी अन्य कोयला क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के अधीन, रांची में एक "कोयला विनिर्माण इंजीनियरिंग संस्थान" की स्थापना की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में बिजली की कमी

2326. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के कारण वहां बिजली की मांग में औसतन 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा को पड़ोसी राज्यों से बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का है; और

(ग) उड़ीसा में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1978-79 से 1984-85 के दौरान उड़ीसा की ऊर्जा की आवश्यकता में औसतन 11 प्रतिशत की मिश्रित वृद्धि हुई है।

(ख) राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा को आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से निम्नानुसार सहायता प्राप्त होती रही है :—

	1983-84	1984-85	1985-86 अप्रैल-अक्तूबर, 85 तक
आंध्र प्रदेश से उड़ीसा को	44 मि० यू०	433 मि० यू०	267 मि० यू०
मध्य प्रदेश से उड़ीसा को	—	—	152 मि० यू०

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान 483.5 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा को भूटान की चूखा जल विद्युत परियोजना (3×84 मेगावाट) से 31 मेगावाट तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत केंद्र, चरण-I (3×210 मेगावाट) से 75 मेगावाट विद्युत इन यूनिटों के सातवीं योजना में पूरी होने पर प्राप्त होगी।

इसके साथ-साथ तलचेर ताप विद्युत केंद्र के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कार्यकरण संबंधी समिति

2327. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कार्यकरण का गहराई से अध्ययन करने और इसके कार्यकरण को सुधारने के उपाय सुझाने हेतु स्थापित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) कोयला विभाग ने अप्रैल, 1985 में एक समिति गठित की थी जिसके अध्यक्ष श्री के० एस० आर० चारी, परामर्शदाता और कोयला विभाग के भूतपूर्व सचिव हैं। इस समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को परेशान कर रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाने और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपचारी कदम/उपाय ज्ञात करने के लिए कंपनी के क्रियाकलापों का गहन अध्ययन किया जा सके ताकि कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों में अपने मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर सके, यह क्षेत्र हैं अपने अधिकार-क्षेत्र में कोयले के भंडारों का वैज्ञानिक विकास, कोयला उत्पादन में वृद्धि, और विकास तथा कल्याण कार्यों के लिए अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1985 में प्रस्तुत कर दी है और अभी इसकी जांच बाकी है।

अण्डमान तट-दूर बेसिन राजस्थान और उड़ीसा में तेल का पता लगाना

2328. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अण्डमान तट-सर बेसिन, राजस्थान और उड़ीसा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए छिद्रण कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) अन्वेषी खुदाई कार्यक्रम को अभी तक सातवीं योजना के पहले दो वर्षों तक के लिए ही निर्धारित रखा गया है। इसके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्षेत्र	1985-86 (संशोधित अनुमान)		1986-87 (बजट अनुमान)	
	मीटरेज 000	कूप	मीटरेज 000	कूप
राजस्थान	4.19	2	17.9	6
अडण्मान	26.21	7	7.44	3
उड़ीसा	--	—	12.0	6

दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति

2329. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वृहत योजना के अनुरूप कोई औद्योगिक नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र के मास्टर योजना में निम्नलिखित फैक्टरियों/उद्योगों के लिए पुनःस्थापना की परिकल्पना की गई है :—

(1) अनुपातन अधिक सघन रोजगार परक फ्लैटेड फैक्टरियों केन्द्रीय क्षेत्रों में ।

(2) औद्योगिक व निर्माण कार्य केन्द्रों वाली दूरस्थ आवासीय क्षेत्रों में ।

(3) सूक्षम उपकरणों को जोड़कर (असेम्बली करके) उत्पादन करने वाले और बाधारहित विशेष उद्योगों को इंजीनियरी कालेजों के दक्षिणी क्षेत्रों में ।

(4) हल्के उद्योग और सेवा उद्योगों को चुने हुए क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा ताकि इन उद्योगों से हवा के साथ उड़ने वाली मिट्टी तथा धुएं से हवा के रुख की ओर पड़ने वाले आवासीय क्षेत्रों को कोई हानि न हो ।

(5) बड़े तथा भारी उद्योग सामान्य/नीति के अनुसार शहरी दिल्ली क्षेत्र में इनको प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा ।

(6) निरसारक और सहायक उद्योग चूना और ईंट, भट्टे/पत्थर की खदानों आदि से सम्बद्ध उद्योगों को 1981 की शहरी सीमा से एक मील की दूरी पर स्थापित किया जायेगा ।

शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया है । यह बोर्ड स्वतः स्पष्ट विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले चुने हुए वलयाकार (रिंग) शहरों में दिल्ली के बाहर आर्थिक और अन्य कार्यकलाप स्थापित करके दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समन्वित विकास के लिए क्षेत्रीय योजना बनाने के लिए उतरदायी है ।

आन्ध्र प्रदेश में राजस्व मंडलों के मुख्यालयों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2330. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राजस्व तालुक प्रणाली के स्थान पर राजस्व मंडल प्रणाली लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता और प्रशासकीय तंत्र की सुविधा के लिए राजस्व मण्डलों के सभी मुख्यालयों में, जहां इस समय टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं, टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ग) इन एक्सचेंजों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कुल 1104 मंडलों में से 845 मंडलों में एक्सचेंज हैं । शेष 259 मंडलों में एक्सचेंज खोलने का मामला निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है :—

(1) आवश्यक संख्या में डिमांड नोट का भुगतान।

(2) विभागीय नीति के अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता।

भारत के औद्योगिक विकास में जर्मनी द्वारा भाग लेना

2331. **श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1985 के "दि इकनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जर्मन संघीय गणराज्य भारत के द्रुत औद्योगिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार अपनी नीति की परिधि, इसकी प्राथमिकताओं तथा भारत के राष्ट्रीय हित में अन्य देशों के साथ सहयोग का स्वागत करती है।

त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना

2332. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें प्राकृतिक गैस का औद्योगिक दृष्टि पिछड़े क्षेत्रों में उचित प्रयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) त्रिपुरा राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली उत्पादन के लिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये पहले ही सहमति दी जा चुकी है। यह भी मालूम हुआ है कि त्रिपुरा की राज्य सरकार, राज्य में गैस पर आधारित उद्योगों को लगाने पर विचार कर रही है।

विदेशी सहयोग समझौते

2333. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कितने विदेशी सहयोग समझौते किए गए;

(ख) इन सहयोग समझौतों के माध्यम से किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के सहयोग किए गए हैं वहां अद्यतन प्रौद्योगिकी का संपूर्ण परिवर्तन होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान, 687 विदेशी सहयोग स्वीकृति पत्र जारी किए गए। विदेशी सहयोग में भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम विनिर्माण की वस्तु आदि को दर्शाने वाला ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के एक परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी के आत्मसात और उसे उन्नत बनाने के लिए विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार के कार्यकाल में या उसके तुरन्त बाद उद्योगों में अन्त: संयंत्र अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देकर समूची प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

हैदराबाद की एक मोटरगाड़ी कम्पनी के एक अधिकारी द्वारा डिजाइन की गई एक मिनी कार

2334. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद की एक मोटरगाड़ी कम्पनी में कार्यरत एक अधिकारी ने "एक मिनी कार" का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें 4 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होगी तथा ईंधन की खपत भी बहुत कम होगी और वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन किये जाने पर उसका मूल्य बहुत ही कम होगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी संयुक्त क्षेत्र में ऐसी कार का निर्माण के लाइसेंस जारी करने का है क्योंकि इससे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में काफी मितव्ययिता आएगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसे खरीद सकेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है।

(ख) क्षमता संबंधी अड़चन के कारण व्यापक नीति से बाहर यात्री कारों के निर्माण के लिए नये एककों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव नहीं है।

सीरा के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव

2335. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने सीरा के मूल्य में 60 रु० से 200 रु० प्रति टन वृद्धि करने तथा उस पर आंशिक नियंत्रण हटाने हेतु कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो क्या उससे चीनी उद्योग को सहायता मिलेगी और डिस्टीलरीज की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों पर प्रभाव सहित अन्य सभी संबद्ध पहलुओं पर उचित विचार करने के पश्चात ही शीरे संबंधी नीति का निर्माण किया जाएगा।

कोयला, लिग्नाइट तथा विद्युत के क्षेत्र में भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच समझौता

2336. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला, लिग्नाइट तथा विद्युत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मन लोक तंत्रात्मक के बीच हाल में हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या जर्मनी लोकतंत्रात्मक गणराज्य सरकार कोयला खनन में सुधार करने के लिए तकनीकी जानकारी तथा/अथवा आधुनिक मशीनें/उपकरण उपलब्ध करेंगी; और

(ग) प्रस्तावित सहकारिता और सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोयला, लिग्नाइट और विद्युत के "भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र कार्यकारी दल" के प्रथम सत्र के राजलेख पर दिनांक 6-11-1985 को हस्ताक्षर हुए थे। कार्यकारी दल को चुनिंदा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम सौंपा गया था। इस सहयोग का उद्देश्य यह है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान, विशिष्ट प्रौद्योगिक उपकरण और इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कराके, कोयला और लिग्नाइट के दोहन, प्रसाधन और परिस्कार प्रक्रियाओं को युक्तिपूर्ण और अधिक सक्षम बनाया जाए। विद्युत क्षेत्र के संबंध में, भारतीय पक्ष ने "जर्मन-जनवादी गणतंत्र" में उपलब्ध विशेषज्ञता की जानकारी प्राप्त की और भारत में सहयोगी साझेदारों का चयन करने में आवश्यक सहयोग देने के लिए सहमति दी।

सहयोग के लिए निर्दिष्ट विशेष कोयला परियोजनाएं हैं—वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की नीलजई ओपेनकास्ट परियोजना और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० की रामागुंडम II ओपेन-कास्ट परियोजना। जर्मन जनवादी गणतंत्र ने नैवेली की "लिग्नाइट खान III" के दोहन और परिचालन के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन और नैवेली बेसिन के "जल-भूवैज्ञानिक माडल" प्रस्तुत किया है। जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ सहयोग की व्यवस्था राजस्थान के पालना की लिग्नाइट परियोजनाओं और गुजरात की पनान्ध्रो परियोजना के लिए हुआ है। जर्मन जनवादी गणतंत्र पक्ष ने नैवेली में बिकेटिंग प्रक्रिया के पुनर्निर्माण और विद्यमान बिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने एक नए बिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन तैयार करने का भी प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय दिसम्बर, 1985/जनवरी, 1986 तक ले लिया जाएगा।

बिजली के उत्पादन के लिए संयुक्त क्षेत्र की परियोजनायें

2337. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप बिजली और पन बिजली दोनों प्रकार की बिजली के उत्पादन के लिए सयुक्त क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यमों के प्रबंध की शर्त क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि संयुक्त क्षेत्र में बिजली उत्पादन के प्रस्तावित संयंत्र उन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करें जिनके लिए इनकी स्थापना की जा रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते ।

सागरदीघी में ताप बिजली घर

2338. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद जिले में सागरदीघी (मोनीग्राम) में ताप बिजलीघर के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में 1385.0 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक ताप विद्युत केन्द्र (4×500 मेगावाट) प्रतिष्ठापित करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अक्तूबर, 1982 में प्राप्त हुआ था। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 1983 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया कि वे चरण-1 में 5×210 मेगावाट के यूनिट, जिसको चरण-2 में अभिवृद्धि करके 2×500 मेगावाट कर दिया जाएगा, प्रतिष्ठापित करने का इरादा है ।

खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के लिए बीमा योजना

2339. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम आर प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का गैस विस्फोट के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा योजना आरम्भ करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : प्रत्येक एल० पी० जी० वितरकों के लिए अन्य पार्टी बीमा योजना की व्यवस्था है जो उपभोक्ता अथवा उसके वैध उत्तराधिकारी को मुआवजे के लिए पात्र बनाती है ।

बंगलौर शहर में नए टेलीफोन केन्द्र

2340. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान बंगलौर शहर में कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) इन टेलीफोन केन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को लाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) शून्य।

(ख) शून्य।

खाना पकाने की गैस के वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने की मांग

2341. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के वितरकों को इस समय प्रति सिलेंडर कमीशन की कितनी राशि अदा की जाती है;

(ख) कमीशन में पहले कब वृद्धि की गई थी;

(ग) क्या एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर्स एशोसिएशन ने खाना पकाने की गैस के वितरकों के कमीशन में और वृद्धि करने के लिए सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 362 रु० प्रति सिलिंडर।

(ख) 1-3-81.

(ग) जी हां।

(घ) सरकार एल० पी० जी० पर डीलरों को देय कमीशन के प्रश्न पर बराबर समीक्षा करती रहती है। भविष्य में यथासमय इसकी समीक्षा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। तथापि, सरकार ने डीलरों के बढ़ोतरी करने की दृष्टि से 29-10-85 से प्रति डीलर रिफिलों की सीमा में वृद्धि कर दी है।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनायें

2342. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1983 के बजट में कोई विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या प्रभाव हुआ है; और

(ग) उस योजना का लाभ उठाते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम वर्ष 1983-84 में लागू की गई थी। स्कीम का उद्देश्य विद्युत केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। ताप विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है और अखिल भारत औसत संयंत्र

भार अनुपात 1983-84 में 47.9 प्रतिशत रहा और 1984-85 में 50.1 प्रतिशत रहा। बेहतर कार्य निष्पादन के लिए स्कीम प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। उन विद्युत केन्द्रों के नाम जिन्होंने 1983 और 1984 के दौरान प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया, नीचे दिए गए हैं :—

1983	1984
नेवेली ताप विद्युत केन्द्र	अमर कंटक ताप विद्युत केन्द्र
पारली ताप विद्युत केन्द्र	पारली ताप विद्युत केन्द्र
गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र
विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र	नेवेली ताप विद्युत केन्द्र
	कोटा ताप विद्युत केन्द्र
	कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र
	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र
	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र
	दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र

इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने कुल मिलाकर अपने संयंत्र अनुपात में वृद्धि करने के लिए स्कीम के अन्तर्गत 1983 में पुरस्कार प्राप्त किए थे।

मिनी/माइक्रो पन बिजली यूनिट

2343. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मिनी/माइक्रो पन बिजली यूनिट लगाये गए हैं;

(ख) क्या किसी राज्य ने आयातित मिनी/माइक्रो जनरेटर लगाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इनका आयात किन देशों से किया गया था ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

1. हिमाचल प्रदेश
2. जम्मू तथा कश्मीर
3. उत्तर प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. आन्ध्र प्रदेश
6. सिक्किम
7. पश्चिम बंगाल

8. असम
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैण्ड
12. त्रिपुरा
13. अरुणाचल प्रदेश
14. मिजोरम

विवरण-2

क्रम संख्या	राज्य	देश जिससे जनरेटर आयात किया गया
1.	उत्तर प्रदेश	इंग्लैंड तथा जर्मनी
2.	मणिपुर	इंग्लैंड

गोदावरी और कावेरी बेसिनों तथा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों में खोदे गए तेल कुएं

2345. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोदावरी कावेरी बेसिनों तथा दक्षिण भारत के अन्य स्थानों में 1984 और 1985 में कितने तेल के कुएं खोदे गए;

(ख) सफल कूंओं की प्रतिशतता क्या है;

(ग) तेल तथा गैस मिलने के हिसाब से खुदाई का परिणाम क्या रहा;

(घ) क्या गैस काफी मात्रा में मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्थानों में मिली गैस के संसाधनों का वाणिज्यीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान ओ० एन० जी० सी० ने दक्षिणी भारत के कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में 21 कुंओं का कार्य पूरा किया।

(ख) और (ग) इनमें से 48 प्रतिशत कुंओं में हाईड्रोकार्बनों के होने के संकेत मिले हैं।

(घ) और (ङ) आरम्भिक जांच के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोदे गए कुंओं में गैस देखी गई है। इसकी भण्डारण क्षमता को स्थापित करने के लिए उत्पादन जांच में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

बम्बई और बम्बई हाई के मध्य एक हैलिकाप्टर चलाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज के साथ ठेका

2346. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा बम्बई हाई एवं अन्य स्थानों के बीच हैलीकाप्टर चलाने के लिए तेल

तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ब्रिटिश एयरवेज के साथ कोई ठेका किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश एयरवेज को उसकी हैलीकाप्टर सेवाओं के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां, ओ० एल० जी० सी० ने मैसर्स ब्रिटिश एयरवेज के साथ एक एम-61 हैलिकाप्टर को 30-4-85 से 3313 डालर प्रति प्रभावित दिन की दर पर तथा एक एस-76 हैलिकाप्टर को 29-10-85 से 2630 डालर प्रति प्रभावित दिन की दर पर किराये-भाड़े पर लेने का अनुबन्ध किया है।

बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

2347. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाने की अनुमति दी गई;

(ख) इस कीमती संसाधन का शीघ्रता से उपयोग करने और उसको नष्ट होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या ऐसी कोई समय सीमा निश्चित की गई है जिनके अंतर्गत बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस के जलाने को रोका जा सके ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बम्बई हाई में वर्ष 1984-85 में कुल 1993 मिलियन घन मीटर गैस की मात्रा जला दी गई।

(ख) और (ग) बम्बई हाई में कम्प्रेशन की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं तथा इसके अप्रैल, 1986 तक आरम्भ हो जाने का अनुमान है, इसके साथ ही सिवाय सुरक्षा संबंधी कारणों के गैस का प्रज्वलन न्यूनतम करने की आशा है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्रों में रंगीन फोटो फिल्मों का उत्पादन

2348. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में रंगीन फोटो फिल्मों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा इस प्रयोजन के लिए नई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का इस क्षेत्र में उद्यमियों को लाइसेंस जारी करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड जो कि एक सरकारी उपक्रम है, ने सिनेमा

के रंगीन पाजिटिव बनाने के लिए कुल 190.00 करोड़ रुपये के निवेश से 80 लाख वर्ग मीटर प्रति वर्ष की वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इस परियोजना की स्थापना के बारे में सरकार द्वारा अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अल्मोड़ा इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का विस्तार

2349. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा (उ० प्र०) में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की क्षमता पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी टेलीफोन कनेक्शन पाने की प्रतीक्षा में हैं और

(ग) यदि हां, तो इस एक्सचेंज की क्षमता का विस्तार कब तक होगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 20 आवेदक टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) मांग और बढ़ने पर एक्सचेंज का विस्तार करने के मामले पर विचार किया जाएगा।

स्व-रोजगार गारंटी योजना में सुधार

2350. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वनियोजन गारंटी योजना के वर्तमान ढांचे में सुधारों पर सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में डाकघर भवन का विस्तार

2351. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ डाकघर भवन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भवन का विस्तार करने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बार-बार निविदा सूचना देने के बावजूद कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए फिर से सूचना जारी की जा रही है।

एल० पी० जी० निगम

2352. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की एक समिति ने एक (एल० पी० जी०) निगम की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सिफारिश किस आधार पर की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) एल० पी० जी० के विपणन तथा वितरण की वैकल्पिक रूपरेखा को सुझाने के लिए गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस उत्पादन के दत्तचित्त विपणन के लिए एक एल० पी० जी० कारपोरेशन स्थापित करने का सुझाव दिया था। सरकार द्वारा कार्पोरेशन स्थापित करने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पटना में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

2353. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पटना में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से वहां एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या वहां पर यह इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज वर्ष 1984 में ही स्थापित किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पटना में कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं, पटना में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय 1984 में ही लिया गया था।

(घ) सम्भवतः अगले दो वर्षों में आयातित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी और अन्य कम्पनियों का विलय

2354. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स, जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भारत ईजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड का विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों की गत तीन वर्षों में वित्तीय स्थिति कैसी थी; और

(घ) इन एककों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन एककों का वित्तीय उत्पादन कार्य निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)
(+लाभ/—हानि)

एकक का नाम	1982-83	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०	+56.90	+157.59	+209.80
भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	—112.34	—165.25	—149.42
जेसप एण्ड कम्पनी लि०	—447.00	—393.00	—268.00
भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०	—70.00	+38.00	+20.00
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०	—504.64	—70.37	—297.07

(घ) उत्पादन तथा लाभकारिता बढ़ाने के लिए इन उपक्रमों द्वारा किए गए अनेक उपायों में विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, आधुनिकीकरण के जरिए वर्तमान क्षमता का क्षति से बचाव, उनकी उत्पादन रूपरेखा के अनुकूल वस्तुओं का विविधीकरण से निर्माण, कम योगदान वाले उत्पादों का त्याग तथा उच्च योगदान वालों का अपनाया जाना एवं पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों का आधुनिकीकरण के माध्यम से प्रतिस्थापन करना शामिल है।

पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर में विदेशी सहायता के बिजली के जेनरेटिंग यूनिट

2355. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बकरेश्वर में विदेशी

सहायता से 210 मेगावाट के बिजली के तीन जैनरेटिंग यूनिट लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए विदेशी सहायता की प्राप्त हुई पेशकशों की शर्तें क्या हैं;

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग की सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है; और

(च) उक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (च) सोवियत संघ की मैसर्स टेक्नोप्रोमेरस पोर्ट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स कुल्जिआं द्वारा प्रायोजित एक कन्सोरटियम (जिसका एक जापानी व्यापार संघ मुख्य सदस्य है) ने पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर में 3×210 मेगावाट के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना में रुचि दिखाई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है । इस मामले में, औपचारिक विस्तृत प्रस्तावों के प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से विचार किया जा सकता है ।

पीटीए/डीएमटी का उत्पादन

2356. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में पीटीए का उत्पादन करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या उनमें से किसी फर्म ने पीटीए के उत्पादन के लिए पुराने संयंत्र खरीदने की योजना बनाई है;

(ग) यदि नहीं तो पुराने संयंत्र न लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) डीएमटी/पीटीए के उत्पादन के संबंध में पुराने संयंत्र लगाये जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) केवल एक एकक, अर्थात मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, को 75000 टन प्रति वर्ष की क्षमता का परिसंशोधित टेरेफथालिक एसिड के उत्पादन के लिए आशय-पत्र जारी किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पोलिस्टर स्टेपल फाइबर और पोलिस्टर फिलामेंट यार्न का उत्पादन

2357. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए पोलिस्टर स्टेपल फाइबर और पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए कुल कितनी लाइसेंसशुदा क्षमता की मंजूरी दी है;

(ख) सरकार द्वारा भारत में डीएमटी और पीटीए के पहले से मंजूर कुल लाइसेंसशुदा क्षमता की तुलना में यह लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है; और

(ग) डीएमटी और पीटीए की पृथक-पृथक कुल मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए भारत को इनमें से प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा का विदेशों से आयात करना पड़ेगा?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस समय पोलिस्टर स्टेपल फाइबर तथा पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस आशय-पत्र जारी करके क्रमश: 3,10,400 टन प्रतिवर्ष तथा 91,800 टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता अनुमोदित की गई है।

(ख) इस समय डीएमटी और पीटीए के उत्पादन के लिए अनुमोदित क्षमता केवल 2,24,000 टन प्रतिवर्ष है जो पोलिस्टर के लिए अनुमोदित क्षमता के संदर्भ में परिकलित आवश्यकता से कम है।

(ग) प्रत्येक वस्तु का अपेक्षित आयात उस विशेष वर्ष में वस्तु की मांग और आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करेगा।

गुजरात में पवन शक्ति, सौर शक्ति का विकास

2358. श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पवन शक्ति, सौर शक्ति आदि जैसे गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत के विकास के लिए गुजरात हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में कोई "पवन फार्म" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त फार्मों के स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात में उन स्थलों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में सभी क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित और समन्वित करने के लिए, केन्द्र की सहायता से राज्य में गुजरात ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना कर दी गई है। बायोगैस, सौर तापीय ऊर्जा, उन्नत प्रकार के धूम्ररहित चूल्हे, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास, पवन ऊर्जा और ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों आदि के क्षेत्र में, राज्य में कई अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और विस्तार परियोजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं। केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों और आर्थिक सहायता

प्रदान करने के बावजूद राज्य सरकार भी राज्य में, अपारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए अलग से वित्त, आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रोत्साहनों को दे रही है।

(ख) विशेष अनुसंधान, प्रदर्शन और विस्तार योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने भी सातवीं योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 13 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

(ग) और (घ) जी हां, 1.5 मेगावाट से भी अधिक विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए वायु फार्म परियोजनाएं काण्डला और ओखा में कार्यान्वियन के अधीन हैं। इसी प्रकार की अन्य पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी राज्य में स्थापित हो रही हैं।

(ङ) राज्य में पवन सर्वेक्षण परियोजनाएं भी कार्यान्वयन के अधीन हैं।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

2360. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में हुए दूरसंचार सेवाओं के विस्तार कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न दूरसंचार विस्तार कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश में दूरसंचार संबंधी निम्नलिखित विस्तार कार्य पूरे कर लिए गए हैं :—

(एक) 207 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं।

(दो) टेलीफोन स्विचिंग क्षमता की 32120 लाइनें जोड़ी गई हैं।

(तीन) 25857 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(चार) 1205 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा 1370 तारघर खोले गए।

(पांच) एक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित किया गया तथा 113 नए टेलेक्स कनेक्शन दिए गए।

(छः) ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज की क्षमता में 700 लाइनें जोड़ी गई।

(सात) 6 उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्ग भी मालूम किए गए।

मध्य प्रदेश में 1-4-1980 और 1-4-1985 को दूरसंचार सेवाओं की महत्वपूर्ण मदों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए योजना आयोग ने 4010 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है। इस परिव्यय के आधार पर राज्य की यूनिटों को अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश दे दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश

(मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल+इंदौर टेलीफोन जिला)

क्रम सं०	दूरसंचार सुविधाओं का नाम	1-4-80 की स्थिति	1-4-85 की स्थिति	1980-85 के दौरान वृद्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंजों की सं०	429	636	207
2.	एक्सचेंज (लाइनें) की क्षमता	80150	112270	32120
3.	चालू टेलीफोन कनेक्शन (सं०)	69754	95611	25857
4.	लंबी दूरी सार्वजनिक टेलीफोन घर (सं०)	996	2201	1205
5.	तारघर (सं०)	1592	2962	1370
6.	टेलेक्स एक्सचेंज (सं०)	9	10	1
7.	चालू टेलेक्स कनेक्शन (सं०)	377	490	113
8.	टी० ए० एक्स० (सं०)	1	1	शून्य
9.	टी० ए० एक्स० (लाइनें) की क्षमता	800	1500	700
10.	प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० रूट (सं०)	6	12	6

बम्बई उपनगरीय विद्युत कम्पनी का प्रबंधग्रहण

2361. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होने सार्वजनिक वक्तव्य दिया है कि बिजली उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र के लिए खुला होगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई उपनगरी बिजली कम्पनी के प्रबंधग्रहण संबंधी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) नवम्बर, 1985 को हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने

कहा है कि सरकार विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त स्रोतों को कार्यप्रवृत्त बनाने का विचार रखती है ।

(ग) और (घ) यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ।

राजस्थान में तेल की खोज

2362. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान तेल और गैस का पता लगाने के लिए कुछ परियोजनाएं आरम्भ की थीं; यदि हां, तो (1) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं; (2) प्रशासनिक व्यय सहित उन पर अब तक कुल कितनी व्यय किया गया है;

(ख) परियोजनाओं की उपलब्धियां क्या हैं; यदि कोई उपलब्धि नहीं हैं, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगाने के लिए नई परियोजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) राजस्थान में ओ० एन० जी० सी० और आयल इंडिया लिमिटेड खोज कार्य कर रहे हैं । दोनों कंपनियों के प्रोजेक्ट मुख्यालय जोधपुर में स्थित हैं । 31 मार्च, 1985 तक राजस्थान में खोज कार्य पर लगभग 56 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है ।

(ख) राजस्थान के घोटारू तथा मनहृरा टिब्बा में गैस मिली है ।

(ग) और (घ) राजस्थान में हाइड्रोकोर्बनों की खोज की जा रही है । सातवीं योजना के लिये अन्तरिम खोज कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :—

	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०
(1) सर्वेक्षण	18 पार्टी वर्ष	10200 लाइन कि० मी० में
(ll) अनवेष्णात्मक खुदाई (000 मीटर)	60.21	29

[हिन्दी]

पाली जिले (राजस्थान) में स्व-नियोजन योजना

2363. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वनियोजन योजना देश में 15 अगस्त, 1983 को शुरू की गई थी और यदि हां, तो पाली जिले से कितने युवक हैं जिनके पास कोई साधन नहीं थे और उन्हें इस योजना के शुरू किये जाने के बाद उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि के लिए ऋण दिए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) क्या इन ऋणों से सम्बन्धित सहायता राशि बैंकों में जमा कर दी गई है और इन ऋणों से कितने उद्योग, रोजगार और व्यापार सेवा अभी तक चल रही है और क्या इस सम्बन्ध में एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) यह योजना आरम्भ किये जाने की घोषणा स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1983 को की गई थी। पाली जिले में सहायता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवकों के ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रु० में)
1983-84		
उद्योग	158	26.49
सेवा	47	8.41
व्यापार	410	76.25
योग	615	111.15
1984-85		
उद्योग	262	46.16
सेवा	38	7.41
व्यापार	43	6.15
योग	343	59.72

1985-36 जिला उद्योग केन्द्र पाली से प्राप्त रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सितम्बर, 1985 के अन्त तक बैंकों द्वारा कोई भी मामला स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ख) इस प्रकार सूचना केंद्र सरकार द्वारा जिलावार इकट्ठी नहीं की जाती।

[अनुवाद]

कूड़े को बायो-गैस में बदलना

2364. **श्री मुरलीधर माने** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े शहरों में एकत्रित कूड़े की बड़ी मात्रा को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करने का कोई विचार था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पहले किन-किन शहरों को चुना गया है; और

(ग) इस बायोगैस का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सफाई-गड्ढों से बायोगैस निष्कर्षण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा दिल्ली के एक स्थान पर एक प्रयोगात्मक प्रायोगिक संयंत्र की

स्थापना कर दी गई है। बम्बई और कलकत्ता जैसे अन्य सम्भाव्य बड़े शहरों में दिल्ली में इन पर अध्ययन करने के पश्चात ऐसे प्रयोगों को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है। बायोगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन या सीधे खाना पकाने के लिए किया जा सकता है जोकि विशिष्ट स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का संशोधन

2365. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह जानकारी है कि माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 पुराना हो गया है और उसे बढ़ती हुई विकास की आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकी के विकास के अनुकूल लाने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यस्थों को और सशक्त करने के लिए इस संबंध में आवश्यक विधान लाने का है जिससे कि हर स्थिति में विशेष मध्यस्थता आदि की प्रक्रियाओं में जानबूझकर विलंब करने के प्रयासों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सरकार के अनुरोध पर, विधि आयोग ने माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का पुनर्विलोकन किया और माध्यस्थम् अधिनियम पर अपनी रिपोर्ट (76वीं रिपोर्ट) नवंबर, 1978 में प्रस्तुत की। आयोग का यह विचार था कि उक्त अधिनियम के कुछ ऐसे उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता है जिनके कारण कार्यवाही में विलम्ब होता है या पक्षकारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं या अनावश्यक रूप से ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो कार्यवाही में रुकावट डालती हैं। विधि आयोग की सिफारिशें राज्य सरकारों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को भेजी गई थीं और उन पर उनका दृष्टिकोण अभिनिश्चित किया गया है। भारतीय माध्यस्थम परिषद ने आग्रह किया है कि विधि को, माध्यस्थम के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के अनुरूप, उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया जाना चाहिए, अतः हाल में उससे अनुरोध किया गया है कि वह सरकार को, यथासंभव शीघ्र, क्रियान्वित किए जाने के लिए अपने ठोस प्रस्ताव भेजे। इस निमित्त परिषद जो संशोधन भेजना चाहती है, वे परिषद की एक समिति के, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति हैं, विचाराधीन हैं। सरकार इस विषय में भारतीय माध्यस्थम् परिषद से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात अन्तिम विनिश्चय करके ही, माध्यस्थम् अधिनियम को संशोधित करने के लिए उपयुक्त विधान लाना चाहती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दुपहिया वाहनों के लिए अलग पेट्रोल पम्प

2366. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में दुपहिया वाहनों के लिए अलग पेट्रोल पम्प स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार के पेट्रोल पम्प स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) दो पहिये/तिपहिये स्कूटरों के लिए अलग से पेट्रोल पम्प खोलने के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[अनुवाद]

हुगली गोदी में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण

2367. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली गोदी और पत्तन इन्जीनियरों को हुगली गोदी में अपने जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाले निवेश सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में कितनी प्रगति हुई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड ने कंपनी की पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक विख्यात विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त किया है । एक बार आधुनिकीकरण की योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर कम्पनी द्वारा परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जायेंगे और निवेश की मात्रा की गणना की जायेगी । मार्च, 1986 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है ।

सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

2368. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान कितने सीमेंट का उत्पादन हुआ और कितने सीमेंट का आयात-निर्यात हुआ;

(ख) वर्ष 1980-82 से 1985 तक, वर्षवार लेवी सीमेंट तथा बाजार में खुली बिक्री सीमेंट का प्रति टन मूल्य क्या था;

(ग) वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान लेवी सीमेंट और खुली बिक्री सीमेंट के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई; और

(घ) वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक वर्ष-वार, सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करके अतिरिक्त संसाधनों (रुपये में) के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1980-81

से 1984-85 के दौरान सीमेंट का उत्पादन आयात और निर्यात नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	सीमेंट उत्पादन की मात्रा	निर्यातित सीमेंट की मात्रा	आयातित सीमेंट की मात्रा
1980-81	186.57	0.47000	19.70
1981-82	210.12	0.21886	16.06
1982-83	233.23	0.04947	15.45
1983-84	270.71	0.10306	23.85
1984-85	301.74	0.42392	03.74

(ख) सीमेंट का समस्त उत्पादन 27 फरवरी, 1982 तक मूल्य और वितरण नियंत्रण के अधीन था। इस प्रकार सीमेंट से आंशिक रूप से नियंत्रण उठा लेने की योजना लागू करने से पहले अर्थात 27.2.82 तक सीमेंट की खुली बिक्री नहीं की जाती थी।

लेवी सीमेंट

1980-81 से उत्पादन शुल्क और पैकिंग प्रभार को छोड़कर लेवी सीमेंट का रेलभाड़ा मुक्त मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अवधि	साधारण पोर्टलैंड और स्लैग सीमेंट का मूल्य	पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट का मूल्य (रु० में)
1980-81	—	318.94	318.94
1981-82	1-4-81 से 23-7-81	318.94	318.94
	24-7-81 से 27-2-82	400.85	400.85
	28-2-82 से 31-3-82	440.00	425.00
1982-83	—	440.00	425.00
1983-84	1-4-83 से 1-7-83	440.00	425.00
	2-7-83 से 31-3-84	492.00	477.00
1984-85	1-4-84 से 17-6-84	492.00	477.00
	18-6-84 से 31-3-85	532.00	517.00
1985-86	1-4-85 से आगे	532.00	517.00

टिप्पण : प्रत्येक तिमाही के लिए पूर्ववर्ती तीन महीनों के दौरान पटसन की कीमतों के आधार पर पैकिंग प्रभार नियत किया जाता है।

खुली बिक्री वाला सीमेंट :

गैर-लेवी सीमेंट पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। वास्तविक बाजार मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दैनन्दिन आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। तथापि एसोसिएशन ने सीमेंट की खुली बिक्री के लिए अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की है :—

राज्य	28-2-83 तक	1-3-1983 से 21-1-85 तक (प्रति बोरी रु०)	22 जनवरी, 1985 से आगे
केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्य	60.00	64.00	69.00
अन्य सभी राज्य	56.00	60.00	65.00

टिप्पण : उपर्युक्त फुटकर मूल्यों में गंतव्य स्थान पटरी शीर्ष (रेल हैड) तक रेलभाड़ा, केन्द्रीय बिक्रीकर स्टाकिस्टों का मार्जिन आदि सब शामिल है किन्तु इसमें स्थानीय बिक्रीकर तथा स्थानीय कर शामिल नहीं है।

(ग) लेवी सीमेंट रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में 1980-81 से वृद्धि की गई जो नीचे दी गई हैं :—

अवधि	रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में वृद्धि	टिप्पणी
1980-81	शून्य	
1981-82 (24-7-81)	91.91 रु० प्रति मी० टन	निवेश के मूल्य में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए उद्योग को दिए गए अधिक साधारण मूल्य के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि हुई है।
28-2-82	39.15 रु० प्रति मी० टन	—वही—
1982-83	शून्य	
1983-84 2-7-83	52 रु० प्रति मी० टन	रेलभाड़ा की दरों में हुई वृद्धि के कारण
1984-85 18-7-84	40 रु० प्रति मी० टन	निवेश के मूल्य में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए उद्योग को दिए गए अधिक साधारण मूल्य के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि हुई है।
1985-86	शून्य	

जहां तक गैर-लेवी सीमेंट का संबंध है यह 27-2-82 से मूल्य और वितरण से मुक्त है।

(घ) एफ० ओ० आर० मूल्य में वृद्धि की अनुमति उत्पादन की लागत में वृद्धि/रेलभाड़े की दरों में वृद्धि के कारण दी गई है। 1980-81 से सीमेंट की कीमतों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप वर्षवार अर्जित अतिरिक्त आय का कोई आकलन नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश में डाकघर तथा तारघर खोलना

2369. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल कितने डाकघर और तारघर खोलने का प्रस्ताव है और उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितने पहले ही खोले जा चुके हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नए पदों के सृजन पर लगे मौजूदा प्रतिबन्ध के कारण फिलहाल डाकघर खोलने के किसी भी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1985-86 के दौरान 72 तारघर (संयुक्त डाक-तारघर) खोलने का प्रस्ताव है। जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जहां तक डाकघरों का संबंध है, उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पहले से खोले गए तारघरों (संयुक्त डाक-तारघर) की संख्या 52 (अनन्तपुर-20, चित्तूर-31 और कुरनूल-1) है।

विवरण

जिले का नाम	तारघर (संयुक्त कार्यालय)
1. हैदराबाद	1
2. महबूबनगर	1
3. संगारेड्डी	1
4. आदिलाबाद	6
5. खम्माम	6
6. नलगोण्डा	2
7. वारंगल	3
8. अनन्तपुर	20
9. चित्तूर	31
10. कुरनूल	1
योग	72

विक्स वेपोरब पर मूल्य नियंत्रण

2370. **श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सच यह है कि विक्स वेपोरब तथा खांसी के शर्बतों को मूल नियंत्रण छूट प्राप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि इन उत्पादों के मूल्यों में 200 प्रतिशत से 400 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ग) इन उत्पादों के प्रत्येक पैक का वर्ष 1979 में क्या मूल्य था तथा प्रत्येक का इस समय क्या मूल्य है;

(घ) क्या उनका मंत्रालय उपभोक्ताओं के हित में इन उत्पादों का मूल्य नियंत्रित करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की घोषणा के पूर्व इन उत्पादों के मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। उनके वर्तमान मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) 1978 की औषध नीति में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

क्रमांक	उत्पादन का नाम	पैक साईज	डी० पी० सी० ओ० 1970 मूल्य
1.	विक्स वैपोरब	5 ग्राम	0.77
		12 ग्राम	1.83
		19 ग्राम	2.66
		35 ग्राम	4.47
		60 ग्राम	6.50
2.	विक्स कफ ड्राप्स	2 लोजस	0.29
		4 का	0.32
		10 का	1.40

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

2371. **श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन के लिए डाक और तार विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य को कितने वर्षों के लिए नामित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने नई समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके गठन में देरी के क्या कारण हैं; और

(च) इस समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यत: 3 वर्ष के लिए।

(ग) जी हां।

(घ) सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशन सिद्धांतों के अनुसार सदस्यों को नामित किया जाता है।

विवरण

संचार मन्त्रालय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची (जिसका गठन 22-11-1985 को किया गया)

क्रम सं०	सदस्य का नाम	
1.	संचार मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव (दूरसंचार)	सदस्य
3.	सचिव (डाक)	सदस्य
4.	अपर सचिव (दूरसंचार)	सदस्य
5.	सदस्य (प्रचालन), दूरसंचार बोर्ड	सदस्य
6.	सदस्य (कार्मिक), दूरसंचार बोर्ड	सदस्य
7.	सदस्य (विकास), दूरसंचार बोर्ड	सदस्य
8.	सदस्य (वित्त), दूरसंचार बोर्ड	सदस्य

9.	सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार बोर्ड	सदस्य
10.	सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
11.	सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
12.	सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
13.	सदस्य (वित्त), डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
14.	सचिव, दूरसंचार बोर्ड	सदस्य
15.	सचिव, डाक सेवा बोर्ड	सदस्य
16.	सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास	सदस्य
19.	महानिदेशक, विदेश संचार सेवा, बंबई	सदस्य
20.	भारत सरकार के बेतार सलाहकार, नई दिल्ली	सदस्य
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई० टी० आई० बेंगलूर	सदस्य
22.	निदेशक, राजभाषा, दूरसंचार बोर्ड	सदस्य-सचिव
23.	संसद सदस्य (लोक सभा) श्री लाल विजय प्रताप सिंह	सदस्य
24.	संसद सदस्य (लोक सभा) श्री गंगा राम	सदस्य
25.	संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री बी० एल० पंवार	सदस्य
26.	संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री जे० पी० गोयल	सदस्य
27.	संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री श्रीकांत वर्मा	सदस्य
28.	संसद सदस्य (राज्य सभा) डा० लोकेश चन्द्र	सदस्य
29.	डा० विजयेन्द्र स्नातक ए-5/3, राणा प्रताप बाग, दिल्ली	सदस्य
30.	श्री गंगा शरण सिंह, अध्यक्ष, हिन्दी संस्था संघ, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, दिल्ली	सदस्य
31.	प्रोफेसर शेर सिंह, एम-14, साकेत, नई दिल्ली	सदस्य
32.	श्री हरिवंश लाल शर्मा, दोदघर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	सदस्य
33.	डा० प्रकाश आतुर, अध्यक्ष राजस्थान, साहित्य अकादमी, उदयपुर	सदस्य
34.	डा० टी० एम० दिशम्भरम, प्रोफेसर हिन्दी विभाग, कालीकट युनिवर्सिटी, कालीकट (केरल)	सदस्य

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में नये डाकघर खोलना

2372. श्री अमर सिंह राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में डार सेवाएं बहुत असन्तोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उन क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। आम दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को देखते हुए, अभी नए डाकघर खोलने के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र से सामान की खरीद

2373. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सभी कर्मचारियों को ऊनी जर्सी और ऊनी वर्दी देने के लिए अपनी एककों की विभिन्न यूनियनों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऊनी जर्सी और ऊनी वर्दियां कब तक दे दी जायेंगी;

(घ) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्राधिकारी ऊनी जर्सियां सप्लाई करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सामान सरकारी क्षेत्र के संगठनों से खरीदने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृष्ण-गोदावरी तट पर खुदाई

2374. **श्री के० एस० राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में तेल खोज कार्य पूरे पैमाने पर चल रहा है और इसमें व्यवधान पड़ने का कोई डर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी-कृष्णा घाटी में कैकालूर तटवर्ती कुएं में कच्चे तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस की सम्भावनाओं का भी पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) कृष्णा गोदावरी बेसिन में खुदाई कार्य चल रहा है तथा योजना के अनुसार इस बेसिन में 5 कुंओं में खुदाई/जांच की जा रही है। वर्ष 1985-86 में 8 तथा वर्ष 1986-87 में 12 अन्वेषी कुएं खोदने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) जांच के दौरान ही कुएं से 4 प्रतिशत लाइट ऑयल के सम्मिश्रण सहित प्रतिदिन 4100 घन मीटर की दर से गैस तथा 68 घन मीटर की दर से पानी का उत्पादन हुआ।

हिमाचल प्रदेश में ऊना में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज और नये डाकघर के लिए विभागीय भवन का निर्माण

2375. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ऊना में (1) स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज और (2) प्रधान डाकघर के लिए विभागीय भवन के निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत क्या है और निर्माण कार्य किस तारीख से आरम्भ हो जाने और किस तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, इन तो परियोजनाओं को किस तारीख तक स्वीकृत और कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऊना में विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज भवन बनाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है। मुख्य डाकघर के लिए योजना मंजूर नहीं की गई है।

(ख) और (ग) टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए लागत अनुमान 5.66 लाख रुपए है। भवन बनाने का कार्य नवम्बर, 86 से प्रारंभ होगा और अक्तूबर, 1987 में पूरा हो जाने का अनुमान है।

बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो। डाकघर के लिए भवन बनाने की कोई योजना मंजूर नहीं हुई है अतः लागत का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। यद्यपि 1986-87 के दौरान ऊना में मुख्य डाकघर के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) जिस भूमि पर मुख्य डाकघर की इमारत का निर्माण कार्य होना है उस प्लाट पर दूसरे का अनधिकृत कब्जा है। इस प्लाट को खाली कराने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया है।

आटोमोबाइल उद्योग में जापान का सहयोग

2376. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के आटोमोबाइल्स उद्योग का कार्य करने वाले उन विभिन्न औद्योगिक घरानों/कंम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने जापान के साथ सहयोग किया है;

(ख) जापान की फर्मों के साथ किये गये विभिन्न तकनीकी सहयोग समझौतों का ब्यौरा क्या है; संयंत्र और मशीनों के अतिरिक्त जापानी फर्मों द्वारा क्या तकनीकी सहायता और जानकारी दी गई है/दी जाने वाली है; और

(ग) जापान की कम्पनियों की भारतीय कम्पनियों में साम्य शेयर-पूंजी कितनी है और लाभ का कितना भाग जापान को भेजा जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मोटर-वाहनों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	जापानी सहयोग का नाम	वस्तु	सहयोग का स्वरूप	इक्विटी भागीदारी (*)
1	2	3	4	5	6
1.	इण्ड-सुजुकी मोटर साइकिल्स लि०	सुजुकी मोटर कम्पनी	मोटरसाइकिलें मोपेड	तकनीकी और वित्तीय	26%
2.	किनेटिक होण्डा मोटर्स लिमिटेड	होन्डा मोटर कम्पनी	स्कूटर	तकनीकी और वित्तीय	28%
3.	हीरो होण्डा मोटर्स लिमिटेड	होण्डा मोटर कम्पनी	मोटरसाइकिलें	तकनीकी और वित्तीय	26%
4.	एस्कोर्ट्स लिमिटेड	यमाहा मोटर कम्पनी	मोटरसाइकिलें	तकनीकी	—
5.	बजाज आटो लिमिटेड	कावासाकी हैवी इण्डस्ट्रीज	मोटरसाइकिलें	तकनीकी	—
6.	मारुति उद्योग लिमिटेड	सुजुकी मोटर कम्पनी	यात्री कारें एवं वैनें	तकनीकी और वित्तीय	40% वृद्धि के विकल्प सहित 26%
7.	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	इसुजु मोटर कम्पनी (इंजन और ट्रांसमिशन मात्र)	यात्री कारें और वाणिज्यिक गाड़ियां	तकनीकी	—

1	2	3	4	5	6
8.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	निशान मोटर कम्पनी (इंजन और ट्रांसमिशन मात्र)	यात्री कारें	तकनीकी	—
9.	डी० सी० एम० टोयोटा लि०	माजदा मोटर कम्पनी	वाणिज्यिक वाहन	तकनीकी और वित्तीय	26%
10.	स्वराज माजदा लि०	माजदा मोटर कम्पनी	-वही-	-वही-	26%
11.	आल्विन निसान लिमिटेड	निसान मोटर कम्पनी	-वही-	-वही-	
12.	आयशर मोटर्स लिमिटेड	मैसर्स मित्सुबिशी मोटर कम्पनी	-वही-	-वही-	

(*) लाभांश का भुगतान इक्विटी धारकों को सानुपाती तथा भारतीय करों के अनुसार होगा।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास बेकार पड़ी "बी हाइव" कोयला भट्टियां और अन्य उप-उत्पाद

2377. श्री वसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास 1 अक्तूबर, 1985 को कितनी "बी० हाइव" कोयला भट्टियां और उप-उत्पाद बेकार पड़े थे एवं उनकी दैनिक कार्बनिकीकरण क्षमता कितनी थी और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) अक्तूबर, 1985 को वास्तविक उत्पादन कितना था;

(ग) इन महंगे संयंत्रों को बेकार रखने के क्या कारण थे;

(घ) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास बेकार पड़ी इन कोक भट्टियों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के मूल्य के बारीक कोयले (कोल फाइन) को कोक में बदला जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बारीक कोयले (कोल फाइन) को बेकार जाने देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दिनांक 1-10-1985 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सी० एच० एवं बी० पी० कोक ओवनों की कुल संख्या क्रमशः 1199 एवं 173 थी। इन ओवनों में कार्बनीकरण की दैनिक क्षमता क्रमशः 1105 एवं 722 टन है।

कोलियरीवार विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1985 में अप्रैल से सितम्बर के दौरान वास्तविक उत्पादन 2,37,900 टन था। अक्तूबर, 1985 के दौरान कोयला उत्पादन 48,000 टन था जिसे मिलाकर उत्पादन का प्रतिदिन औसत 1,548 टन हो जाता है।

(ग) कोई भी बी० पी० संयंत्र निष्क्रिय नहीं है। इस समय लोयाबाद क्षेत्र के 40 ओवनों में नवीकरण कार्य चल रहा है। जहां तक बी० एच० ओवनों का प्रश्न है, अगस्त, 1983 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने 996 ओवन अस्थायी तौर पर बन्द कर दिए थे जिसके कारण इस प्रकार हैं : (i) कुछ ओवनों की बुरी दशा, (ii) उस समय हार्ड कोक का अत्यधिक भंडार, एवं (iii) इस्पात संयंत्र वाशरियों की वाशरी ग्रेड के कोककर कोयले की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

(घ) और (ङ) यह कहना सच नहीं है कि करोड़ों रुपये की कीमत के वह कोयला माइन्स जो बेकार पड़े हैं इन कोककर ओवनों का उपयोग करते हैं। वाशरियों के फाइन कोयलों को सामान्यतः स्लरी कहा जाता है और इसे निकालने के उद्देश्य से बनाए गए तालाबों से यह निकाल लिया जाता है इसे कोककर बनाने के लिए स्वच्छ कोयला या मिडलिंग्स के साथ मिला दिया जाता है।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक अल्कोहल की कमी

2378. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक अल्कोहल की कमी के कारण अनेक उद्योगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पश्चिम बंगाल को इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई कब तक की जायेगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) गत अलकोहल वर्ष 1984-48 (दिसम्बर 84-नवम्बर 85) के दौरान देश में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित था अलकोहल की उपलब्धता मांग से कम हो गई थी ।

पश्चिम बंगाल के लिए अलकोहल का आबंटन उत्तर प्रदेश तथा बिहार से किया गया तथा सूचनानुसार इन दो राज्यों द्वारा लगभग 135 लाख लिटर की आपूर्ति की गई । इसके अतिरिक्त गत अलकोहल वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों को लगभग 160 लाख लिटर औद्योगिक अलकोहल (डिनेचर्ड) कों शुल्क रहित आयात करने की अनुमति दी गयी ।

उन राज्यों में जहां उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय स्थापित करना

2379. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां इस समय उच्च न्यायालय नहीं है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, कोई उच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों की स्थापना योजना स्कीम नहीं है और इसलिए इसका सातवीं योजना से संबंध नहीं है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के लिए पृथक उच्च न्यामालयों की स्थापना के मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

भारत के कुल विद्युत उत्पादन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा

2380. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 से 1984-85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारत के कुल विद्युत उत्पादन में पश्चिम बंगाल के प्रतिशत हिस्सों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के दौराम पश्चिम बंगाल और अखिल भारत का वर्षवार विद्युत उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार है :—

	विद्युत उत्पादन (मेगावाट आवर)		
वर्ष	पश्चिम बंगाल	अखिल भारत	प्रतिशत
1980-81	5375	110560	4.86
1981-82	5509	121708	4.53
1982-83	5805	129983	4.47
1983-84	6185	139896	4.42
1984-85	6750	156633	4.31

(ग) प्रतिशत हिस्से में मामूली-सी गिरावट के कारण ये हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होना तथा राज्य के संथालडीह और दुर्गापुर परियोजना लि० विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन घटिया होना।

औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण

2381. **श्री मुरलीधर माने** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दशक पूर्वस्थापित कुछ औद्योगिक एकक रुग्ण हो रहे हैं और पर्याप्त आधुनिकीकरण की व्यवस्था के अभाव में वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक रुग्णता औद्योगीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगति की प्रक्रिया के साथ-साथ चलने वाला तत्व है जिसमें शक्तिशाली और सुनियोजित एककों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण होता है जबकि ठीक ढंग से तैयार न किए गए, अकुशल और कुप्रबंध में चल रहे एकक निष्क्रिय हो जाते हैं तथा उत्पाद और प्रक्रिया में पुराने हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं और फिर औद्योगिक क्षेत्र से लुप्त हो जाते हैं।

बैंक और वित्तीय संस्थान निदानपरक अध्ययनों के आधार पर पुनःस्थापना योजना तैयार करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुनर्निर्माण, ब्याज संबंधी देयताओं के लिए वित्त व्यवस्था, आसान शर्तों पर पूंजीगत और कार्यशील पूंजी ऋण, प्रबंध संबंधी सहायता, ऋण सेवाओं की देयताओं में राहत अथवा समय-सूची पुनः बनाने आदि की व्यवस्था करना शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई पुनःस्थापना की योजना के एक अंग के रूप में सरकार व्यवहार्य और आवश्यक राहतें और रियायतें देती है। इसके अलावा, स्वस्थ एककों द्वारा रुग्ण

एककों को अपने अधिकार में लिए जाने पर स्वस्थ एककों को आय कर में राहत देकर प्रोत्साहित किया जाता है। पुराने संयंत्रों को बदलने और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत माल के आयात के वास्ते तकनीकी विकास निधि और आयात के अंतर्गत सहायता भी उपलब्ध है।

खनन क्षेत्र में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सहयोग

2382. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खनन क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया द्वारा की गई पेशकश सोवियत संघ द्वारा पहले से की गई और जारी पेशकश की तुलना में बेहतर है;

(घ) क्या आस्ट्रेलिया द्वारा की गई मशीनरी खनन क्षेत्र के कार्य में खरी उतरी है; और

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त हुई सफलता का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उस देश के साथ समझौता करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) कोयला क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं आस्ट्रेलिया में नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए सहमति हो गई है। अभी तक इस सहयोग के विस्तृत विवरण नहीं तैयार किए गए हैं। इस पर आगे विचार-विमर्श हेतु एक आस्ट्रेलिया के व्यापार विभाग के सचिव के नेतृत्व में वहां के एक प्रतिनिधिमंडल की दिसम्बर, 1985 में भारत आने की आशा है।

खान विभाग के पास फिलहाल आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, उस विभाग के एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने सूचित किया है कि पूर्णतः वाणिज्य आधार पर निम्नलिखित सौदे किए गए हैं :—

(i) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया की आर० टी० जेड० द्वारा विकसित तकनालॉजी के आधार पर खेतड़ी कापर काम्लेक्स (क्षेत्र) में एक अयस्क सॉर्टर लगाया था।

(ii) सिंहभूमि ताम्र-पट्टी के साध्यता अध्ययन के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु अन्य फर्मों के साथ-साथ मेसर्स राबर्ट्सन रिसर्च (आस्ट्रेलिया) ने भी प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव अब लोक निवेश बोर्ड के विचाराधीन है।

कोयला संबंधी विशेषज्ञ समिति

2383. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला संबंधी विशेषज्ञ समिति ने उच्च ग्रेड के कोयले का उत्पादन करने वाली बड़ी खानों में सम्पूर्ण यंत्रीकरण की सम्भावना की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार का विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को अमल में लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कोयला विभाग ने अप्रैल, 1985 में एक समिति गठित की जिसके अध्यक्ष श्री एच० एस० आर० चारी, परामर्शदाता और कोयला विभाग के भूतपूर्व सचिव हैं। इस समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को परेशान कर रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाने और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपचारी कदम/उपाय ज्ञात करने के लिए कंपनी के क्रियाकलापों का गहन अध्ययन किया जा सके ताकि कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके, यह क्षेत्र हैं अपने अधिकार-क्षेत्र में कोयले के भंडारों का वैज्ञानिक विकास, कोयला-उत्पादन में वृद्धि, और विकास तथा कल्याण कार्यों के लिए अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1985 में प्रस्तुत कर दी है और अभी इसकी जांच बाकी है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण

2384. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र की उन कंपनियों को जो घाटे में चल रही हैं, के गैर-सरकारीकरण करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। अगर कुछ जरूरी है तो मुझसे आकर कहिए कि यह जरूरी विषय है।

एक सदस्य की कथित गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष महोदय को न देने के लिए कलकत्ता के पुलिस आयुक्त के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे 25 तथा 26 नवम्बर, 1985 को क्रमशः श्रीमती गीता मुखर्जी

तथा श्री एस० जयपाल रेड्डी से कलकत्ता में 19 सितम्बर, 1985 को इस सभा के एक सदस्य की कथित गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को न देने के लिए पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचनाएं मिली थीं। जब 25 नवम्बर, 1985 को कुछ सदस्यों ने इस मामले को सभा में उठाना चाहा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई है। मैंने कहा था, "मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिसका सम्बन्ध किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी से नहीं है और जिसमें किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।"

25 नवम्बर, 1985 को मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना सर्वश्री बसुदेव आचार्य, सैफुद्दीन चौधरी, अजित कुमार साहा, आनन्द पाठक तथा अनिल बसु द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक और सूचना "दी टैलीग्राफ" के विरुद्ध इस समाचार के प्रकाशित करने के बारे में प्राप्त हुई है कि सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष महोदय को विधिवत् सूचित किया गया है। चूंकि अध्यक्ष महोदय ने ऐसी जानकारी प्राप्त होने से इंकार किया है, सदस्यों ने आरोप लगाया है कि "टैलीग्राफ" ने सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

25 नवम्बर, 1985 को ही मैंने गृह मंत्रालय से तथ्यों की जानकारी मांगी।

26 मार्च, 1985 को जब कुछ सदस्यों ने सभा में यह मामला फिर उठाना चाहा, मैंने सभा को सूचित किया कि 18 नवम्बर, 1985 को एक अस्पष्ट संदेश मुझे प्राप्त हुआ था। चूंकि वह हस्ताक्षरित नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता था। टेलीफोन, तार टेलेक्स अथवा पत्र द्वारा कोई शासकीय सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। 26 नवम्बर, 1985 को मध्याह्न पश्चात् 5-20 पर मुझे पश्चिम बंगाल सरकार के गृह (राजनीति) विभाग के उप सचिव से दिनांक 17 नवम्बर, 1985 के एक द्रुत टैलीप्रिन्टर संदेश की प्रति प्राप्त हुई। उसमें भी किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी की स्पष्ट तथा निश्चित सूचना नहीं दी गई थी। उदाहरणार्थ उसमें कहा गया था, "...गिरफ्तार व्यक्ति बिहार के संसद् सदस्य श्री प्रकाश चन्द के तदरूप लगता है।" सन्देश में हस्ताक्षरों, फोटो आदि की पहचान का भी उल्लेख किया गया था।

2 दिसम्बर, 1985 को मुझे पुलिस आयुक्त कलकत्ता से 29 नवम्बर, 1985 का एक सन्देश मिला जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि "श्री प्रकाश चन्द्र को 19.9.85 को पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार का निषेध अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के अधीन गिरफ्तार किया गया है...। श्री प्रकाश चन्द्र ने बताया है कि वह 11, डेकरेस लेन, पुलिस स्टेशन हरे स्ट्रीट, कलकत्ता, का रहने वाला है। उसने पुलिस स्टेशन में यह प्रकट नहीं किया कि वह कभी भी संसद सदस्य था...। श्री प्रकाश चन्द्र, संसद् सदस्य का एक फोटोग्राफ साप्ताहिक "सन्डे" के दिनांक 10.11.85 के अंक में प्रकाशित हुआ था। जिन अधिकारियों ने 19.9.1985 को छापे मारे थे उन्होंने उस फोटो को 19.91985 को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रकाश चन्द्र से पहचान पाये...। जांच से ज्ञात हुए तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति जिसने अपना नाम प्रकाश चन्द्र सपुत्र प्रबीर चन्द्र बताया था, वास्तव में बिहार के श्री प्रकाश चन्द्र संसद सदस्य थे...। 17.11.85 को, मामला आपत्तिजनक दस्तावेज परीक्षा ब्यूरो, गुप्तचर विभाग पश्चिम बंगाल के निदेशक से 17.11.85 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पहली बार इस बात की पुष्टि की गई कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति प्रकाश चन्द्र, संसद

सदस्य थे और उसी सायंकाल (17.11.85) को लोक सभा के अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित सहायक आसूचना ब्यूरो, कलकत्ता, की टैलीप्रिन्टर सेवा के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी गई। श्री डी० सी० नाथ एस० आई० बी० कलकत्ता ने बाद में बताया कि चूंकि संदेश प्राप्त होने के समय टैलीप्रिन्टर सेवा बंद थी, इसलिए आपको भेजे जाने के लिए यह सन्देश 17.11.85 को नियंत्रण कक्ष, गुप्तचर विभाग गृह मंत्रालय के माध्यम से टेलीफोन द्वारा भेजा गया। अगली सुबह (18.11.85 को) फिर टेलीप्रिंटर के माध्यम से टी पी एम सं० 1329 दिनांक 18.11.85 द्वारा 9 बजकर 20 मिनट पर इसे गुप्तचर ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष को भेजा गया।"

मैने पाया है कि यह 2 दिसम्बर, 1985 के संदेश से भी यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संसद सदस्य है क्योंकि इसमें यह भाषा प्रयोग की गई है, "ऐसा लगता है··· आदि।"

जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैंने इस बिना हस्ताक्षर के सन्देश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके पश्चात् कोई प्रामाणिक/सरकारी जानकारी न मिलने पर ज्यों ही यह प्रश्न सदन में उठाया गया, मैंने यह मामला गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। यदि टेलीप्रिंटर सेवा काम नहीं कर रही थी तो स्थानीय अधिकारी यह सन्देश टेलीफोन या तार द्वारा सीधे मुझे या मेरे कार्यालय को भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इसके बाद 2 दिसम्बर को सम्बन्धित सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र ने भी मुझे लिखा और कलकत्ता में हुई तथाकथित घटना में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट में दिए गए बयानों की सत्यता पर सन्देह प्रकट किया है।

घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान समेत सारा मामला अब न्यायालय के सम्मुख है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, सुस्थापित परम्परा के अनुसार इस समय आगे कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। इसलिए, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री जयपाल रेड्डी, श्री बसुदेव आचार्य तथा अन्य सदस्यों ने जिस विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है, उसे मैं अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता।

श्री जयपाल रेड्डी : महोदय······

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

12.06 म० प०

श्री रामनाथ गोयनका के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : 2 दिसम्बर, 1985 को श्री के० पी० उन्नीकृष्णन तथा प्रो० मधु दंडवते ने श्री आर० एन० गोयनका के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के दो अलग-अलग नोटिस दिए थे जिनमें 'इण्डियन एक्सप्रेस' के 30 नवम्बर, 1985 के अंक में प्रकाशित एक लेख में श्री जगमोहन को जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बारे में सदस्यों पर इस सभा तथा नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव पर सदन में 26 नवम्बर, 1985 को हुई कार्यवाही के बारे में आक्षेप किए जाने का आरोप है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने यह बताया है कि "चर्चित लेख में लेखक ने जानबूझकर विधि राज्य मंत्री श्री एच० आर० भारद्वाज तथा वर्तमान संसद पर आक्षेप किया है। उन्होंने संसद में कार्यवाही के संचालन पर, जो कि स्वतंत्र टिप्पणी के दायरे से परे है, भी आक्षेप किए हैं।" प्रो० मधु दडवते ने कहा है कि "....यह न केवल मंत्री महोदय की अवमानना है बल्कि पूरी लोक सभा की अवमानना है, और वह भी जानबूझकर।" दोनों सदस्यों के आरोप लगाया है कि श्री आर० एन० गोयनका ने सभा के विशेषाधिकार का हनन तथा इसकी घोर अवमानना की है।

मैंने 30 नवम्बर, 1985 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित श्री गोयनका के इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैंने पाया है कि जिस लहजे तथा अभिप्राय से यह लेख लिखा गया है वह एक ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो इस सभा के स्वयं सदस्य रह चुके हैं तथा इसके अधिकारों व विशेषाधिकारों से भलीभांति परिचित हैं। लोकतंत्र में समाचार-पत्रों को निष्पक्ष आलोचना का पूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे ढंग से नहीं किया जाना चाहिए जिससे संसद तथा इसके सदस्यों की बदनामी हो या जनता की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा गिरे।

ऐसा लगता है कि एक ऐसे विवाद में, जिसमें वह स्वयं शामिल थे, श्री गोयनका ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एच० आर० भारद्वाज द्वारा दिए गये उत्तर पर जरूरत से कहीं अधिक प्रतिधिया दिखाई है।

जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में इस सभा ने समाचार-पत्रों द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर ध्यान न देकर उनके प्रति विशेष रूप से उदारता तथा व्यापक दूरदृष्टि दिखाई है, ताकि सभा की कार्यवाही पर राय की स्वतंत्र अभिव्यक्ति या निष्पक्ष टिप्पणी पर संसदीय विशेषाधिकार किसी तरह से बाधक या हतोत्साहक न बनें। मैं महसूस करता हूं कि यदि लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाये तो इससे सभी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और कोई संस्था या निकाय जितना अधिक शक्तिशाली हैं उतने ही अधिक संयम की आवश्यकता है, विशेषकर अपने दंड न्याय क्षेत्राधिकार को प्रयोग करने के संबंध में।

इस नजरिए तथा सभा की सर्वोत्तम परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि यह सभा इस मामले पर और आगे ध्यान नहीं देगी तथा अपनी गरिमा को बनाए रखेगी।

अत:, मैं इस मामले को एक विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अपनी स्वीकृति नहीं देता।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसे विशेषाधिकार समिति के पास क्यों नहीं भेज दिया जाये। एक और मुद्दा भी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पहले मैंने उन्हें बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, 2 तारीख के हिन्दुस्तान में एक समाचार छपा है......

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिख कर दीजिए, ऐसे नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। लिख कर दीजिए, मैं पता तो करूं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैंने लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री राम नगीना मिश्र : मैंने यह लिखकर दिया है कि 2 तारीख के हिन्दुस्तान अखबार में प्रशासन की तरफ से एक न्यूज है कि जितने हिन्दी में नाम प्लेट हैं वे हटा दिये जाएं और अंग्रेजी में लिखे जाएं······

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिलियेगा। मैं पूछ कर पता करूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, सुनिये, यह संविधान की हत्या हुई है······

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे बताइएगा। ऐसे मत करिये। मुझसे मिलियेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : हिन्दी के साथ अन्याय हुआ है। इस पर अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये······

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिलियेगा। हम इसको देख लेंगे और पूरा पता करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अयध्क्ष महोदय, 8 अप्रैल, 1985 को तारांकित प्रश्न सं० 323 के बारे में पूरक प्रश्न पूछते समय मैंने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री बूटा सिंह से केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान तथा वहां हो रहे कदाचारों की जांच के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा खंडों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की प्रतियां सभा पटल पर रखने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट का प्रथम खंड अक्तूबर, 1985 में, दूसरा खंड फरवरी, 1981 में और तीसरा खण्ड फरवरी, 1982 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अभी आज तक इन रिपोर्टों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है, इसलिए मैं स्वयं ये तीन खंड ले आया हूं। इन्हें अगर सभा पटल पर रखा जाता है तो जनहित में मैं ऐसा करना पसंद करूंगा ताकि सारे देश को इस संस्थान में किये जा रहे कदाचितों का पता चल सके और जन हित में संस्थान के विरुद्ध जनमत तैयार किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे आज सूचना दी।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने उन्हें सत्यापित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे आज दिए हैं। आपने उन्हें सत्यापित कर दिया है। मैं इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या वे ठीक क्रम में हैं।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन महोदय, उतना ही समय फिर लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उतना ही समय नहीं लूंगा। आप जानते ही हैं कि मैं तत्परता से काम करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें कल सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दे दीजिए। मैं उन पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पहले ही दे चुका हूं, मैं उन्हें सत्यापित कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं······(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो आपसे कह रहा हूं आप आकर मुझसे बात कीजिए।

[अनुवाद]

मैं आपको कुछ बताऊंगा। मुझे मालूम है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : बंगलादेश की सरकार ने वहां सिखों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। यह उनका आंतरिक मामला है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री भजन लाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में प्रधान मंत्री को संसद सदस्यों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने सूचनाएं दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत पहले निर्णय लिया जा चुका है

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा ख्याल है कि······

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। अब श्री कुरूप।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं चाहता हूं कि······

अध्यक्ष महोदय : आपको अधिकार नहीं है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैंने केरल राज्य में स्थित नौसेना अकादमी का स्थानांतरण गोआ में करने के बारे में सूचना दी है।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? मैंने उनसे पूछा है कि क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? इसे अस्वीकृत किया गया।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 2-3 दिसम्बर, की रात को भोपाल में जो भीषण दुर्घटना हुई थी उसमें हजारों लोग मारे गए थे······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं चाहता हूं······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को भी क्यों नहीं बोलने दे रहे ? मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह माननीय सदस्यों व्यवधान डाल रहे हैं। श्री राम निवास मिर्धा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उचित ढंग से कर सकते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, यह एक अलग मामला है। 26 जनवरी से नागर विमानन विभाग स्थानांतरण कर रहा है······(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे······(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत जिद्दी हैं। आप दूसरों को तो बोलने ही नहीं देते। आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अनुमति नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा।

12.14 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1985

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 19 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 982 में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1539/81**]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1985, और केन्द्रीय वक्फ परिषद् का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हू :

(1) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8घ की उपधारा (3) के अन्तर्गत, केन्द्रीय वक्फ परिषद (संशोधन) नियम, 1985, जो 5 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 917 में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1540/85**]

(2) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1541/85**]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत जिद कर रहे हैं । आप इस तरह सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं ? यह तो धृष्टता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है । मैं मामले की जांच करूंगा । इस तरह मैं निर्णय नहीं ले सकता । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्त जी, आप वकील होकर इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं देखना चाहता हूं कि इसे कैसे किया जा सकता है । यही काफी है । मैं इस तरह नहीं कर सकता । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की जिद ठीक नहीं होती । यह तो नकारात्मक दृष्टिकोण है ।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट लेना चाहूंगा । आज से ठीक

एक साल पहले विश्व की सबसे भीषणतम गैस से लोगों की मृत्यु हमारे मध्य प्रदेश, भोपाल, में हुई है। हम चाहते हैं कि आज इस सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। मेरा दूसरा सवाल यह है, मल्टीनेशनल कम्पनी, यूनियन कार्बाइड, का ब्यान आज नवभारत टाइम्स में है······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दीजिए। आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपको बोलने की अनुमति नहीं। अपने मुद्दे को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) लेकिन इस सभा में और आपके प्रकोष्ठ में बहुत अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह कहें कि मुझे हर प्रस्ताव पर यहीं चर्चा करनी है और सब बातें यहीं कही जाएंगी तो मैं सदन का समय इस तरह व्यर्थ नहीं करने दूंगा। बहुत हो चुका।

12.20 म० प०

प्रधान मंत्री की वियतनाम और जापान की यात्रा के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री बलिराम भगत) : प्रधान मंत्री ने 27 नवम्बर, 1985 को हनोई की और उसके बाद 28 से 30 नवम्बर तक टोकियो की राजकीय यात्रा की तथा उसके बाद कुछ देर के लिए क्योत्यो में रुके। श्रीमती सोनिया गांधी भी उनके साथ थीं। उनके प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री और श्री एल० के० झा तथा वरिष्ठ अधिकारी भी थे। प्रधानमंत्री की अगवानी वियतनाम की कम्युनिष्ट पार्टी के महासचिव श्री ली दुआन ने तथा मंत्री परिषद् के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) श्री फाम वांग दोंग तथा अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने की। प्रधान मंत्री ने हो ची मिन्ह की समाधि पर फूल माला अर्पित की। वे स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर एक पार्क के पुनर्नमिकरण समारोह में भी शामिल हुए।

प्रधान मंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रपति से 'गोल्ड स्टार आर्डर, जो कि वियतनाम का सर्वोच्च अलंकरण है, भी ग्रहण किया; यह अलंकरण श्रीमती गांधी को राष्ट्रीय स्वाधीनता, शांति, एकजुटता तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग के लिए उनके अनथक संघर्ष के लिए तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संवर्धन के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इंडिपेन्डेंस हाल मे एक सार्वजनिक सभा को भी सम्बोधित किया।

श्री ली दुआन और श्री फाम वांग दोंग के साथ औपचारिक बातचीत अत्यन्त सौहार्द तथा मित्रता के वातावरण में हुई। इस बातचीत में यह तथ्य उजागर हुआ कि अनेक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और वियतनाम के दृष्टिकोण एक समान हैं। कम्पूचिया के सवाल पर वियतनाम के नेताओं ने अपनी इस इच्छा की पुनः पुष्टि की कि वे इस सवाल का एक राज-

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नीतिक समाधान चाहते हैं और उन्होंने अपने इस वचन पर बल दिया कि वे 1990 तक अथवा उससे भी पहले कम्पूचिया से वियतनामी फौजें हटा लेंगे बशर्ते कि इसका कोई स्वीकार्य राजनीतिक हल निकल आए।

दोनों पक्षों ने अपने दोनों देशों के बीच परंपरागत निकट संबंधों की चर्चा करते हुए अपना यह संकल्प व्यक्त किया कि वे इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे, इन्हें बढ़ाएंगे तथा विविधता प्रदान करेंगे।

भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग का दूसरा अधिवेशन प्रधान मंत्री की यात्रा से ठीक पहले 23 से 26 नवंबर तक हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने और वियतनामी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप-प्रधान मंत्री ने किया। इस संदर्भ में वियतनाम के पक्ष ने कतिपय प्राथमिकताओं का उल्लेख किया सिद्धान्तः इस बात पर सहमति हुई कि सरकार से सरकार को 15 करोड़ रुपये के ऋण के लिए एक नई सारणी का प्रावधान किया जाएगा जिसकी शर्तें बाद में तय कर ली जाएंगी। इससे पहले हमने जो ऋण दिए थे उनका उपयोग वियतनाम को डीजल, बिजली इंजनों, यात्री डिब्बों और माल डिब्बों तथा कपड़ा मशीनों की सप्लाई के लिए गया है। उम्मीद की जाती है कि हमारी सहायता से वियतनाम के उत्पादकर्ता और उनके निर्यात प्रथाओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

इस बात पर भी सहमति हुई कि वर्ष 1986 और 87 की दो वर्ष की अवधि के दौरान एक लाख टन गेहूं का पण्य ऋण भी दिया जाएगा। गेहूं के इस पण्य ऋण से वियतनाम को वहां की हाल ही की बाढ़ और तूफान से क्षतिग्रस्त फसल से उत्पन्न अभावों की स्थिति का सामना करने में मदद मिलेगी।

वियतनाम को लघु उद्योग, रबड़ और कपास की खेती तथा उसके संसाधन में और रेतीले तथा तटवर्ती क्षेत्रों आदि में जंगल लगाने आदि के कामों में तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। दक्षिण वियतनाम के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज में संभावित सहयोग के लिए भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा पैट्रो वियतनाम के बीच एक समझौता भी हुआ जो दोनों पक्षों के बीच काफी महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अध्ययन तथा मूल्यांकन करेगा।

जापान :

प्रधानमंत्री ने अपनी जापान यात्रा के दौरान जापान के सम्राट से मुलाकात की तथा जापान के प्रधानमंत्री यासूहिरो नाकासोने से विस्तृत बातचीत की। उनके अन्य कार्यक्रम इस प्रकार थे :—

(1) जापानी डाईट (संसद) को संबोधित करना;

(2) केईदनारेन जो कि जापानी का आर्थिक संगठनों का प्रमुख संघ है को संबोधित करना;

(3) जापान के सम्राट और साम्राज्ञी द्वारा प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी के सम्मान में दोपहर का भोज;

(4) भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की संयुक्त बैठक में भाषण;

(5) भारत-जापान एसोसियेशन और जापान-भारत मंत्री संबंधी दियतमेन्स लीग द्वारा सम्मिलित स्वागत समारोह;

(6) जापानी प्रैस क्लब में संवाददाता सम्मेलन;

(7) जापान के प्रधानमंत्री और मैडम नाकासोने के साथ टोक्यो के "यूनो" चिड़ियाघर की यात्रा जहां पर कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भेंट किए गए हाथी के दो बच्चे "आशा" और "दया" रखे गए हैं;

(8) टोक्यो और कोबे में भारसीय समुदाय के सदस्यों से अलग-अलग भेंट और जापान की प्राचीन राजधानी क्योत्यो की यात्रा;

मैंने जापान के विदेश मंत्री श्री शितारो आबे के साथ विज्ञा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी भारत सरकार और जापान सरकार के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किए। मैंने उनसे अलग से भी बातचीत की। इस करार में यह व्यवस्था की गई है कि एक संयुक्त समिति गठित की जाए जो एक सहमत कार्य योजना पर फैसला करेगी।

दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच विचारों का व्यापक अदान-प्रदान भी हुआ जिनमें द्विपक्षीय संबंधों तथा आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। जापान की सरकार इस बात पर भी सहमत हो गई है कि गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाने के लिए 30 बिलियन येन (लगभग 160 करोड़ रु०) का एक विशेष ऋण देगी। यह ऋण 39 बिलियन येन के वार्षिक येन ऋण के अतिरिक्त होगा। जापान इस बात पर भी सहमत हुआ है कि वह लखनऊ में संजय गांधी स्मारक अस्पताल बनाने में भारत की सहायता करेगा।

प्रधान मंत्री ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि भारत और जापान के बीच न केवल आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर समझ-बूझ कायम हो सके। इस संबंध में 1987-88 में जापान में भारत का समारोह तथा भारत में जापान का सप्ताह आयोजित करने की संभावना पर बातचीत की गई।

मई 1984 में प्रधान मंत्री नाकासोने की भारत यात्रा और हमारे प्रधान मंत्री की जापान यात्रा को दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण और विकास के नए स्तर के रूप में देखा जा सकता है जिससे न सिर्फ दोनों देशों को परस्पर फायदा होगा बल्कि एशिया में और सारे संसार में शांति और समृद्धि की स्थिति सुदृढ़ होगी।

12.24 म० प०

विधेयक

(एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय श्री अर्जुन सिंह की ओर

*दिनांक 3-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए, उनके निर्यात पर सीमा-शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए उनके निर्यात पर सीमा-शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.25 म० प०

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक*

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। नियम 377 के अधीन मामले।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) केरल के पालघाट जिले के मन्नारघाट और चित्तूर तालुकों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

****श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, मैं सदन का ध्यान केरल के पालघाट

---

*दिनांक 3-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिले के मन्नारघाट और चित्तूर तालुकों में व्याप्त घोर अकाल की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। जब केरल के शेष भागों में बाढ़ आ रही थी, तो उसी समय मानसून के न आने से इन दो तालुकों, विशेष रूप से कोझिनजांपरा और अट्टापड्डी में घोर अकाल व्याप्त था। दक्षिण पश्चिम मानसून इस क्षेत्र में, जिसे पश्चिम घाट का 'वृष्टिछाया क्षेत्र' कहा जाता है, नहीं पहुंचा। सामान्यतः इन क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इस वर्ष यह वर्षा भी नहीं हुई। इस तरह चित्तूर तालुक में कोझिनजांपरा, इस्थेमपट्टी, कोजिपट्टी आदि 10 गांव और मन्नारघाट तालुक में पालक्कायम, काल्लामला, पाद्वायल, शोलायर आदि गांव सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं।

अट्टापड्डी में हरिजन और गिरिजन कुल जनसंख्या का 39.50 प्रतिशत भाग हैं। इस वर्ष सितम्बर में प्रधानमंत्री ने यहां का दौरा किया था। सूखे के परिणामस्वरूप इनके मवेशी मर गए हैं और फसलें नष्ट हो गई हैं जिससे इन लोगों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदेश के अधिकांश लोग मवेशियों से प्राप्त आय पर ही अपना जीवन-यापन करते हैं। आप उनके जीवकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन उनके पास नहीं है।

इस स्थिति में, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन दो तालुकों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकार तुरन्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

(दो) दिल्ली में अस्पतालों की दशा सुधारने और दो नए अस्पताल खोलने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी के अस्पतालों की कमी एवं दयनीय हालत के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिल्ली को राजधानी बने एक अरसा हो गया। कोई समय था जब यहां की आबादी चहारदीवारी दिल्ली तक सीमित थी और गिने हुए अस्पताल थे। बाद में नई दिल्ली का जन्म हुआ और कुछेक अस्पताल भी साथ-साथ जुड़े। आजादी के बाद कई विश्व-विख्यात सुविधाएं यहां रोगियों को आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में मिलती रही हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह सब कुछ काफी है ?

आज दिल्ली की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। अस्पताल उतने ही सिर्फ गिने चुने हैं। हालांकि हिन्दुराव, जयप्रकाश नारायण आदि अस्पतालों में कुछ बढ़ोतरी हुई है लेकिन क्या राजधानी की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए यह काफी है ?

इसके अलावा इन अस्पतालों के रख-रखाव के प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम सुविधाएं सफाई, बिस्तरों का अभाव ये सब समस्याएं बराबर बढ़ रही हैं।

मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकार तुरन्त इस ओर ध्यान दे एवं चांदनी चौक के एरिया में, जमुनापार की बस्तियों में एक-एक अस्पताल तुरन्त खोले। अगर ऐसा नहीं किया तो इतने नीम हकीम और महंगे-महंगे नर्सिंग होमों का राजधानी में और भी जोर बढ़ जायेगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश में रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण एवं निर्माण के संदर्भ में पूर्व रेलवे मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश की हमेशा उपेक्षा की गई है। इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश के विशाल हिस्से को जोड़ने वाली (1) मुरादाबाद-रामनगर मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य का सर्वथा धीमापन, (2) वर्षों पूर्व सर्वे की गई रामनगर-काठगोदाम बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होना, (3) टनकपुर घाट-बागेश्वर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण कार्य हेतु पर्याप्त धनराशि का न दिया जाना तथा (4) काठगोदाम-पीलीभीत लखनऊ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित न करना है।

अतः मेरा माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने एव इस योजनावधि में आवश्यक परिव्यय निर्धारित करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) आंध्र प्रदेश के होर्सली हिल्स और पालकोंडा हिल्स पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : जहां तक दूरदर्शन के प्रसारण का संबंध है, अनन्तपुर, कुड्डापा और चित्तूर जिलों में इसकी सुविधा बहुत कम है। इन क्षेत्रों के लोग दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों को नहीं देख पाते। इन क्षेत्रों में दो स्थान ऐसे हैं जो काफी ऊंचाई पर स्थित हैं।

चित्तूर जिले में होर्सली हिल्स काफी ऊंचाई पर है और यह चित्तूर तथा अनन्तपुर जिलों के बीच स्थित है। कादिरी और पालिवेडूला के बीच स्थित पालकोंडा हिल बड़ी ऊंचाई पर स्थित है और यह कुडाप्पा और अनन्तपुर जिलों के बीच स्थित है। यदि होर्सली हिल्स और पालकोंडा हिल्स पर दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले जाएं तो इससे तीन जिलों, अनन्तपुर, कुडाप्पा और चित्तूर में यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केदिरी और पुलिवेंडुला के बीच होर्सली हिल्स और पालकोंडा हिल्स पर दूरदर्शन रिले केन्द्र शुरू करने के लिए कदम उठाए।

(पांच) केरल में इट्टुमनूर, कोट्टायम स्थित उत्पादन केन्द्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं सरकार का ध्यान केरल में इट्टूमुन्नर, कोट्टायम में भारत सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादन केन्द्र की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। यह उत्पादन केन्द्र कुशल लोगों को रोजगार देने और मशीनों के पुर्जों का निर्माण करने हेतु वर्ष 1957 में शुरू किया गया था। पिछले कई वर्षों से यह केन्द्र घाटे में चल रहा है। इस कारखाने में 145 श्रमिक हैं। उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता। अब यह सुनने में आया है कि उद्योग मंत्रालय इस केन्द्र में उत्पादन बन्द करने की योजना बना रहा है और इसे प्रशिक्षण केन्द्र बनाने पर विचार कर रहा है। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस उत्पादन केन्द्र के उचित कार्यकरण हेतु तुरन्त कदम उठाएं।

(छः) उत्तर गोवा के लोगों के हितार्थ मांडोवी और तिल्लारी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : गोवा सरकार ने दो सिंचाई परियोजनाओं, मांडोवी सिंचाई परियोजना और तिल्लारी सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव रखे थे और ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ें हैं।

मांडोवी नदी बेसिन की एक मझौली सिंचाई परियोजना है, जिससे गोवा जिले के सतारी और बिचोलिम तालुकों के कमांड क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस बांध की लम्बाई 1080 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 56.00 मीटर है। इसकी कुल भंडारण क्षमता 111.19 मिलियन घन मीटर होगी। इस परियोजना के अंतर्गत 5902 हैक्टर खेती योग्य कमांड क्षेत्र आता है।

तिल्लारी सिंचाई परियोजना गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की भंडारण क्षमता 462.27 मिलियन घन मीटर होगी। इस परियोजना से 22,328 हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी जिसमें से 16,978 हैक्टयर भूमि गोवा में आती है। इस परियोजना की लागत को गोवा और महाराष्ट्र आपसी सहमति से मिलकर वहन करेंगे।

तथापि, ये दोनों परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं।

मेरा अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को उत्तर गोवा के लोगों के हित में शीघ्र मंजूरी दी जाये।

12.34 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

[—जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1985-86 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा करेगी और उन पर मतदान होगा। श्री सुरेश कुरूप इस पर बोल रहे थे, वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। भारत सरकार का दावा है कि कर संग्रहण काफी अधिक है क्योंकि इससे वे बजट में दिखाए गए 3649 करोड़ रुपए का घाटा पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं है। इस तथ्य से कि सरकार अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में दूसरी बार प्रस्तुत रही है, केवल यह पता चलता है कि सरकार के दावे गलत हैं। अनुदानों की अनुपूरक मांगें 1824 करोड़ रुपए की हैं।

12.35 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकार यह दावा कर रही है कि गैर योजना व्यय को कम करने जा रही है और इसने इस खर्च को 5% तक घटाने का दावा किया है किंतु गैर योजनागत खर्च बढ़कर 1,111 करोड़ रु० हो गया है, जिससे पता चलता है कि इस संबंध में सरकार द्वारा किया गया दावा गलत है।

मैं जिस दूसरे तथ्य का जिक्र करना चाहता हूं, वह व्यापार घाटे के संबंध में है। आज देश का व्यापार घाटा बहुत अधिक है। यह घाटा लगभग 6000 करोड़ रुपए बैठता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ, यह घाटा कैसे बढ़ रहा है। क्या इसका कारण आयात के लिए लाइसेंस देना है या फिर निर्यात में कमी करना है। इस संबंध में केरल की अर्थव्यवस्था अर्थात नारियल के मूल्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र करना चाहता हूं। भारत सरकार की निर्यात नीति से हमारे राज्य की अर्थ-व्यवस्था को बड़ा धक्का पहुंचा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस संबंध में सदन में कई बार चर्चा हुई है और संबंधित मंत्रियों ने कई बार ये आश्वासन दिए हैं कि नारियल के मूल्य नहीं गिरेंगे। जैसे ही वे आश्वासन देते हैं, इसके मूल्य फिर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों के दबाब में आ रही है। हमारे देश में आंतरिक खपत के लिए नारियल के तेल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके आयात के बारे में आग्रह क्यों कर रही है। मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि इसका कारण सरकार पर बड़े उद्योगपतियों का दबाव होना ही है। औद्योगिक प्रयोजनों तथा अन्य प्रयोजनों दोनों के लिए हमारे देश में जिन उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है उसे भी आयात किया जाता है और यही बात अन्य सभी कृषि उत्पादों के मामले में भी देखी जा सकती है। एक ओर से कृषकों को अपने उत्पादन के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी ओर, उपभोक्ता को, भारत की साधारण जनता को उन सभी वस्तुओं के लिए भारी मूल्य देना पड़ता है जिनकी उन्हें आवश्यकता पड़ती है। आंकडों से पता चलता है कि थोक मूल्य घट रहे हैं। किन्तु मैं नहीं जानता कि हमारे देश में साधारण जनता को उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए अतिशय मूल्य क्यों देने पड़ते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री जी इसके लिए व्यापारियों पर आरोप लगाएंगे। किन्तु यह सच्ची बात है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि सरकार को देश की मूल्य स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कोई समाधान निकालना चाहिए। हमारे देश की जनता को ये आंकड़े नहीं चाहिए कि मूल्य कम हो रहे हैं। वह सवेरे समाचार पत्रों में आंकड़े पढ़ते हैं और जब वह दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि मूल्य कल से अधिक हैं। अतः उचित मूल्य की दुकानों की एक बड़ी शृंखला आरम्भ की जानी चाहिए और सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि ये दुकानें उचित ढंग से कार्य करें।

मैं बाढ़ के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की राशि के संबंध में एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे राज्य तथा इस देश के अन्य राज्यों की ओर से मेरा अनुरोध है कि बाढ़ के सम्बन्ध में दी गई राहत अनुदान के रूप में दी जाये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ प्रतिशत ऋण के रूप में तथा कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में राहत दी जाये। बाढ़ सम्बन्धी सहायता के लिए दी जाने वाली कुल राशि अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए और यह इस देश की सभी संबद्ध राज्य सरकारों की आवश्यक मांग है। प्रति वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, कल एक माननीय सदस्य आवर्ती निधि के विषय में कह रहे थे, जोकि यह बाढ़-ग्रस्त राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए गठित की जानी चाहिए। इस प्रकार की निधि

बनाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को केरल तथा अन्य राज्यों की जनता को, जो बाढ़ की स्थिति का सामना करते हैं, आश्वासन दिया जाना चाहिए कि यह राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

यह कुछ मुद्दे हैं, जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत वर्ष 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी एवं वित्त राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं जिन्होंने देश में ब्लैक-मनी पर नियंत्रण करने के लिए नये कार्यक्रम बनाये और कुछ स्थानों पर छापे डलवा कर करोड़ों रुपये की धनराशि प्राप्त करके भारत सरकार के कोष में वृद्धि की। इससे काला-धन रखने वाले लोग हतोत्साहित हुए। मैंने पिछली बार भी उसी अवसर पर बोलते हुए एक निवेदन मंत्री जी से किया था कि सेल्स-टैक्स या इन्कम-टैक्स को चोरी करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाएं ताकि हमारे रिवैन्यू की लगभग 50 प्रतिशत धनराशि, जो इन लोगों द्वारा चोरी कर ली जाती है, इन लोगों की जेबों में चली जाती है, उसकी बचत की जा सके। उस दिशा में कुछ सराहनीय कार्य हुआ है और सफलताएं भी मिली हैं लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में और भी ज्यादा सख्त कदम उठाये जाएं और वे इन लोगों पर अपने निर्देशों के माध्यम से पूरी निगाह रखें जिससे आम जनता को काफी मदद मिलेगी, राहत मिलेली।

इसके साथ-साथ जहां तक महंगाई का प्रश्न है, इनके प्रयासों से महंगाई पर काफी रोक लगी है हालांकि व्यापारी वर्ग, और विशेषकर जो होर्डर्स हैं······

जैसे कि चीनी के सम्बन्ध में इस सदन में एक विशेष आग्रह किया गया था जब चीनी के रेट्स में बड़ी भारी प्रगति हुई थी जब चीनी के रेट मार्केट में बढ़े थे, उनमें कुछ ही समय के अन्दर दामों पर कंट्रोल हो गया और चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं हम लोगों को उचित मूल्य पर प्राप्त हो रही हैं। मगर माननीय मंत्री जी से इसके साथ-साथ मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि हमारी जो दामों की सूची है, वह हमारी जो सरकारी खरीद-फरोख्त की दुकानें हैं, चाहे वे देहात में हैं, चाहे शहरों में हैं, उन लिस्टों को वहां पर जरूर टंकवाएं, ताकि दुकानदार मनमाने रेट पर चीजें न बेच पाएं और हमारी जनता को उचित मूल्य पर चीजें उपलब्ध हो सकें।

महोदय, जहां तक सूखे और बाढ़ का प्रश्न है, भारतवर्ष में सूखा और बाढ़ लगभग हर वर्ष किसी न किसी प्रान्त में आती ही रहेगी या प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस कार्य के लिए एक विशेष कोष केन्द्र में बनाएं जिसमें कुछ धनराशि हो जिससे यह निश्चित हो सके कि जहां भी बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी वहां पर इस कोष में से तुरन्त राहत के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके तथा इसके लिए यहां पर एक कंट्रोल रूम का भी गठन होना चाहिए ताकि हर प्रान्त के हर जिले के लिए तुरन्त सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान की जा सके और उचित मात्रा में धन राशि वहां पर शीघ्र पहुंचाई जा सके।

महोदय, जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश रहा है, यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। अगर हम आज अपने कृषि के क्षेत्र में निगाह डालें तो पाएंगे कि स्वर्गीय माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से हरित-क्रांति आई और उस समय से किसानों की सुविधाएं बढ़ाई गईं। माननीया प्रधान मंत्री के प्रयासों से ही पूंजी जिसके ऊपर कुछ चन्द व्यक्तियों का कब्जा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उस पूंजी को देहातों में, छोटे वर्गों के लिए, गरीब लोगों के लिए फैलाया गया। आज हम बड़े गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि वह पूंजी जो निश्चित रूप में चन्द लोगों, चन्द उद्योगपतियों के हाथ में थी, आज भारतवर्ष का प्रत्येक निवासी, खुले रूप से धनराशि को प्रयुक्त कर सकता है।

महोदय, हमारी माननीय प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत उस बैंक की धन राशि का उपयोग आज छोटे वर्ग के लोगों, भूमिहीनों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए हो रहा है। मगर इसके साथ-साथ मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी हमारे देहातों में जहां पर सड़कें न ीं हैं, बिजली नहीं है, जहां पर कृषि के लिए सिंचाई के साधन अभी कम हैं, वहां के लिए भी विशेष रूप से पूंजी प्रदान कर उन खेतीहर किसानों और मजदूरों की तरक्की के लिए कुछ कार्य करें।

जहां तक किसानों का प्रश्न है, वहां पर बिजली की कमी के कारण, जहां पर खारा पानी है, सिंचाई के साधन नहीं हैं, अगर ट्यूबैवल्स हैं तो वहां बिजली पूरी तरह से नहीं मिल पाती, उनको बहुत कठिनाई होती है। जहां नहरी इलाके हैं, सिंचाई के साधन कम हैं, जहां नहरों की आवश्यकता हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नदियों पर बैराज और डैम बनाकर पानी को रोका जाये और उसके लिये अधिक धनराशि दी जाये जिससे हम वहां सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध करा सकें।

जहां तक जैरेशन का प्रश्न है, मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र मथुरा में आयल रिफाइनरी है, वहां पर तमाम गैस को जला दिया जाता है। क्यों न वहां पर गैस से उत्पादित विद्युत-घर स्थापित किए जायें जिससे वहां पर विद्युत का प्रोडक्शन बढ़ सके?

ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये, शिक्षा की सुविधाओं के लिए अगर हम प्राथमिक शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान दें तो ठीक है। प्राइमरी पाठशालाएं आज गांव में देहात में अधिकतर खंडहर की अवस्था में पड़ी हुई हैं। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनकी पढ़ाई का वहां कोई साधन नहीं है। आज भी देहात में बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं और बरसात व जाड़ों में अधिकतर स्कूल बन्द रहते हैं। क्यों न प्राइमरी पाठशालाओं की शिक्षा के लिए अधिक धन दिया जाये?

इसी तरह काश्तकारों को जो शुगर की प्राबलम आई थी, उस बारे में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि शुगर फैक्टरियों का और अधिक निर्माण किया जाये जिससे ग्रामीण अंचलों में किसानों की स्थिति में सुधार हो और चीनी की जहां कमी रहती है, उसमें बढ़ोत्तरी हो।

वैसे तो मेरे पास बहुत-सी चीजें कहने के लिए थीं, मगर टाइम की अनिश्चितता की वजह से इन्ही बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय-सीमा के प्रति सचेत

हूं। अतः जहां तक मुझसे संभव होगा, मैं आपको सहयोग देने का प्रयत्न करूंगा……

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं न केवल अनुदानों की पूरक मांग का समर्थन करता हूं किंतु मैं वित्त मंत्री को अपने कार्य काल के दौरान ठोस कदम उठाते रहने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह इसी पथ पर चलते रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति देते रहेंगे। कराधान में जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उनसे यह बात सिद्ध हुई है कि जिस कर नीति का हम अभी तक पालन कर रहे हैं उसका बहुत बोझ पड़ रहा है और उसका बोझ सीमित आय वाले मध्य वर्ग के लोगों पर है। अतः जैसा कि हुआ है सख्तियां कम कर दी गई हैं और वसूली में वृद्धि हुई है। वह पैसा जो गैरकानूनी चलन में था, सरकार के नियंत्रण में आया है और वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था सही पथ पर आई है। इसका चलन अब आरम्भ हुआ है और मैं आशा करता हूं कि अगले बजट तक हमारी अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक नीतियां काफी ठोस होंगी।

अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं सरकार का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। पंडित जी के समय के दौरान इस बात की कल्पना की गई थी कि जहां तक भारत के उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी भागों का संबंध है, वे देश के अन्य भागों से कटे हुए हैं, पिछड़े हुए है और आर्थिक विकास तथा देश की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिक निकट लाया जाना चाहिए। वहां पहुंचना आसान होना चाहिए।

सीमा सड़क नामी एक संस्थान का निर्माण किया गया और इसका काम उत्तर तथा उत्तरी पूर्व में अत्यन्त अलग क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने के मार्ग तैयार करना था। यह विभाग संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इस विभाग ने अच्छा कार्य किया है। किंतु समस्या इतनी विशाल है कि हमें इसकी गतिविधियां काफी हद तक बढानी चाहिएं। हम तकनीक का विकास, अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा अन्य अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और विकसित क्षेत्रों में भी हम तेजी से विकास कर रहे हैं, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है किंतु उन क्षेत्रों तथा उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, प्रगति के बीच बहुत अन्तर है। हमने बालिकाओं के लिए 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का वचन दिया है। हमने जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का वचन दिया है। हमने 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया है और हम गरीब ग्रामीण लोगों की सहायता कर रहे हैं किंतु देश के दूरदराज क्षेत्रों में यह सभी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। जम्मू प्रांत में मेरे तथा मेरे साथी श्री जनक राज गुप्ता के निर्वाचन-क्षेत्र में, मैं सरकार का ध्यान एक सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका निर्माण आर्थिक विकास तथा रक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

दो सड़कें हैं। एक ऊधमपुर जिल में मजाल्टा से आरंभ होकर बसंतगढ़ जाती है और बसंतगढ़ में डूडू, लटी, मन्तलाई, चिनानी से होकर जम्मू-श्रीनगर राज्यमार्ग को मिलाती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सारा क्षेत्र अलग है और लोगों ने केवल आरम्भिक प्रगति ही की है और वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अभी तक रेल नहीं देखी है। उनमें से कुछ चरवाहों का कार्य करते हैं। कुछ लोगों की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व हमें इन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए।

दूसरा, रक्षा के लिए किश्तवाड-मडव-वड़वन से कारगिल तक एक सड़क बनाना अत्यन्त

महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर से कारगिल की वर्तमान सड़क पर दुश्मनों द्वारा गोलीबारी की जा सकती है। युद्ध के विकसित हथियारों तथा आधुनिक विमानों के कारण यह मार्ग अत्यन्त असुरक्षित हो गया है। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम कारगिल को किसी सुरक्षित कार्ग से जोड़ दें और किश्तवाड से कारगिल का मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस मार्ग के बिना हम अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। इस विषय में विचार करने का यह उचित समय है। जो मार्ग चीन से गिलगित जाता है पाकिस्तान उस मार्ग को हमारी सीमा के साथ अनेक सड़कों से जोड़ रहा है, और हमने दूसरी सड़क का निर्माण भी नहीं किया है। अतः रक्षा के मामले में उनकी बराबरी करने के लिए इस सड़क का बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम अपने देश को परमाणु शस्त्रों से बचाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

1.00 म० प०

किन्तु साथ ही यह मार्ग जो थल युद्ध तथा वायु युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दो मार्ग हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक और मुद्दा है और वह हिमाचल प्रदेश तथा हमारे राज्य के कुछ भागों में चाय के उत्पादन के सम्बन्ध में है। मूलतः चाय का बाजार अमृतसर में था। किन्तु अब यह पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। अमृतसर से चाय पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच जाती थी और वहां बाकायदा व्यापार होता था। इस संबंध में मैंने तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का ध्यान आकृष्ट किया जो अब वित्त मंत्री के पद पर हैं, कि अमृतसर में चाय नीलाम केंद्र आरम्भ किया जाना चाहिए और साथ ही चाय व्यापार को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान सरकार को अभी भी अमृतसर से चाय मिल रही है। किन्तु भूमार्ग से उसे नहीं ले जाया जा सकता। अतः पाकिस्तान के बीच में से होकर अफगानिस्तान में चाय की पारगमन सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महोदय, इस बात की घोषणा की गई है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया इस महीने की 16 तारीख को भारत आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि केंद्रीय सरकार उनके साथ यह मामला उठाएगी।

दूसरा मुद्दा सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में संबंधित है। महोदय, सभी संबंधित व्यक्तियों के भरपूर सहयोग के बिना इन क्षेत्रों में जनता को बहुत कम दरों पर जीवन की आवश्यकताओं को उपलब्ध करना संभव नहीं है। मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकारों को पर्वतीय तथा सुदूर क्षेत्रों में एक प्रभावशाली उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन आरंभ करने के आदेश दें ताकि इन लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध की जा सकें। महोदय केंद्रीय सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है पर राज्य सरकारों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों में अशान्ति उत्पन्न होती है। अतः मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की ओर ध्यान दें और राज्य सरकारों को सुस्पष्ट ढंग से वितरण प्रणाली तैयार करने का आदेश दें और सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध करायें। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की पूरक मांग का समर्थन करता हूं।

1.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे प० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते ।

प्रो० मधु दण्डते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक मांगों पर संक्षेप में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। ऐसा करने से पूर्व मैं पिछले कुछ वर्षों से सरकार के कार्य करने के नये ढंग के विषय में सामान्य टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों से सरकार बजट की पवित्रता नष्ट कर रही है। सरकारी बजट से पूर्व एक गैरसरकारी बजट भी होता है जिसमें राजस्व के रूप में भारी राशि एकत्र कर ली जाती है।

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : मेरा विचार है कि उन पिछले कुछ वर्षों में आपके दल का शासन भी शामिल है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कहा कि पिछले अनेक वर्ष जिसमें वह समय भी शामिल है जब आप रेल मंत्री थे।

श्री जाफर शरीफ : आप और मेरा दोनों का।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकारी बजट के बाद अब फिर से अनुपूरक मांगें रखी गयी हैं, साथ ही अतिरिक्त बृद्धियां और ऐसी ही कुछ बातें की गई हैं।

पहले समय में बजट की जो पवित्रता थी ऐसा लगता है वह ऐसी बातों के परिणामस्वरूप बहुत हद तक कम होती जा रही है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरी बार फिर अनुपूरक मागें आयें, ऐसा मुख्य रूप से इसलिये हो रहा है कि सरकार के समक्ष जो नीतियों एवं परिप्रेक्ष्य हैं उनको वह दीर्घकालीन दृष्टिकोण से नहीं ले रही है। परिणामस्वरूप, रोज कुंआ खोदना रोज पानी पीने की स्थिति में रह रहे हैं और सदन के समक्ष कुछ मांगें रखने के लिये तदर्थ प्रस्ताव लाने पड़ते हैं।

श्रीमान् पिछले बजट में जिस घाटे की अनुमान लगाया गया या उसके बारे में एक महत्वपूर्ण पहलू को मैं लूंगा, आपको याद होगा कि मैंने तब क्या भविष्यवाणी की थी, हमसे कहा गया कि घाटा लगभग 3349 करोड़ रुपये का होगा, उत्तर के बाद जरूर कुछ परिवर्तन हुए, पिछले कई वर्षों से बढ़ते हुए घाटे की जो प्रवृत्ति थी उसको देखते हुए मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक यह घाटा जो 3349 करोड़ रुपये का है कम से कम 6000 से 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा और यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक दबाब डालेगा। उस समय इस आलोचना का जबाव वित्त मंत्री जी द्वारा यह कह कर दिया गया कि यदि मानसून अच्छा हुआ तो इस घाटे के प्रभाव का अवशोषण हो जायेगा। अब मानसून ने उन्हें अच्छी तरह संतुष्ट नहीं किया और मानसून का जुआ भी उस हद तक सफल नहीं हुआ जिस हद तक वे चाहते थे। आज,

1824 करोड़ रुपये की वृद्धि कर देने पर यह घाटा 5000 करोड़ रुपये की सीमा भी पार कर जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : लेकिन मुद्रास्फीति जनक दबाव कहां है जिसके साथ आप इसे जोड़ रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूं। आप हमें यह दर्शाने के लिये कुछ आंकड़े दे रहे हैं कि कीमतें उस हद तक नहीं बढ़ी हैं जिस हद तक हम आशा करते थे। हम बहुत ही खुश हुए होते यदि हमारी भविष्यवाणियां गलत साबित होतीं। लेकिन कीमतों पर बहस के दौरान मैंने जो कुछ कहा उसे मैं हर बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बढ़ती कीमतों एवं मुद्रास्फीतिजनक दबाव को मापने के आंकड़ों को तैयार करने का आपका तरीका बड़ा मजेदार है। सरकार एक दीर्घ समयावधि न लेकर देश के सामने यह दिखाने का प्रयास करती है कि वास्तव में मुद्रास्फीति दर क्या है। बल्कि इसके लिए सरकार केवल एक छोटी-सी समयावधि ले लेती है या मुद्रास्फीतिजनक आंकड़े को बिंदुवार उद्धृत करना चाहती है और इस प्रकार एक संतोषजनक तस्वीर रखने का प्रयत्न करती है जैसे कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है और शायद डरने की बिल्कुल ही कोई बात नहीं है।

लेकिन तथ्यों से ऐसी स्थिति की पुष्टि नहीं होती, इन पहलुओं की तथ्यों से पुष्टि नहीं होती। जहां तक व्यापार घाटे का प्रश्न है, वित्त मंत्री जी ने स्वयं इस सदन में स्वीकार किया है। कि अप्रैल से जुलाई या सम्भवत: जून तक यह 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर बोलना चाहूंगा क्योंकि वह बहुत प्रासंगिक है, वस्तुत: समग्र नीतियों को यदि ठीक दिशा दे दी जाए तो इन तदर्थ मांगों की जो आवश्यकता यही है वह बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उदाहरणार्थ आयात एवं निर्यात के मामले में इस सरकार की समग्र नीति को लीजिये। क्योंकि जहां तक व्यापार घाटे का प्रश्न है यह प्रासंगिक है।

श्रीमान्, अब, मुझे नहीं मालूम कि हमारे सदस्यों को याद है या नहीं, लेकिन कुछ ही दिन पूर्ण एक सेमिनार में बोलते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत खतरनाक वक्तव्य दिया और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस बहस के अवसर का लाभ उठाते हुए उस परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करें। उन्होंने आयात का भी उल्लेख किया, उन्होंने आयात प्रतिस्थापन की बात कही और जैसा कि मैंने सेमिनार में दिए गए उनके भाषण की रिपोर्ट में पढ़ा, उन्होंने कहा बताया जाता है कि यदि आयात प्रतिस्थापन बहुत महंगा हो जाय तो हमें आयात में ढील देने को तैयार रहना चाहिये। अत: यह बहुत खतरनाक नीति है, विभिन्न सरकारों के साथ हमारे मतभेद रहे हों लेकिन एक लक्ष्य को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया और वह है आत्मनिर्भरता की भावना, और यदि हम आत्म-निर्भरता चाहते हैं तो हमें यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये कि यदि किन्हीं वस्तुओं के निर्माण की लागत हमारे देश में ऊंची है तो यह उन वस्तुओं को बाहर से आयात करने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें तो सम्भवत: विदेशों से स्टील के आयात तक के लिये द्वार खुल सकता है। अत: मैं इस बात को बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। प्रधान मंत्री द्वारा एक बहुत खतरनाक बात प्रतिपादित की गई है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह बात काफी सोच-विचार कर कही है या उन्होंने विशेष परिस्थितियों पर सहज प्रतिक्रिया के रूप में यह बात कही है, यदि यह वक्तव्य गम्भीरतापूर्ण है और यदि यह सरकार की इस

नीति को दर्शाता है कि इस देश में आयात प्रतिस्थापन महंगा है। जाने की स्थिति में आयात नीति को उदार बनाने के लिये तैयार रहना चाहिये। उस दशा में हमें इस देश में भारी मात्रा में आयात करेंगे, ऐसी सम्भावना है। और जब हम इस देश में भारी आयात करेंगे तो उसका अर्थ होगा विदेशी मुद्रा को व्यय कर देना और देश के व्यापार घाटे को बढ़ाना और इस प्रकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, अत: मैं सरकार को, जहां तक आयात एवं आत्म-निर्भरता का प्रश्न है, ऐसी तदर्थ नीतियों के वारे में चेतावनी देना चाहूंगा। श्रीमान् इस संदर्भ में, मैं कपड़े का उदाहरण दूंगा। क्योंकि पिछले सभा में मैंने कपड़ा नीति पर एक विस्तृत बहस को शुरू करवाया था और पिछले सप्ताह कपड़ा नीति पर ध्यानाकर्षण नोटिस पर मैंने अपनी बात कही थी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आयात नीति के इस संदर्भ में कपड़ा नीति सम्बन्धी इस बिशेष मुद्दे पर मैं फिर कुछ संक्षेप में कहूंगा, कपड़ा नीति में आपने कहा है कि हम देश की कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहेंगे। इसके लिये हम विदेशों से उच्च तकनीक का आयात करना चाहेंगे। जो सफाई दी गई है कि अच्छे स्तर के उत्पादन का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार भारी आयात करने जा रही है, एक बहाना है अब देश में रोजगार के वर्तमान स्तर पर, कपड़ा उद्योग में जैसा कि कपड़ा रिपोर्ट में कहा गया है संगठित कारखानों एवं विकेन्द्रित क्षेत्र को मिला कर सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग में लगे 120 लाख लोगों में से संभवत: संगठित कारखाना क्षेत्र में 13 लाख लोग वास्तव में रोजगार में लगे हैं, 32 लाख लोग विद्युत चालित करघा क्षेत्र में रोजगार में लगे हैं; और 75 लाख लोग विकेन्द्रित हथकरघा क्षेत्र में लगे हैं; इस प्रकार 107 लाख कर्मचारी विकेन्द्रित क्षेत्र में हैं और केवल 13 लाख कारखाना क्षेत्र में हैं। यह जो 13 लाख की संख्या बतायी गई है वह घट कर 11 लाख रह गई है और अनेन्द आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि संख्या पहले ही 11 लाख से घट कर 9 लाख रह गई है और यदि इसके बावजूद उच्च तकनीक इस देश में लायी गई तो मुझे डर है कि यह संख्या 8 लाख से घट कर 5 लाख रह जायेगी। मैं इसका एक ठोस उदाहरण देता हूं कि कपड़ा कारखाने के बुनकर विभाग में यदि हम सुल्जरलूम को लगायें तो उस दशा में बुनकर विभाग में जो कार्य 500 लोगों द्वारा किया जा सकता है, बह केवल 20 लोगों द्वारा करना सम्भव हो जाएगा और इसके परिणाम-स्वरूप हर 500 व्यक्तियों में से 480 व्यक्ति अपने रोजनार से हाथ धो बैठेंगे।

अब सरकार के समक्ष जो नीति है उसके अनुसार हम नि:सन्देह देश का आधुनिकीरण करना चाहते हैं; और तकनीकी को युक्तिसंगत बनाना चाहते हैं। लेकिन गांधी और जयप्रकाश की इस भूमि में हम आदमी और मशीन के बीच सन्तुलन बनाये रखना चाहते हैं। हम मशीन के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन आदमी नष्ट हो जाये ऐसा हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वह मशीन के मलवे के नीचे पूरी तरह दबा हुआ रहे, यह हमारी आकांक्षा नहीं है। इसलिये इस विशेष पहलू पर ध्यान देना होगा, यदि उच्च तकनीक के अविवेकपूर्ण आयात की अनुमति दी जाती है तो मुझे खेद है कि इससे मजदूरों का और भी विस्थापन होगा जिससे कपड़ा उद्योग में और दूसरी समस्याएं पैदा हो जायेंगी। इसलिये यह आयात समस्या इस कारण उसके साथ जुड़ी हुई है।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा पहलू भी है। मैं नहीं समझता कि इस सरकार ने पूरी कराधान नीति 'उत्पादन कर नीति' विभिन्न शुल्क, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अन्तर आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इसके कारण बहुत अधिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, उन्होंने पौलिएस्टर रेशे पर कर से छूट दे दी है और फिलामैन्ट धागे पर नहीं दी है। पहले ही हमारे देश

में 3000 मिलियन मीटर के बराबर कपड़ा यानी कृत्रिम कपड़ा तस्करी होकर आता है। यदि आप यह कल्पना कर सकते हैं कि इस तस्करी को पूर्णतया खत्म किया जा सकता है तो इतनी बड़ा असंतुलन पैदा हो जायेगा और जो अर्थव्यवस्था के विकेन्दित क्षेत्र में जैसे कि विद्युत चालित करघे के क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अतः इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न शब्दों के बीच इस अन्तर को उत्पादन कर के ढांचे को, तथा उस पर लगाये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को भी वास्तव में संशोधित करना पड़ेगा। और फिर, सरकार ने कपड़े के बड़े उद्योगपतियों के सम्मुख पूरी तरह अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार ने उन्हें जो भी वे चाहते हैं दिया है। उन्होंने कारखानों की क्षमता के विस्तार में लगे सारी रोकों एवं प्रतिबन्धों को हटा दिया है। दूसरी ओर हथकरघे हैं। और जब एक ओर हथकरघों और दूसरी ओर कारखानों और बिजली करघों के बीच असमान प्रतिस्पर्धा होगी तो आप देखेंगे कि हथकरघे पूरी तरह बर्बाद हो जायेंगे, अत: ये सब नीतियां समग्र रूप में सरकार के सामान्य परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करना होगा।

उपभोक्ताओं की नई आदतों को संतुष्ट करने की सरकार की जो इच्छा है उसे मैं समझता हूं, लेकिन ऐसी इच्छा पूरी करते समय सरकार ने मानव-निर्मित देशों और कृत्रिम रेशों को नए प्रोत्साहन दिये हैं, लेकिन रुई को बिलकुल पृष्ठभूमि में डाल दिया है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में 101 लाख कपास की गांठें हैं। आगामी वर्ष में 105 लाख कपास की गांठें होने की सम्भावना है। यदि यह दिखाई दिया कि सूती धागे की उपेक्षा कर उसे पृष्ठभूमि में डाल दिया गया है तो, बहुत बड़ी मात्रा में कपास की गांठें उठायी नहीं जायेंगी जिससे इस देश के कपास उत्पादकों को बहुत बड़ी कठिनाइयों तथा कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अत: यह मांग ठीक ही की गयी है कि या तो आप कपास का सुरक्षित भण्डार बनायें, या हमें और अधिक निर्यात करने दें, लेकिन कपास के और अधिक निर्यात करने के रास्ते में कौन आ रहे हैं ? मैं समझता हूं कि फिर बड़े उद्योगपतियों की लाबी इस सरकार पर क्रिया कर रही है; सरकार पर दबाव डाल रहे हैं; और वे यह चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर कपास का निर्यात करने की अनुमति न दी जाय, क्योंकि यदि अधिक कपास का निर्यात किया जाता है और इसकी थोड़ी ही मात्रा बची रहती है तो इस कृत्रिम कमी के कारण, आप पायेंगे कि कपास की कीमतें बढ़ जायेंगी उस स्थिति में बड़े कारखानों के मालिकों को अपने धागे के लिये कपास ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ेगी। इसलिये वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं, "इन्हें निर्यात करने की अनुमति मत दीजिये।"

कपड़े पर बहस के दौरान मैंने इस सदन में मांग की थी कि कपड़ा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक दिन मैं एक आश्चर्य करके दिखाऊंगा और उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखूंगा। मैं ऐसा करने का इच्छुक हूं। उस समिति में कई मजदूर-संघ वाले थे जिन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिये हैं जो निश्चित रूप से उद्योगपतियों के हक के विरुद्ध हैं। उनको अस्वीकृत कर दिया गया है, और एक के बाद एक पैराग्राफ, जो कि बड़े उद्योगपतियों के सुझाव हैं जिस रूप में दिये गये थे उसी रूप में, कपड़ा नीति के प्रकाशित दस्तावेज में विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि इस सदन को यह ज्ञात हो जाए कि अन्तिम चरण में किस प्रकार का कपड़ा नीति दस्तावेज तैयार किया गया है।

यह हब असमान्यताएं एवं विकृतियां इसमें हैं। जब तक सरकार उन्हें सुधारती नहीं, अर्थात् हथकरघों को अच्छा न्याय देकर बिजली करघों को अधिक अच्छा व्यवहार करके, संगठित कारखाना उद्योग में लगे लोगों को काम की अधिक सुरक्षा प्रदान कर तथा साथ ही कृषकों को अधिक अच्छा बर्ताव और लाभकारी मूल्य देकर सुधार नहीं करती तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता। ये वे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

सरकार सार्वजनिक उद्यमों के लिए कुछ धन चाहती है। इस सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह मानकर चलते हैं कि निजी उद्योग अच्छी बातों का मूर्तमान स्वरूप है और सार्वजनिक क्षेत्र में सारी कमी, दोष और बुराइयां हैं। लेकिन कार्मिक संघों के साथ समस्याओं पर विचार करते समय सरकार ने यह राय व्यक्त की है कि सरकार को आदर्श नियोजक होना चाहिए। सार्वजनिक उद्योगों का संचालन अधिक सही ढंग से होना चाहिए क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था में उसका उन्नत स्थान है। यदि निजी उद्योग में मुनाफे में कमी हो तो समाज का अहित नहीं है किन्तु सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में होने वाला अतिरिक्त लाभ पुनः इसी क्षेत्र के विस्तार के लिए तथा विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सरकारी उद्योगों में अतिरिक्त लाभ हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक है अतः निजी उद्योगों की अपेक्षा इनकी प्रबंध व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक होनी चाहिए क्योंकि उनमें अधिक सामाजिक हित छिपा है तथा इनसे प्राप्त अतिरिक्त रकम हम सामाजिक और विकासशील कार्यों में लगाते हैं। इसलिए सरकार को सरकारी उद्योग क्षेत्र की व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उन लोगों को ही इनका प्रबन्ध सौंपना चाहिए जो सार्वजनिक उद्योगों की नीति के प्रति वचनबद्ध हों। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है। सरकारी उद्योगों में ऐसे लोग हैं जो इनका प्रबन्ध निजी उद्योगों की नीति में आस्था रखते हुए चलाते हैं। इस विरोधपूर्ण स्थिति को हमें दूर करना चाहिए।

प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में इस सरकार को मैं अनुपूरक अनुदानों के अवसर पर सावधान करना चाहता हूं कि उसे यदि तदर्थवाद की नीति त्यागनी है तो बुनियादी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। वित्त विधेयक के अवसर पर मैंने जो बात कही थी उसे मैं दोहराना चाहता हूं उन्होंने वित्तीय प्राथमिकताओं का क्रम बदलकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है, किन मदों पर आबंटन में कमी की गई है? कृषि वित्त संस्थाओं के लिए धन आबंटन में कमी की गई है। औद्योगिक वित्त संस्थाओं के आबंटन में कमी की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की स्व-रोजगार योजना के लिए राशि घटा दी गई है। उपभोक्ता उद्योगों के लिए भी कम धन आबंटित किया गया है। फलस्वरूप आप देखेंगे कि इस प्रकार उलट-पुलट की गई प्राथमिकताओं के कारण अर्थ-व्यवस्था कठिनाई में फंसती जा रही है। इस पहलू में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

हमारे प्रधान मंत्री इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण करने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। हम जो व्यक्ति अब पन्द्रह वर्ष जीवित रहेंगे वह स्वतः इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंच जायेंगे। लेकिन प्रधान मंत्री जब इक्कीसवीं सदी की बात करते हैं तो इसके पीछे उनका एक विशेष दृष्टिकोण रहता है, वह देश को इस प्रकार आगे ले जाना चाहते हैं कि जिससे धनी, समृद्ध और टेकनोक्रेट शीघ्र ही 21वीं सदी में पहुंच जायें परन्तु इसका परिणाम क्या होगा? धनी और समृद्ध व्यक्तियों के 20वीं सदी में 21वीं सदी में पहुंचने के बारे में तो मैं इतना चिंतित नहीं हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे और बीसवीं सदी में रह रहे व्यक्ति इस सदी तक जीवित बचे रहें

और उन्हें उन्नीसवीं सदी में पीछे न धकेल दिया जाये। मुझे आशंका है कि मौजूदा नीति और तरीके समृद्ध श्रेणी के एक वर्ग को तो इक्कीसवीं सदी में ले जाएंगे और देश में निर्धन वर्ग उन्नीसवीं सदी की ओर पीछे धकेल दिया जाएगा और इस तरह के धनी और गरीब के बीच आर्थिक विषमता के अतिरिक्त सदी के अन्दर की विशाल खाई पैदा हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी और आर्थिक नीति में दिशा, उसकी प्राथमिकताओं और सम्पूर्ण रूपरेखा में परिवर्तन करेगी। यदि इस कार्य में सफलता मिली और आत्म-निर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़े तो समय-समय पर जो अस्थायी नीति अपनाई जाती है और इस सभा के सामने अनुपूरक मांगें पेश की जाती हैं यह मार्ग भविष्य में उन्हें नहीं अपनाना पड़ेगा।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : प्रो० मधु दण्डवते जी ने जो कुछ कहा उसके प्रति मेरी अपार श्रृद्धा है। कई बातें उन्होंने बताईं कुछ से तो मैं सहमत हूं परन्तु कुछ बातों में उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये मुद्दों एवं चर्चा को सुन रहा था। मैं इस चर्चा के खास-खास पहलुओं को ही लूंगा। उसमें से कुछ हैं बढ़ता हुआ व्यापार अन्तर, आयात नीति से निकलने वाले परिणाम, गैर-योजना परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य, मुद्रास्फीति तथा घाटा।

कुछ और मुद्दे भी हैं जिनका उत्तर मेरे सहयोगी श्री पुजारी जी देंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के यही कुछ व्यापक आयाम हैं जिन पर गत वाद-विवाद के दौरान ध्यान आकर्षित किया गया है।

बढ़ते हुए आयात एवं व्यापार घाटे के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। परन्तु उस पर आने से पहले अनुपूरक मांगों की युक्तिसंगतता का प्रश्न भी उठाया गया। और अगर हम अनुपूरक मांगों को देखें तो हम यह बात देखेंगे। श्री कुरूप ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि गैर-योजना परिव्यय 1,111 करोड़ रुपये है तथा गैर-योजना परिव्यय में भारी वृद्धि हुई है। अगर हम इसे देखें तो इसमें है क्या? 1,111 करोड़ रुपये में से 490 करोड़ रुपये राज्यों को दे दिये गये हैं। इस सदन में, विपक्षी दल माननीय सदस्य हमेशा ही यह मुद्दा उठाते आये हैं कि राज्यों को धन से वंचित किया जा रहा है तथा तथा सारा पैसा केन्द्र ही रख रहा है आदि-आदि। जब हम राज्यों को धनराशि हस्तांतरित करने की बात करते हैं तो यह मुद्दा उठाया जाता है कि आप क्यों यह हस्तांतरण कर रहे हैं? खाद्य एवं उर्वरक पर 500 करोड़ रुपये की राज सहायता दी गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जोकि हर व्यक्ति चाहता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस बात का हम ईमानदारी से जवाब दें। क्या हम इसे चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं? और यदि हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ गया है, उर्वरक उपयोगिता बढ़ गई है तो इस बात को देखते हुए हमें इस पर राजसहायता देनी होगी तथा यह व्यय गैर-योजना व्यय में शामिल होगा।

हिन्दी में कहावत है :

[हिन्दी]

लिफाफा देखकर ही खत का मजमून जान लेते हैं। लेकिन यहां तो खाली लिफाफा ही देखते हैं। खाली सप्लीमेण्टरी का लिफाफा देख लिया, खत क्या है, वह नहीं देखते।...**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप कार्ड पर ही लिखते हैं तो लिफाफा पढ़ने का सवाल ही नहीं होता है।...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अतः यह देखने की कोशिश करिए कि उर्वरक पर राज सहायता या राज्य सरकार को यहां पर राज सहायता दी गई और अनुपूरक अनुदानों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए दिए गए 250 करोड़ रुपये रखे गये हैं। तदर्थता का जो मुद्दा उठाया गया है, मैं नहीं जानता कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम कैसे योजना बना सकते हैं।

इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 96 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है तथा 96 करोड़ रुपये ही ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए रखे गये हैं। इसी सदन में इसी वर्ष मैंने कहा था कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम गरीबी हटाने सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए ज्यादा धन का आबंटन करेंगे। यह अनुपूरक मांगें इस बात का सबूत हैं। गरीबी दूर करने एवं संसाधनों के बारे में हमने जो वचन दिये थे उसमें कोई कमी नहीं की गई है। यह इसी बात का सबूत है कि आज हम इन कार्यक्रमों के लिए धन का आबंटन कर रहे हैं। इसे अनुपूरक अनुदानों में मिला दिया गया है लेकिन हमें कहा जा रहा है कि यह 'व्यर्थ का व्यय' है।

300 करोड़ रुपये अल्प बचत के अधिक उद्ग्रहण के सम्बन्ध में हैं। यह राज्य सरकारों के लिए प्रशंसा की बात है कि उन्होंने अल्प बचत जमा को बढ़ाया है तथा यही अनुपात हम उन्हें दे रहे हैं।

क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं? इस अनुपूरक अनुदान में से कोई ऐसी मद बताइए जोकि व्यर्थ हो।

परन्तु यह सच है कि हमें अपने गैर-योजना व्यय को देखना है तथा यह पता लगाना है कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। जब हम गैर-योजना व्यय की बात करते हैं तो आम लोगों की धारणा है कि प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है। परन्तु ऐसा नहीं है। मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : पहली दफे इनमें कमी की जा रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं इस बात पर आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आम धारणा माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

अगर हम 'केन्द्रीय सरकार कर्मचारी वेतन एवं मजदूरी' के 1980 तथा 1983 के आंकड़ों को देखें, इस खर्च के बारे में हमेशा यही धारणा रही है। सरकार के कुल खर्च का यह 10.2 प्रतिशत था। 1985-86 में जबकि इसके आंकड़े 4,953 करोड़ रुपए हैं, प्रतिशतता के हिसाब से यह 9.6 है। सरकार अपव्यय नहीं कर रही है।

गैर-योजना व्यय का मुख्य आधार है—प्रतिरक्षा ब्याज और उर्वरक तथा अनाज पर राज सहायता—यह गैर-योजना खर्च का 70 प्रतिशत है। इस विषय में श्री दंडवते जी की बुद्धिमता और अनुभव से मैं लाभ उठाना चाहता हूं। 1980-81 में प्रतिरक्षा व्यय रु० 3,867 करोड़ का जो 1985-86 में बढ़कर रु० 8,200 करोड़ हो गया है। देश में उर्वरक पर वर्ष 1980-81 में रु० 170 करोड़ की राज-सहायता वर्ष 1985-86 में बढ़कर रु० 1,450 करोड़ हो गई है।

आयातित उर्वरक पर वर्ष 1980-81 में राज सहायता रु० 335 करोड़ थी जो अब वर्ष 1985-86 में रु० 601 करोड़ है। खाद्यान्न पर राज सहायता वर्ष 1980-81 में रु० 650 करोड़ से वर्ष 1985-86 में रु० 1,650 करोड़ तक बढ़ गई है। इन बुनियादी बातों पर हमें ध्यान देना है। हम इसको दोहराते रहें तो उचित नहीं है कि गैर योजना खर्च उचित नहीं है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रतिरक्षा, ब्याज आदि पर 70 प्रतिशत खर्च की समस्या कैसे हल की जाये। हृदय टटोल कर हम इस समस्या का हल ढूंढे। हमने पांच प्रतिशत कटौती कर दी है और इससे रु० 800 करोड़ की बचत होगी। इसका पचास प्रतिशत प्रतिरक्षा पर है। किन्तु इनकी सीमा है। हम देश की रक्षा जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं और इसमें ढिलाई भी नहीं करेंगे। कर वृद्धि के लिए भी हमने कोशिश की है। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि शून्य आधार पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई जाये इसका अर्थ यह है कि प्रारम्भ से ही खर्च का औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा। वर्तमान में खर्च में वृद्धि का औचित्य हम बताते हैं, हम यह मान लेते हैं कि वर्तमान खर्च उचित है। हमें विशेष क्षेत्र का चुनाव करना होगा। यह प्रक्रिया कठिन है। केवल एक वर्ष में हम प्रत्येक विषय पर इसे लागू नहीं कर कर सकते हैं। इसमें अधिक समय चाहिए। लेकिन हमने यह प्रक्रिया अपनाने का निर्णय कर लिया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि केन्द्र सरकार पर भी अनुशासन लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका क्या तरीका हो यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब समय आ गया है और सरकार को सम्पूर्ण घाटे की स्थिति और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा सरकार को दिए गए कुल ऋण पर विचार करना चाहिए। कुछ देशों मे संविधान में औपचारिक प्रावधान है कि निर्दिष्ट सीमा से बाहर जाने पर संसद के समक्ष यह लाना आवश्यक है। लेकिन मेरी राय में हमारी मौजूदा परिस्थिति में यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। लेकिन इस विषय में अनुशासन और नियंत्रण एवं सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता है। मैं मूल धारणा से असहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन परम्परा तो यह है कि जब आप संसद के समक्ष आते हैं तो घाटा ही दिखाते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे पूंजीगत व्यय के बारे में भावी अनुमानों पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि हम कोई परियोजना प्रारम्भ करें और यह अनुमान लगाएं कि तीन-चार वर्षों में इस पर कितना खर्च होगा तब हम भावी व्यय का पता लगा सकते हैं। अनेक बार सांकेतिक अनुदान का प्रावधान रहता है। इससे परियोजना के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती और वह पूर्ण नहीं होती। हम इस स्थिति का निवारण करना चाहते हैं। इन दिशाओं में हम सोच रहे है। सदन के साथ मैं सहमत था कि यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इस पर दो मत नहीं हो सकते।

मैं अपने कर संबंधी प्रयासों के आंकड़ों का विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन यह कहना संगत है कि बजट की जो संकल्पना है उस पर विवाद का आधार दो बातें हैं—बजट पर घाटे का प्रभाव और करों में रियायतें। पूरा आर्थिक दर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस घाटे के परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार दो अंकों वाला हो जाएगा और क्या इन कर रियायतों के फलस्वरूप कर राजस्व कम प्राप्त होगा तथा सरकारी क्षेत्र में धन लगाने का प्रयास घट जाना। मैं समझता हूं पर्याप्त समय बीत गया है और हमारे सामने सच्चाई है। अप्रैल-अक्तूबर की अवधि

में कुल करों में वृद्धि हुई है। बजट प्राक्कलन पिछले वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक था। करों से प्राप्त कुल राजस्व 22.54 प्रतिशत अधिक है और यही वास्तव में विचारणीय विषय है। यह नहीं है कि हमने अप्रत्यक्ष करों द्वारा इस बढ़ोतरी को पूरा किया है। प्रत्यक्ष करों में 25.4 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला है जो हमारी प्रत्याशित वृद्धि से दुगना है। यह हमारे वाद विवाद की पुष्टि करता है। हमारे पास बहुत से कर हैं। हमने बहुत अधिक कर वसूली की है। क्या आप दर चाहते हैं या कर ? हमारे पास कर हैं और इसके द्वारा हमने सरकारी कोप में अधिक राजस्व प्राप्त किया है और इस तरह सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन प्राप्त किये हैं। इसके साथ ही घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने कहा है कि ये सब हमारे ध्यान में हैं और मैंने कहा है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए ये कदम हमारे ध्यान में है। मैंने स्वानुशासन के बारे में भी कहा है। लेकिन आर्थिक अर्थ में घाटा एक ऐसा सकल आंकड़ा नहीं है जिसकी आप इस वर्ष और उस वर्ष से तुलना कर सकते हों। घाटे की अर्थव्यवस्था को जी० डी० पी० तथा जी० डी० पी० में वृद्धि और अर्थव्यवस्था की उसे पचाने की क्षमता के साथ पाया जाना चाहिए। हम किसी भी घाटे की अर्थव्यवस्था से क्यों डरते हैं ? हम उसके मुद्रास्फीति-कारी दबाव से डरते हैं। यदि हम मुद्रास्फीति की 4.6 प्रतिशत दर रख सकते हैं और फिर भी घाटे की अर्थव्यवस्था है तो वास्तव में हमने अच्छा काम किया है अन्यथा घाटे की अर्थव्यवस्था के डर से हमें अपनी योजना में कटौती करनी होगी। हमें विकास में कटौती करनी होगी। जबकि हम विवेकपूर्ण निर्णय द्वारा इसे बनाए रख सके हैं , लेकिन हमने न तो योजना में कटौती की है न ही राज्यों की केन्द्रीय सहायता में कटौती की है। इस घाटे की अर्थव्यवस्था को लेने के लिए हमने समझदारी का निर्णय लिया है और हमारे पास मुद्रास्फीति की दर 4.6 प्रतिशत है जबकि आमतौर पर मुद्रास्फीति की औसतन वार्षिक दर 9 से 10 प्रतिशत रहती है। परन्तु मैं यह नहीं कहता कि इस ढंग से मैं अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था की नीति का समर्थन कर रहा हूं। नहीं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इसने वास्तव में हमें हानि नहीं पहुंचाई है।

आयात और आयात नीति तथा इसके प्रभावों के बारे में एक बात कही गई थी। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब हम अपने विदेशी ऋण समस्या का हल एक प्रशंसनीय ढंग से करने में सफल हुए हैं, ऋण जाल में नहीं फंसे हैं परन्तु उसी के साथ हमें सावधानी भी बरतनी होगी। हम खुशी नहीं मना सकते हैं क्योंकि, पहले, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस्त देय हो जाएगी और दूसरा, कच्चे तेल के उत्पादन की जो दर थी जो हमारी विदेशी मुद्रा को मुख्यत: बचाती थी वह कायम नहीं रहेगी। तेल उत्पादन की उस दर को कायम नहीं रख सकते हैं जो छठवी योजना में थी। रियायत दर मिलने वाली सहायता पहले ही कम होती जा रही है। वाणिज्य ऋणों को लेने का दबाव है जो बहुत महंगा पड़ता है। इस स्थिति में हमें सावधानी बरतनी होगी तथा मैं समझता हूं कि यह वह समय है जब हमें देश को सावधान रहने की चेतावनी देनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी विदेशी ऋण की समस्या का उसी बुद्धिमत्ता से मुकाबला करेंगे जैसाकि हमने पिछले समय किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध की कुंजी आत्मनिर्भरता को बनाना होगा। आज जो हमारी शक्ति है वह हमें उसी से मिली है। विभिन्न मंचों पर हम खड़े हो सकते हैं तथा कह सकते हैं कि यह हमारा दृष्टिकोण है। हमारे नेताओं ने हमें आत्म-निर्भरता का सिद्धांत दिया है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्मित की गई है। यह सिद्धान्त आज भी उतना वैध है जितना पहले था तथा यह हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार है। कोई

भी उदारीकरण हो, वह हमारी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा करने में होना चाहिए। आयात को भी उसी हद तक उदार बनाया जा सकता है जिस हद तक साधन अनुमति देते हैं। इसमें केवल किसी सिद्धांत या ऐसी विचारधारा का प्रश्न नहीं है जिसका आप अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हो। अन्ततः हमारे पास विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। आयात उदारीकरण का प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है। निश्चित रूप से हम अपनी जेब से बाहर नहीं जा रहे तथा ऋण लेकर आयात का उदारीकरण करें, यह हमारी नीति नहीं है। यदि यह विवाद इस विचार को दूर करने के लिए है तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह हमारा विचार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस विषय पर आ रहा हूं लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा विचार क्या है। हम इसे उचित संदर्भ में रखना चाहते हैं। इस संदर्भ में आयात प्रतिस्थापन भी बहुत संगत है विशेषकर इस समय जब हमें निर्यात के मामलों में मजबूत संरक्षण-वादी प्रहरियों से सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख औद्योगीकृत देशों ने जिन्होंने यह घोषणा करने के बावजूद भी कि वे उदारीकरण का पालन कर रहे हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो विकासशील देशों को सीधे प्रभावित करने वाले हैं, और कपड़े के विदेश व्यापार पर भी, जिसमें भारत को दिलचस्पी है प्रभाव डालने वाले हैं। जब इस तरह की स्थिति है तो विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए आयात प्रतिस्थापन बहुत वैध हो जाता है और यह सरकार की नीति है कि हम आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनायें।

प्रधान मंत्री जी ने जो बात बतायी थी और प्रो० मधु दंडवते ने जिसका उल्लेख किया है वह आयात प्रतिस्थापन की लागत के बारे में है। वह आज भी संगत है क्योंकि यदि हम आयात प्रतिस्थापन का केवल ऊपरी पहलू ध्यान में रखें और यह न देखें कि उस पर कितनी लागत पड़ रही है और क्या उससे विदेशी मुद्रा की कोई वास्तविक बचत होगी और यह कितना उपयुक्त होगा तो ऐसे आयात प्रतिस्थापन से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। स्वदेशी के नाम पर भी यदि उसमें आयातित सामान 90 प्रतिशत लगा हो और विदेशी मुद्रा की केवल 10 प्रतिशत कुल बचत हो और फिर 100 प्रतिशत लाभ कमाने के लिए संरक्षण प्राप्त मार्केट मिलने के कारण आप सारी लागत बढ़ा दें तो यह केवल आयात प्रतिस्थापन का दिखावा ही होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मंत्री जी का आयात प्रतिस्थापन पर यह तर्क नहीं था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मूल तर्क दे रहा हूं। यदि डालर कमाने की कोई लागत पड़ती है तो वह वैध लागत होनी चाहिए तथा निश्चित रूप से इस संदर्भ में आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य यह होगा कि आप ऊंची लागत की अपेक्षा समूची वस्तु आयात कर लें।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने यह बिना अधिक सोच के कहा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस संदर्भ में भी यदि हम व्यापार की बात करते हैं तो समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार संगत है। निश्चित रूप से किसी भी समाजवादी देश ने संरक्षणवादी उपाय नहीं अपनाया है जिससे भारत का व्यापार उनसे न रहे। विदेशी मुद्रा की समस्या से बचने के लिए समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत संगत होगा। इसलिए मैं समझता

हूं कि आयात के मामले में सावधानी के साथ निर्णय लेना होगा। समाजवादी देशों से जिन चीजों को हम खरीद सकते हैं वे चीजें हमें उनसे और अधिक खरीदने के लिए निर्णय लेना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी देश के साथ किसी भी व्यापार के मामले में कीमतों के पहलू पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह केवल हमें विदेशी मुद्रा की समस्या से ही नहीं बचाता है बल्कि उसी के साथ हमारे निर्यात को गारंटी भी देता है क्योंकि इसका आधार संतुलित व्यापार है। अतः यह हमें दोनों दिशाओं में आश्वस्त करता है। इस संदर्भ में व्यापार के मामले में विकासशील देशों के साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग बहुत महत्व रखता है। मैं समझता हूं कि संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए जिनका कि हम सामना कर रहे हैं, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के निर्माण का समय आ गया है। यह बहुत खुशी का अवसर है कि दिल्ली में (जब विकासशील देशों का सम्मेलन हुआ) विकासशील देशों ने कार्यक्रमों की एक अनुसूची का निर्णय लिया जिससे विकासशील देशों के व्यापार में वरीयता बरतने की ओर प्रगति कर सकें। हमें इस प्रवृति को मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि वाद विवाद में थोड़ी-सी अस्पष्टता पैदा हो गई है। मैंने इस बात का अध्ययन किया है कि आयात बढ़ जाने के कारण क्या हैं। इन चीजों का विश्लेषण करना तब मर्ज की सही दवा देना बहुत आवश्यक है। सही निदान बहुत आवश्यक है। सितम्बर में आयात के ढांचे का विश्लेषण करते समय यह पता चला है कि पिछले वर्ष की तुलना में पी० ओ० एम० में वृद्धि 250 करोड़ रुपये की है। उर्वरक में 200 करोड़ रुपये, चीनी आयात में 150 करोड़, सभी क्षेत्रों द्वारा उपकरणों आदि के आयात में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि है। अतः ये भारी मात्रा में किये गये आयात हैं जो मूलतः सरकारी क्षेत्रों में हैं। नीति में उदारता या नीति में उदारता न करना, यह इन बातों से स्वतंत्र है। हमारी सुरक्षा आवश्यकता में पिछले वर्ष की अपेक्षा ओ० जी० एल० आदि केवल 20 प्रतिशत बढ़ा है। 80 प्रतिशत की जो भारी बृद्धि हुई वह अन्य सरकारी क्षेत्र के माध्यम या सरकारी निर्णयों के कारण हुई है। अतः ऐसी बात नहीं है कि इस उदारीकृत नीति का यह परिणाम हो जैसा कि कहा जा रहा है। उदारीकृत नीति को काम करना है परन्तु अपने ढांचे के भीतर रह कर। मैं अपनी टिप्पणियां पहले दे चुका हूं। इससे आत्मनिर्भरता बढ़नी है। जहां हमारे देश में उत्पादन और तकनीक में भारी अन्तर रह रहा है, केवल वहीं हमें अपनी आयात नीति को उदार बनाना है और ऐसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के बारे में भी उदार नीति बनानी है जो हमारे निर्यात को मजबूत करेगी। यह हमारी नीति नहीं है कि सबके लिए आयात खोल दें और अंधाधुंध रूप से। कभी नहीं। यदि आप गलत निदान निकालते हैं तो आपको गलत दवाई मिलेगी। अतः हमें यह सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैं इस वर्ष के पी० ओ० एल० की खपत के आंकड़ों को देख रहा था जो सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के अनुमानित खपत के बराबर पहुंच गये थे। 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आयात होने का और अनुमान लगाया गया है। मैं समझता हूं कि हमें इसे देखना होगा और हम इसे देख भी रहे हैं इसके साथ ही हमने खाद्य तेलों के बारे में कुछ निर्णय लिए हैं जिससे खाद्य तेलों के आयात को चरणबद्ध रूप से घटाया जा सके। खाद्य तेलों तथा चीनी के आयात के मामले में हम अर्थ-व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कीमतें बढ़ने पर हमने आयात करके स्थिति संभाली है। लेकिन, यह पूरा हल नहीं है। यदि आपको मलेरिया होता है तो कोनीन कुछ समय के लिए आपको मदद कर सकती है। लेकिन यह उपचार नहीं है। हमें इस पर अधिक खुशी से नहीं फूलना चाहिए कि हमारे पास बहुत अधिक विदेशी मुद्रा है जिसे हम कुछ खर्च कर सकते हैं, खा सकते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो हमें देश के साथ इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा स्पष्ट

रूप से करना चाहिए कि इन आयात को हम सहन नहीं कर सकते। हमने अपने उद्योगों को आयात के सहारे सुरक्षित रखा है। वह उनकी प्रगति की अवधि थी। अब वे पर्याप्त मजबूत हैं। हम उन्हें सीमित प्रतियोगिता, प्रतिबंधित प्रतियोगिता न कि असीमित प्रतियोगिता के सामने खुला छोड़ रहे हैं। उसी तरह कृषि क्षेत्र को लें। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे पास गेहूं बहुत है। हमारे पास खाद्यान्न की कमी है। यदि कुछ होता है तो हमें खाद्य तेल और चीनी को आयात करना चाहिए। हमें वही नीति अपनानी चाहिए जो हमने उद्योग में अपनाई थी। हमने उन्हें आयात में कटौती करके सुरक्षित किया। हमें विदेशों से इन आयात को कम करना पड़ेगा। इससे मूल्य में वृद्धि होगी। इस तरह वित्त मंत्री जी उलझन में पड़ेंगे। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। यह नहीं है कि देश के दीर्घकालीन हित के सामने अपना बचाव करना है। इस मूल्य प्रक्रिया से किसानों को अच्छे मूल्य मिलेंगे तथा देश में तिलहनों का अधिक उत्पादन होगा और एक दिन हम आयात से छुटकारा पा सकेंगे। हम इसी नीति का पालन कर रहे हैं, और यदि इसमें कोई वृद्धि होती है, तो माननीय सदस्यों को इसे वहन कर लेना चाहिए कि यह समझबूझकर लिया गया निर्णय है, हमने चीनी तथा खाद्य तेलों के आयात से बचने के लिए हमने यह……

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने गन्ना उत्पादकों के स्थान पर चीनी उद्योग को ही सहायता दी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बात यह है कि हम चाहते हैं कि गन्ना उत्पादक अपने कार्य में रुचि लें तथा चीनी उद्योग भी स्वस्थ बना रहे। हमें अपना कुछ आडम्बर छोड़ना चाहिए। **(व्यवधान)** प्रबन्ध का दूसरा तरीका यह है मैं ईमानदारी से बताता हूं कि हम आयात करते रहें और पूर्ति होती रहे। उनकी मांग 84 लाख टन है, उत्पादन 62 लाख टन है। हमने किसानों के लिए $2\frac{1}{2}$ रुपये की वृद्धि की है। यदि हम यह वृद्धि नहीं करते तो कम एकड़ों में गन्ना बोया जायेगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमें बहुत खुशी है कि आपने इसे बढ़ा कर 16.5 प्रतिशत कर दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, कम से कम आप इस बात पर तो खुश हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : परन्तु चीनी पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके आप 18 प्रतिशत कर सकते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है। प्रो० रंगा ने कल महत्वपूर्ण बात कही तथा श्री दण्डवते ने भी सरकारी क्षेत्र के कार्य की चर्चा की है। मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि सरकारी क्षेत्र की कार्यक्षमता सुधरनी चाहिए। ऐसा शुरू से किया जाना चाहिए था, मूलतः आत्मनिर्भरता बनाये रखने तथा अधिक संरचना के निर्माण के लिए। छठी योजना के दौरान 46 प्रतिशत पूंजी सरकारी क्षेत्र पर लगी थी, सातवीं योजना में यह 48 प्रतिशत होगी। इस प्रकार हम इसे बनाये हुए हैं। परन्तु बात यह है कि अब सरकारी क्षेत्र को संसाधन लेने के स्थान पर देश को संसाधन उपलब्ध करने चाहिए। अतः कार्यकुशलता में सुधार होना चाहिए क्योंकि 1,85000 करोड़ रुपयों में से 35 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र से आने चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र से 35 करोड़ रु० प्राप्त नहीं होते तो सातवीं योजना नहीं चल पायेगी। घाटे की अर्थव्यवस्था अधिक करनी होगी और योजनाबद्ध विकास में कमी करनी पड़ेगी। अतः सरकारी क्षेत्र का योग-

दान सातवीं योजना की धुरी है चाहे उनका कोई भी प्रबन्ध करे उनसे इतना योगदान तो मिलते रहना चाहिए । हानि होने पर क्या होगा ? सरकारी क्षेत्र की हानि को दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है—प्रशासनिक लागत बढ़ा कर या बजट में समर्थन देकर । अब तक जहां बजट के समर्थन का संबंध है, इससे घाटा बढ़ता है तथा मुद्रास्फिति में वृद्धि होती है । अतः सरकारी क्षेत्र की हानियों की न केवल धन देकर पूर्ति करनी पड़ती है अपितु मुद्रास्फिति भी बढ़ती है अतः सरकारी क्षेत्र द्वारा कार्यकुशलता से कार्य करना विकास तथा मूल्यों की स्थिरता के लिए आवश्यक है, इस बारे में मैं श्री रंगा तथा प्रो० दण्डवते की बात से पूरी तरह सहमत हूं । इसमें न केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र है अपितु राज्यों का सरकारी क्षेत्र भी आता है क्योंकि वे बिजली का शुल्क बढ़ाकर बिजली की हानियां दूर करते हैं । कुछ राज्य सरकारों में संरचना ऐसी है कि कच्चे माल पर भी वे 20 प्रतिशत उपकर अथवा प्रवेश-शुल्क लगाते हैं । यदि सारे कच्चे माल पर प्रवेश-शुल्क लगाकर कर लगाया जाता है तो अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा ? संविधान के अन्तर्गत उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं । और वे ठीक ही प्राप्त हैं । परन्तु मैं समझता हूं कि मूलभूत कच्चे माल के बारे में राज्यों के साथ बातचीत करनी होगी कि कच्चे माल पर वे कितना कर लगायेंगे तथा उनकी संरचना कैसी होगी ।

मेरी अंतिम बात है···

प्रो० मधु दण्डवते : उद्योगों को अधिकार में लेने के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब उद्योग हानि उठाने लगते हैं जब वे अकुशल बन जाते हैं, तब आप उन्हें अधिकार में लेते हैं । अतः लाभ तो निजी क्षेत्र उठाता है और हानियां सरकारी क्षेत्र के लिए बच जाती हैं । ऐसा ही हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मूल्यों के संबंध में यदि 4.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति भी हो, जोकि कई वर्षों की तुलना में कम है तो भी मुद्रास्फीति तो है ही । शून्य प्रतिशत मुद्रास्फीति की बात तो मैं समझता हूं कि हममें में कोई भी सोच नहीं सकता । वैसा हम नहीं कर सकते । परन्तु मुद्रास्फीति की एक उचित दर का हम उद्देश्य रख सकते हैं ।

मूल्य संरचना के कौन से तत्व हैं ? मैं समझता हूं इसमें चार तत्व सरकारी कार्यवाही से संबद्ध हैं । कर संरचना, घाटे की अर्थ-व्यवस्था, धन का उपलब्ध कराना तथा आकलित मूल्य । सरकार के चार निर्णयों का मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है । कर के मामले में हमने देखा कि अप्रत्यक्ष करों का सोपानी प्रभाव पड़ता है । आगामी बजट में इनको कम करने की हम चेष्टा करेंगे । परन्तु अप्रत्यक्ष कर चूंकि राजस्व का मुख्य स्रोत है अतः हम एक वर्ष में सुधार नहीं ला सकते क्योंकि उससे राजस्व की भारी हानि होगी । परन्तु 3 अथवा 4 वर्षों में हम अप्रत्यक्ष करों के कुप्रभाव को कम कर सकते हैं ।

प्रत्यक्ष करों के मामले में जबकि करों को युक्तियुक्त बनाया गया है । अब प्रत्यक्ष करों के अनुपात को बढ़ाना होगा । करों को कम करने के बावजूद हमारा प्रयास होगा कि प्रत्यक्ष करों के अनुपात को बढ़ाया जाये । यह प्रत्यक्ष करों की अच्छी वसूली द्वारा संभव हो सकता है, जिसके प्रति हमारी वचनबद्धता है ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के बारे में पहले ही कुछ प्रस्तावित कार्यवाहियों के बारे में मैं बता चुका हूं । उन सभी बातों को जैसे व्यय में कटौती, शून्य आधारित बजट, मैं नहीं लूंगा । ये सभी

पहले कहा जा चुका है। इनमें अनुशासन की आवश्यकता है। गैर-योजना सुरक्षा, अनुदान तत्वों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इस क्षेत्र में कठिनाइयां हैं। यह कार्य एकदम नहीं किया जा सकना, परन्तु ये कठिनाइयां हैं जिन पर मैं सभा में चर्चा करना चाहता हूं। बाढ़, सूखा तथा गैर-योजना व्यय अन्य बातें हैं। इस वर्ष हम पहले ही 775 करोड़ रुपये के वचन दे चुके हैं। अब अब हम गैर-योजना व्यय के बारे में क्या देखते हैं। छठी योजना में हम पहले ही एक वर्ष भाग ही कर पाये हैं। ये कठोर तथ्य हैं जिन्हें कई बार नहीं बताया जाता। मैं समझता हूं कि में 1/3 हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए।

3.00 म० प०

धन की उपलब्धता के संबंध में मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम इस वर्ष एम-3 के अन्तर्गत धन प्राप्त करने के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कड़ा नियंत्रण कर पाये हैं। वर्ष 1985-86 में अक्तूबर के अंत एक एम-3 के अन्तर्गत 7.7 प्रतिशत हुई वृद्धि जबकि पिछले वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें पिछले वर्ष 8 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। हमने धन की उपलब्धि को स्थिर रखा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसानों के हितों के विपरीत करते हैं। जब वे अपने उत्पादनों को मंडियों में ले जाते हैं तब आप उसे ले लेते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बहुत पहले किया गया था। यदि आप अब स्थिति को दृढ़ बनायें तो उसका प्रभाव नहीं होगा। इसका प्रभाव बाद में होगा। यह कार्य बहुत पहले किया गया था। उत्पादकों के लिए हमने न्यूनतम मूल्य को बढ़ा दिया है। हमने समर्थन मूल्य दिया है तथा समर्थन कार्य किया है। इस बारे में हम वचनबद्ध हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह केवल श्वेत धन के बारे में है।

श्री० विश्वनाथ प्रताप सिंह : काले धन की सप्लाई का मामला भी है। आप वस्त्र उद्योग पतियों की बात कर रहे हैं, आपने उन्हें सब कुछ दे दिया है। आप जानते हैं कि वस्त्र उद्योगपतियों के गलती करने पर क्या होता है।

सरकार द्वारा चार तरह की कार्यवाहियां की जाती हैं, कर, घाटे की अर्थ-व्यवस्था धन की पूर्ति तथा आकलित मूल्य। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आकलित मूल्य हमारी सातवीं योजना का मूल है।

इसके अलावा अन्य तथ्य भी है। एक मांग पूर्ति और अब रुई पटसन, खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी आई है लेकिन फिर भी वित्त मंत्री को मूल्य घटाने का कोई श्रेय नहीं दिया गया। यह मांग और पूर्ति का मामला है। यही चीनी के मूल्यों पर लागू होता है। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं परन्तु यह वैध नहीं होगी। यह भी पूर्ति और मांग का प्रश्न है। अब से हम मांग तथा पूर्ति के अनुसार प्रबन्ध करने की चेष्टा करेंगे।

फिर ऐसे भी अन्य तथ्य हैं जिन्हें हम गम्भीरता से लागू करते हैं।

जहां तक ऐसी उच्च लागत की अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध करने का प्रश्न है, शिल्पविधि अप्रचलित है, क्षमता के उपयोग न किये जाने आदि के कारण इस्पात जैसे क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि

होगी। तांबे के क्षेत्र में पूंजी निवेश के अवसर हैं। यह अपने आपमें इतना कम है कि तांबे के उत्पादन पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में दुगुनी लागत आती है, जहां तक बाह्य प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, मानव निर्मित सूत प्रासंगिक है। यदि एकक छोटा है तो लागत अधिक होगी।

मूल्यों के बारे में कोई एक प्रणाली नहीं है, यह आपको बजट को देखकर पता चलेगा। हमें पूरी अर्थ-व्यवस्था पर ध्यान देते हुए कार्यवाही करनी होती है तथा सरकार इस बारे में अवगत है। सभी मोर्चों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। आर्थिक औचित्य के बिना अधिक लाभ कमाना अधिक संरक्षण भी एक अन्य कारण है। इन सब पर भी हम ध्यान दे रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : पूरी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था डगमगा रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस पर ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : आपने समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दी है किन्तु अभी तक कृषकों को समर्थन मूल्य का लाभ विशेषतया धन के क्रय में कहीं नहीं मिल रहा है। यह पर्याप्त नहीं है कि धान की व्यवस्था क्रय हेतु आप करा दें। आवश्यकता इस बात की है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि समर्थन मूल्यों का लाभ कृषकों को मिले।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वित्त मंत्री के नाते मैं आपको आववासन दे सकता हूं कि समर्थन मूल्य के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : यह आश्वासन ही पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारी बातों की चर्चा वित्त मंत्री जी ने की है और उससे ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक अवस्था काफी सुधरने जा रही है लेकिन सच्चाई यह है कि देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, वह सरकार के हाथों से बाहर जा रही है। अभी 21 वीं सदी में प्रवेश करने का नारा दिया गया है और हिन्दुस्तान जैसे देश में हम नारा दे रहे हैं, जो विकसित देश हैं उनका जो नारा है, उसके मुकाबले का लेकिन हमारे देश के अन्दर जहां आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के अन्दर है और जहां बेरोजगारों की फौज खड़ी है, ऐसी स्थिति में हम न्यू टेक्नोलोजी की बात करते हैं, कम्प्यूटर युग को प्रवेश कराने की सारी तैयारी कर रहे हैं। इससे पूरे देश के अन्दर चिंता है। इसके नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दावत दी जा रही है। सैकड़ों विदेशी कम्पनियों को अब यहां बुलाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रियल पालिसी थी कि पब्लिक सैक्टर का डोमिनेंट रोल होगा, अब उसमें प्राइवेट सैक्टर प्रवेश करा रहे हैं।

जाहिर है कि इससे हिन्दुस्तान की इकोनोमी पर असर पड़ेगा। इस कर नये सिरे से

विचार करने की जरूरत है। देश हित में और देश की गरीबी और बेरोजगारी और आत्मनिर्भरता जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के हित में इस पर विचार करने की जरूरत है।

मैं दो-तीन बातों की चर्चा इस मौके पर करना चाहता हूं। देश के कई हिस्सों में आतंकवाद, उग्रवाद, हत्याएं और पुलिस के जुल्म बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। जैसा कि पंजाब में हम देख रहे हैं कि हत्याएं नहीं रुक रही हैं।

3.06 म० प०

(श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

हमारे यहां बिहार में एक खास परिस्थिति है। मंत्री जी को बिहार के बारे में जानकारी होगी। वैसे लम्बे अर्से से बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां इस तरह की हत्याएं होती रही हैं और इस तरह का आतंकवाद पनपता रहा है। वहां आजकल भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं जो बटाईदारों की हिफाजत में, हरिजनों के सवालों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। पर हमारी पार्टी के ऐसे कार्यकर्त्ताओं और वर्करों की पिछले एक महीने के अन्दर कई हत्याएं की गई हैं। जो लोग प्रगतिशील भूमि सुधारों को लागू कराने की दिशा में सक्रिय हैं और सरकार की नीतियों को लागू कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जमींदरों की ओर से और पुलिस के मेल से हत्याएं की गई हैं। हमारे यहां उग्रवाद पनप रहा है।

आपको मालूम होगा कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जैसे मुंगेर, नालंदा, गया, पटना, भोजपुर, रोहतास। ये सब ऐसे जिले हैं जिन जिलों में उग्रवाद के नाम पर नक्सलाइट्स हरिजनों के अन्दर, गरीबों के अन्दर, जो उनके सामने समस्याएं हैं, जैसे भूमि का सवाल है, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, आवास आदि के सवाल हैं उनको लेकर तनाव पैदा करा देते हैं। फिर बचे हुए सामन्ती अवशेष उनके मुकाबले में कई तरह की सेनाएं खड़ी कर रखे हैं। सन् 1969 में कुंअर सेना, 1977 से पहले भूमि सेना, पटेल सेना, सन् 1983 में ब्रह्मर्षि सेना और 1985 में लोरिक सेना बना कर फ्यूडल लोग उनको दबाने की सब तरह से कोशिश करते हैं। जब सामन्तों के स्वार्थी पर चोट पहुंचती है तो वे एक जातीय उन्माद पैदा करते हैं। नक्सलाइट एक्टीविटीज वहां होती हैं। इससे भी लोगों में तनाव पैदा होता है। इस तरह की जो सेनाएं हैं वे निर्दोष लोगों, भूमिहीनों, मजदूरों और हरिजनों की हत्याएं करती हैं।

हमारे यहां नालंदा और गया में हाल में जेतीपुर, बरायी आदि में मर्डर हुए हैं और उसके बगल में काउंटर मर्डर हुए हैं। आपने मुंगेर की कहानी सुनी होगी। पहले वहां कहीं 11 बच्चों की हत्या की गई, यादव जाति के बच्चों की फिर उसके रिएक्शन में हौफिर दियारा लक्ष्मीपुर में बिन्द जाति के कई लोगों की हत्याएं की गईं। बिहार में जातीय आधार पर इस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है। सरकार इसमें सामंतवादी तत्वों की मदद करती है और इस तरह से हत्या और आतंक की राजनीति वहां चल रही है। यह सही है कि यह मामला राज्य सरकार का मामला है, ला एण्ड आर्डर का मामला है, लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है, ये परिस्थिति इसलिए हो रही है कि सरकार हरिजनों के जो मसले हैं, बेरोजगारों के जो सवाल हैं, जिस प्रगतिशील भूमि सुधार की चर्चा होती है और भूमि के बंटवारे की बात करते हैं, इन मामलों

में पूरी तरह से अक्षम है और इन मामलों को पूरा नहीं कर रही है और मामले पीछे पड़े हुए हैं।

ट्वेंटी प्वाइंट प्रोग्राम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अन्दर क्या हो रहा है, अभी कल हमारी एक सदस्या बोल रही थीं, वैस्ट बंगाल की बात कर रही थीं, हमारे यहां क्या है ? हमारे यहां कागज पर ट्वेंटी प्वाइंट प्रोग्राम है। गरीबी दूर करने के जो प्रोग्राम हैं, उनके सिर्फ आंकड़े यहां आते हैं, लेकिन वे आंकड़े कागज पर हैं, काम नहीं हो रहा है। इसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं, सरकार कहती है कि हमको जनता का सहयोग चाहिए, लेकिन उन कमेटियों में कांग्रेस के सिवाए किसी और पार्टी को नहीं रखा जाता। बिहार में ऐसा हो रहा है। एम० पी० या एम० एल० ए० की हैसियत से भले ही कोई आ जाए, लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के लोगों को इंम्लीमेंटेशन कमेटी में नहीं रखा गया है ; आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई भी गरीब-हरिजन और मजबूर आदमी हो, अगर उसको कर्जा दिया जाता है तो 75 परसेंट पैसा घूसखोरी में चला जाता है, नाजायज चला जाता है और मुश्किल से 25 परसेंट उसको मिलता है। नतीजा यह होता है कि सरकार की योजना लागू नहीं हो पाती है और गरीबों को कोई मदद नहीं मिल पाती है।

एक प्वाइंट मैं और कहना चाहता हूं। आज देश में बीड़ी मजदूरों की संख्या 40 लाख है, लेकिन पूरे देश में जहां कहीं भी हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, सबसे कम मजदूरी बीड़ी मजदूरों को मिलती है। सात-आठ रुपया रोजाना से ज्यादा उनकी आमदनी नहीं है। केन्द्रीय स्तर पर लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस होती है, लेकिन उसमें भी उनकी मजदूरी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का मामला नहीं उठाया जाता जबकि वहां पर उठाया जाना चाहिए। जहां भी स्टेट गवर्नमेंट न्यूनतम मजदूरी तय करती है तो मालिकान हाई कोर्ट में ले जाकर उसको रुकवा देते हैं। मैंने कई बार सुझाव दिया है कि सरकार का यह फर्ज होना चाहिए कि बीड़ी कारखानेदारों के लिए जब सरकार ने मिनिमम वेजेज तय कर दिए हैं तो उनको कोर्ट में जाने के अधिकार से कारखानेदारों को वंचित किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। बीड़ी मजदूरों में जो औरतें हैं, उनको मजदूरी और भी कम मिलती है, मजदूर जो मर्द हैं उनसे भी कम औरतों को मजदूरी दी जाती है। प्रावीडेंड फण्ड उनको नहीं मिलता, बोनस का कानून बना हुआ है, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में एक भी बीड़ी मजदूर ऐसा नहीं है जिसको बोनस, प्रावीडेंड फण्ड की सुविधा मिली हो। इसी तरह से उनके सेवा कार्ड का सवाल है। 40 लाख मजदूर हैं, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी किया था, एक भी कारखानेदार ने पूरे हिन्दुस्तान में एक मजदूर को भी सर्विस कार्ड नहीं दिया है। सेन्ट्रल कानून है, जाहिर है कि लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, जब भी सवाल उठाया जाता है तो जवाब यह दिया जाता है कि जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। पूरे हिन्दूस्तान में यह लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में कोई ऐसी व्यवस्था करे, कोई मशीनरी एवाल्व तैयार करे जिसमें सेंट्रल कानून जो बने हुए हैं, उनका इम्पलीमेंटेशन सही ढंग से हो, सही ढंग से लागू हो सकें, ताकि लोगों को फायदा हो सके।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, जो पूरक अनुदान मांगें पेश हुई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। नेचरल कैलामिटीज के बारे में जो पूरक मांग है, उस संबंध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। राजस्थान में अकाल की भीषण स्थिति है। 38 हजार 129 गांवों में से 26 हजार 726 गांव अकाल से प्रभावित हैं, 2 करोड़ 18 लाख जनता प्रभावित है और 3 करोड़

चार लाख पशु प्रभावित हैं। राजस्थान सरकार ने 15 अक्तूबर, 1985 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। एक अध्ययन दल भी वहां पहुंचा और उन्होंने भी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें 580 करोड़ रुपए की डिमाण्ड की थी। सेवन्थ और एड्थ फाइनेंस कमीशन की रिकेमण्डेशन्स के अनुसार जब इस प्रकार की भीषण अकाल की स्थिति हो तो पूरे का पूरा अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए। अभी का जो अकाल है वह इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल है। सारा प्रदेश अकाल से प्रभावित है। इसलिए, अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए अनुदान के रूप में जितनी भी आप मदद कर सकें वह देकर अपने कर्तव्य को अदा करें।

दूसरी बात यह है कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० ई० पी० की स्कीम्स चल रही हैं। केन्द्र सरकार ने 24 हजार मीट्रिक टन गेहूं हमें आवंटित कर दिया है। अतिरिक्त 72 हजार मीट्रिक टन के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अगर यह गेहूं मिल जाता है तो उपरोक्त दोनों स्कीम्स को इम्पलीमेंट करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

तीसरी बात यह है कि इंकम टैक्स कानून का जो सरलीकरण है, उसके बारे मैं बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है। परन्तु अभी तक यह सरलीकरण कानून प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि बजट सैशन में सरलीकरण करके प्रस्तुत किया जाए। जो रेड्स किए हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। जो रेड्स हुए हैं और जो रिकवरी हुई है जब तक इसके बारे में इन्कम टैक्स अथारिटीज प्रासीक्युशन फाइल नहीं करेंगी जिनके यहां से गोल्ड, आरनामेंट्स और कैश की रिकवरी हुई है, तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। यह आपकी सफलता पर निर्भर है कि जो रेड्स आपने किए हैं, उसमें आपको कितनी सफलता मिलती है और प्रासीक्युशन में आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए, इस संबंध में भी आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। सेल्स टैक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी के इलैक्शन मैनिफैस्टो में इस बारे में वायदा किया गया था। अभी तक इसको समाप्त नहीं कर सके हैं। इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, उस बारे में बताया जाए। प्रोहीबिशन के बारे में न तो राज्य सरकारों ने और न केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाया है। शराब का इतना प्रचलन हो रहा है कि जुल्म हो रहे हैं और गरीबी बढ़ रही है। केन्द्र सरकार ने प्रोविजन किया है कि प्रोहीबिशन लागू करने पर राज्य सरकारों को उनके टैक्स से हानि के पचास परसेंट की मदद दी जायेगी। पचास परसेंट की मदद से उनका कार्य नहीं चल सकता है। मैं चाहता हूं कि सेंट-पर सेंट मदद की जाए जिससे कि इस संबंध में राज्य सरकारें प्रोहीबिशन के बारे में ठोस कदम उठाए जा सकें। जिस प्रकार अफीम के बारे में सख्त कानून बनाकर सख्त कदम उठाए हैं उसी प्रकार प्रोहीबिशन के कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जहां आपने बहुत से ठोस कदम उठाये हैं, परन्तु जहां तक राजस्थान का संबंध है, जब तक वहां राजस्थान नहर से पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक इस समस्या का हम परमानैंट सौल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में यदि आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसका परमानैंट सौल्यूशन यही हो सकता है कि राजस्थान कैनाल से रेगिस्तानी क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में उचित प्रावधान किया जाना चाहिए।

डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम के लिए आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और अभी कुछ कदम भी उठाये हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ हिल एरियाज डैवलपमैंट प्रोग्राम के लिए 870 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि वहां की पौपूलेशन को देखते हुए, वहां के एरिया को देखते हुए डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 500 करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैंने जिन प्रश्नों को आपके सामने रखा है, मुझे आशा और विश्वास है कि आप उन सबका उत्तर देकर हमें संतुष्ट करेंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति जी, सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए भी करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने यहां स्थिति को स्पष्ट किया, कई जवाब दिए, डागा जी आप देरी से आये थे, वे सब इतने बढ़िया जवाब दिए कि विरोधी पक्ष की तमाम बैंचेज खाली हो गईं, उनका जवाब सुनकर वहां कोई नहीं ठहरा।

इस सदन में वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें विचार के लिए पेश हैं। इस सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि कि खर्चा तो आप कर रहे हैं परन्तु खर्चे पर कन्ट्रोल किए जाने की भी आवश्यकता है। आपने इनके द्वारा 1800 करोड़ रुपया मांगा, यदि इससे भी ज्यादा आप 2500 करोड़ रुपया भी मांगते, तो हम वह भी पास करके देते क्योंकि जहां जरूरत है, वहां खर्च तो करना पड़ेगा ही, और इस सदन को उसकी अनुमति भी देनी होगी। देश का कोई भी काम रुक नहीं सकता है परन्तु इतना जरूर है कि आपको खर्च पर थोड़ा कन्ट्रोल रखने की जरूरत है।

आज देश में क्या परिस्थितियां विद्यमान हैं; पूरी दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइये, चारों तरफ स्मग्लिंग का सामान आपको बड़े ठाठ से मिल जाएगा : यदि 555 सिगरेट की जरूरत हो तो वह भी ठेलों पर मिल जाएगी, दूसरा इम्पोर्ट किया हुआ सारा सामान, वीडिओ, टेलीविजने आदि सभी चीजें मिल जाएंगी। इससे जाहिर होता है कि स्मग्लिग को आप नहीं रोक पाये। यदि हमें अपनी इकानामी को मजबूत बनाना है तो हमारे बौडर्स से स्मगल होकर जो भी सामान हमारे देश में आता है, उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको इस ओर पूरा ध्यान देना होगा। यदि आपको और पैसे की आवश्यकता है और बजट में आप उसकी डिमाण्ड करते तो हम उसे भी पास करते। यदि आप कहें कि हमें 100 करोड़ रुपये की जरूरत है ताकि हम अपने बौर्डर्स पर ज्यादा पहरा बिठा सकें, यदि आपको कोई नई यंत्रण खड़ी करनी है, तो हम उसे सहर्ष पास करके देंगे।

आपने टैक्सेज के रेट्स कम करके बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि टैक्सेज के रेट्स कम कर देने से आपके पास पैसा ज्यादा आयेगा। लेकिन अभी भी जो जैनरेट हुआ वह तो पूरा का पूरा टैक्स दे दिया। दूसरी तरफ हमारे देश में एक अनुमान के अनुसार 30 हजार करोड़ रुपये या 40 हजार करोड़ रुपये का काला धन मौजूद है, उसको निकालने के लिए आपने कोई कारगर कदम नहीं उठाये। वह पैसा कहां बाहर आया। आप कोई ऐसी योजना बनाइये जिससे यह काला-धन बाहर आ सके। यहां-वहां रेड करने से उसका कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है, यह हमें देखने में आ रहा है।

हमारे देश में बहुत से लोगों के पास रहने की समस्या है, मकान नहीं हैं, स्लम्स हैं और सारे देश में नये मकान बनाए जाने की जरूरत है। आप कुछ ऐसी स्कीम बनाइये कि लोगों की यह समस्या हल हो सके, उनको रहने के लिए मकान मिल जाए, लोग मकानों में पैसा लगायें और उनकी रहने की दिक्कत खत्म हो जाए। दूसरे जो हमारे गरीब लोग झोंपड़-पट्टियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनकी स्थिति मजबूत हो सके, इसके लिए आपको बजट में कोई स्कीम लाने की जरूरत है। अन्यथा उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आप वार्निंग देकर इन कामों को कर सकते हैं। आप कहें कि तीन महीने के अन्दर सारा काला धन यदि बाहर नहीं आयेगा तो उसके बाद जो भी काले धन के सिलसिले में पकड़ा जाएगा उसको 6 साल की जेल की सजा दी जाएगी। और भी इस तरफ के कड़े कानून बनाए जा सकते हैं और उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए, तभी उसका असर होगा, नहीं तो असर होने वाला नहीं है।

अब बैंक्स आपके पास हैं, लेकिन उनकी दशा कितनी खराब है। उनमें तो इतना प्रौफिट होता है लेकिन हमारे पास चैम्बर्स की एक चिट्ठी आई है जिसमें कहा गया है कि चैक डिस्काउंट हुंडियों के डिस्काउन्ट्स आदि के रेट आपने बढ़ा कर 100 परसेंट से 700 परसेंट कर दिए हैं। क्या जरूरत थी, इसका असर कहां पर पड़ेगा, क्या आपने कभी अध्ययन किया। गरीब उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वह व्यापारी अपनी जेब से, अपने खीसे से देने वाला नहीं है। तो यह बैंकों को क्या आवश्यकता पड़ी थी, जरा इसके बारे में हमको समझाइये। एक तरफ हम बैंकों के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं और दूसकी तरफ उनके लिये जो छोटी-छोटी सुविधाएं हैं, उनका भी उनसे मनमाना पैसा लेना चाहते हैं। इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

सबसे ज्यादा समस्या आज शहरों की है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। गरीब लोगों के लिये हम बोलते हैं कि उनको एम्पलायमैंट मिलना चाहिये ताकि गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हर शहर में यह सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह समस्या है छोटे-छोटे हैजाईस की, छोटे-छोटे ठेले वालों की जिनको निकाल कर इधर-उधर फेंक दिया जाता है। वह 100-200 रुपये का सामान लेकर, अपने गले में लटका कर कहीं भी कौन में बैठता है, 10-20 रुपये उससे रोजी-रोटी कमाकर अपने परिवार को पालना चाहता है, उसके लिये आपने क्या किया ? आप अर्बन डैवलपमैंट की अच्छी प्लानिंग कीजिये, उनके लिये अच्छे एरिया में दुकानें बनाइये, उनके लिये एरियाज डिमार्क कीजिये। इन जगहों पर बैठकर वह अपनी उदर-पूर्ति कर सकते हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते, वह बैंक से भी 20,000 रुपये का कर्जा नहीं मांगते वह 500-700 की रिसोर्सेज से अपनी उदर-पूर्ति करना चाहते हैं। उनकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई सरकार नही बोलती है। आपके यहां भी सुनने में आता है कि ये एन्क्रोचर्स हैं, इनको निकालकर फेंक देना चाहिये।

स्लम पर आपने इतना पैसा खर्च किया, वास्तव में उसका उपयोग क्या है ? आपकी कोई योजना नहीं है, आपने पैसा दे दिया और स्लम बन गये। वह एक साल से ज्यादा टिक नहीं सकता। स्लम के साथ योजना होनी चाहिये कि उसके मेन्टीनेन्स का क्या प्रावीजन है। जब तक आप मेन्टीनेन्स का प्रावीजन नहीं देंगे, साथ में स्कीम नही देंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई स्कीम देते हैं तो कहिये कि स्लम के लिये हमने ढाई हजार रुपया दे दिया। स्लम्स पर खर्चा हो गया,

नल बन गये, लेट्रीन्स बन गये तो उनसे कहिये कि 10-5 रुपये महीना तुमसे इसका लेंगे और वह औबलीगेटरी होना चाहिये। लेकिन इस तरह के स्कीम सरकार ने कहीं बनाये नहीं है।

इस तरह की कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माननीय सभापति जी टाइम नहीं दे रहे हैं।

इस बजट के लिये हम आपका अभिनन्दन भी करते हैं, परन्तु यह दो, चार बातें जो बताई हैं, इन पर ध्यान देकर इनका आप ख्याल रखेंगे, ऐसी आशा है।

[अनुवाद]

***श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** (राजमपेट): सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों को देखने से पता चलता है कि सरकार ने खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग को अधिक धनराशि का आबंटन किया है। अनुपूरक मांगों में इस्पात और खान मंत्रालय के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गयी है। धन की कमी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का कार्य बहुत ही धीरे-धीरे हो रहा है। कार्य पूरा करने में देरी होने की वजह से निर्माण लागत तेजी से बढ़ती जा रही है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराये।

इन अनुपूरक मांगों के माध्यम से खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग ने 300 करोड़ रुपये की मांग की है। लेकिन इस विभाग का कार्य निष्पादन बहुत असंतोषजनक है। भारतीय खाद्य निगम अकुशलता का ही नाम है। जिस उद्देश्य से यह संगठन बनाया गया था, यह उसे पूरा नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम लोगों को अच्छी किस्म का अनाज उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इसके विपरित केवल सड़ा हुआ अनाज ही भारतीय खाद्य निगम के जरिए वितरित किया जाता रहा है। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी को इस मामले में रुचि लेकर भारतीय खाद्य निगम की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि खरीददारी करने के तुरन्त बाद ही उसे अनाज का वितरण शुरू कर देना चाहिए। केन्द्रीय, जैसी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने इच्छा व्यक्त की है, सरकार को राज्यों के नागरिक पूर्ति विभागों को अपनी तरफ से अनाज खरीदने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से आंध्र प्रदेश सरकार के इस निवेदन को मान लेने का निवेदन करता हूं कि राज्य के नागरिक पूर्ति विभाग को अधिक शक्तियां प्रदान करके अनाज खरीदने की अनुमति दी जाये।

मैं इस मौके पर केन्द्र से यह निवेदन करूंगा कि वह देश की विभिन्न नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शुरू करे। इससे हमारे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार प्रतिष्ठित "तेलुगु गंगा" परियोजना के निर्माण में कोई सहायता नहीं दे रही है। निर्माण पूरा होने पर तेलगु गंगा रायलसीमा की सूखाग्रस्त क्षेत्र की झुलसी हुई भूमि को हरित पट्टी में परिवर्तित कर देगी। इसके अतिरिक्त यह मद्रास के लोगों को पेयजल भी उपलब्ध करायेगी। इस परियोजना को न केवल स्वीकृत करने बल्कि इसके निर्माण की भी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं केन्द्र से निवेदन करूंगा।

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं केन्द्र सरकार से सूखे से पीड़ित क्षेत्रों को विशेष निधि उपलब्ध कराने के लिए भी निवेदन करता हूं। रायलसीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और वहां किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। इस क्षेत्र में वर्षा आमतौर पर बहुत कम होती है। यह थोड़ा-सा जल भी बेकार जा रहा है क्योंकि इसका भण्डारण नहीं किया जा रहा है। बांध इत्यादि का निर्माण तुरन्त कराने की जरूरत है। यह करने से इस क्षेत्र के कुओं के जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकेगा।

महोदय, किसानों को अपने नलकूप चलाने में बहुत ही कठिनाई आ रही है क्योंकि डीजल की कीमत बहुत अधिक बढ़ गयी है। तेल की दरों में वृद्धि होने से किसानों के लिए खेती बहुत ही महंगी तथा अलाभदायक हो गयी है। अतः, मैं केन्द्र सरकार में डीजल तेल पर, जो राज्य सरकारों द्वारा किसानों को दिया जाता है, राज सहायता देने का आग्रह करता हूं।

रायलसीमा का भूमि जल बहुत तेजी के साथ सूखता जा रहा है। जल स्तर दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वहां अन्य जल संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये तो संपूर्ण रायलसीमा क्षेत्र 4 या 5 वर्ष के समय में रेगिस्तान बन जायेगा। अगर केन्द्रीय सरकार सभी बड़ी तथा मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करे, जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है, तो यह गम्भीर समस्या समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इससे कृषि उत्पादन में बहुत ही वृद्धि होगी। राज्य से सूखे की स्थिति भी समाप्त हो जायेगा। इस वर्ष आंध्र प्रदेश सूखे एवं समुद्री तूफानों दोनों ही से प्रभावित हुआ है। लाखों लोग अपनी जीविका की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। मैं सरकार से सूखे की प्रचंडता के अनुरूप बड़े स्तर पर लोगों को बचाने के लिए सहायता देने का निवेदन करता हूं।

इस मौके पर मैं केन्द्र सरकार से राजमपेट और कोडूर में ऊपरी रेल पुलों के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेने का निवेदन भी करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से हरसले पहाड़ी पर एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निवेदन करता हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि कुड्डप्पा-चित्तूर रेल लाइन वाया रोयाछोटी का सर्वेक्षण कराने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाये।

मैं इस अवसर पर सरकार से पेयजल की सुविधायें तथा इस मन्तव्य के लिए अधिक नलकूप लगाने के लिए अधिक धनराशि का नियतन करने के लिए निवेदन करता हूं।

बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और इसी के साथ मैं अपना भारण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : सभापति महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगें जो सदन में पेश की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर देश के अन्य हिस्सो से इसका मुकाबला करें तो हमारा इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कहलायेगा। यहां पर सिंचाई के बहुत कम साधन हैं और रेलवे का भी अभाव है। यह ठीक उस समान है जैसे गधे के सिर से सींग।···**(व्यवधान)**

हमारी बुन्देलखंड की सिंचाई योजनायें जैसे पंचमनगर सिंचाई योजना और पन्ना जिले की केन नदी योजना को अगर इस मांग में सम्मिलित कर दिया जाये तो बुन्देलखंड की जनता आपकी बहुत आभारी होगी। पन्ना जिले में हमारे देश की रमखीरिया डायमंड खदान जो है, यह भी

बंद पड़ी है। जिससे वहां के हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। अगर यह कहा जाता है कि उन खदानों से लाभ नहीं है तो मैं समझता हूं यह सिर्फ कागजी बात होगी। लोगों का कहना तो ऐसा है कि अगर लोग अपने मकान की नींव खोदते हैं या कुआं खोदते हैं तो उसमें उनको हीरा प्राप्त होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाए और वहां की हीरा खदान तुरन्त चालू की जाए।

बुन्देलखंड के लिए एक रेलवे लाइन ललितपुर से सिंगरौली वाया छतरपुर पन्ना और रीवा बना दी जाए और एक दूसरी छतरपुर से दमोह वाया बकसावहा बना दी जाए तो उस क्षेत्र की काफी उन्नति हो सकती है।···(**व्यवधान**)···बजट से ही सम्बन्धित है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। ललितपुर से सिंगरौली लाइन का सर्वे हुआ था। आज उसके बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर हमें उस सारे इलाके को ऊपर उठाना है तो बहुत आवश्यक है कि वहां रेल का साधन होना चाहिए।

इसी तरह से वायुदूत सेवा जो शुरू की है उस सेवा से हरएक संभाग को जोड़ा जाना चाहिए। मेरा तो सुझाव है कि अगर जिले भी जोड़े जा सकते हों तो उससे हमारे देश की उन्नति में बहुत योगदान मिलता और जो हमारे देश की इक्कीसवीं सदी में ले जाने की कल्पना है उसके साकार करने में भी सहायता मिलती।

उद्योगों के मामले में हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। सागर जिले में सुपर राक फास्फेट बहुतायत में मिलता है। उसके लिए एक आदमी को लाइसेंस भी मिला था। लेकिन उसने वहां काम शुरू नहीं किया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। जब दूसरी पार्टी ने उसके लिए लाइसेंस मांगा तो उसको नहीं दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पालिसी है कि एक को लाइसेंस दिया जाता है और फिर दूसरे को उसके लिए मना कर दिया जाता है? भारत सरकार की पालिसी है कि प्रत्येक जिले में एक बड़ा या मध्यम उद्योग होना चाहिए। हमारे बुन्देलखंड के पांच जिले हैं—सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। इन जिलों में एक भी बड़ा उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इसके लिए अलग से साधन देकर इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने की व्यवस्था करेंगे।

हमारे सांसदगण जब कभी भी मंत्री को पत्र लिखते हैं तो उनका उत्तर आ जाता है कि आपका पत्र मिला, हम उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन विचार करने के बाद निर्णय क्या हुआ इसकी खबर किसी संसद सदस्य को नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी-सी बात कह दूं कि एक गांव में एक कवि सम्मेलन हुआ···

श्री मूल चन्द डागा : हम जो पत्र लिखते हैं उसका जवाब तो हमें केवल यही मिलता है कि आपका पत्र मिला। धन्यवाद। यह कहां लिखते हैं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं? विचार करने के लिए नहीं लिखते हैं।

श्री डाल चन्द्र जैन : डागा जी को बहुत धन्यवाद।

तो मैं गांव में हुए कवि सम्मेलन की बात कर रहा था। ···(**व्यवधान**)··· कविता नहीं है, एक छोटा-सा चुटकला है। उस कवि सम्मेलन में एक भूतपूर्व मालगुजार उसके अध्यक्ष थे। कवि महोदय ने कविता शुरू करने के पहले कहा कि ये गांव की नाक है। यह सुनकर वह भूतपूर्व

मालगुजार बहुत खुश हो गए और उन्होंने दो सौ रुपये इनाम की घोषणा की। लेकिन बाद में उसी समय एक छिनकी हुई। दूसरे दिन वह कवि महोदय मालगुजार साहब के घर पर गए। उन्होंने बड़े आदर से बैठाया और नाश्ता वगैरह कराया। बाद में कवि ने मालगुजार से कहा कि आपने कुछ कहा था ? तो मालगुजार साहब ने कहा कि हां, साहब कहा था। कुछ देर बाद फिर उन्होंने याद दिलाया कि आपने कुछ कहा था तो जवाब दिया कि हां, कहा था। इस तरह बहुत देर हो गई, जब शाम हो गई तो कवि महोदय ने फिर पूछा कि आपने कुछ कहा था ? बोले हां, कहा था, दो शब्द आपने कह दिए हम खुश हो गए, दो शब्द हमने कह दिए आप खुश हो गए इसलिए लेने देने का प्रश्न कहां है।

तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जिस बात पर विचार करें उसका कार्यान्वियन भी करायें तथा संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर भी दें।

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष जो अनुदानों की पूरक मांगें पेश की हैं और अभी यहां पर जो बातें कही हैं वह बहुत उत्साहवर्धक हैं। गत वर्ष जो बजट पेश किया था उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आया है और मुद्रास्फीति भी काफी घटी है—9 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत तक आ गई है, यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। वित्त मन्त्री जी के द्वारा टैक्सों में जो कन्सेशन दिए गए थे उसके भी काफी उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं तथा हमारे देश की आर्थिक अवस्था में मजबूती आई है राजस्व प्राप्तियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करों में अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। केन्द्र की चेतावनी के फलस्वरूप राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट में कमी लाने के कारण भी देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला है। इस प्रकार से पता लगता है कि हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हुए विकास की ओर अग्रसर हैं।

अब मैं कुछ बातें अपने राज्य के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगी। घाटे की अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यह उचित नहीं है। हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य है परन्तु यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि बिहार की धरती शष्य श्यामला है, रत्न-गर्भा है। एक तरह से उत्तर बिहार में गंगा नदी का क्षेत्र न केवल अपने देश बल्कि विदेशों की धरती से भी अधिक उपजाऊ व शष्य श्यामला है लेकिन आज वहां की हालत क्या है ? निरन्तर बाढ़ के कारण वहां की दशा बड़ी दयनीय है। बिहार की पर-कैपिटा इनकम शायद नागालैण्ड के बाद देश में सबसे कम होगी जबकि मैं समझती हूं नागालैण्ड की स्थिति भी अच्छी हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है ? उन कारणों में जाने में तो काफी समय लगेगा लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि निरन्तर बाढ़ एवं अनावृष्टि के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था बंजर हो गई है। उत्तर बिहार को स्वावलंबी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर एग्रीकल्चर-बेस्ट इण्डस्ट्रीज की स्थापना की जाए तथा पूरे उत्तर बिहार को एग्रीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रियल कांप्लेक्स घोषित किया जाए तभी वहां की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। आज स्थिति यह है कि बिहार के लोग देश में सबसे खराब खाना खाते हैं, सबसे खराब कपड़ा पहनते हैं और सबसे खराब घरों में रहते हैं इसके कारणों में हमें जाना होगा।

इसका एक कारण तो यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सप्तम पंचवर्षीय

योजना तक के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि बिहार के लिये केन्द्र द्वारा जो राशि आबंटित की गई वह अन्य राज्यों की तुलना में कम है । अतः मैं वित्त राज्य मंत्री, श्री पुजारी से आग्रह करूंगी कि बिहार की केन्द्र से मिलने वाली धनराशि में यथासंभव वे बढ़ोत्तरी करें जिससे कि पिछड़े हुए बिहार राज्य की अर्थ व्यवस्था में सुधार लाया जा सके ।

इस सदन में जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत हैं उनके सम्बन्ध में कई लोगों ने कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इनका औचित्य नहीं है परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि इनका पूर्ण औचित्य है । एक हजार करोड़ तो राज्य को दिया गया है और ढ़ाई सौ करोड़ रुपये प्राकृतिक विपदाओं पर खर्च किए गए हैं । आप जानते हैं बिहार में भयानक रूप से वर्षा हुई जिसके कारण हमारे उत्तर बिहार की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं । आप नेशनल हाई-वेयर पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए उत्तर-बिहार की तरफ मोतीहारी होते हुए रक्सोल जायें तो नेशनल हाईवे नं० 28 और 28-ए की स्थिति दर्दनाक पायेंगे । दो-तीन महीने पहले जो मार्ग हम ढ़ाई घंटे में तय कर लेते थे उसको हम 5-6 घंटे में भी तय नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़े-बड़े डंप्स हो गए हैं । सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । मेरा आपसे अनुरोध होगा कि सड़क और परिवहन से संबंधित जो मांग संख्या 23 है, उसमें हम चाहेंगे कि आप राज्य सरकार को इस नेशनल हाईवे के लिए 40 करोड़ रुपया दें ।

एक बात मैं चीनी मिलों के बारे में कहना चाहती हूं । 14 रु० प्रति क्विंटल गन्ने की प्राइस थी, उसको 16 रुपए बढ़ाया गया और अब अगले साल उसको 17 रु० करने जा रहे हैं । बिहार में 37 चीनी मिलें थीं, इनमें से 17 का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और बाकी 20 चीनी मिलें गैर सरकारी क्षेत्र में हैं । क्या कारण है कि इतनी चीनी मिलों के होते भी आज गन्ना उत्पादक एवं उस क्षेत्र के लोगों की हालत बहुत दर्दनाक है । महाराष्ट्र में यही चीनी मिलें सोना उगलती हैं । इसका कारण यह है कि चीनी मिलों से जो बाईप्रोडक्ट्स होता है, उसको किसी उद्योग से नहीं जोड़ा गया है । मेरा अनुरोध है कि जहां पर चीनी मिलें हैं, वहां पर छोटे-छोटे लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाना चाहिए । किसी भी देश या राज्य की उन्नति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि वहां औद्योगिक क्रान्ति न हो । पूरे उत्तर बिहार को लघु एवं कुटीर उद्योगों से आच्छादित किया जाये ।

सभापति महोदय, एक शब्द मैं रोहतास उद्योग समूह के बारे में कहना चाहती हूं । यह टाटा के बाद सबसे बड़ा उद्योग समूह है, जो कि दो-तीन साल से बन्द है । यहां पर 20 हजार कर्मचारी काम करते हैं और दूसरे कर्मचारियों को मिलाकर करीब एक लाख लोग हैं, जो कि दो समय के खाने के लिए लालायित और परेशान हैं । हमारी बिहार सरकार ने उसके राष्ट्रीयकरण के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है, लेकिन वह पत्र दबा हुआ पड़ा है । मेरा आपसे आग्रह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा रोहतास समूह को जो भी सहायता हो सके, उसको प्रदान करें, यह रुग्ण उद्योग पुनः चालू हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं पूरक मांगों का समर्थन करती हूं और माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देती हूं । उन्होंने राजस्व में काफी वृद्धि की है, जो उत्साहवर्धक है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे चेयरमैन, मैं सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स की

मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण यह कि आपका विभाग रिलीफ से भी ताल्लुक रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 83-84 और 84-85 में भयंकर रूप से जम्मू-काश्मीर में टूरिज्म सैक्टर तबाह हो गया, क्योंकि हमारी वहां की इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड है, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दो सालों में वहां सियासी उथल-पुथल भी हुई और वहां का टूरिज्म तबाह हो गया। लोग वहां से मुत्तासिर हुए। अफसोस यह है कि हजारों लोग जो वहां से मुत्तासिर हुए, उनकी कोई मदद नहीं की। श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में जो नुकसानात हुए, उसकी वजह से भी हमारे जम्मू-कश्मीर के फ्रूट-मर्चेन्टस, जिनकी दुकानें दिल्ली में आजादपुर में थीं, का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। सरकार ने उनकी भी मदद नहीं की, इसी वजह से मैं मुखालिफत कर रहा हूं।

इसलिए भी मैं नुक्ताचीनी कर रहा हूं, क्योंकि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जम्मू-कश्मीर की जैन्युइन-पीपल्स-रिप्रजेन्टेशन को कान्फिडैंस में नहीं लिया और वहां की सरकार को कान्फिडेंस में लिया, जिनकी 14 प्रतिशत ही जम्मू-काश्मीर में रूलिंग पावर है। मैंने प्लानिंग कमीशन को खत लिखा कि यदि आप वहां लैजिसलेचर को कान्फिडेंस में नहीं लेंगे तो 14 एम० एम० एज० को सरकार, श्री जी० एम० शाह की सरकार को बात करने का अधिकार नहीं बनता है कि वह प्लानिंग कमीशन से बातचीत करे, क्योंकि हमारे लेजिसलेचर 76 एम० एल० एज० पर मुश्तमिल हैं। खत में मैंने यह भी लिखा था कि लोक सभा के छः मैंम्बर हैं और राज्य सभा में भी चार-पांच मैम्बर हैं, तो मुनासिब यह होगा कि केन्द्रीय सरकार इन संसद सदस्यों को कौन्फिडेंस में लेती और इनसे बात करती, ताकि सातवी पंचवर्षीय योजना को बनाते वक्त सही रूप से वहां की शक्त को प्रस्तुत किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इस बिना पर बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि हमारा बड़ा मुल्क है, जहां जम्हूरियत का बोल-वाला है लेकिन जम्मू व काश्मीर में नाइनोरिटी सरकार से बात करके वहां की फ्यूचर जेनरेशन्स के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं, वह बहुत ही नुकसानदेह है। आपको चाहिए कि जो 6 मेम्बर आफ पार्लियामैंट हैं, उनसे आप बात करें। इस वक्त 3 मेम्बरान यहां पर कांग्रेस के भी हैं और 3 नेशनल कान्फ्रेंस के हैं और गुलाम मोहम्मद शाह का एक भी मेम्बर नहीं है क्योंकि पिछले इलेक्शन में उसको नाकामी रही है और उसका एक आदमी भी यहां चुन कर नहीं आया।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि टूरिज्म का जो सैक्टर है, हमारे लिए उसकी उतनी ही अहमियत है, जितनी कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर सेक्टर की है। टूरिज्म को आपको प्रायरटी सेक्टर में जम्मू व काश्मीर में लेना चाहिए लेकिन टूरिज्म के मामले में केन्द्रीय सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। हमारे वहां पड़े हुए हैं मास्टर प्लानसोनमर्ग के लिए यूसमर्ग के लिए और दूसरे टूरिस्ट्स रिजोर्ट्स के लिए। क्या सरकार का यह फर्ज नहीं था कि जम्मू व काश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करती और उसके लिए खसूसी रकम देती और मदद करती। अगर इस सेक्टर को डेवलप किया जाता, तो लाखों लोगों को फायदा पहुंचता और जो लोग, जो नौजवान बेकार हैं, उनको टूरिज्म सेक्टर में मुलाजमत मिलती या कारोबार मिलता।

दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पानी का बड़ा जखीरा है और काफी पानी जम्मू व काश्मीर के दरियाओं में जाया जा रहा है। तवी में, रावी में, जेहलुम में और चुनाव में बहुत सारा पानी जाया जा रहा है और पानी का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जा रहा है लेकिन

जम्मू व काश्मीर खुद बिजली के मामले में, इनर्जी के मामले में बड़ा पसमान्दा है, बड़ा बैकवर्ड है और गरीब है और सरकार इस मामले में कोई मदद नहीं कर रही है। दुलहस्ती का प्रोजेक्ट है, उडी का प्रोजेक्ट है और सलाल का प्रोजेक्ट है और कई दूसरे प्रोजेक्ट हैं, जो सरकार ने हाथ में तो ले लिये हैं लेकिन सिर्फ कागज पर ही जमा खर्च हुआ है और कोई प्रेक्टिकल मदद आपने नहीं की है और इसका नुकसान हमें भी भुगतना पड़ रहा है और आपको भी भुगतना पड़ रहा है। नार्थ ग्रिड से हमें बिजली नहीं मिल रही है और चराग तले अन्धेरे वाली बात है। जम्मू व काश्मीर पूरे देश को बिजली दे सकता है और 30 हजार मेगावाट बिजली तैयार कर सकता है, 10 साल के अन्दर अगर गवर्नमेंट चाहे लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उनको टेप नहीं किया जा रहा है और नतीजा यह है कि आज जम्मू व काश्मीर में ब्लैकआऊट है और वहां पर बिजली नहीं मिल रही है। इससे जम्मू व काश्मीर का टूरिज्म तबाह हो गया है और यह भी एक कारण इसका है। होटल और टूरिस्ट एरियाज जितने भी हैं, वहां अंधेरा रहता है और वहां पर जो थोड़ा बहुत इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, वह भी तबाह हो गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां पर प्रायरटी बेसिस पर इस मामले में मदद करे। टूरिज्म के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी बहुत बड़ी डिमांड रही है और अगर आप चाहते हैं कि वहां पर टूरिज्म डेवलप हो, तो आपको चाहिए कि श्रीनगर को इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर कबूल करें क्योंकि उसका जुगराफिया ऐसा है कि उसके जरिए मिडिल ईस्ट, रूस और जितने हमारे नेबरिंग कन्ट्रीज हैं, अफगानिस्तान वगैरह उनके साथ हमारा रावता रह सकता है और लाखों की संख्या में वहां से टूरिस्ट्स हमारे यहां आ सकते हैं जिससे काश्मीर की हैंडीक्राफ्ट और कारपेट इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है। इससे न सिर्फ हमारे यहां की गुरबत खत्म होगी बल्कि हमें फौरेन एक्सचेन्ज भी बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जो फौरेन एक्सचेन्ज मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा फौरेन एक्सचेन्ज हमको मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि लद्दाख को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया बना दिया है। हमारी स्टेट बड़ी बैकबर्ड है लेकिन जब हम सरकार को कहते हैं कि डोडा को भी बना दीजिए क्योंकि उसकी हालत लद्दाख से कुछ कम खराब नहीं है, राजोरी और पूंच की बाबत कहते हैं टंगधार और उडी के बारे में कहते हैं और करणा के बारे में कहते हैं, तो क्यों तवज्जह नहीं दी जाती और आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। यह आपका हक नहीं बनता है क्योंकि हम उसके रिप्रेजेन्टेटिव हैं और हम कहते हैं कि जब लद्दाख को आपने दे दिया, तो राजोरी को भी दीजिए और जम्मू के जो दूसरे इलाके हैं उनको भी दीजिए, डोडा को भी दीजिए, टंगधार, उडी और बारामूला के जो कई इलाके हैं, उनको दीजिए और बडगाम डिस्ट्रिक्ट को भी दीजिए। ये इलाके बहुत बैकवर्ड हैं लेकिन आप इस मामले में इम्तियाज करते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और यह अच्छा नहीं लगता है। आपको चाहिए कि आप हमारी राय को कबूल कर लें।

बैंकिंग का जो मामला है, वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनसे हमारी यह एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे यहां के जो आर्टीसन हैं, जो कारपेट बुनते हैं और पेपर मेसी और वुड-कार्विंग और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जिसका मार्केट सारे वर्ल्ड में है, उनको मदद मिलेगी। सारे संसार में उसकी डिमाण्ड है। मैं श्रीनगर पार्लियामेंटरी कांस्टीच्युएंसी को रिप्रेजेन्ट करता हूं और मेरा यह कहना है कि अगर पूरी स्टेट में सबसे ज्यादा तादाद में आर्टिजंस कहीं हैं तो वे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं। मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये

बैंक वाले इन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी और इन्जस्टिश करते हैं। आर्टिजंस गरीब लोग हैं और बेकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं। अगर इन गरीब लोगों को, बेकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को पैसा मिलेगा तो ये ज्यादा कारोबार करेंगे जिससे मुल्क की तरक्की होगी और बेरोजगारी भी कम होगी। इससे पूरे मुल्क का भला होगा। जो छोटी-छोटी कारीगरी के काम हैं उनको डवलप करने के लिए आपके नेशनेलाइज्ड बैंकों को इन छोटे लोगों को पैसे की पूरी मदद देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपके जितने भी नेशनेलाइज्ड बैंक हैं, वे वहां पर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाता है जो बड़े-बड़े होटल बना रहे हैं। जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं, हैण्डीक्राफ्ट के काम हैं, उनकी भी मदद इन बैंकों को करनी चाहिए। उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जम्मू कश्मीर की बेकवर्डनेस को दूर करने के लिए, वहां की गरीबी को दूर करने के लिए, वहां टूरिज्म इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज और हैण्डीक्राफ्ट्स को डवलप करने के लिए काम करेगी।

[شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): جناب چیئرمین، میں سپلیمنٹری ڈیمانڈ کی مخالفت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ کارن یہ کہ آپ کا دکھاوا، ریلیف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ میں آپکو بتانا چاہتا ہوں کہ [illegible] سے جموں کشمیر میں ٹورزم سیکٹر تباہ ہو گیا کیونکہ ہماری وہاں کی اکانامی ٹورسٹ بیسڈ ہے اس وجہ سے دونوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان دو سالوں میں وہاں سیاسی اُتھل پتھل بھی ہوئی اور وہاں کا ٹورزم تباہ ہو گیا۔ لوگ وہاں سے متاثر ہوئے۔ افسوس یہ کہ ہزاروں لوگ جو وہاں سے متاثر ہوئے اُنکی کوئی مدد نہیں کی۔ شریمتی اندرا گاندھی کے وقت میں جو نقصانات ہوئے اس کی وجہ سے بھی ہمارے جموں کشمیر کے ٹریڈ مرچینٹس جنکی دکانیں دلی کے بازاروں میں تھیں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ سرکار نے انکی بھی کوئی مدد نہیں کی۔ اسی وجہ سے میں مخالفت کر رہا ہوں۔

اس لئے بھی میں مخالفت کر رہا ہوں کیونکہ سرکار نے ساتویں پنج ورشیہ یوجنا میں جموں کشمیر کی چنی ہوئی سیاسی ریپریزنٹیشن کو کانفیڈینس میں نہیں لیا اور وہاں کی سرکار کو کانفیڈینس میں لیا جنکی ہم اپریسی ایشن ... جموں کشمیر میں ٹوئنگ یاد ہے۔ میں نے پلاننگ کمیشن کو خط لکھا کہ یدی آپ وہاں لیجسلیچر کو کانفیڈینس میں نہیں لیں گے تو ہم ایم ایل ایز کی سرکار شری جی ایم شاہ کی سرکار کو بات کرنے کا ادھیکار نہیں بنتا ہے کہ وہ پلاننگ کمیشن سے بات چیت کرے کیونکہ ہمارے لیجسلیچر ۷۶ ایم ایل ایز پر مشتمل ہیں۔ خط میں میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ لوک سبھا کے ۶ ممبر ہیں اور راجیہ سبھا میں بھی چار یا پانچ ممبر ہیں تو مناسب یہ ہوگا کہ کیندریئے سرکار ان سنسد سدسیوں کو کانفیڈینس میں لیتی اور ان سے بات کرتی تاکہ ساتویں پنج ورشیہ یوجنا کو بناتے وقت صحیح روپ سے وہاں کی شکست کو ستوت کیا جا سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔

میں اس بنا پر بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے لیکن جموں و کشمیر میں مائنورٹی سرکار سے بات کر کے وہاں کی فیوچر جنریشنس کے لئے جو آپ پلاننگ کرتے ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ آپکو چاہیئے کہ جو ۶ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان سے آپ بات کریں۔ اس وقت ۳ ممبران یہاں پر کانگریس کے بھی ہیں اور ۳ نیشنل کانفرینس کے ہیں اور غلام محمد شاہ کا ایک بھی ممبر نہیں ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن میں اسکو ناکامی رہی اور اس کا ایک آدمی بھی یہاں چُن کر نہیں آیا۔

میں آپ کے مادھیم سے سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم کا جو سیکٹر ہے ہمارے لیئے اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ پنجاب اور ہریانہ میں ایگریکلچر سیکٹر کی ہے۔ ٹورزم کو آپ کو پرائرٹی سیکٹر میں جموں و کشمیر میں لینا چاہیئے، لیکن

ٹورزم کے معاملے میں کیندر ئے سرکار ہماری مدد نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے وہاں پڑے ہوئے ہیں ماسٹرپلان سون مرگ کے لئے یوس مرگ کے لئے اور دوسرے ٹورسٹ ریزارٹس کے لئے۔

کیا سرکار کا یہ فرض نہیں تھا کہ جموں و کشمیر میں ٹورزم سیکٹر کو ڈیولپ کرتی اور اس کے لئے مخصوص رقم لیتی اور مدد کرتی۔ اگر اس سیکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا اور جو لوگ جو نوجوان بے کار ہیں انکو ٹورزم سیکٹر میں ملازمت ملتی یا کاروبار ملتا۔

دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پانی کا بڑا ذخیرہ ہے اور کافی پانی جموں و کشمیر کے دریاؤں میں ضائع جا رہا ہے۔ توی میں، راوی میں جہلم میں اور چناب میں بہت سا پانی ضائع جا رہا ہے، لیکن جموں و کشمیر خود بجلی کے معاملے میں ازجی کے معاملے میں بڑا پس ماندہ ہے بڑا بیک ورڈ ہے اور غریب ہے اور سرکار اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر رہی ہے، دلہستی کا پروجیکٹ ہے اڑی کا پروجیکٹ ہے اور سہلت کا پروجیکٹ ہے اور کئی دوسرے پروجیکٹ ہیں جو سرکار نے ہاتھ میں تو لے لئے ہیں لیکن صرف کاغذ پر ہی جمع خرچ ہوا ہے اور کوئی پریکٹیکل مدد آپ نے نہیں کی ہے اور اسکا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ نارتھ گرڈ سے ہمیں بجلی نہیں مل رہی ہے، اور چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ جموں کشمیر پورے دیش کو بجلی دے سکتا ہے اور ۳۰ ہزار میگاواٹ بجلی تیار کر سکتا ہے ۱۰ سال کے اندر اگر گورنمنٹ چاہے لیکن ہمارے جو ریسورزیں انکو ٹیپ نہیں کیا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج جموں و کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے اور وہاں پر بجلی نہیں مل رہی ہے! اس سے جموں و کشمیر کا ٹورزم تباہ ہو گیا ہے اور یہ بھی ایک کارن اسکا ہے۔ ہوٹل اور ٹورسٹ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں اندھیرا رہتا ہے، اور وہاں پر جو تھوڑا بہت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اس لئے سرکار کو چاہئے کہ وہاں پر پرائرٹی بیسس پر اس معاملے میں مدد کرے۔ ٹورزم کے معاملے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ڈیمانڈ رہی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ٹورزم ڈیولپ ہو تو آپکو چاہئیے کہ سری نگر کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے طور پر قبول کریں کیونکہ اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ مڈل ایسٹ، روس، اور جتنے ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان وغیرہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہ سکتا ہے اور لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں سے ٹورسٹ ہمارے یہاں آ سکتے ہیں جس سے کشمیر کی ہینڈی کرافٹ اور کارپیٹ انڈسٹری ڈیولپ کر سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے یہاں کی غربت ختم ہو گی بلکہ ہمیں فارین ایکسچینج بھی بہت زیادہ ملے گا۔ ابھی جو فارین ایکسچینج مل رہا ہے اس سے بہت زیادہ فارین ایکسچینج ہم کو ملے گا۔

میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ڈسکریمینیشن ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لداخ کو آپنے شیڈولڈ ٹرائب ایریا بنا دیا ہے۔ ہماری اسٹیٹ بڑی بیک ورڈ ہے، لیکن جب ہم سرکار کو کہتے ہیں کہ ڈوڈا کو بھی بنا دیجئے کیونکہ اس کی حالت لداخ سے کچھ کم خراب نہیں ہے۔ راجوری اور پونچھ کی بابت کہتے ہیں ٹنگھار اور اڑی کے بارے میں کہتے ہیں اور کرنا کے بارے میں کہتے ہیں تو کیوں توجہ نہیں دی جاتی اور آپ ڈسکریمینیشن کیوں کرتے ہیں۔ یہ آپکا حق نہیں بنتا ہے کیوں کہ ہم اس کے ریپریزنٹیٹو ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب لداخ کو آپ نے دے دیا تو راجوری کو بھی دے دیجئے اور جموں کے دوسرے علاقے ہیں انکو بھی دیجئے۔ ڈوڈا کو بھی دیجئے ٹنگھار اڑی اور بارامولا کے جو کئی علاقے ہیں انکو دیجئے اور بڈگام ڈسٹرکٹ کو بھی دیجئے۔ یہ علاقے بہت بیک ورڈ ہیں، لیکن آپ اس معاملے میں امتیاز کرتے ہیں۔ آپ ڈسکریمینیشن کرتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپکو چاہیے کہ آپ ہماری رائے کو قبول کریں۔

بینکنگ کا جو معاملہ ہے، دت منتری جی یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمارے یہاں کے جو آرٹیزنس ہیں جو کارپیٹ بنتے ہیں اور پیپر میشی اور ووڈ کارونگ اور ہینڈی کرافٹ کا کام کرتے ہیں جس کا مارکیٹ سارے ورلڈ میں ہے ان کو مدد ملے گی۔ سارے سنسار میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ میں سری نگر پارلیمنٹری کانسٹی ٹیونسی کو ریپریزینٹ کرتا ہوں اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پوری اسٹیٹ میں سب سے زیادہ تعداد میں آرٹیزنس کہیں ہیں تو وہ سری نگر ڈسٹرکٹ میں ہیں۔ منتری جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بینک والے ان کے ساتھ بڑی ناانصافی اور انجسٹس کرتے ہیں۔ آرٹیزنس غریب لوگ ہیں اور بیک ورڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ اگر ان غریب لوگوں کو بیک ورڈ کمیونٹی کے لوگوں کو پیسہ ملے گا تو یہ زیادہ کاروبار کریں گے جس سے ملک کی ترقی ہوگی اور بیروزگاری بھی کم ہوگی۔ اس سے پورے ملک کا بھلا ہوگا۔ جو چھوٹی چھوٹی کاریگری کے کام ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لئے آپ کے نیشنلائزڈ بینکوں کو ان چھوٹے لوگوں کو پیسہ کی پوری مدد دینی چاہیئے۔ جموں کشمیر میں آپ کے جتنے بھی نیشنلائزڈ بینک ہیں وہ وہاں پر بڑا ڈسکریمینیشن کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے جو بڑے بڑے ہوٹل بنا رہے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں ہینڈی کرافٹ کے کام ہیں انکی بھی مدد ان بینکوں کو کرنی چاہیئے۔ ان کی طرف میں آپکی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

میں امید کرتا ہوں کہ سرکار جموں کشمیر کی بیک ورڈنیس کو دور کرنے کے لئے وہاں کی غریبی کو دور کرنے کے لئے وہاں ٹوورزم الیکٹریسٹی انڈسٹریز اور ہینڈی کرافٹس کو ڈیولپ کرنے کے لئے کام کرے گی۔]

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : सभापति जी, मैं सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने मुद्रास्फीति पर जितना नियंत्रण हो सके उतना नियंत्रण किया है।

दूसरे उन्होंने जो टैक्स कंसेशन दिये हैं उनके कारण राजस्व घाटे में गिरावट आई है। यह भी बजट की सफलता की एक निशानी है। साथ ही साथ अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो मैं कह सकता हूं कि पिछले वर्ष इतनी अवधि के अन्दर डाइरेक्ट टेक्सेज से 15 सौ करोड़ रुपये वसूल हुए थे, इस वर्ष इसी अवधि के अंदर 2 हजार करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। उसी तरह से कस्टम वगैरह से 9 सौ करोड़ रुपये वसूल हुए थे उसके मुकाबले में इस वर्ष 12 सौ करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। यह भी बजट की सफलता की एक निशानी है। भावों में भी नियंत्रण रखने की कोशिश की गई है। किसी भी डवलपिंग इकोनोमी में इन्फलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका तो नहीं जा सकता है। इस दिशा में भी वित्त मंत्री जी ने ईमानदारी से प्रयास किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

साथ ही साथ बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह वायदा किया था कि एन्टी पावर्टी प्रोग्राम को वे ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे। इसका भी उन्होंने सबूत दिया है कि आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने 96.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे हमारे देश में जो लेण्डलेस मजदूर हैं और अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको मदद मिलेगी। इस तरह से सरकार अपना वायदा पूरा कर रही है। मैं यहां पर यह अपील करूंगा कि इन प्रोग्राम्स के लिए पैसे को और बढ़ाया जाए।

यहां पर सभी राज्यों के संसद् सदस्यों ने एक मांग रखी है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जैसे कि बाढ़ और सूखा उनके लिए जो आपने मदद दी है वह नाकाफी है। इस दिशा में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इनके बारे में एक लोंग टर्म पालिसी बनाई जाए जिससे कि नेचुरल कैलेमिटीज का मुकाबला किया जा सके।

यदि आप पांच वर्षों का औसत निकालकर देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बाढ़ से विनाश बढ़ रहा है। भौतिक रूप से 1970-74 में औसत हानि 422 करोड़ रुपये थी जो 1978-79 में बढ़ कर 926 करोड़ रुपये और 1980-84 में फिर बढ़ कर 1561 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार औसत हानि साढ़े तीन गुना बढ़ गई। इसमें मेरा सुझाव है कि जो वारिस का पानी आता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए।

हमारे देश की जो नदियां हैं इनमें कुल 144 करोड़ एकड़ फुट पानी प्रतिवर्ष बहता है। इसमें से 80 प्रतिशत पानी सिर्फ मानसून के 4 महीनों में बहता है और वह असंतुलनला कर बाढ़ ला देता है। हम अब तक केवल 54 करोड़ एकड़ फुट पानी का प्रयोग कर पाते हैं और केवल 13 करोड़ एकड़ फुट पानी के संचय की क्षमता का सृजन कर पाए हैं। शेष सारा पानी वर्षा की तीव्रता के अनुसार बाढ़ लाने के लिए स्वतंत्र रहता है। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पानी का संग्रहण हो सके और उसका उचित उपयोग हो सके।

हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद बाढ़ का प्रकोप और विनाश बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए दो बातें जिम्मेदार हैं। मेरा सुझाव है कि छठी योजना में इसके लिए 1045 करोड़ रुपये रखे गये थे जबकि बाढ़ नियंत्रण पर कार्यकारी दल ने 1593 करोड़ रुपये की अनुशंसा की थी। इस राशि में से भी वास्तविक व्यय मात्र 815 करोड़ रुपये ही किया गया यानी उसमें भी 22 प्रतिशत की कमी रही। मेरी समझ में नहीं आता कि बजट में जितना पैसा गया था उससे आपने कम पैसा दिया और जितना पैसा आपने दिया उसमें से भी 22 प्रतिशत कम क्यों खर्च किया गया।

4.00 म० प०

उसके बाद भी बाढ़ और सूखे से काफी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा फेल्योर है कि जो पैसा बजट में दिया गया था बाढ़ की रोकथाम के लिए, उसका उपयोग नहीं किया गया है। मैं अपील करूंगा कि इस पैसे को और बढ़ाया जाए और इसका पूरा उपयोग किया जाए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल ने 3149 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार इसमें कितनी कटौती की गई है, यह मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि नैचुरल केलामिटीज को मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया होगा।

रसायन और खाद के मामले में लोक सभा क्षेत्र गुना की समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पर खाद के कारखाने में ज्यादातर बाहर के लोगों को नौकरी में रखा है। बाहर के लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और एंप्लायमेंट पा जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में जब उद्योग दिया जाता है तो इस मंशा से दिया जाता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

बैंक्स के काम में काफी सुधार हुआ है और शिकायतें काफी कम हुई हैं, इसके बारे में माननीय पुजारी जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्वेंसी में भी उन्होंने आकर लोन्स दिए थे, देश में कई जगह पर वे लोन बांटते रहे हैं और वे जहां भी जाते हैं वहां पर बैंक तेजी से कार्य करने लग जाते हैं और लोगों को फायदा होता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाएं ताकि बैंक का पैसा सही लोगों को मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड्स का मैं समर्थन करता हूं और समर्थन के साथ-साथ वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हर बार पार्लियामेंट में कोई न कोई बोर्ड और प्राधिकरण बनाने पर बिल आ जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रशासनिक खर्च कम किया जाए और दूसरी तरफ इस तरीके से प्रशासनिक खर्च बढ़ा रहे हैं। सरकार स्वयं इसको बढ़ा रही है। इस फिजूलखर्ची को कम किया जाना चाहिए। सरकार कहती है कि फिजूलखर्ची रोकने के लिए पैट्रोल और ओवरटाइम कम किया जाए, लेकिन मेरा सुझाव है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि इस तरह के प्राधिकरण और बोर्ड स्थापित न हों। फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सरकार को तेजी से कदम उठाने चाहिए और इसको रोकना चाहिए। घाटे की अर्थव्यवस्था को सीमित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो बात कही थी कि रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाया जाएगा, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में 2000 करोड़ रुपये का घाटा है। इंपोर्ट्स लिबरलाइज कर दिया गया तब भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। नान रेजीडेंट्स को जो सुविधाएं दी हैं वे काफी कम हैं। अगर किसी भी तरह से फारेन एक्सचेंज अपने देश में आता है तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमें मिलेगा। इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

नान-प्लान का काफी बड़ा हिस्सा सबसिडी के रूप में चला जाता है। चाहे फर्टिलाइजर में हो चाहे फूड में हो, सबसिडी में काफी खर्च हो जाता है, इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए ताकि सबसिडी कम की जा सके। इन्डस्ट्रीज लाइसेंस पालिसी को लिबरलाइज करने के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़ पाई है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

बैंकों के लोन के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। सैल्फ एंप्लायमेंट स्कीम में बहुत गड़बड़ी है। डी०आई०सी० लेवल पर जो टास्कफोर्स कमेटी बनी हुई है उसमें सही चयन नहीं होता। एक दिन में दो सौ आदमियों का इंटरव्यू डी० आई० सी० में बैठकर टास्क फोर्स कमेटी लेती है। इससे आप समझ सकते हैं कि वे वाजिब आदमियों का चुनाव करते होंगे या नहीं करते होंगे। इसके सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इसके बावजूद जो लोग सैल्फ एंप्लायमेंट स्कीम के तहत चुने जाते हैं उनको पचासों चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोटा में 60 बैंक हैं और उनको कहा जाता है कि 60 बैंकों से नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट लाओ, वह किस प्रकार से ला सकता है। इसलिए बैंक्स के फंक्शंस में काफी सुधार की आवश्यकता है, इस ओर ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए और बैंक अधिकारियों के खिलाफ आम आदमी द्वारा जहां पर भी शिकायत की जाती है उस पर ज्यादा गौर करना चाहिए, तभी जाकर बैंक्स में सुधार होगा और वाजिब आदमियों को लोन मिलेगा। एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० के बारे में मेरा कहना है कि

काम के बदले अनाज योजना को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि परिसंपत्ति, जो पक्के काम में हैं वे हो सकें, जिससे परिसंपत्ति का निर्माण हो सके। जरूरी चीजों के मूल्यों में जो वृद्धि आज होती जा रही है, उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। गांवों में तीन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वे हैं—सड़क, पीने का पानी और बिजली। प्लान का मुख उन तीनों चीजों की ओर अवश्य मोड़ना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 सालों के बाद भी तहसील हैडक्वार्टर के गांव ऐसे हैं जहां सड़क, पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस प्रकार सरकार का पैसा उन पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। राजस्थान में तीन-चार वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है। राजस्थान में 27 जिलों में से 24 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। जो पैसा राज्यों को केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाता है, वह बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मेटीरियल कम्पोनेंट, भारत सरकार की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें कम होता है। इसलिए, पक्के काम हाथ में नहीं लिए जा सकते जिससे परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार के कार्यों में प्राप्त कुल राशि में मेटीरियल कम्पोनेन्ट का अंश केवल पच्चीस परसेंट होता है जबकि स्थायी कामों में पचास परसेंट की आवश्यकता होती है। मेटीरियल कम्पोनेंट, केन्द्रीय सहायता में अधिक सीमा तक उपलब्ध होना चाहिए ताकि स्थायी और राहत कार्य शुरू किए जा सकें। आठवें वित्त आयोग द्वारा राहत कार्यों हेतु सभी राज्यों के लिए मार्जिन मनी की सीमा तय की हुई है। इसका प्रावधान राज्य के बजट में प्रतिवर्ष होता है। मार्जिनल मनी की सीमा तक केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। मार्जिनल मनी से ऊपर जो भी अकाल राहत के लिए राशि चाहिए उसमें राज्य की वार्षिक योजना हेतु पांच परसेंट तक जो भी सहायता प्राप्त होती है, उसे एडवांस प्लान असिस्टेंस के रूप में गिना जाता है और उस सीमा तक राज्य की उस वर्ष की वार्षिक योजना बढ़ी हुई मानी जाती है तथा इसका समायोजन अगले पांच वर्षों में किया जाता है। पांच परसेंट से अधिक दी जाने वाली राशि का पचास परसेंट भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार अकाल सहायता दे सकती है अर्थात् केंद्र सरकार पचास परसेंट ऋण को भी अनुदान के रूप में उपलब्ध करा सकती है, ऐसी सहायता को अग्रिम सहायता के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। सातवें वित्त आयोग ने भी इसी प्रकार सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने उसे माना था। राजस्थान की भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ज्यादा राशि दे तथा सारी सहायता को अनुदान के रूप में दे तथा देश की अपनी ही तरह की एक ही शानदार योजना "इन्दिरा कैनाल" का पूरा व्यय केन्द्र सरकार उठाए। इसी कैनाल के द्वारा मरुस्थलीय जमीनों पर सिंचाई होगी। अगर इस कैनाल को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से बनाकर केन्द्र सरकार पूरा खर्चा उठाकर इसको बनाती है तो अकाल से राजस्थान का पीछा छुड़ा सकती है। मैं, इन पूरक मांगों का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति को देख करके राजस्थान को ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री पी० अप्पालानरसिंह** (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, गत दो दिन में अनुपूरक मांगों की चर्चा के दौरान बहुत सी बातें पहले ही कह दी गयी हैं। अतः मैं अपने आपको केवल

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कुछ ही बातों तक सीमित रखूंगा। अब सरकार 1824 करोड़ रुपये की और राशि की स्वीकृति के लिए सभा के समक्ष आयी है। इसको मिलाकर कुल घाटा 3500 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगी तथा सभी वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। महोदय, सरकार ने कभी भी नीति संबंधी निर्णय लेते समय अथवा कार्यक्रम बनाते समय अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन नहीं किया जिसके फलस्वरूप देश को समय-समय पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह बात मैं इस सभा के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। सर्वांगीण विकास के लिए देश को अपनी कृषि और उद्योगों का विकास करना होगा। परंतु दुर्भाग्य से कृषि क्षेत्र में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी असंतोषजनक है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में जान फूंकने के लिए कभी नहीं सोचा। आजकल देश में बहुत से उद्योग रुग्ण हैं और उनमें से 60 प्रतिशत कुप्रबन्ध के कारण रुग्ण हैं। बहुत से अन्य उद्योग श्रमिक असंतोष, कच्चे माल की अनुपलब्धता या पुरानी मशीनों इत्यादि के कारण रुग्ण हैं। कुछ अन्य उद्योग इसलिए रुग्ण हैं कि उन्हें समय पर सरकार से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने विचार नहीं किया है कि किस प्रकार से इन रुग्ण उद्योगों को पुन: प्रतिष्ठित किया जाये और उनका कायाकल्प किया जाये ताकि ये उद्योग न केवल ठोस रूप से राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकें बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दे सकें।

महोदय, अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। गत 35 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्णतया उपेक्षित किया गया है। सरकार ने इन मार्गों को, जो अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, न तो उन्हें चौड़ा करने के लिए और न ही उनमें सुधार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही संकीर्ण हैं। कोई भी अंतर्राज्यीय मार्ग 25 फुट से अधिक चौड़ा नहीं है। वर्तमान में सभी अंतर्राज्यीय मार्गों की चौड़ाई 12 से 25 फुट है। हमारे राष्ट्रीय मार्गों की यह दशा है। गत 35 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने न तो इन मार्गों को चौड़ा करने के लिए और न ही नये मार्ग बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं। वह केवल यहां वहां मरम्मत का ही कार्य कर रही है। क्या कोई अंतर्राज्यीय सड़क 50 फुट चौड़ा है? यातायात बढ़ने की बजह से बहुत-सी दुर्घटनाएं हो रही हैं।

महोदय, आटोमोबाइल उद्योग ने वर्तमान में देश में बहुत तेजी से प्रगति की है। इन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की, चाहे वे कार हों, लारी हों अथवा मोटरसाईकल हों, संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है परन्तु फिर भी बढ़े हुए यातायात से निपटने के लिए मार्गों का विकास नहीं किया गया है। मार्गों को चौड़ा करने का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए। परन्तु यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए इस सरकार के पास कोई कार्य-क्रम नहीं है। देश के अधिकतर पुल, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। आंध्र प्रदेश के टुनी पुल तथा अंकापल्ली पुल 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। वे बहुत ही खराब स्थिति में हैं और उन्हें गिरा देना चाहिए। अत: केन्द्रीय सरकार के लोक निर्माण विभाग को तुरन्त कार्यवाही करके सड़कों तथा पुलों की दशा में सुधार करना चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के महत्वपूर्ण सम्पर्क आपस में कट जायेंगे और हमारी सड़क परिवहन प्रणाली विकलांग हो जायेगी। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। अगर इन सड़कों का सम्पर्क खत्म हो गया तो संपूर्ण परिवहन प्रणाली तथा देश का जन-जीवन भी बिल्कुल रुक जायेगा। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा जिलों के बीच सम्पर्क टूट जायेगा।

महोदय, देश में फिल्म उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो स्थानीय सरकारों को संकट में सहायता करता रहा है। स्थानीय सरकारें बहुत धनराशि मनोरंजन कर के माध्यम से प्राप्त करती हैं। फिल्म उद्योग को बचाने की स्थानीय निकायों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर भी सरकार ने देश में फिल्म उद्योग की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। उद्योग के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यही नहीं। इस सरकार ने फिल्म डिवीजन की दस्तावेजी फिल्मों पर 30 प्रतिशत शुल्क वसूल करके, जो किसी समय मात्र एक रुपया होता था, नकारात्मक रुख का परिचय दिया है। केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर फिल्म डिवीजन को वृतचित्र का निर्माण करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा उन्हें जनता को मुफ्त दिखाना चाहिए। करोड़ों रुपयों का राजस्व, जो केन्द्रीय राजकोष को प्राप्त होता है उसे राज्यों में बांटना चाहिए। राज्यों के अंश में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो फिल्में देश के विभिन्न भागों में तैयार होती हैं उन्हें केन्द्र से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम अब इस उद्योग की सहायता करे। देश का संपूर्ण दूर-संचार क्षेत्र त्रुटिपूर्ण है। फिर भी इस सरकार ने इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं। सरकार को करोड़ों रुपया गलत टेलीफोन नम्बर मिलने से प्राप्त हो रहा है। सरकार ने अपनी टेलीफोन व्यवस्था में 'गलत नम्बर' मिलने को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। संचार व्यवस्था के विस्तार के नाम पर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने हो चुके एक्सचेंजों को बहुत संख्या में लगाकर करोड़ों रुपया बिना कोई सेवा किये एकत्र कर रही है।

महोदय, सरकार को हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। अगर हमें प्रगति करनी है तो यह बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चल रहे होंगे। यह अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मानसून सैशन में एक बजट पेश किया जिसमें 3872.54 करोड़ का बजट पेश किया। अब विंटर सैशन में 1824.66 करोड़ का बजट और पेश किया है।

[अनुवाद]

कुल राशि 5,697.20 करोड़ रुपये की हो जाती है।

[हिन्दी]

मैं कल हिन्दुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ रहा था, कल के पेपर में यह लिखा है—

[अनुवाद]

अनुपूरक मांगों का मामला विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अद्यतन मांगों के संबंध में सरकार ने शीतकालीन सत्र में 1,824 करोड़ रुपये की मांग रखी थी। यह आश्चर्य की बात है कि उस राशि में 1,111 करोड़ रुपये की मांग गैर योजना व्यय के लिए थी और यह भी विचारणीय है कि यह मांग गैर योजना व्यय में 5 प्रतिशत कटौती करने के लिए सरकार द्वारा सितम्बर में जारी किये निदेश के बावजूद प्रस्तुत की गई है जिसमें 800 करोड़ रुपये की बचत

का दावा किया गया है। ऐसी स्थिति में इन आंकड़ों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह इस बात का द्योतक है कि नई वित्तीय नीति की विश्वसनीयता पर ध्यान देना आरम्भ कर दिया गया है।

4.16 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

यह जो इस प्रकार का बजट पेश करते हैं और उसके बाद 6,000 करोड़ का और भी सप्लीमैंटरी बजट पेश करते हैं, इसका कारण क्या है? मैं यह चाहता हूं कि आप अपनी सब्सीडीज को बन्द करें।

[अनुवाद]

राज सहायता का इतनी उदारतापूर्वक दिया जाना समाप्त होना चाहिए।

[हिन्दी]

यह सब्सीडीज़ अपने फर्टिलाइजर में दी। इससे बड़े काश्तकारों को लाभ हुआ है छोटों को लाभ नहीं पहुंचता है। यह सबसीडीज़ उन गरीबों के पास नहीं पहुंचती जिनको इसका लाभ मिलना चाहिऐ। यह मेरी मानना है और मैं इसको बड़ी डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन······

श्री हरीश रावत : आप विरोध क्यों कर रहे हैं? यह कहें कि जिसको देना चाहते हैं, उसको वह लाभ पहुंचना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े-बड़े काश्तकार इस सब्सीडी का लाभ ले लेते हैं। जो छोटे-छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलता। सरकार अगर अपने प्रशासन में थोड़ी सतर्कता लाये तो करोड़ों और अरबों रुपया बच सकता है।

आपने सप्लीमैंटरी डिमाइज़ में दिल्ली परिवहन निगम को रुपया दिया है। उसकी क्या हालत है यह देखिये। दिल्ली परिवहन निगम को पिछले साल में 100 करोड़ का घाटा हुआ है। 1958 से 1980 के 22 वर्षों में डी० टी० सी० को केवल 113 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन आज सिर्फ 4 वर्षों में 268 करोड़ का घाटा हो गया है। दिल्ली परिवहन निगम में कुछ तो पुलिस वाले और कुछ स्टूडेंट्स बिना पैसे दिये चलते हैं। इस तरह के कई गोलमाल बताये गये हैं। मैं कहता हूं कि 214 करोड़ रुपये का दिल्ली परिवहन निगम में घाटा है।

[अनुवाद]

इस बात की संभावना है कि रुग्ण उद्योगों में लगी ऋण राशि बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये तक हो जायेगी।

[हिन्दी]

आज आपका बहुत-सा रुपया सिक इंडस्ट्रीज के ऊपर लग गया है, जिसको कि आप पूरा कर नहीं सकते। एन० टी० सी० के अन्दर भी काफी रुपया लग गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कुल 670 करोड़ रुपये का घाटा है । 28 नवम्बर, 1985 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में कहा गया है कि :—

"सरकारी आधिपत्य में कार्यरत राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन० टी० सी०), जिसमें कुल 932.85 करोड़ की राशि का निवेश है, इसके अधिग्रहण किये जाने के समय से, इसमें 670 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है ।

सरकारी उद्यमों में कुल कितना घाटा है ? उसके बारे में 18 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में कहा गया है कि :—

"उद्योग मंत्रालय के सरकारी उपक्रम विभाग द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि इसके अधीन कार्यरत 20 सरकारी क्षेत्र के एककों में से 11 एकक घाटे में चल रहे हैं । 1984-85 में घाटे की राशि 120 करोड़ रुपये अधिक है ।"

[हिन्दी]

आप बतायें कि उनके अन्दर आपको इतना घाटा क्यों हुआ है । कोकिंग कोल में भी यही हालत है ।

[अनुवाद]

5-11-1985 को प्रकाशित इकानामिक्स टाइम्स में कहा गया है कि :—

"1955 और 1985 के दौरान अर्थात् 30 वर्ष में कोकिंग कोयले के मूल्य में 2000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कोकिंग कोयला का औसत मूल्य 10 रुपये प्रति टन था जो 1984-85 में बढ़कर 320 रुपये प्रति टन हो गया ।"

[हिन्दी]

जब तक आपके प्रशासन में कुशलता नहीं आयेगी और काम करने के तरीकों में परिवर्तन नहीं आयेगा, सरकारी कर्मचारियों के खर्चे, उनके भत्तों के खर्चे और आफिसरों के खर्चों में कमी नहीं आयेगी, तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है । आपमें खर्च कम करने की ताकत होनी चाहिए । मैंने देखा है कि कोकिंग कोल से संबंधित चीजों की कीमतें दो हजार गुना तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी घाटा है । उन्होंने बताया है :

[अनुवाद]

यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति में जबकि उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता बढ़ाने का निश्चय किया गया है, उर्वरक उद्योग उर्वरकों का अतिबिका भंडार दबाये बैठा है । औद्योगिक साधनों से प्राप्त समाचार के अनुसार उसके पास 24 लाख टन उर्वरक भंडार उपलब्ध है ।

[हिन्दी]

हर महीने कहते हैं कि 3 मिलियन आप इम्पोर्ट कर रहे हैं । इम्पोर्ट करते करते आप 3.7 मिलियन तक पहुंच जाते हैं । जो चीजें आपके स्टाक में मौजूद हैं, और जिनकी जरूरत भी नहीं होती उन चीजों को भी आप बाहर से मंगा रहे हैं ।

श्रीमान्, आप यह बतायें कि आपका कौन-सा डिपार्टमेंट है जो कि ठीक ढंग से चल रहा है । यही कारण है आज आपको हर जगह घाटा होता है । आपका जब मानसून सैशन आता है तो

आप 4 हजार करोड़ की सप्लीमेंट्री ले आते हैं और जब विन्टर सैशन आता है तब और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ले आते हैं। उनके लाने से कितना पैसा बढ़ जाता है, यह तो मुझे मालूम नहीं।

आज कीमतें आसमान को छू रही हैं। गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको खाने-पीने की चीजें सस्ते दामों पर नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रशासन में क्षमता लायी जाए। प्रशासन में काम करने की थोड़ी बहुत मजबूती लायी जाए अन्यथा जब पब्लिक अंडरटेकिंग्स ही आपकी घाटे में चल रही हैं और आप उनको लोन दे रहे हैं तो औरों की क्या स्थिति होगी ? आज आपके फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया की क्या हालत है ? भगवान जानता है, वहां 7 हजार से ज्यादा एम्पलाईज हैं और उनको आप निकाल नहीं सकते। इस प्रकार का जो आपका काम है उस काम को करने में आपको योग्यता, क्षमता और प्रशासन में कुशलता लानी होगी तभी आप अपनी हालत और सुधार सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बन सकते हैं।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पूरक अनुदानों पर विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं वह समय-समय पर देश के काम को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आपने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत-सी राहत देने के पश्चात् भी हमारी जो आय है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं दो एक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। आज जहां हम देश की रक्षा के लिए अपना बजट इतना बढ़ा रहे हैं वह हमारा बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि हम देश की रक्षा को सर्वोपरि समझ कर देश के जवानों को सुख-सुविधा दें और साथ ही आधुनिक यंत्रों का भी प्रयोग करें।

इसके साथ-साथ गांवों की और देश की तरक्की के लिए जो काम किए जा रहे हैं, गांवों में जो किसान बसे हुए हैं और जो गरीब हरिजन या अन्य अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए जो विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको भी व्यवस्थित ढंग से सरकार को देखना होगा क्योंकि जितना रुपया सरकार विकास के लिए दे रही है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। हमारे जितने भी नेता हैं और यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जो गरीबों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के लिए धन दिया गया है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। वह इसलिए नहीं हो रहा है कि हम गरीबों पर विश्वास नहीं करते हैं जिनको कि हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, बल्कि हम जो हमारी मशीनरी है उस पर विश्वास करते हैं और उसमें तमाम बिचौलिए पड़ जाते हैं जिससे हर जगह भ्रष्टाचार होता है और उसके बाद ही उनको वह पैसा मिल पाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन बिचौलियों को हटा कर उनको सीधे पैसा देना चाहिए और जो वसूली की बात है वह उनसे सीधे पैसा वसूल होना चाहिए। तभी उनकी तरक्की हो सकती है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें।

गांवों में किसानों की आबादी बहुत अधिक है। देश की 80 प्रतिशत जनता किसान है। किसान जो खाद्यान्न उत्पादन करता है उस पर सरकार एक समर्थन मूल्य घोषित करती है। अभी पिछले साल सरकार ने आलू का भाव 55 रुपये क्विंटल घोषित किया लेकिन गांवों में वह आलू 30 रुपये क्विंटल बेचा गया और उसके लिए कहीं क्रय-केन्द्र नहीं खोले गए।

सरकार यहां जवाब देती रही कि नहीं, खोले गए, खोले गए। ये जो दोरंगी बातें हैं वह दूर होनी चाहिए।

अभी इसी साल इसी सदन में घोषित किया गया कि धान का भाव 157 रुपये क्विंटल होगा लेकिन गांवों में धान 120 रुपये से 125 रुपये क्विंटल बिक रहा है। साथ ही साथ प्रदेश की सरकारों ने धान के कूटने के ऊपर उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि कोई भी किसान धान न कूटे। आज गांव का किसान न धान कूट सकता है न बेच सकता है। नतीजा यह होता है कि बड़े-बड़े पूंजीपति लोग और बिचौलिए लोग सस्ते दाम में धान खरीद रहे हैं और उसके बाद में धान का भाव आगे बढ़ जायेगा। जब सितम्बर-अक्तूबर का महीना आया तो आलू का भाव 125 रुपये से लेकर 140 रुपये क्विंटल हो गया। यह मैं मंत्री जी से इसलिए कह रहा हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति इसलिए कमजोर होती है कि हम समय पर उनको जो सहयोग देना चाहिए वह उनको नहीं दे पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो प्रतिबन्ध लगाया है कि किसान धान नहीं कूट सकते उसको तत्काल हटाना चाहिए। क्योंकि मुझे बताया गया कि लेवी का धान या चावल नहीं मिलेगा। लेवी का चावल उनको बाद में लेना है। लेकिन बड़े-बड़े लोग आज धान खरीद कर रख लेंगे और बाद में यदि चावल देंगे तो दो सौ रुपये क्विंटल में देंगे। तो किसान की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उस पर आप को ध्यान देना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि गांवों में जो आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं उनके संबंध में आप जाकर पता लगा लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहां पर जितना पैसा लगाया जा रहा है उसके बदले में वह प्रगति नहीं हो रही है जितनी कि हम आशा रखते हैं। प्रगति तो हुई है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं परन्तु जितना धन आप वहां पर लगा रहे हैं उस अनुपात में विकास नहीं हो रहा है।

समय-समय पर वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है जिसके बाद राहत कार्यों के लिए आप धन देते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको कुछ स्थायी रूप से भी सोचना चाहिए जिससे कि बाढ़ कम आए। बाढ़ों को कम करने के लिए मेरा सुझाव है गांवों में तालाबों का निर्माण होना चाहिए ताकि बाढ़ का बहुत सारा पानी उन तालाबों में ही रुक जाए तथा पानी का धरातल भी ऊपर आ जाए। इस प्रकार से बाढ़ें कम आएंगी। वैसे तो वैज्ञानिक सारे देश में ही सर्वे कर रहे हैं लेकिन इस संबंध में तेजी के साथ सर्वे का कार्य होना चाहिए तथा इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि खर्चे पर भी कर लगाया जाए। मैं कहता हूं कि जो अपव्यय किया जाता है उसको अवश्य रोकना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े-बड़े आदमियों की शादियों में चार-चार लाख रुपये केवल सजावट में ही खर्च कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इन बातों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी एक बड़े ही प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वे ठोस कदम उठाते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वास्तव में इस देश में सही रूप में धन का वितरण करना है तो उस पर कोई सीमा लगनी चाहिए। जिस प्रकार से भूमि पर सीमा लगाई गई और गरीबों में भूमि बांटी गई, उसी तरह से इस प्रकार के धन पर भी कोई सीमा बांधी जानी चाहिए।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे इलाहाबाद के फूलपुर में इफको का कारखाना है उसके विस्तार के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव आया है। 275 करोड़ का

अमोनिया प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन किया था लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मुझे मालूम है कि अन्य जगहों से भी ऐसे प्रस्ताव आए हैं लेकिन उनकी चार सौ, पांच सौ करोड़ की प्लानिंग है जबकि उतनी ही क्षमता का प्लांट फूलपुर में बहुत कम पैसे में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से उसी क्षेत्र में एक सोरों स्थान है जहां पर एक चीनी का कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है। माननीय मंत्री जी को इन प्रस्तावों में सहानुभूतिपूर्वक शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

एक प्वाइन्ट और है। इफको का कारखाना यूरिया का उत्पादन करता है। 40 से 42 हजार बोरी यूरिया प्रतिदिन वहां बनती है जिसके लिए हेवी वाटर की आवश्यकता होती है। इसलिए हेवी वाटर का एक कारखाना उत्तर प्रदेश में सुविधा को देखते हुए फूलपुर में ही लगाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं प्रदेश के विकास और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आप इस पर शीघ्रता से ध्यान देंगे। साथ ही मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित किए जाएं उसके लिए क्रय केन्द्र खोलकर किसानों से खरीददारी की जाए ताकि भाव नीचे न गिरने पाएं।

मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करके उचित कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं प्रस्तुत अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, बजट के बाद, छः महीने के अंदर ही सरकार 1,800 करोड़ रुपये की दूसरी अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर रही है। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं आ रहा हूं कि देश में काला-धन, और उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क के तथा और अन्य प्रकार के बड़े-बड़े घपले किस प्रकार चल रहे हैं। इन मामलों में सरकार क्या कर रही है ? इस सभा में, प्रश्न काल के दौरान मैंने इन मामलों को उठाया था कि गत दो वर्षों के दौरान ओर्के मिल का व्यापार बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् तीन गुना बढ़ गया है। उसने 1.5 करोड़ रुपये का आयात शुल्क अदा नहीं किया है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है। मेरे विचार से रिलायन्स ग्रुप का कुछ राजनीतिज्ञों और मुख्य दलों के साथ बहुत अच्छा ताल-मेल है। आपने ठाणे में स्थित पातालगंगा फैक्टरी को 27 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क अदा न करने के विरुद्ध नोटिस जारी किया है और उसने लगभग 27 करोड़ रुपये अदा नहीं किये हैं, तथा उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जाती है। ठाणे में कलर कैम० तथा अन्य कम्पनियों ने 80 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया है। और आप केवल बहुत ही छोटी बातों के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। यदि सरकार जरा-बहुत भी ईमानदार हो जाये और कुछ और अधिक कार्यवाही करे तो इन मिल मालिकों तथा उद्योगपतियों से करोड़ों रुपया एकत्र किया जा सकता है। मैं बम्बई की जमीन के बारे में कहूंगा। आप कह सकते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। किन्तु इसका संबंध जनता के आवास, गरीब व्यक्तियों के आवास से है। बम्बई में जमीन है। यह जमीन 1500 एकड़ है—इसका मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है और ये 'बाम्बे डाइंग' के पास है—जो न्यास के लिए आरक्षित है। यह न्यास अस्पताल, स्कूल और निर्धनों के लिए बनाया गया है। किन्तु जमीन मुख्य मंत्री द्वारा दी गई है। इसमें आवास सचिव और निर्माताओं का हाथ है। बड़े-बड़े करोड़पति इस प्रकार के करोड़ों के घोटालों में संलग्न हैं। यदि केन्द्रीय सरकार चुप न

बैठे और कुछ कार्यवाही करे तो मेरा विचार है कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

दिल्ली परिवहन निगम को सामान्य बजट के समय 40 करोड़ रुपया दिया गया था और 5 करोड़ रुपया बीच में दिया गया था और अब 35 करोड़ रुपया और दिया जा रहा है । दिल्ली विकास पर इतना अधिक रुपया व्यय किया जाता है । मैं इसका विरोधी नहीं हूं । किन्तु बम्बई के लिए क्या किया जा रहा है ? हम लोग बम्बई से हैं । सरकार को बम्बई से इतना सारा धन मिलता है । मैं इस सभा में इस बात का बार-बार उल्लेख कर चुका हूं कि बम्बई से 900 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क, 1000 करोड़ रुपया आयकर के रूप में और इतनी अधिक राशि सम्पत्ति शुल्क के रूप में सरकार को प्राप्त होता है और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार बम्बई से हर साल 2500 करोड़ रुपये एकत्र करती है । बम्बई के लोगों से आप और क्या आशा करते हैं ? जब हम बम्बई की बात करते हैं; तो यह न समझिये कि कफ परेड की बात की जा रही है; आप जहाज से केवल मालाबार हिल्स जाते हैं । किन्तु, 50 प्रतिशत व्यक्ति, लगभग 50 लाख व्यक्ति गंदी बस्तियों में रहते हैं और इसी स्थान से, जहां कपड़ा मिल मजदूर रहते हैं; मैं निर्वाचित हुआ हूं । वहां मकान गिर रहे हैं; हर साल सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं; इन मकानों की तत्काल मरम्मत करने की आवश्यकता है । राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास धन नहीं है । सभापति महोदय, आप भी बम्बई से निर्वाचित हुए हैं और आपको पता है कि बम्बई में क्या हो रहा है । हर साल अनेक मकान ढह जाते हैं और सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं । कपड़ा मिल मजदूर वहां समूह बनाकर बिना परिवार के रहते हैं । आपने बम्बई के लिए केवल 10 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है । बम्बई से निर्वाचित संसद् सदस्यों ने मांग की है कि मकानों की मरम्मत और गन्दी बस्तियों के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाए । इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ और अधिक धन दिया जाए । पहाड़ी परिवहन सस्ता है; 40 पैसे में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं । लेकिन बम्बई के लिए क्या किया गया है ? 'बेस्ट' द्वारा आना-जाना दस गुणा महंगा है । आप उन लोगों को बहुत अधिक राज सहायता दे रहे हैं किन्तु बम्बई के लिए कुछ नहीं कर रहे । बम्बई के संबंध में सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों है ? यही एक ऐसा अवसर है जब सरकार ने बम्बई के लिए कुछ किया है । आप लोगों के आंदोलन की प्रतीक्षा न करें । जब हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया तो प्रधानमंत्री ने बड़ी चतुराई से हमें कहा कि "हमने बम्बई को 1000 करोड़ रुपया दिया है, आप उसमें से खर्च कीजिए ।" महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार बम्बई के गरीब लोगों के लिए धन खर्च करने को तैयार नहीं है । इसीलिए, हमने इस मामले को उठाया है ।

आप पांडिचेरी और एंग्लो-फ्रेंच मिल को 12 करोड़ रुपये दे रहे हैं । हाल ही में वित्त मंत्री ने गुजरात कपड़ा मिल के लिए पुन: 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं । अब बम्बई से मांग आई है । 'बोम्बे' मिल को 60 या 70 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं । हमारे कपड़ा मिल रुग्ण होते जा रहे हैं । इन सभी मिल मालिकों ने बहुत लाभ कमाया है । सभा में मैंने कहा था कि किस प्रकार का विरोधाभास चल रहा है —जमीन बेची जा रही है, मिल जलाये जा रहे हैं आदि आदि । आपकी नीति क्या है ? इन सब लोगों को साफ बच जाने दिया गया है । और इसके बाद भी आप फिर व्यय कर रहे हैं । अपने अनुपूरक बजट में आपने कपड़ा मिलों के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । सरकार ने सैन्थेटिक धागे के आयात के लिए छूट देने की पहल की है और

इससे 130 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का घाटा होगा । इसके लिए सरकार ने यह बहाना लिया है कि निर्धन व्यक्तियों को सस्ता कपड़ा मिलना चाहिए । बम्बई में पोलिएस्टर वस्त्रों का मूल्य बढ़ गया है और देने के पीछे यही उद्देश्य है । रुग्ण उद्योगों के लिए आप जो कर रहे हैं, वह यह है । यही एक ऐसा अवसर है जब आप इन लोगों के आड़े आये हैं क्योंकि काला धन पैदा होने का एक प्रमुख कारण यही है । कर्मचारियों का शोषण किये जाने का भी यही एक प्रमुख कारण है ।

महोदय, अपनी कपड़ा नीति में आपने रोजगार से वंचित होने वाले लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने का आश्वासन दिया है । माननीय सदस्य श्री मधु दंडवते ने बताया है कि इस नीति के कारण अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों में लगभग दो लाख श्रमिक रोजगार से वंचित हो गये हैं । क्या पुनर्वास और मुआवजे के लिए आपने एक भी पैसा खर्च किया है ? गत एक वर्ष से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया । आपने सभा में आश्वासन दिया है । इसलिए, यही उपयुक्त समय है जबकि सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और उन लोगों को दिया गया आश्वासन पूरा करना चाहिए जो कपड़ा मिल भी इस नीति के कारण वास्तव में मर रहे हैं । पुनर्वास और मुआवजे की योजना और आश्वासन में आप तीन गुणा दे चुके हैं किन्तु आपने अभी एक भी पैसा खर्च नहीं किया है । इसके बारे में विचार करना चाहिए ।

आपने गैस प्राधिकरण को लगभग 130 करोड़ रुपया दिया है । महाराष्ट्र के बम्बई हाई में गैस और तेल पाया गया है । किन्तु मुझे आश्चर्य है कि महाराष्ट्र को उस गैस का एक प्रतिशत भाग भी प्राप्त नहीं होगा । मेरे विचार से इसके बारे में विचार करने का यही उपयुक्त अवसर है । यह गुजरात होकर आ रही है । इससे मेरा कोई विरोध नहीं है । यह मत सोचिये कि मैं बम्बई हवाई अड्डे और 'मालाबार हिल्स' की ही बात कर रहा हूं । इसके विपरीत मेरी मांग यह है कि जो गैस महाराष्ट्र से होकर जा रही है उसे कम से कम मराठवाड़ा और विदर्भ को देने के बारे में विचार किया जाये क्योंकि ये पिछड़े इलाके हैं । जब गुजरात होकर कोई लाइन जा रही है तो आपको उसका कुछ प्रतिशत महाराष्ट्र को देने के बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए ।

पिछड़े उद्योगों के विकास के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा । यहां आप और 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं । यह ठीक बात है कि उद्योग पिछड़े क्षेत्रों अथवा गरीब क्षेत्रों में आते हैं । आपने नगरों में उद्योग आरंभ किए हैं, करोड़ों रुपये हड़प किए हैं, और सरकार तथा बैंक की धनराशि से विशाल कारोबार किया है । इन्हीं लोगों को इन पिछड़े क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है और वह फिर स्थिति का फायदा उठाने जा रहे हैं ।

बिड़ला ने बिहार में बिहार एलॉयज के नाम से एक कारखाना आरंभ किया है । वह कहते हैं कि वह बिहार के लोगों पर कृपा कर रहे हैं । बंबई में आने के पश्चात् उनके प्रबंधक ने कहा कि वह एक हजार का वेतन मांग रहे हैं । किंतु जब मैं बिहार गया तो देखा कि उन्हें 5 रुपये 8 आने की वृद्धि मिली है । आप किनके लिए उद्योग आरम्भ कर रहे हैं ? क्या श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान नहीं देना है ? बम्बई में वह हजारों रुपये दे रहे हैं और बिहार में वह 5 रुपये भी नहीं दे रहे हैं । अतः इन सब चीजों का विकास करते समय कोई नीति बनाई जानी चाहिए ।

महोदय, मैं अब केवल एक मिनट और लेना चाहता हूं । मैंने ध्यानाकर्षण में सीमा विवाद का मुद्दा उठाया । आपने असम तथा पंजाब में सभी विवादों को सुलझाया है । किंतु महाराष्ट्र तथा

कर्नाटक का सीमा विवाद 30 वर्षों से लटका हुआ है। आपके भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री आश्वासन देते रहे। मेरे पास पूरा ब्योरा है। गत छ: मास में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा बेलगांव एकीकरण समिति और हम सब प्रधान मंत्री से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रयास करेंगे और यदि समस्या नहीं सुलझती है तो फिर वह इस मामले को देखेंगे। महोदय, यहां तक कि गत महीने 15 नवम्बर को प्रधान मंत्री बंगलौर गए थे और जब यह प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने कहा कि वह दोबारा प्रयास करेंगे और यदि ऐसा करने से भी सफलता प्राप्त नहीं होती तो वह दोनों राज्यों के लोगों की सर्व-सम्मति प्राप्त करेंगे।

हम बहुत ही ईमानदार हैं। हम महाराष्ट्र में कर्नाटक की भूमि लेना नहीं चाहते हैं। किंतु गांव को एक इकाई मानकर भौगोलिक निरंतरता तथा पूर्णरूपेण तुलनात्मक बहुमत के आधार पर महाराष्ट्र के सीमावर्ती शहरों में कुछ किया जाना चाहिए। मैं बेलगांव अथवा कारबार के संबंध में बात नहीं कर रहा हूं। ग्रामों में यदि कर्नाटक के लोगों की संख्या अधिक है, हम उन्हें छोड़ने को तैयार हैं। अत: मैं इस सदन में इस बात पर बल दूंगा कि सीमा-संबंधी विवाद के प्रश्न पर जिसके लिए बेलगांव तथा कारबार की जनता गत 30 वर्षों से सचमुच मर रहे हैं, निश्चित रूप से सोचा जाए। **(व्यवधान)**

आप गांव की जनसंख्या तथा सेवा की निरंतरता देखिए।

इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह जो सप्लीमेंटरी बजट है, जहां आवश्यक काम होते हैं, उनके लिए यहां लाना पड़ता है। अभी हमारे वित्त मंत्री जी यहां पर भाषण दे रहे थे और उन्होंने बहुत-सी सही बातें कहीं। आज कई हिस्सों में हमारे देश में सूखा पड़ा हुआ है। कहीं नदियों में बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। इसमें हमको रुपया खर्च करना पड़ता है।

आज से एक साल पहले हमारे देश के अन्दर भोपाल गैस की एक त्रासदी आज के दिन हुई थी जिससे हजारों की तादाद में वहां के लोग जहरीली गैस से प्रभावित होकर मर गए थे और रोगग्रस्त हुए थे। उनके लिए राज्य सरकार ने बहुत-सा रुपया खर्च किया है—उनके पुनर्वास के लिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, काम-धन्धा मिले। भारत सरकार ने भी उसके लिए 20 करोड़ रुपये का आंशिक प्रावधान किया है। मगर इससे काम चलने वाला नहीं है। एक साल हो गया है, वहां के लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। हजारों लोग उससे मरे हैं। जो बच्चे पैदा हुए हैं वे भी प्रभावित हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी वहां मौके पर इसको देख आये हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इसके लिए और पैसा दें। हमारी राज्य सरकार इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मगर राज्य सरकार भी बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो 20 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है इसको बढ़ाया

जाए ताकि उन लोगों का पुनर्वास किया जा सके, उन लोगों को रोजगार दिया जा सके जो कि इससे प्रभावित हुए हैं।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। अभी मध्य प्रदेश में 45 जिले हैं। इन 45 जिलों में से 16 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। इन जिलों में एक बूंद पानी भी नहीं है। अभी भारत सरकार की एक टीम वहां गई थी। उसने मौके पर जाकर देखा है। इस सूखे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कुछ राहत कार्य शुरू किए हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाना और रोजगार देना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक भारत सरकार की मदद नहीं मिलेगी तब तक लोगों की तकलीफ कम नहीं होगी। वहां पीने के पानी की एक बूंद नहीं जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है।

वहां मैं झाबुआ से आता हूं। उस जिले में 15 साल से सूखा पड़ रहा है। हर साल राजस्थान वाले उसे धक्का दे देते हैं और वह मध्य प्रदेश में आ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे जिलों में इर्रीगेशन के बांध बनाए जाएं, डेम बनाए जाएं। अगर वहां रेलवे लाइन की आवश्यकता हो तो उसे पूरा किया जाए। हमारे प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। लाखों की तादाद में लोगों ने कहा कि हमको रोजी-रोटी के लिए रेलवे लाइन चाहिए। वहां के लोगों की इन्दौर, दाहोद रेलवे लाइन की मांग है उसको पूरा किया जाए। अगर वहां के लोगों को आपको जिन्दा रखना है तो हमारे वित्त मंत्री जी को मदद करनी चाहिए।

हमारे यहां इर्रीगेशन के लिए बड़े-बड़े तालाब बन सकते हैं, छोटे-छोटे तालाब बन सकते हैं ताकि वहां के लोग जिंदा रह सकें और जो हर साल सूखा पड़ता है उसकी कुछ रोक-थाम हो सके। इसलिए भारत सरकार को वहां सूखा रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। वहां 16 जिले सूखे से प्रभावित हैं जिनमें एक बूंद पानी नहीं है। लोग बेरोजगार बैठे हैं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं। अगर वहां किसी काम के लिए सौ मजदूरों की जरूरत है तो उस काम के लिए हजारों मजदूर आ जाते हैं। वे लोग काम न मिलने पर घिराव करते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में रोजी-रोटी का बहुत बड़ा सवाल है। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी वहां गये थे और वे इसको देखकर आए हैं। जितनी मदद आप राज्य सरकार की करते हैं उससे हमारा काम नहीं होगा। आपको राज्य सरकार की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए जिससे कि लोगों को वहां रोजी-रोटी मिल सके।

मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए और विकास में अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। हमको विकास की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें हमारा जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है, सैट-अप था अंग्रेजों के जमाने में, उसको बदलना चाहिए। जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की प्रथा थी, वही चली आ रही है, आज ये लोग अपनी पोजीशन मेंटेन करने का ही काम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं। आज रूरल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आज रुपयों का प्रावधान किया जाता है लेकिन उनको खर्च नहीं किया जाता। इसके लिए अच्छी मशीनरी कायम करने की आवश्यकता है। आज प्रजातंत्र की यह आवश्यकता है कि गांवों को आगे बढ़ाकर देश की उन्नति की जाए ताकि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया को दिखा सकें कि भारत ऐसी ताकत है, ऐसी जगह खड़ा है जहां से उसको कोई चुनौती

नहीं दे सकता। इस तरह की मशीनरी तैयार होनी चाहिए जो तय कर सके कि कैसे विकास हो, किस तरह का विकास हो, किस तरह से गांवों में मस्तिष्क का विकास हो, इस ओर विशेष ध्यान दें। जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों की ओर विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जब कोई उद्योग सिक हो जाता है तो सरकार उसका लोन माफ कर देती है, उसको टेक-ओवर कर लेती है, लेकिन जब किसान की फसल चौपट हो जाती है, कुछ पकता नहीं है तो वह बैंकों का लोन कैसे देगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो कांस्टीट्यूशन में इस तरह का अमेंडमेंट होना चाहिए कि उन किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। जहां पर कुओं में पानी नहीं है तो कुएं के लिए जो कर्ज उसने लिया है वह कर्ज या तो वह जमीन नीलाम करके, भैंस नीलाम करके या मकान नीलाम करके चुकाएगा। जहां सूखा पड़ा हो, बाढ़ आई हो, वहां के किसान का कर्ज आटोमेटिकली माफ हो जाना चाहिए। अगर कर्ज माफ नहीं होता और वह कर्ज से लदा रहता है तो गांव का विकास कैसे होगा। भारत का किसान एक साल कमाता है और एक साल खाता है। इस देश में केवल किसान ही ऐसा है कि उसको अगर एक भी वक्त भी खाने को मिले तो वह संतोष से रहता है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि जहां नेचुरल केलामिटीज हुई हो वहा किसानों का कर्ज माफ हो जाना चाहिए, उनसे कर्ज की वसूली नहीं होनी चाहिए, चाहे वह छोटा लोन हो, मध्यम क्षेणी का लोन हो, कोआपरेटिव से लिया हो, बैंक से लिया हो, कमर्शियल बैंक से लियाहो, सब जगह का लोन माफ होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री पी० षण्मुख (पांडिचेरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा पेश की गई 1985-86 के अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांगों के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

आरम्भ में मैं इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं जो देश में लघु कृषकों, कृषि मजदूरों, मध्यवर्गी लोगों तथा पददलित लोगों के आर्थिक विकास में सहायक होंगी।

4 नवम्बर से 12 नवम्बर तक की अवधि में तमिलनाडु राज्य में तंजावुर जिला, चंगलपुट जिला तथा मद्रास शहर में तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश में पांडिचेरी तथा कराइक्कल भयंकर बवंडर तथा अभूतपूर्व वर्षा से ग्रस्त रहे। पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश में बाढ़ के उफनते हुए पानी से 50,000 झोंपड़ियां बह गईं। पांडिचेरी क्षेत्र में 3500 हेक्टेयर भूमि पर सांबा की खड़ी फसल तथा 1500 हेक्टेयर पर गन्ने की खड़ी फसल नष्ट हो गई। करायक्कल क्षेत्र में 6500 हेक्टेयर भूमि पर सांबा फसल बवंडर के कारण नष्ट हो गई। सारे क्षेत्र में नदियों तथा तालाबों में बाढ़ आ गई। 400 किलोमीटर सड़कों पर बाढ़ के कारण सारे यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा। सिंचाई की नहरें, स्कूल की इमारतें, झोंपड़ियां, अस्पताल आदि बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए और यदि संघ शासित प्रदेश के इन भागों में सामान्य जीवन वापस लौटाना है तो शीघ्र इनकी मरम्मत की जानी चाहिए। संघ-शासित प्रदेश के प्रशासन ने युद्ध-स्तर पर बाढ़ राहत कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से 12.38 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

है। मैं इस अवसर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री से यह अपील करता हूं कि केन्द्र शाशित प्रदेश के प्रशासन द्वारा मांगी गई पूरी धनराशि तुरन्त मंजूर की जाए।

मुझे केन्द्र शासित प्रदेश पांडीचेरी की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर मिला है जिन्होंने पांडीचेरी तथा तमिलनाडु में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का विमान द्वारा दौरा किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ द्वारा हुई हानि से स्वयं अवगत हुए। उन्हीं से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ राहत उपायों से शीघ्र सहायता देने का आश्वासन दिया। पांडीचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में प्रशासन के ग तथा घ श्रेणी के 15750 कर्मचारियों को बाढ़ के कारण असीम विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह मांग कर रहा हूं कि उन्हें बाढ़ राहत के लिए तुरन्त अग्रिम राशि दी जानी चाहिए और केन्द्र को अविलम्ब इसकी स्वीकृति देनी चाहिए।

पांडीचेरी की जनता की ओर से और एंग्लो-फ्रेंच कहड़ा मिल्ज से 7500 मजदूरों की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति दी है जो गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों से बन्द पड़ा रहा। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस कारखाने को पुनः चालू करने से पीड़ित कर्मकार बहाल हो जाएंगे और केन्द्र शासित प्रदेश में इससे सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। इन अनुपूरक मांगों में, मांग संख्या 49 के अन्तर्गत इस कारखाने के राष्ट्रीयकरण के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें से 4.95 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में तथा 7.05 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। जहां तक मुझे इस समस्या की जानकारी है, मैं जानता हूं कि इस कारखाने को पुनः चालू करने के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि 12 करोड़ रुपए की यह राशि अनुदान के रूप में तथा शेष 6 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाने चाहिएं। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस कारखाने को फिर से चालू करने के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दें। मैं समझता हूं कि इस कारखाने के स्वामी श्री जटिया तथा उनके अनुचर नए प्रबन्ध में पद प्राप्त करना चाहते है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए, इस कारखाने को बन्द करने तथा लगभग ढाई वर्ष तक मजदूरों को भूखा मारने के लिए मूलतः श्री जटिया जिम्मेदार थे। श्री जटिया के इस घातक प्रयास को निष्फल किया जाना चाहिए और इस कारखाने को सुयोग्य तथा कुल व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में उचित कदम उठाने चाहिएं। हमें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि यह कारखाना पुनः बेईमान लोगों के हाथों में न चला जाए।

मैं स्वतन्त्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की छूट दिए जाने के लिए सचमुच माननीय प्रधान मंत्री के प्रति आभारी हूं।

मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री का ध्यान पांडीचेरी के स्वतन्त्रता सेनानियों की, जिनकी संख्या 500 के करीब है, दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जो फ्रांसीसी शासन से पांडीचेरी को स्वतन्त्र कराने और इस क्षेत्र को स्वतन्त्र भारत के साथ मिलाये जाने के लिए लड़े हैं। उन्हें केन्द्रीय स्वतन्त्रता पेंशन नहीं मिल रही है। मैं नहीं जानता कि पांडीचेरी के इन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिए जाने में विलम्ब क्यों हुआ है। उन्हें बहुत परेशानी है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन की मंजूरी देने के लिए शीघ्र कदम उठाए। मैं वित्त राज्य मंत्री से इस बात का भी अनुरोध करूंगा कि केन्द्र शासित प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों

को जो 150 रु० राज्य पेंशन दी जा रही है उसे 300 रु० तक बढ़ा दिया जाए। रेलवे पास तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वालों को मिल रही हैं वे अब राज्य स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन पाने वालों को भी मिलनी चाहिए।

मैं फिर एक बार माननीय प्रधान मंत्री के प्रति पांडीचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं इस बात की जांच करता हूं कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय विलम्ब के बिना कार्य करना आरम्भ करे। मैं इस बात की मांग करता हूं कि पांडीचेरी जो केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानी है उसे वायुदूत सेवा आरम्भ करके देश के अन्य भागों से जोड़ा जाए।

करायक्कल तथा इसके संलग्न क्षेत्र, करायक्कल अम्माय्यर मन्दिर, तिरुवेलारू सनीश्वरार मन्दिर, नगोर दरघा, वेलंगन्नी मन्दिर परम्परागत रूप से अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं जहां सारे देश से श्रद्धालुओं की भारी संख्या तथा पर्यटक भी आते हैं।

मैं चाहता हूं कि करायक्कल को वायु सेवा द्वारा पांडीचेरी, तिरूचिरापल्ली तथा मद्रास के साथ जोड़ा जाए। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में आवश्यक कार्य किया जाए।

कावेरी नदी से उचित समय पर जल की आपूर्ति नहीं करने के कारण और हाल की निरन्तर वर्षा के कारण केन्द्र शासित प्रदेश में कृषि मजदूरों को बहुत क्षति हुई है क्योंकि इस मौसम में वह खेती नहीं कर सकते हैं। वास्तव में उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। करायक्कल की 80% जनता कृषि में लगी है और अब वह प्रकृति के प्रकोप के शिकार हुए हैं। मुझे माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी से इस बात का अनुरोध करने का अवसर मिला है कि वह पांडीचेरी केन्द्रशासित प्रदेश की पीड़ित जनता को ऋण देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आदेश दे। वास्तव में उन्हें केन्द्र शासित प्रदेश में एक ऋण मेला आयोजित करने का आदेश देना चाहिए और पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों में स्वयं ऋणों का वितरण करना चाहिए।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुपूरक मांगों पर कुछ कहने का अवसर दिया है, और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री चित्त महाता (पुरुलिया) : सभापति जी, वित्त मन्त्री जी ने वर्ष 1985-86 के लिए जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रान्ड्स सभा-पटल पर विचार-विमर्श हेतु रखी हैं, उन पर दो दिनों से बहस हो रही है। उनमें सम्बन्ध में मैं भी दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

विगत बजट अधिवेशन में वित्त मन्त्री जी ने इस बात पर जोर दिया था कि देश में काले धन के स्रोतों का पता लगाया जाएगा और उसको नियंत्रण में करने के लिए कोशिश की जाएगी, योजना बनाई जाएगी। यहां अभी हमारे दत्ता सामन्त जी ने जैसा बताया कि जब तक हमारे देश में काला-धन रहेगा, हम चाहे कितनी ही योजनाएं बना लें, कितने ही उद्योगों को लगायें, हमें

उनमें सफलता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि काला-धन हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस दिशा में थोड़े कदम अवश्य उठाये गए हैं, जिनके लिए मैं वित मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक-दो स्थानों पर काला-धन निकालने के लिए छापे भी डाले गए हैं और दूसरे तरीके से भी कोशिश की जा रही है लेकिन बड़े-बड़े पूजीपतियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर अभी तक कोई हाथ नहीं डाला गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस कार्य में असफल सिद्ध हुए हैं। काले धन के प्रभाव से हमारे देश में आम जरूरत की चीजें दिन-प्रति-दिन महंगी होती जा रही हैं, उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास रोजगार कम है, उनकी क्रय-क्षमता के बाहर होती जा रही है और इस कारण वह बाजार से कोई चीज खरीदने की स्थिति में नहीं रह गया है। हम लोग सरकार से बार-बार मांग करते हैं, चिल्लाते हैं कि सभी आवश्यक चीजों के मूल्य बांधे जाएं ताकि गरीब मजदूरों को वे आसानी से उचित दर पर उपलब्ध हो सकें परन्तु सरकार ने अभी तक इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठाये हैं।

हमारे देश में 80 प्रतिशत आदमी खेती या उससे सम्बद्ध व्यवसायों पर निर्भर हैं। एक तरह से हम उनको किसान भी कह सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खेती की पैदावार बढ़ी परन्तु इसे हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि हमारे देश में किसानों की हालत दिन-प्रति दिन गिरती जा रही है। छोटे किसानों को बाध्य होकर अपनी खेती बेचनी पड़ रही है और वे खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपना पसीना बहाकर उस खेती से फसल पैदा की थी, अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि उनको दो समय की रोटी नहीं मिल पा रही है। सारे लोगों की ओर से सरकार से यह मांग की जाती है कि जूट, पान, आलू, रुई, गन्ना इत्यादि सब चीजों के मूल्य सरकार को निर्धारित कर देने चाहिए जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। एक मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वह पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है और वहां लाख काफी मात्रा में पैदा होता है। पिछले साल उसका दाम 8 से 10 रुपया था लेकिन इस साल उसका दाम 50 रुपया किलो हो गया है क्योंकि वहां के दो-तीन बड़े पूंजीपति उसका बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वे लोग ही स्वयं उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह लाख के मूल्य निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाये। ऐसी सभी चीजों के मूल्य बांध देने चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

तीसरी चीज, सरकार ने अभी तक भूमि-सुधार कानून लागू नहीं किया है और उस दिशा में कोई ठोस कदम भी नहीं बढ़ाया गया है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 86 लाख हैक्टेअर जमीन सरकार के पास सरप्लस है लेकिन उसमें से केवल-मात्र 15 लाख 60 हजार हैक्टेअर जमीन सरकार ले सकी है और उसमें से 6 लाख 91 हजार हैक्टेअर जमीन अब तक खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन लोगों को बांटी गई है। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब का स्थान ही आगे है। दूसरे राज्यों ने इस पर कोई अमल नहीं किया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूमि आबंटन पर जोर लगाना चाहिए। अभी भी गांव में 6 प्रतिशत लोगों की आधे से ज्यादा जमीन है और 40 प्रतिशत आदमी खेतिहर मजदूर हो गये हैं। हमारे देश का 45 करोड़ आदमी गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं। गरीब कहलाने के सम्मान से वह लोग वंचित हैं। इसका मूल कारण है कि सरकार भूमि सुधार नीति पर कोई इम्पार्टेन्स नहीं दे रही है।

गांवों में खेतिहर मजदूरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खेतिहर मजदूर

को साल में 122 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता है। इसीलिए खेतिहर मजदूर को उसका दाम नहीं मिलता। गलत आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नाम दर्ज कराने वाले बेरोजगारों को 1971 साल में संख्या 95 लाख थी, लेकिन इस साल 1985 में यह संख्या करीब-करीब 2 करोड़ 50 लाख पहुंच गई है। इनमें डाक्टर, इंजीनियर और डिग्री-होल्डर भी हैं। इन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इन नौजवानों को कुछ काम न मिलने से ये दूसरा गलत रास्ता अपना सकते है। देश की इंटैग्रिटी का सवाल भी पैदा हो सकता है।

[अनुवाद]

नौजवानों में काफी उत्साह एवं स्फूर्ति होती है और अगर इन लोगों की महाशक्ति को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो नौजवानों में अनुशासनहीनता फल जायेगी।

[हिन्दी]

देश को खतरा पैदा हो जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ज्यादा ध्यान दे।

यह इंटरनेशनल यूथ ईअर है। इसलिए सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और व्यस्क की सीमा नौकरी के लिए रखी गई है, वह उठा दी जानी चाहिए। क्योंकि यह सरकार ऐसे बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकती है इसलिए वह क्यों एज-बार रखती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एज-बार नहीं रखी जाये।

शिक्षा के विषय में हम लोग यहां चिल्लाते हैं कि कम्पलसरी एजूकेशन हो, लेकिन दो तरह की शिक्षा नीति इस देश में प्रचलित है। गरीब आदमी के लड़के एक जगह पढ़ते हैं और धनी आदमियों के लड़के बड़े-बड़े मिशन और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस तरह की शिक्षा नीति नहीं रहनी चाहिए। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती ऊषा ठक्कर** (कच्छ-गुजरात) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो अनुपूरक मांगें पेश की हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं। विकसित राष्ट्र में आवश्यकतानुसार अपने बजट में अनुपूरक मांगें रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

माननीय सभाध्यक्ष जी, गुजरात राज्य के पास लम्बा समुद्रतट है, इसलिए यहां पर अलंग नामक स्थान पर शिप ब्रेकिंग यार्ड को स्थापित किया गया है। लेकिन सभाध्यक्ष जी, इस समय यह उद्योग बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इस यार्ड की क्षमता प्रतिवर्ष 180 से 200 जहाजों को तोड़ने की है। फिर भी केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985-1986 के लिए केवल 60 जहाज ही तोड़ने के लिए दिये हैं। मान्यवर, इसके अलावा सरकार ने इस काम पर रु० 360 एक्साइज ड्यूटी लगाई है। जिसके कारण करीब तीन महीनों से यह उद्योग बिल्कुल बंद हो गया है। वैसे तो भारत सरकार ने जो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई उसे हालत को देखते हुए वापस लेने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। जहाजों को तोड़ने का काम स्थगित हो जाने के कारण देश को करीब करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी सरकार शीघ्र ही वापस ले ले।

*गुजराती में दिये गये भाषण के अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह उद्योग बन्द होने के कारण हजारों कामगारों ने अपना रोजगार गंवाया है, वे बड़ी मुसीबत में फंस गये हैं। इस समय गुजरात में सूखे की स्थिति भी है इसलिए यह उद्योग फिर से शुरू कर देना चाहिए।

मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ में भी समुद्र का बहुत लम्बा किनारा है। इस क्षेत्र में भी शिव ब्रेकिंग यार्ड की स्थापना तीन स्थानों पर की जा सकती है। वे हैं मुंद्रा, तुणा और माण्डवी। मेरे ख्याल में इस काम के लिए असिस्टेंट कस्टम कलक्टर की सुविधा होना आवश्यक है, तो वह सुविधा भी तुणा गांव में उपलब्ध है। मुंद्रा और माण्डवी सहायक कस्टम कलक्टर के दफ्तर से करीब 50 कि० मी० दूरी पर स्थित है इसलिए वहां पर भी यह सेवा उपलब्ध हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि इन तीन स्थानों में से जहां कहीं भी तकनीकी दृष्टि से सारी सुविधायें उपलब्ध हों, वहां पर शिव ब्रेकिंग यार्ड बनाया जाए।

मान्यवर, भूज और कांडला दोनों गुजरात में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं, कांडला तो उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण पत्तन है, फिर भी उन दोनों नगरों को भारत के अन्य प्रमुख स्थानों के साथ एस० टी० डी० से अब तक नहीं जोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन दोनों स्थानों को एस० टी० डी० की सुविधा तुरन्त प्रदान की जाए।

मान्यवर, सूखे और बाढ़ के बारे में माननीय महेन्द्र सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। गुजरात में भी इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। वहां पर पीने के पानी की भी बहुत कमी है। मेरा सुझाव है कि गुजरात में नर्मदा और मच्छु जैसी नदियों का पानी जो बिना उपयोग किये ही बह जाता है, उसे रोका जाए तथा जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। जिससे जनता को पीने का पानी मिल जाएगा और किसानों के खेत हरे-भरे होने लगेंगे।

मान्यवर, मैं दूर-दर्शन के बारे में भी अपने विचार तथा मांग रखना चाहूंगी। आप जानते ही हैं कि कच्छ हमारा सीमान्त क्षेत्र है। राष्ट्र की एकता-अखण्डता और सुरक्षा के लिए वहां के लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है और यह काम दूरदर्शन आसानी से कर सकता है। लोग भी दूरदर्शन का लाभ पाने के लिए उत्सुक हैं। माननीय मंत्री जी ने इस स्थिति को देखते हुए कच्छ में एक दूरदर्शन केन्द्र लगाने की योजना को स्वीकृति दी है। अब इस काम को यथाशीघ्र लागू करना आवश्यक है। मैं आशा करूंगी कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य गौर करेंगे तथा दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण कार्य तुरन्त शुरू करवायेंगे।

मान्यवर, मैं रेल सुविधा के बारे में भी अपनी बात रखूंगी जो अत्यन्त आवश्यक है। दिल्ली से भूज तक रेल की सुविधा उपलब्ध है। जो रेल लाइन इस समय मीटर गेज है, उसका ब्राड गेज में रूपान्तर करने के लिए उसका लखपत बारास्ता मांडवी तक का सर्वे हो चुका है। इस पर तुरन्त काम शुरू करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं। इस लाइन पर आने वाले स्थान मुंद्रा, मांडवी और लखपत आदि समुद्रतट पर हैं। यहां पर खनिज नमक तथा मच्छीमारी का उद्योग चल रहा है। इन उद्योगों के विकास के लिए तथा उत्पादकों को सस्ते यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि सर्वे के अनुसार रेल लाइन को ब्राड गेज में रूपांतरित करने के काम को शीघ्र लागू करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाये। मान्यवर, गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ आदि स्थानों पर नमक, खनिज, कोयला आदि की ढुलाई के लिए जो वैगन उपलब्ध हैं वे

बहुत कम हैं। कुछ अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराये।

मान्यवर, आपने अनुपूरक मांग पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, मैं 1985-86 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने यह जो मांगें प्रस्तुत की हैं, वह बहुत ही सामयिक हैं, लेकिन संतुलित नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें थोड़ा संतुलन बनाये रखने के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये थी जिससे कि कुछ मामलों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकें किन्तु कुछ कारणवश हम ऐसा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री ने जो स्वच्छ प्रशासन का नारा दिया था और अधिक तेजी के साथ काम करने वाली सरकार का जो वचन दिया था, यह कुछ ही दिनों में सिद्ध हो गया है कि सरकार बहुत तेजी से उस दिशा में काम कर रही है और एक स्वस्थ समाज के लिए हर दृष्टिकोण से, हर दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो काला धन इतनी विशाल मात्रा में पकड़ा गया है यह इस बात का द्योतक और परिचायक है कि सरकार इस रास्ते से अर्थ-व्यवस्था को जो कुछ लोग चौपट कर रहे थे उसको दूर करने के लिए और अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितनी तेजी कदम बढ़ा रही है। इसके लिए वाकई वित्त मंत्री और उनका मंत्रालय बधाई का पात्र है।

मै एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी धन का आवंटन होता है उसमें खास तौर से एक बात को नजर अन्दाज किया जाता है। मेरा निवेदन है कि भविष्य में उस पर नजर रखी जाए और आवंटन के समय उसको प्राथमिकता दी जाए और वह यह है कि धन के आवंटन के समय किन विशेष मुद्दों को पहले लेना है इसको ध्यान में रखा जाए। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर हमें उठाने के लिए कितने ज्यादा धन की आवश्यकता है और किस प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या क्षति है, क्या मांग है, क्या क्षेत्रफल है और क्या जनसंख्या है इन सारे मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस बात को प्राथमिकता देते हुए धन का आवंटन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के कई हिस्सों में बाढ़ और सूखे का प्रकोप रहा जिसे दैवी आपदा कहते हैं। उत्तर प्रदेश भी बुरी तरह से उसकी चपेट में रहा। उत्तर प्रदेश की यह स्थिति रही कि कुछ जिले तो पूरी तरह से तबाह और बरबाद हो गए। प्रदेश की सरकार ने 14 सौ करोड़ रुपये की योजना यहां पर भेजी और इतने धन की मांग की इस दैवी आपदा से निबटने के लिए। लेकिन मुझे खेद है कि मात्र सवा सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। आप सोचें कि इतने बड़े प्रदेश में जहां 14 सौ करोड़ रुपये की मांग है और जहां इतनी तबाही हो गई है, सवा सौ करोड़ रुपये में उस क्षति की पूर्ति कैसे संभव है ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश की जन-संख्या और क्षति का आकलन करके विशेष रूप से यह धन का आवंटन करना चाहिए।

इसी के साथ-साथ एक और बात खास तौर से बाढ़ और सूखे के मामले में कहना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण और दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर जौनपुर में कई वर्ष ऐसा नही

है, मैंने जब से होश संभाला है कोई वर्ष ऐसा नहीं देखा जिस वर्ष कि जौनपुर बाढ़ के पानी से डूब न जाता हो। हर वर्ष वहां तबाही होती है तो सरकार पैसा देती है। उस पैसे का बंटवारा होता है। अधिकारी उसको किस तरह से बांटते हैं, यह तो कोई कहने की बात नहीं है। आप खुद भी जानते हैं। हर वर्ष यह बात होती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन जगहों पर हर वर्ष बाढ़ आती है या जहां हर वर्ष सूखे का प्रकोप रहता है वहां पर स्थायी रूप से इस समस्या का निदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे जिले, वे प्रदेश, वे क्षेत्र और वह ब्लाक जो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, दैवी आपदा से वह तबाही के कगार पर न पहुंचें और उस उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसलिए हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी जगहों का चयन करके स्थायी रूप से वहां की समस्या का निदान किया जाना चाहिए जिससे आगे चल कर वहां यह समस्या न पैदा हो।

जो इस धन का आवंटन किया गया है उससे बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बात दूसरी है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सके हैं। लेकिन मुझे एक शेर याद आता है कि—

मंजिल मिले या न मिले इस का गम नहीं।
मंजिल की जुस्तजूं में मेरा कांरवां तो है।

हम उस तरफ बढ़ तो रहें हैं। हम विकास की तरफ बढ़ तो रहे हैं। हम तरक्की कर तो रहे हैं। भले ही उसकी गति मन्द क्यों न हो, उसकी मति धीमी क्यों न हो लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि खास तौर से ग्रामीण इलाकों के लिए, जहां पर गरीब किसान मजदूर रहते हैं, जिनकी विशाल जनसंख्या है, उनके उत्थान के लिए योजनायें चलाने के लिए सरकार जो धन देती है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। सौभाग्य से यहां पर ग्रामीण विकास

5.21 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

राज्य मन्त्री बैठे हुए हैं। एकीकृत ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना—इन तमाम योजनाओं के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु जो धन का निर्धारण किया है और जितना पैसा यहां से जाता है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं और उन योजनाओं पर काम हो रहा है या नहीं, सड़कें बन रही हैं या नहीं, पुल बन रहे हैं या नहीं, किसानों तक उर्वरक पहुंच रहा है या नहीं, उनको सब्सीडी मिल रही है या नहीं—इसको देखने की नितान्त आवश्यकता है। इसके साथ ही सौ करोड़ रुपये ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के मकानों के लिए आवंटित किए गए हैं लेकिन देखना यह है कि उसका उपयोग हो रहा है या नहीं और उस संबंध में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में भी जनता तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं इसको देखना चाहिए। हमारे अधिकारियों की उदासीनता के कारण कहीं-कहीं इन कार्यक्रमों में विघ्न पड़ जाता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों में तेजी

लाकर चुस्ती के साथ काम किया जाए ताकि शासन की जो मंशा है वह फलीभूत हो सके तथा गरीब किसानों का भला हो सके ।*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महालिंगम कृपया खत्म कीजिये । चूंकि वह अपना भाषण खत्म नहीं कर रहे हैं इसलिये जो कुछ भी वह कहेंगे उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

****श्री एम० महालिंगम** (नागापट्टिनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से 1985-86 की अनुदानों की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर, जोकि चर्चा अधीन हैं, कुछ शब्द कहूंगा ।

मैं केवल मांग सख्या 38 के बारे में कहूंगा जिसमें बाढ़ राहत उपायों के लिये 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मंजूरी मांगी गई है। पिछले महीनों में तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भयंकर तूफान एवं अभूतपूर्व बरसात हुई थी । हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया तथा तमिलनाडु की क्षतिग्रस्त स्थिति से स्वयं को अवगत कराया तथा उन्होंने राहत कार्यों के लिये बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तुरन्त केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया । मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम समुद्र तट पर है तथा भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे, नागापट्टिनम तिरूवरूर, तिरूथुराई पुन्डी, वेदराण्यम्, नानीलम मत्तारगुडी । पूर्वी तन्जौर जिले में एक लाख एकड़ भूमि पर उगी कुरूवई की खड़ी फसल बाढ़ से नष्ट हो गई थी : इसी प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि इस वर्ष तीन लाख एकड़ भूमि पर हमें साम्बा फसल प्राप्त नहीं होगी क्योंकि बाढ़ के पानी से इसकी जड़ें नष्ट हो गई हैं । हजारों लोगों की झोपड़ियां समाप्त हो गई हैं । खेती के शुरू के दिनों में इस क्षेत्र के कृषकों को मेट्टूर बांध से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है । अगर उन्हें कभी पानी मिल भी जाता है तो उससे वह खेती नहीं कर सकते क्योंकि यह उस समय मिलता है जब खेत में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है । अक्तूबर, नवम्बर में लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बाढ़ से नष्ट हो जाती है ।

मांग संख्या 38 के तहत राहत कार्य के लिये सिर्फ 45 करोड़ रुपया ही मांगा गया है । यह रकम तो सिर्फ नागापट्टिनम क्षेत्र का राहत कार्य पूरा करने के लिये भी पर्याप्त नहीं है । सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं । रेल की पटरियां बह गई हैं । रेल पुल नष्ट हो गए हैं । इस समय मद्रास और विल्लुपुरम के बीच कोई रेल सम्पर्क नहीं रहा है । यहां तक कि मद्रास में अन्ना सलाई की मरम्मत करने के लिये ही हमें करोड़ों रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ? अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु राज्य द्वारा मांगे गये 200 करोड़ रुपयों की धनराशि की मंजूरी दें । तभी हम वास्तविक राहत कार्य कर सकते हैं ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

नागपट्टिनम बन्दरगाह का ऐतिहासिक महत्व है। परन्तु यह खेद की बात है कि आज भी यह एक छोटा बन्दरगाह है। ड्रेजर की हालत एकदम खराब है तथा इस बन्दरगाह में भारी मात्रा में गाद जमा होती जा रही है। नागपट्टिनम बन्दरगाह में सफाई कार्य को शुरू करवाने के लिये तुरन्त ही 'सेन्ट्रल ड्रेजिंग कारपोरेशन' को निदेश दिया जाना चाहिये तथा बन्दरगाह को कार्य-योग्य बनाया जाये। इस बन्दरगाह का विस्तार भी किया जाना चाहिये।

चिदम्बरम जहाज में आग लगने की घटना के पश्चात, जोकि नागपट्टिनम तथा सिंगापुर और मलेशिया के बीच चलता था अब इन स्थानों के बीच कोई भी जहाज सेवा नहीं है। इससे यात्रियों एवं निर्यातकों को तकलीफ हो रही है। मैं मांग करता हूं कि नागपट्टिनम, सिंगापुर तथा मलेशिया के बीच तुरन्त ही जहाजरानी सेवा शुरू करनी चाहिये।

वेलंगानी वर्जिन मेरी टेम्पल, नागोर की मुस्लिम दरगाह, सिक्कल सिंगरावेलन टेम्पल ये सभी नागपट्टिनम के आसपास हैं। देश के सभी कोनों से ईसाई, मुसलमान, हिन्दू आदि इन मन्दिरों को देखने के लिये यहां आते हैं। वास्तव में ये स्थान धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं क्योंकि सभी भक्त लोग बिना किसी धर्म में भेद भाव किये इन सभी मन्दिरों में जाते हैं।" वेलंगानी तथा इसके आसपास के क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये तथा इन मन्दिरों में आने वाले हजारों भक्तजनों को लाभ पहुंचाने के लिये आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

नागपट्टिनम तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में काफी संख्या में मछुआरे रहते हैं। इन मछुआरों के फायदे के लिये राज्य सरकार कई कल्याणकारी उपाय लागू कर रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को शीत भंडारण ग्रह बनवाना चाहिये तथा इस क्षेत्र के निर्धन मछुआरों के उत्थान के लिये मत्स्य पालन फार्म भी वहां पर बनाने चाहियें। वेदराण्यम तथा नागपट्टिनम के मछुआरों को इस तरह की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

प्रत्येक वर्ष तन्जौर जिला या तो सूखे से या फिर बाढ़ से प्रभावित रहता है। इन निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं के शिकार कृषक और कृषि मजदूर हैं। यह सिद्ध किया जा रहा है कि अपनी जीविका के लिये वे कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते। परन्तु व्यवसाय का उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तन्जौर जिले में एक भी उद्योग नहीं है तथा विशेष रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। हाल ही में कालाप्पी में कावेरी बेसिन में तथा नरीमनम एवं अन्य नजदीकी क्षेत्रो में गैस पाई गई है तथा यह साबित किया गया है कि इन क्षेत्रों में से तेल की काफी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में पैट्रो-रसायन उद्योगों को लगाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें। वेदारण्यम तथा नागपट्टिनम में नमक काफी मात्रा में उपलब्ध है। तमिलनाडु के इस क्षेत्र में रसायनिक उद्योग लगाने के लिये यहां उपलब्ध नमक का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योगों से इस क्षेत्र के कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को दूसरे रोजगारों के अवसर मिलेंगे। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री से अपील करूंगा कि कृषि श्रमिकों की भलाई के लिये मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागपट्टिनम तथा तन्जौर जिले में उद्योग लगाने के लिये वह कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के

लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काले धन पर प्रहार किया है और बैंकों की कार्य-प्रणाली के द्वारा देश में क्रांति पैदा की है।

मैं सदन में माननीय सदस्यों को सुनता रहा हूं और अक्सर मैं देखता हूं कि बैंकों की कार्य-प्रणाली पर प्रहार करने का रिवाज-सा हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि शहरों से, नगरों से, बैंकों को उठाकर ग्रामीण अंचल के दूर-दराज के इलाकों तक ले गए हैं। इस क्रान्तिकारी कदम के लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा दिए गए ऋणों से हमारे गरीब व्यक्ति ऊपर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन गरीब व्यक्तियों के ऊपर आने से जो नए समाज का सृजन हो रहा है, उस नए समाज के सृजन का मुख्य उत्तरदायित्व हमारी अच्छी नीति है। इस संबंध में मैं आपको दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।

एक सुझाव मेरा यह है कि एक बार ऋण देकर हम यह न समझ लें कि हमारा कार्य समाप्त हो गया, बल्कि हमें फॉलो-अप-एक्शन की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रतिव्यक्ति पर-कैपिटा इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इसके साथ-साथ हमें स्टाफ में भी वृद्धि करनी चाहिए। उनको और सुविधायें देनी चाहिए, जो नवयुवक दुरस्त अंचलों में काम करने के लिए जाते हैं, ताकि वे उत्साह के साथ कार्य को संपादित कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे सफल क्रान्ति हमारे देश में जो हुई, वह किसानों के द्वारा हुई है, जिसकी वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। राष्ट्र आत्म-निर्भर हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसानों को उनकी उपज धान की पूरी कीमत नहीं मिल रही है। जिससे कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए बाजार में इनका धान मिट्टी के मूल्य पर लोग खरीद रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा यह देखा जाए कि एफ० सी० आई० बड़े पैमाने पर बाजार में जाए और कृषकों को घोषित मूल्य दिलाने की पूरी व्यवस्था करे।

एक हमारी नई योजना शिक्षित युवकों को रोजगार देने की है। यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जिससे हमारे युवक ऊपर आ सकते हैं और एक नये समाज का सृजन हो सकता है लेकिन जो ऋण युवकों को दिये जा रहे हैं, उनमें दो-तीन बड़ी कठिनाइयां हैं। अक्सर जो उनको ऋण दिया जाता है, वह बीच में क्षय हो जाता है, जिससे उन्हें जो प्रोजेक्ट चलाने हैं, उनको चलाने के लिए उनके पास धन नहीं रह जाता है। हम चाहते हैं कि वे उत्साहित होकर नये उद्यमी बनें लेकिन कठिनाई के कारण और शीघ्र धन वापस न देने के कारण उन्हें हथकड़ी पहननी पड़ती है और इस तरह से समाज के प्रति उनका एक आक्रोश होता है। मैं चाहता हूं कि इस योजना की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके लिए ऋणों की उचित व्यवस्था की जाए और जन प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए, जिससे उनको ऋण आसानी से मिल सकें।

आपकी एक योजना की घोषणा हुई है कि गरीब जनसाधारण को आप सस्ता गल्ला उपलब्ध कराएंगे। इसका स्वागत सर्वत्र किया गया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह हमारी सरकार की एक क्रान्तिकारी नीति है, जो आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुई लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि हमारी वितरण प्रणाली अभी कुशल नहीं है। तो आपको यह देखना होगा कि सबल वाहन से, मोबाइल वेन से इसका वितरण जनसाधारण को कराएं ताकि किसी

तरह की कोई गड़बड़ न होने पाए। नवीन योजनाएं जो आपने चालू की हैं, उनकी मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपूर्ण योजनाएं हैं, उनको पूर्ण कराने की आप व्यवस्था कराएं। हमारे बहराइच जनपद में, बाराबंकी जनपद में और बस्ती और गोंडा जनपद में जो सरजू कैनाल है, वह बहुत दिनों से अपूर्ण पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर प्रदेशीय सरकार उसको नहीं करती है, तो केन्द्र को सहायता देकर उसको पूरा कराना चाहिए। अगर वह पूरी नहीं होती है, तो गरीब जनता को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वह जल प्लावन का कारण हो रही है और इस योजना से निपटने के लिए हमें दूसरी योजना बनानी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि इस अपूर्ण योजना की तरफ आपका ध्यान जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां यह बार-बार घोषणा की जाती है कि उद्योगीकरण में हम संतुलन बनाएंगे लेकिन हमारे यहां बहराइच और बाराबंकी में जहां कच्चा माल उपलब्ध है, वहां के उद्योगीकरण की बात करते हैं, तो यह कह कर टाल दिया जाता है कि वहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब उन जनपदों में जहां कि कच्चा माल मिलने की दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं है वहां पर उद्योग लगाते चले जा रहे हैं। हमने अपने यहां दो तीन शूगर मिलों के लिए मोलेसेज पर आधारित डिस्टलरी की मांग की थी लेकिन उनके लिए लाइसेन्स देने की बात इसलिए नहीं की जाती है कि वहां पर कच्चे माल की कमी है। यह कारण बता दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इन जनपदों की ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें। समय कम है और आप घंटी बजा रहे हैं, मैं यह कह कर खत्म करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री, जिनके बड़े नाम हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनार्दन, उनसे मैं पूरी तरह आशा रखता हूं और पूरा विश्वास रखता हूं कि वे बहुजन के हितों के लिए और बहुजन के सुख के लिए पूरी कोशिश से काम करेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें कहूंगा।

इकबाल ने भारत के बारे में कहा था :

"बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि "बात कुछ ऐसी है कि हालत नहीं सुधरती हमारी।" आप जो कहते हैं, वह भी सही है और मैं जो कहने जा रहा हूं, वह भी सही है। आपने पैसा खर्च किया लोगों की भलाई के लिए लेकिन लोगों की भलाई नहीं और जिनको फायदा मिलना चाहिए था, उसको फायदा नहीं मिला। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं और मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि मंत्री जी आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको बाजार में दिखाता हूं कि महंगाई कहां चली गई है। मैं देखता हूं कि झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की हालत कितनी खराब है। मैं अपने पिछले दिनों की याद करता हूं। मैं उस इलाके से आता हूं जहां मलेरिया बहुत था। बचपन में हमारे डाक्टर हमें कुनेन का मिक्सचर देते थे और कहते थे कि इसके बाद दवा नहीं दूंगा। दोहपर को फिर कुनेन का मिक्सचर दिया और कहा कि अब और दवा नहीं दूंगा लेकिन शाम को फिर कुनेन का मिक्सचर दिया। यह जो बजट आप लाए हैं, यह कुनेन का मिक्सचर है। पहले बजट लाए, वह कुनेन का मिक्सचर था, फिर सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स लाए, वह कुनेन का मिक्सचर था और अब फिर आप ये डिमान्ड्स ले आए हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मलेरिया ठीक हुआ या नहीं ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : मलेरिया ठीक नहीं हुआ। इसलिए आप खर्च कर रहे हैं जो आप खर्च कर रहे हैं वह पैसा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।

मैंने पिछले सप्ताह नेचुरल कैलेमिटीज की बात की थी। इसमें भी उसकी बात है। मैंने कहा था कि उत्तरी बिहार बाढ़ से तबाह हो रहा है। मैं दो दिन तक लड़ता रहा तब जाकर बूटा सिंह जी ने माना। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने न तो हमें कोई चिट्ठी दी है, न कोई मेमोरेण्डम दिया है आप इस बात के गवाह हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गये। देश के प्रमुख अखबारों ने, बिहार के अखबारों ने लिखा कि बिहार के एक संसद सदस्य ने बहुत जोर देकर कहा कि उत्तरी बिहार बाढ़ से पीड़ित हो गया है लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार से कोई मेमोरेण्डम नहीं आया। अगर दिन को दिन बताने में भी तकलीफ होती है तो बात दूसरी है।

तभी बिहार के मुख्य मंत्री जी यहां आये तो मैंने उनसे कहा कि आप मेमोरेण्डम भेजिये, चिट्ठी लिखिये, कुछ तो कीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि मेमोरेण्डम देकर क्या होगा। कहने के लिए वे कह देंगे कि सहायता दी है लेकिन यह सहायता नहीं लोन होगा। 31 मार्च को हमको तंग कर देंगे कि लोन को वापस करो। हम कहां से वापस करेंगे ?

उत्तरी बिहार, खास कर मिथिला क्षेत्र आजादी के बाद से ही बाढ़ों से परेशान है। वहां नदियों के नाम हैं कमला, कोसी, बागमती, महानन्दा। कितने अच्छे नाम हैं। कोई अपनी लड़की का नाम इन्हीं नदियों पर रखना चाहेगा। लेकिन ये काली नागिनें हैं जो उत्तरी बिहार को मिथिला को तबाह कर रही हैं।

मैंने पहले भी कहा था कि नेपाल में इन नदियों को बांधा जाए। इनसे इतना बिजली का उत्पादन होगा कि पूरा नेपाल स्वर्ग हो जाएगा, उत्तरी बिहार भी स्वर्ग हो जाएगा। भगवान के लिए कुछ करिये। हर साल वहां लोग तबाह होते हैं। वहां के लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं। जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे परेशान होकर कहते हैं कि आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते। हम कहते हैं कि हम लोग आपकी आवाज बराबर उठाते हैं लेकिन वह नक्कार खाने में तूती की आवाज बन जाती है।

महोदय कहने को बहुत-सी बातें हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां के लिए कुछ तो कीजिए। वहां के लोग तबाह और परेशान हैं और वहां जिनके पास दो सौ, चार सौ एकड़ जमीन थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वे लोग भी आज चांदनी चौक के इलाके में, नोयडा के इलाके में मजदूर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपके साथ चलकर आपको दिखाने के लिए तैयार हूं।

वित्त मंत्री जी आपने सुना होगा कि वह लोग बेचैन हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि उत्तरी बिहार को नकसलवादी बनने से बचाइये। आप समय रहते कुछ कीजिए जिससे कि उत्तरी बिहार बाढ़ की तबाही से बच जाए।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बिहार के मित्र बोल

रहे थे। उन्होंने रोते हुए अपना भाषण दिया। क्यों ? जब हम जनता में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में क्या किया ? हम जो यहां भाषण देते हैं वह उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि हमारे रेडियो या प्रेस उनको रिलीज नही करते हैं।

आप यहां पर जो पैसा देते हैं वह पैसा कहां जा रहा है ? इसका लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है इसीलिए आज उन लोगों की आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। इतने साल की स्वतंत्रता के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये आंकड़े सब कागजों पर ही हैं। (**व्यवधान**) आप जनता में जाकर देखिए। आपका ध्यान शहरों की तरफ है।

अभी आपको उन्होंने बता दिया कि केन्द्र फ्लड और बाढ़ के लिए जो पैसा देता है तो वह लोन के रूप में देता है। पूरे रिसोर्सिज आपके पास हैं। एक्साइज आपके पास हैं, इनकम टैक्स आपके पास है। सामंत साहब कह रहे थे कि बम्बई से 25 सौ करोड़ रुपए सालाना आप इकट्ठा करते हैं। वहां पर कितना खर्च करते हैं ? उस क्षेत्र की क्या स्थिति है। कभी-कभी देहात की बात करते हैं, ग्रामीण विकास के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण विकास का काम होता तो जनता शहरों की तरफ क्यों आती, इसका क्या कारण है। उसका कारण यह है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वे लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमने एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम चलाया, आर० एल० ई० जी० पी० चलाया, लेकिन क्या 9 रुपए रोज देने से उसकी जीविका चल सकती है। आज गांव में किसान 15 रुपए रोज देने को तैयार है तब भी उसको मजदूर नहीं मिलता, इस स्थिति में वह शहर में आकर वहां का मजदूर रिक्शा क्यों चलाता है। वह यहां आकर बीस रुपए कमाता है और अपनी जीविका चलाता है। 9 रुपए रोज से उसका कैसे गुजारा हो सकता है। मुझे देखकर दुख होता है कि जितना भी पैसा आर० एल० ई० जी० पी० या एन० आर० ई० पी० में आता है वह डायरेक्ट मजदूर को नहीं पहुंच रहा है। वह डायरेक्ट मजदूर को नहीं पहुंचता बल्कि बीच में एजेंट होता है चाहे वह ग्राम प्रधान हो, विकास प्रधान हो, कांट्रेक्टर हो, वह बीच में पैसा खाता है। बिल सरकारी सुपरवाइजर के नाम पर बनता है और चैक भी सरकारी सुपरवाइजर के नाम से आता है। सुपरवाइजर के पास मस्टररोल होता है, वे लोग कुछ लोगों का नाम लिखते हैं और पांव से अंगूठा लगाकर पैसा लेते हैं। इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं या कितना काम हो रहा है। प्लानिंग कमीशन में बैठकर योजनाओं को अच्छे-अच्छे नाम दे दिए जाते हैं, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी, नेशनल रूरल एंप्लायमेंट प्रोग्राम, मैं जानना चाहता हूं कि क्या 9 रुपए रोज मजदूरी से उनको रोजगार मिल पाता है। जब वह 15 रुपए रोज में किसान की मजदूरी नहीं करता तो क्या वह 9 रुपए रोज में खड्डा खोदेगा, सड़क बनाएगा, कंकड़ डालेगा, कौन करेगा यह काम। आप लोग सोचते हैं कि पैसा खर्च हो गया तो विकास हो गया। पैसा खर्च होने का मतलब यह नहीं है कि विकास हो गया। मैं आपको दो-तीन मिसालें बताना चाहता हूं। सफ० सी० आई०, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया लेता है 140 रुपए प्रति क्विंटल और बेचता है 225 रुपए प्रति क्विंटल। इसका क्या कारण है ? उसके एम० डी० की मोटर का खर्चा, हैदराबाद से इधर आने का खर्चा, घूमने का खर्चा, ए० सी० फर्स्ट क्लास का खर्चा, अगर एक रुपया उसकी कीमत होती है तो 40 परसेंट, 50 परसेंट अन्य चार्जेज उस पर लग जाते हैं। कम दाम में लेते हैं और ज्यादा दाम में देते हैं। हमको यहां पर पता चला जब बताया गया कि 225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शुगर इंपोर्ट किया,

सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के मंत्री जी ने बताया और राज्यों को कहा कि आप 6 रुपए से ज्यादा नहीं बेचें। यह सब क्या है, फूड कारपोरेशन ब्लैक मार्केटिंग का काम नहीं करता? 225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इंपोर्ट की गई शुगर कंट्रोल की प्राइस पर राज्य सरकार के जरिए 580 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जाती है, इसका क्या कारण है। जब हमने पूछा तो इसका कोई कारण नहीं दिया गया। आपने कई देशों के बारे में बताया जो शुगर का उत्पादन नहीं करते और बाहर से शुगर मंगाते हैं। मारीशस 95 रुपए प्रति क्विटल के हिसाब से बम्बई में लैंडेड कास्ट पर देता है पर आपने उनसे नहीं लिया, ठीक है, लेकिन इसका क्या कारण है। यह तमाम पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि हैदराबाद में आई डी० पी० एल०, एन० टी० पी० सी०, ये जितनी भी मिलें हैं सब घाटे में जा रही हैं और उनको चलाने के लिए आपने 80 परसेंट पालिएस्टर मैन सिथेटिक बनाने की सुविधा दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान के कपास का क्या होगा। किसान को अपना कपास जलाना होगा। जब सरकारी मिलें 80 परसेंट पालिएस्टर कपड़ा बनाती हैं तो कपास कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, क्या यही रूरल डेवलपमेंट है, अगर इसको ही रूरल डेवलपमेंट समझते हैं तो फिर ठीक है। इसी तरह से ग्रामोदय स्कीम में कितने लोगों को लाभ मिला है, किनको आप लोन दे रहे हैं, इसके बारे में जो चीजें होनी चाहिए वे नहीं हैं।···(**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने के लिए अधिक समय दिया। हमारे आन्ध्र प्रदेश के स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड वाले इलैक्ट्रीसिटी ऐक्ट को लेकर लोगों से सर्विस चार्जेस के नाम पैसा ले लेते हैं। ए० पी० एस० ई० बी० ने कहा कि पोल, वायर और ट्रान्सफारमर खरीदकर दो। हमने पूछा इसका क्या कारण है। मालूम हुआ कि जितना पैसा देना था, वह नहीं दिया। इस साल तीस करोड़ रुपया पिछले साल के मुकाबले कम दिया है इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं है।

[अनुवाद]

हाल ही में ए० पी० ई० बी० ने प्रत्येक कुएं के लिए 2500 रुपए एकत्र किये। यह अग्रिम राशि नहीं है। यह तत्काल राशि है जो एकत्र कर बोर्ड को दी गई है।

[हिन्दी]

इसको आप ग्रामीण विकास कहते हैं। आन्ध्र प्रदेश में बिजली और कोयले की कमी नहीं है।···(**व्यवधान**) फ्रीडम फाइटर्स के लिए श्री राजीव गांधी की केबीनेट में डिसीजन लिया गया जबकि एवीडेंस नहीं था। यह निर्णय लिया गया है कि पांच सौ रुपया देना चाहिए। ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद सैल में 25 साल के लड़कों को पैसा मिल रहा है। जो लोग परदे से बाहर नहीं आए हैं उनको भी दिया जा रहा है। 18 हजार लोगों की एप्लीकेशंस पेन्डिंग में पड़ी हैं। ये एप्लीकेशन्स केन्द्र सरकार के लोक नायक भवन में हैं। बीस लोग जो जेल में गए, उनको भी प्राप्त नहीं हो रहा है।···(**व्यवधान**)

श्री रणवीर सिंह : आन्ध्र की गड़बड़ी है।···(**व्यवधान**)

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह भी कांग्रेस की ही गड़बड़ी है। जो लोग प्रभावित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अवश्य जांच कीजिए। ऐसा लगता है कि

उनका कोई चेयरमैन नहीं है।···(व्यवधान) बीस करोड़ रुपया लगाना पड़ रहा है इसलिए अवश्य जांच कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो गलत काम है उनको रोका जाए। ग्रामीण विकास के लिए जो कदम आप उठा रहे हैं उनके लिए एक बार फिर जांच कराने की कृपा करें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं और इस सदन के जरिए उनको बधाई देता हूं कि मुख्य बजट और सप्लीमेंटरी बजट के बीच में हमारी सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे आज देश में शांति आई है, विशेषतौर से पंजाब और असम का समझौता। आज हम देखते हैं कि इस सदन में अब पंजाब के प्रतिनिधि बैठते हैं और कुछ ही समय बाद असम के प्रतिनिधि भी आ जायेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा है कि पैसा बहुत दिया जाता है लेकिन वह खर्च नहीं होता। पिछले आंकड़े आप देखें तो सन् 47 में सारे हिन्दुस्तान का बजट 171 करोड़ का था और आज हिन्दुस्तान का बजट 54 हजार करोड़ का है। यह ठीक है कि बहुत विकास हुआ है। लेकिन जितना पैसा दिया जाता है उतनी बात नहीं बन पड़ती। बदनामी उस वक्त ज्यादा होती है जब लोगों को यह पता लगता है कि फला गांव या शहर के लिए एक करोड़ या पचास लाख रुपया है और जब काम देखते हैं तो वह समझते हैं कि सरकार के अन्दर कोई बेईमानी या अधिकारियों में या किसी और जगह करप्शन है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुचारू रूप से चलना चाहिए और बहुत सजग होकर देखना चाहिए कि ऐसे लोगों तक जब यह बात जाएगी कि जितना पैसा विकास के लिए मिलता है, वह खर्च नहीं किया जाता तो लोगों का सरकार से विश्वास गिर सकता है और उसके नतीजे बहुत ही हानिकर सिद्ध होंगे ऐसा मैं मानता हूं।

आज आप देखते हैं कि हर एक आदमी यह कहता है कि हमारे देहातों में काफी विकास हुआ है। देहातों में हिन्दुस्तान की जनता का 80 प्रतिशत भाग विकास करता है लेकिन देहात में जिसका विकास हो जाता है, किसी के हाथ कोई चीज लग जाती है तो फिर वह देहात में नहीं रहता बल्कि शहरों में आ जाता है और इस तरह देहातों की स्थिति वैसी ही चलती रहती है। मैं अपने हरियाणा की बात जानता हूं और मेरा ताल्लुक खास तौर से सोनीपत जिले से है, वहां देहातों में किसानों की होल्डिंग इतनी छोटी हो चुकी है कि शायद ही मेरे ख्याल में किसी के पास 6 स्टैंडर्ड हैक्टेयर से ज्यादा रकबा हो और वे गैर-बिस्वेदार की तरह हो। उनकी हालत ऐसी है कि आम आदमी यह महसूस ही नहीं करता कि वह किसान है। हरियाणा में मेरे ख्याल से लैंडलेस और लैंड होल्डर्स के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लैंड होल्डर्स को केवल यह पता होता है कि उसको किस खेत में काम करना है जबकि लैंडलैस किसान को सुबह ही पता चलता है कि उसे किस खेत में काम करना है, कहां काम करना है। इसलिए विशेष तौर पर सोनीपत, रोहतक, जींद इन जिलों को इन्डीस्ट्रयली बैकवर्ड जिले घोषित करके वहां इन्डस्ट्रीज लगाई जाएं और वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए।

इसके साथ-साथ, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि यू० पी० और हरियाणा के बीच में यमुना नदी है, उसके बारे में हमारी बहुत पुरानी मांग है कि बागपत और सोनीपत की साइड में उस पर एक ब्रिज बनाया जाए। यदि वह ब्रिज बन जाता है तो उससे दोनों सूबों को बहुत लाभ होगा। साथ ही लोगों को आवागमन में भारी सुविधा हो सकती है और दोनों के बीच तालमेल भी काफी बढ़ सकता है।

इसके साथ मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे देहातों में एग्रीकल्चरल लैंड पर सीलिंग है मैं चाहता हूं कि उसी तरह शहरी जमीन पर भी अर्बन सीलिंग को दृढ़ता से लागू किया जाए ताकि करप्शन दूर हो सके। यदि इसी ढंग से करप्शन चलती रही, जिन लोगों की देहातों में हालत अच्छी हो जाती हैं; वे शहरों में आकर जायदाद खरीद लेते हैं, कोई 50 करोड़ रुपया लगाकर अपना कारखाना आरम्भ कर देता है, कोई 5-10 लाख रुपये की बिल्डिंग खरीद लेता है लेकिन देहातों में यह सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब तक हम शहरी प्रोपर्टी की सीमा नहीं बांधेंगे उस समय तक करप्शन को चैक नहीं कर सकते। करप्शन को दूर करने के सम्बन्ध में, मैंने कुछ सुझाव और भी देने हैं। हमारे वर्तमान कानूनों के अनुसार हमारी सीक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती, बल्कि हमारी सीक्योरिटी पैसे के साथ अटैच है। हम लोग पैसे के आधार पर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। हर आदमी का यह विचार है कि यदि मेरे पास 10 हजार रुपया है तो मैं ठीक हूं, सुरक्षित हूं। यदि मेरे पास 20 हजार रुपया हो जाएगा तो मैं और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाऊंगा। इस लिहाज से अगर सुरक्षा की गारन्टी, जिम्मेदारी सरकार ले तो मैं समझता हूं कि करप्शन रुक सकती है और हमारा देश तरक्की कर सकता है तथा हमारा चरित्र भी ऊंचा हो सकता है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हमारे देश में आर्थिक आजादी नहीं आ सकती, उस समय तक, मैं समझता हूं कि आजादी का पूरा लाभ हम नहीं पा सकेंगे।

एक चीज मुझे और कहना है जो मैथ्यू कमीशन से सम्बन्धित है। चूंकि हम सब हरियाणा निवासियों का सतलुज व्यास लिंक कैनाल के साथ गहरा सम्बन्ध है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने पीछे जो फैसला किया है, परन्तु आज पंजाब में उन दोनों चीजों में रुकावट पैदा करने के लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं। उसके लिए चाहे लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न हो, जो स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन मैं कहता हूं कि पंजाब का मसला नेशनल ईश्यू है और इसके लिए केन्द्र सरकार को सख्त और दृढ़ता के कदम उठाने की जरूरत है। एस० वाई० एल० कैनाल की समय से पहले खुदाई की जानी चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिल सके और वे तरक्की कर सकें, हरियाणा का किसान आगे बढ़ सके। चूंकि मैथ्यू कमीशन का टर्म अभी बढ़ाई गयी है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि मैथ्यूज कमीशन जो हिन्दी स्पीकिंग एरिया हरियाणा को देने के लिए बना है और हमारी एस० वाई० एल० कनाल समय पर खुदना, यह दोनों काम समय पर हो जायें तो वहां के लोग सुख की सांस ले सकेंगे और 19 साल की जो पुरानी लड़ाई चल रही है, वह भी समाप्त हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का समय दिया।

5.55½ म० प०

औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : ठीक एक वर्ष पूर्व, भोपाल में एक भयंकर त्रासदी घटी जिसमें मानव जीवन तथा सम्पत्ति की भारी क्षति हुई। 3 दिसम्बर,

1984 को यह अभूतपूर्व पर्यावरणीय विपदा संयंत्रों की धारणा व डिजाइन तथा उनके प्रचालन में अपनाये गये सुरक्षा उपायों में त्रुटियों के सम्मिश्रण के कारण घटी। मृत्यु, पीड़ा और दुख की यह भयानक यादगारें हमेशा बनी रहेंगी। हमने इस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए व्यापक पैमाने पर राहत और पुनर्वास के लिए पूरी कोशिश की है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस विध्वंस के अभिघातज प्रभावों को महसूस किया जाता रहेगा, किसी प्रकार की राहत अथवा पुनर्वास के द्वारा इस मूलभूत सुरक्षा की घोर उपेक्षा के कारण असंख्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हुई नृशंस पीड़ा की कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रभावित जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार निरन्तर कोशिश कर रही है।

भोपाल त्रासदी से यह दुखद प्रमाण मिला है कि औद्योगिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सख्त और निरन्तर सतर्कता तथा जोखिमों के बारे में गहन जागरूकता व इनके विश्लेषण का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में कभी भी किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। जहां शैक्षिक और प्रोत्साहनात्मक प्रयासों का अपना स्थान है, जो चीज आवश्यक है वह है सोचे-विचारे बचाव अधिनियमों का कड़ाई से पालन तथा ऐसे लोगों को कड़ा दण्ड देना जो आवश्यक बचाव साधनों की व्यवस्था न कर, लोगों के जीवन से खेलते हैं। जनसाधारण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पर्याप्त गंभीरता से न महसूस करने वाले अभिकरणों से व्यवहार करते समय ऐसा और भी आवश्यक है।

खतरनाक पदार्थों के भंडारण, उपयोग एवं उत्पादन द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य संकट से श्रमिकों को बचाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए फैक्टरी अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्य आरम्भ किया गया है। फैक्टरी अधिनियम में संशोधन कर उन विशेष अपेक्षाओं का उल्लेख किया जाएगा जिनका पालन करना फैक्टरी मालिकों तथा उनमें दाखिल हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अधिनियम जहरीले तथा रासायनिक पदार्थों के प्रभाव की मान्य सीमाएं भी निर्धारित करेगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था होगी।

हम फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले खतरनाक पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान बनाने का इरादा रखते हैं। जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का भी संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास सुरक्षा नियमों के उल्लंघन-कर्ताओं से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता है। मानकों का पालन न करने वाले प्रदूषक उद्योगों को बन्द करने पर बाध्य करने के लिए प्रावधान प्रस्तुत किये जायेंगे। दोषी व्यक्तियों के लिए विद्यमान दण्ड पर्याप्त नही हैं तथा इन्हें निवारक बनाया जाएगा। सरकार ऐसा प्रावधान करने पर विचार करेगी जिसके द्वारा औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित व्यक्ति प्रदूषक फैक्टरियों पर मुकदमा करने में समर्थ हो सकेंगे।

हमारी चेष्टा होगी कि भोपाल में घटी त्रासदी जैसी त्रासदियां पुनः न घटें तथा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वच्छ पर्यावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस घटना के तुरन्त बाद एक समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। परन्तु हमें नहीं मालूम कि उस रिपोर्ट में है क्या तथा उस रिपोर्ट का क्या हुआ।

6.00 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 6 बज चुके हैं। अभी छः सदस्यों को और बोलना है। उनमें से प्रत्येक पांच मिनट तक बोल सकता है। सभा का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है। केवल इस चर्चा पर ही हम चार घण्टे के लिए बढ़ा चुके हैं। हम और समय नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि बहुत सारे वक्ताओं का अनुमति देनी होगी। इसलिए, हमें आधा घण्टा ही बढ़ाना है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति है। अब श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर बोलेंगे।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मूल बजट पर चर्चा के बाद हमारे देश के राजनैतिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, इसका श्रेय पंजाब और असम के समझौतों को जाता है।

यह सुनिश्चित करना हर एक का कर्त्तव्य हो जाता है (**व्यवधान**) कि इन समझौतों को उसी भावना से कार्यान्वित किया जाये जिस भावना से ये समझौते हुए है। इसी प्रकार, अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद और नदी विवाद के अनेक मामले हैं।

अभी-अभी माननीय सदस्य श्री दत्ता सामंत ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा उल्लेख किया था। जहां तक उस टुकड़े का संबंध है, आपको ज्ञात है कि उसके बारे में बहुत समय पूर्व लगभग 20 साल पहले ही निर्णय ले लिया गया था। महाजन आयोग पंचाट वर्ष 1965-66 में प्रस्तुत किया गया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार जो इसे कार्यान्वित करने के प्रति उत्तरदायी थी, अभी तक उसे कार्यान्वित नहीं कर सकी है। इससे कर्नाटक राज्य की जनता में बड़ा ही असंतोष व्याप्त है। इसलिये, मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार महाजन आयोग के प्रतिवेदन को पूर्णरूपेण लागू करे।

यदि हम नियुक्त किये गये न्यायाधिकरण या आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों की चर्चा पुनः करें तो उसका कोई अन्त नहीं है। यह एक बुरा उदाहरण होगा। मैंध्यू पंचाट के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है। जब कोई आयोग या न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाता है और उसे राज्य भी सहमति प्राप्त हो जाती है; तो केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसे पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाये।

एक दूसरा मामला जिसमें 4 करोड़ कन्नाडी-गाओं का सवाल है उस तरीके के बारे में है जो अनेक प्रमुख परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने निर्धारित की है। विजयनगर स्टील, जिसकी आधारशिला 15 वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री ने रखी थी, अभी तक एक कल्पना की वस्तु बनी हुई है। हमें नहीं पता कि इसका क्या भाग्य होगा। इसी प्रकार, बजट सत्र के दौरान ही हमें आश्वासन दिया गया था कि मंगलौर तेलशोधक कारखाना मंगलौर में ही स्थापित किया जायेगा। किन्तु हमने कल के ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया है कि केवल करनाल परियोजना का कार्य आरम्भ किया जायेगा किन्तु उन्होंने मंगलौर तेलशोधक कारखाने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

इसी प्रकार, उन्होंने पहले यह कहा था कि इलैक्ट्रोनिक डिजीटल एक्सचेंज फैक्टरी बंगलौर में लगाई जायेगी। किन्तु इसे उत्तर प्रदेश को अन्तरित कर दिया गया। बंगलौर में एक और एकक स्थापित किया जाएगा किन्तु वह एक पूर्ण कारखाना नहीं हो कर एक छोटी-सी कार्यशाला ही होगी। इन सब बातों से कर्नाटक के लोगों में बहुत क्षोभ व्याप्त है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा एक सुझाव है। हमारे यहां खाद्यान्न का उत्पादन बहुत अधिक होता है। हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन फालतू होता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने फालतू खाद्यान्न का क्या करें। इसमें साथ ही हमारे यहां निर्धनता है। हमारे देश के 50 प्रतिशत लोगों को दोनों वक्त का भोजन तथा अपेक्षित न्यूनतम 2000 कैलोरी नहीं प्राप्त हो रही है। स्वतंत्रता से पूर्व अन्न की जो खपत 350 ग्राम थी वह अब 50 ग्राम और बढ़ गई है। इसीलिये, लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि खाद्य पदार्थ रियायती मूल्य पर जिस प्रकार जनजाति के लोगों के सप्लाई किये जाते हैं उसी प्रकार सभी ग्रामीणों को सप्लाई किये जायें जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आज सदन में प्रस्तुत अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय जो वित्त मंत्रालय ने किए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं और वित्त मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार, कालाबाजार और जमाखोरी के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है और इन असामाजिक तत्वों में जो खलबली पूरे राष्ट्र में हो रही है उसके लिए वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे इसको और गतिशील बनाएं और इसमें और तीव्रता लाने का प्रयत्न करें तथा इस रोग को इस देश से समाप्त करने की दिशा में और अधिक प्रभावकारी कार्यवाही करें।

आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सेल्फ एम्पलायमेंट की स्कीमों के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उसके लिए काफी धन दिया गया है लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्रालय और सम्बन्धित मंत्रालयों एवं विभागों से विशेषकर अनुरोध करूंगा कि इनका क्रियान्वयन जो फील्ड में हो रहा है उस पर बड़ी कड़ी नजर रखें क्योंकि इसका लाभ जो

बेनिफिशियरीज हैं, जो गरीब लोग हैं जब तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है। सदन में बार-बार कहा गया है कि यह बिचौलियों का जो सिस्टम है उसको समाप्त करने की दिशा में वित्त मंत्रालय और सम्बन्धित मंत्रालय कोई न कोई योजना जरूर निकालें। इनको समाप्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

पिछले बजट में हमारे वित्त मंत्री ने निर्बल वर्ग के विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इसमें अभी तक कोई अधिक मांग नहीं की गई है। मैं देख रहा था और इस पर विचार कर रहा था कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो यह रुपया सब लैप्स हो जाता है। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया प्रादेशिक सरकारों को आदेश दें कि इस रुपये का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में कर लिया जाए।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे यहां चम्बल घाटी की डकैती की जो समस्या है भारत सरकार ने और कृषि मंत्रालय ने वहां के लिए दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना बनायी है और मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय को लगभग 297 करोड़ की योजना भेज दी है। मैं अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से कि उसे यथाशीघ्र स्वीकृनि दे कर उस क्षेत्र की दस्यु समस्या को समाप्त करने की कृपा करें। वहां डकैत जो हैं वे डकैत नहीं हैं। समाज ने उन्हें डकैत बना दिया है। यह मेरा मत है कि समाज का सताया हुआ व्यक्ति डाकू होता है और समाज की सतायी हुई स्त्री वैश्या होती है। इसलिए इस योजना को जिससे से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, चम्बल से जिनका बोर्डर लगता है उनके क्षेत्र के इन लोगों को सुधारेंगे और उनको मौका देंगे कि अच्छे नागरिक बन कर इस देश की कल्याणकारी योजनाओं में अपना हाथ बंटा सकें।

कौटिल्य ने अर्थ-शास्त्र में कहा है कि जिस राज में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय महंगा या तेज मिलता है और सस्ता नहीं मिलता है वह राज्य अच्छा नहीं कहलाता है। मैंने इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में कहीं भी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय के बारे में कोई अतिरिक्त धन का प्रावधान नहीं देखा हूं। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह शिक्षा चिकित्सा और न्याय जो आज इस देश में सबसे ज्यादा महंगे हैं उनको सस्ता करने की दिशा में प्रभावकारी कदम उठाएं।

इस बजट में महंगाई कम करने के बारे में जो विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं उनका मैं अनुमोदन करता हूं और अन्त में मैं पुनः आपका आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे कुछ समय बोलने के लिए दिया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझ समय दिया है और इस समय में मैं चाहूंगा कि सही माने मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं। जो पूरक मांगें पेश की गई हैं उनके सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि जवाब देते समय उनको एक बात की सफाई देनी चाहिए कि आपका जो एक सरकारी संस्थान है नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस पालिसी, उसकी एक नवीन रपट आई है जो उसने आपको दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि देश के अन्दर जो भी उत्पादन होते हैं उस उत्पादन का 20.81 प्रतिशत जो है उस पर कर या किसी तरह के टैक्स से कोई नाता-रिश्ता

नहीं है। वह बिना टैक्स के उतना उत्पादन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो काला धन पैदा हो रहा है कैसे आप उस काले धन को पकड़ेंगे ? किस तरह से कौन-सी योजना आप बनायेंगे जिससे कि देश में उत्पादन का पाचवां हिस्सा जो धरती में छिपा है, वह निकल सके क्योंकि जब तक देश में काला धन रहेगा तब तक आपकी कोई भी योजना वास्तविक में लागू नहीं हो सकती है। एक बड़े अर्थ-शास्त्री डी० आर० पेंड्से से ने कहा है कि प्रति मिनट 4.6 करोड़ का काला धन पैदा हो रहा है। तो यह जो तस्वीर है इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई भी अच्छी से अच्छी योजना क्यों न बनायें उसको लागू नहीं कर पायेंगे क्योंकि एक अलग से मजबूत समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चलती जा रही है जो आपकी अर्थ-व्यवस्था को पंगु बना रही है।

दूसरी बात यह है कि बेकारी बहुत बढ़ती जा रही है और प्रशासन को बड़ी बैचेनी है जिसका एक सबूत तो यह है कि बिहार में जहां पहले एक थाना था वहां पर 6 थाने बन गए हैं पिछले डेढ़ साल में, दो-दो सर्कल में एक-एक थाना बन गया है। यह समझना चाहिए कि बिहार में प्रशासन नगण्य है क्योंकि दो-दो चार-चार गांवों पर एक-एक थाना बन रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे नौजवान बेकार हैं और किसान व मजदूरों को, जो उग्रवादी तत्व हैं, वे उनको गुमराह कर रहे हैं। दूसरी ओर बचे-खुचे सामन्ती, जाति के आधार पर अपने संगठन बना रहे हैं। भूमि सेना, पटेल सेना आदि आदि। आपने देखा वहां पर दो दिन तक कितना हंगामा हुआ, गांव के गांव लोग गरीबी को काट रहे हैं। तो यह जो स्थिति है इसको ठीक करने के लिए मेरा जो सुझाव है वह मैंने अपने पत्र में भी लिखा है कि पूरे इलाके में, यदि सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो किसानों और मजदूरों को बराबर काम मिलेगा तथा नौजवानों की भी काम करने में तबियत लग सकेगी और फिर उनको कोई गुमराह नहीं कर पायेगा। इसके लिए दो योजनायें हैं—एक तो मोहाना डैम की योजना है और दूसरे पुनपुन(दर्धा) सिंचाई योजना है। ये दोनों परियोजनायें बीस तथा सात वर्षों से विचाराधीन पड़ी हैं। आप उनको तुरन्त स्वीकार करके पैसे की व्यवस्था करें। आपका जो केन्द्रीय जल आयोग है उसके पास ये योजनायें पड़ी हुई हैं, वहां से आप इन योजनाओं को तुरन्त क्लियर करवायें तथा पैसा एलाट करें। इन योजनाओं के कार्यान्वियन से उस इलाके से, वे गन्दे लोग जो लोगों को गुमराह करते हैं, वे भाग खड़े होंगे। इसके लिए मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं।

साथ ही साथ मैं आपको बराबर पत्र लिखता रहता हूं बैंकों में गड़बड़ियों के संबंध में, जिन पर आप जांच भी करवाते हैं और मुझे खुशी है कि वह बातें सही भी साबित होती हैं तथा सजा भी मिल रही है। आपने यह सुधार का कदम उठाया है जो बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने वचन दिया था कि सुधार के कदम उठायेंगे तो उसको आप सही मायने में लागू भी कर रहे हैं। विरोधी होने के नाते मैं केवल क्रिटिसिज्म ही करूं यह सही नहीं होगा बल्कि जो बात सही हो उसको भी कहना चाहिए। यह सही है कि बैंकों में सुधार की सम्भावना नजर आ रही है। आशा है आप और विशेष सुधार करेंगे जिससे कि गरीबों को जो आप पैसा देना चाहते हैं, वह सही रूप में उनको मिल सके। इस प्रकार से वे लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न होकर समाज में अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। परन्तु इस समय बिहार में जो जबर्दस्त आन्दोलन चल रहे हैं उनसे लगता है वहां पर प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन हालात को दुरूस्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि मैंने जो दो योजनायें—मोहाना डैम और पुनपुन दर्धा सिंचाई परियोजना बताई हैं उन पर आप तुरन्त ध्यान देने की कृपा करें क्योंकि ये वहां की जनता के लिए एक वरदान साबित होंगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स सदन के सम्मुख आना कोई नई परम्परा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह गतिशील अर्थ-व्यवस्था का लक्षण है और साथ-साथ इस बात का परिचायक है कि वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री व हमारी सरकार देश में जो नई स्थितियां पैदा होती हैं, उनके प्रति जागरूक है। इसके जरिए हम सदस्यों को भी यह लाभ मिलता है कि हम लोग सरकार की जो विभिन्न इकोनोमिक एक्टीविटिज हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

माननीय वित्त मंत्री जी जिन मदों को लेकर धन की व्यवस्था करने के लिए सदन के सम्मुख आए हैं, उनमें सूखा, बाढ़, बाढ़ पीड़ितों की मदद, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० जैसे कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य इन मदों में धन की व्यवस्था की आलोचना नहीं करना चाहेगा। बल्कि मैं तो वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी कि हम उम्मीद कर रहे थे, इन मदों में धन की व्यवस्था करने की, उतना पैसों का प्रावधान उन्होंने नहीं किया है। विशेषकर जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उनको मदद देने का कार्यक्रम है, उसमें भी कम पैसे की व्यवस्था की गई है। उसमें और अधिक पैसे की मांग आपको सदन से करनी चाहिए थी।

मेरे एक मित्र सब्सिडी देने की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि सब्सिडी का मिस-यूज होता है। इस बात को सब लोग जानते हैं और हम बार-बार इस बात की मांग करते हैं कि इसको दुरूस्त करने की आवश्यकता है। मगर सब्सिडी को देने की एक सीमा है और विशेष तौर पर ऐसी अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। यदि हम सब्सिडी नहीं देंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो उन गरीबों के ऊपर गरीबी एक प्रकार का बोझ बन जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस आलोचना से सकारात्मक रूप लेने की आवश्यकता है, न कि नकारात्मक रूप।

पिछले अधिवेशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां तक कहा था कि मूल्यों के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने मूल्यों पर न केवल नियंत्रण किया है, बल्कि एक स्थायित्व मूल्यों में आया है। मगर इसके लिए जितनी बड़ी उनकी जिम्मेदारी है, उतनी ही अच्छी फसल भी जिम्मेदार है। अच्छा होता कि हम अपने औद्योगिक उत्पादनों से भी ऐसा ही लाभ होता, क्योंकि हमने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी छूटें दी हैं। हमने प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन की कल्पना की थी, लेकिन वह कल्पना हमारी पूरी नहीं हुई। इसके साथ-साथ छः प्रतिशत हमारे आर्थिक विकास की कल्पना पर भी धक्का लगेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने विभिन्न उद्योगों के घराने की चाहे लाइसैंसिग के रूप में या फण्ड्स के रूप में, जो छूटें दी हैं, उन पर कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है। इस बात को देखने की जरूरत है कि हमारी छूटों से देश के विकास में अच्छा प्रभाव पड़े। प्रत्यक्ष करों में जो वसूली की स्थिति है, उस पर कड़ाई करने से अच्छा परिणाम निकला है। वसूली अच्छी हुई है, मगर इस पर प्रैशर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति में यदि एक भी रुकावट पैदा होगी, तो स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा पहले भी देखने में आया है कि रुकावट आने पर स्थिति एक निश्चित बिन्दु पर जाकर रुक जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदम करना चाहूंगा कि इस प्रैशर को आप बनाए रखने के लिए अपनी एनफोर्सिग एजेंसीज को तेज करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष जी, मुद्रास्फीति की दर में मंत्री महोदय द्वारा गिरावट लाई गई है, जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं आपका ध्यान विदेश व्यापार में गैप की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा आयात बढ़ता जा रहा है और निर्यात में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही है। यदि हम इस गैप को कम नहीं करेंगे, दो हजार करोड़ रुपए के गैप को यदि पाटने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव कालान्तर में हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। जो आपकी उम्मीद है, उस उम्मीद पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। मुझे दुःख है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रान्त के आर्थिक विकास के लिए न इस वर्ष में कोई विशेष प्रावधान किया गया है और न हमारी योजना परिव्यय में कोई विशेष प्रयत्न किया गया है। जो गाडगिल फार्मूला है, उसके जरिये हमारी योजना परिव्यय का झुकाव पूरे तरीके से उन राज्यों की तरफ है, जो पहले से विकसित हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रान्त में आज भी लाखों लाख लोग गरीबी के बोझे के तले दबे हुए हैं। हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बुन्देलखण्ड का हिस्सा है और जो पर्वतीय क्षेत्र है, वे आर्थिक विकास की दौड़ में देश के और हिस्सों से बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से डैवलपमेन्टल एजेन्सी बनाई है और योजना आयोग एक निश्चित मात्रा में धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाता है, उसी प्रकार से बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी अलग से डैवलपमेन्टल एजेन्सी बनाकर उसी माइने में उसे मदद देनी चाहिए जैसी कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और डेजर्ट डैवलपमेंट के लिए दी जाती है।

मुझे आपसे यह भी निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके माध्यम से विश्व बैंक को कई परियोजनाएं भेजी हैं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन्टेग्रेटेड सोयाबीन डैवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पंचायती वनों के विकास का प्रोजेक्ट है, होर्टीकल्चर डैवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इन सब के बारे में आपको शीघ्रातिशीघ्र विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी परियोजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सार्थक योगदान दे सकती हैं।

हिल एरियाज की एकोनामी फल और सब्जियों के उत्पादन पर आधारित है और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में फल इत्यादि पैदा होते हैं लेकिन वहां के कृषकों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। फल और सब्जियां सबसे ज्यादा परिशएबिल आइटम्स हैं मगर उनको फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप उनको फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाएंगे।

साथ ही साथ जो सोशल सेक्यूरिटी स्कीम है, उसका लाभ आपने कुछ जनपदों को दिया है लेकिन उसमें आपने बोर्डर एरियाज, ट्राइबल एरियाज और हिल एरियाज को छोड़ दिया है, जोकि अच्छी बात नहीं है। ऐसे इलाकों को जो कि ट्राइबल एरियाज हैं, हिल एरियाज हैं और बैकवर्ड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज को आपको सोशल सेक्यूरिटी स्कीम के अन्तर्गत लाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके मंत्रालय के अधिकारी प्रदेश के शासन से बात करके उन एरियाज को भी सेशिल सेक्यूरिटी स्कीम के अन्तर्गत लाएं।

इन शब्दों के साथ मैं सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का स्वागत करता हूं।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985-86 का जो

अनुपूरक बजट माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे अनेक साथियों ने यह बात कही कि शहर में जो बैंक थे, देहाती इलाकों में बड़े पैमाने पर जाल बिछा कर ग्रामीण बैंकों के माध्यम से आपने चाहा कि गरीबों का निश्चित रूप से उत्थान हो। सब्सीडी के बारे में हमारे साथी हरीश रावत जी कह रहे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोपालगंज में, जो उत्तरी बिहार का इलाका है, और उसी के बगल में गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू किया था और मैं उसी बगल के क्षेत्र से आता हूं, सब्सीडी एक भी गरीब को नहीं मिलती है। आज जो बैंक मैनेजर हैं, मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात तो नहीं कह सकता लेकिन उत्तरी बिहार में जो भी बैंक मैनेजर कार्यरत हैं, जो पहले साइकिल पर चलता था, जिसको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, आज वे 50-60 लाख रुपये की सम्पत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अगर आप इसकी जांच कराएं और मेरा आरोप गलत हो, तो मैं अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। हमारे गोपालगंज इलाके में एक बथना कूटी में बैंक है, जहां का मैनेजर श्रीकान्त सिंह है। उसका बाप सन् 1982 में जमीन बेच कर अपनी परवरिश करता था लेकिन आज गोपालगंज में कुचायकोट एवं पहाड़पुर में 40 लाख से ऊपर की सम्पत्ति है, एक बड़ा सनिमा है और घर पर हाथी, घोड़े हैं, ट्रक, रायफल, मकान एवं जमीन है। जब मैंने कलक्टर से यह बात कही, तो कलक्टर ने कहा कि पांडेय जी, बी० डी० ओ० ने सर्टीफिकेट दे दिया और उसी के बेसिस पर उसको लोन मिल गया। वह क्या करता है कि जो गरीब तबके के लोग लोन लेने के लिए आते हैं, उनसे 10, 5 कागजों पर दस्तखत करा लेता है और उसके बाद उनको 100 रुपये देकर उनके नाम पर 5 हजार, 7 हजार रुपये उनमें भर लेता है। इसीलिए सब्सीडी का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। मैंने एक नहीं, अनेकों पत्र अनेक बैंकों के बारे में लिखे हैं लेकिन आपके जांच अधिकारी जो यहां से जांच करने के लिए जाते हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जो जांच अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए गये, वहां से वी० सी० आर० लेकर वापस लौटते हैं। आप जब तक यहां से सी० बी० आई० की टीम से जांच के लिए नहीं भेजेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। आज स्थिति यह है कि बैंक मैनेजर सारे इलाके से पैसा लूट कर खाये हुए हैं। जब तक आप जमीन पर नहीं जाइयेगा और लोगों से पूछियेगा नहीं कि लोन मिला या नहीं मिला आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वहां के बैंक मैनेजर और बी० डी० ओ० बैठ कर सब कुछ कर रहे हैं और जो लोग यहां से जाते हैं वे आकर के आपको रिपोर्ट दे देते हैं कि कोई केस साबित नहीं हुआ।

मैं आपको चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं कि आप वहां के कलेक्टर से पूछियेगा, उसने श्री सिंह को सस्पेंड किया। एक बोर्ड बिठाया गया था और पता लगा था कि 50-60 लाख रुपए का गबन गोपालगंज जिले के बथना कूटी बैंक में हुआ है। आपको कुछ नहीं मालूम पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि आपके और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। साल भर में उनकी कार्य क्षमता का हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब उनका रिजल्ट आता है तभी उसकी प्रगति का पता चलता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जहां तक इस आरोप का संबंध है, जो माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने किसी मामले का उल्लेख किया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, उन्होंने कुछ ब्यौरा दिया है ।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : बहुत-बहुत धन्यवाद । उपाध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि रिजल्ट आने पर ही उनकी कार्यक्षमता का पता चलता है ।

मैं जनार्दन पुजारी जी की कार्यक्षमता से सबसे अधिक प्रभावित हूं । मैं एक निर्दलीय सदस्य हूं और उनके नाते से निष्पक्ष भावना से सदन में मैं बोलता हूं, किसी पार्टी या किसी दल की भावना से ग्रसित होकर नहीं बोलता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से चम्बल के बारे में यहां बताया गया उसी तरह का बिहार में भी एक मिनी चम्बल है जो चम्पारण के नाम से विख्यात है जहां करोड़ों रुपए का सरकार से अनुदान लेकर लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की । पता नहीं उस अनुदान का क्या हुआ ? उसी तरह से मेरे संसदीय गोपालगंज में अथवा कार्ड बोर्ड फैक्टरी में गवर्नमेंट का लाखों रुपया खर्च हुआ । लेकिन वहां भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । वह फैक्टरी भी बंद पड़ी है । उसी तरह से दूसरे जिले में भी लाखों, करोड़ों रुपए खर्च किए गये लेकिन योजनाएं कागजों पर ही हैं ।

सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मरी हुई आत्मा को शांति देने के लिए भी कुछ नहीं किया गया । उत्तरी बिहार में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में छितौनी रेलवे पुल का शिलान्यास किया था । यह रेलवे पुल छितौनी को सारे हिन्दुस्तान और नेपाल को जोड़ता है । इस पुल के बारे में लोग आशा कर रहे थे कि साल भर में यह बन जायेगा । फण्ड की कमी की वजह से यह पुल भी नहीं बन पाया । हम योजनाएं बना लेते हैं लेकिन वे पूरी नहीं की जाती हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पुल का शिलान्यास करते हुए जो संगमरमर का पत्थर लगाया था वह भी घिस गया है । वहां की सारी जनता की आवाज थी, नेपाल के लोग भी बड़े उतावले होकर इस पुल के पूरा होने की राह देख रहे थे क्योंकि यह भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है । वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ ।

गोपालगंज जहां से मैं आता हूं वह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । आप आदिवासियों का नाम लेते हैं । लेकिन उनके लिए आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आईं वे सब उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करती रहीं ।

बाढ़ के बारे में राजहंस जी ने कहा । उत्तरी बिहार में आप बाढ़ों के लिए ऐसा समाधान करें जिससे कि वहां के लोगों को राहत मिले । वहां जब बाढ़ आती है तो बिहार के इंजीनियर कहते हैं कि बिहार में बहार आ गया । इन बाढ़ों से इंजीनियर, एक्जीक्युटिव इंजीनियर और अनेक दूसरे पदाधिकारी लाखों-करोड़ों रुपये जमा किये हैं । आप कोई ऐसा वहां समाधान निकालिये जिससे कि वहां की जनता को राहत मिले सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत करता हूं ।

श्री एम० एल० झिकराम (मांडला) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस सप्लीमेंट बजट का स्वागत करता हूं । वास्तव में यह जो बजट रखा

गया है यह मंत्री जी की सूझबूझ का एक नमूना है। इसमें उन्होंने मुद्रास्फीति पर काबू पाया है, काले धन पर भी उन्होंने नियंत्रण किया है।

साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हरिजनों और आदिवासियों के क्षेत्रों में गेहूं 1.50 रुपये किलो, और चावल 1.85 रुपये किलो पर दिया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं और पूरे देश का गरीब तबका इसके लिए उनका बड़ा आभार मानता है।

साथ ही उन्होंने किसानों के लिए जो कि उपज पैदा करते हैं, समर्थन मूल्य दिया है इसको अगर और बढ़ाकर देते तो ज्यादा अच्छा होता। किसानों के श्रम को देखते हुए जो समर्थन मूल्य दिया गया है वह उतना ही काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि जो विलासिता की चीजें हैं उनमें और टैक्स लगाकर किसान के लिए समर्थन मूल्य और बढ़ा दिया जाए तो किसानों को इससे फायदा होगा। उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

एक और निवेदन करूंगा कि लेते वक्त, किसानों से जब अनाज, उपजें वगैरह लेते हैं तो समर्थन मूल्य में ले लेते हैं, किन्तु जब वह किसान बीज के लिए दाना लेता है बोने के लिए तब उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इस पर शासन विचार करे कि उनको भी बीज कम दाम पर मिले तो बेहतर होगा।

अब इससे हटकर मैं क्षेत्रीय बात पर आता हूं। जहां तक परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की बात है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मेरे क्षेत्र में बरगी बांध के पास आणविक ऊर्जा का केन्द्र खोलने की योजना थी। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने चुटका-पाठा स्थान को सर्वोत्तम स्थान बताया था, क्योंकि यह स्थान बरगी बांध के पास है और पानी का यहां अपार भण्डार है, ज्यादा आबादी भी यहां नहीं है और आवागमन के साधन भी यहां मौजूद हैं। वहां कुछ विशेष व्यक्तियों की मेहरबानी से यह केन्द्र कहीं दूसरी जगह जा रहा है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र हैं, अविकसित क्षेत्र है जहां पर उद्योग लगाना बहुत जरूरी है। कोई न कोई उद्योग वहां लगाना चाहिए, यह सरकार का भी विचार है। इतनी सुविधाएं होते हुए भी अगर यह केन्द्र दूसरी जगह चला जाता है तो इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का यह शोषण ही कहलाएगा। मैं बहुत विनम्रता से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर अच्छी तरह से विचार करने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों का हक न मारा जाए।

साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पहाड़ी जिला है, ऐसे स्थानों पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से अनेक सुविधायें दी जाती हैं, वहां पर उद्योगपति क्या करते हैं कि उद्योग के लिए पैसा ले लेते हैं और सारी सहूलियत लेने के बाद जबलपुर के नजदीक मंडला की सीमा में उद्योग लगा लेते हैं जबकि मंडला जिले में उद्योग लगाना चाहिए इससे मण्डला जिले का शोषण होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए इस तरह का नियम बनाया जाए कि जिस जिले के लिए लोन लिया जाए, उसके अलावा दूसरी जगह उसको न लगाया जाए। जिले की सीमा पर लगाया जाए। मण्डला पहाड़ी जिला है, उसके नाम पर सारी सुविधायें ले ली जाती हैं और जबलपुर के समीप सारे उद्योग खोले जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि पहाड़ी जिले की जनता इससे लाभान्वित हो सके।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि महाकौशल का जबलपुर ऐसा स्थान है जहां पर

हवाई पट्टी है जो ठीक नहीं है। अभी 12-13 सितम्बर को हवाई दुर्घटना हुई थी, इसलिए उसका भी सुधार होना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली से जबलपुर के लिए तो वायुदूत सेवा है लेकिन जबलपुर से दिल्ली आने के लिए सीधी सेवा नहीं है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और यह सुविधा वहां की जनता को दी जानी चाहिए। अभी आने के लिए जबलपुर से भोपाल होते हुए दिल्ली आना पड़ता है।

लोक निर्माण के कार्य में काफी पैसा दिया जाता है, फिर भी मेरा निवेदन यह है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऐसे क्षेत्रों से और अधिक पैसा दिया जाए, ताकि वहां पर आवागमन की अच्छी सुविधा मिल सके। मैंने पहले भी बताया था कि आवागमन की कमी के कारण वहां की तरक्की नहीं हो रही है। यदि वास्तव में इन पहाड़ी क्षेत्र की तरक्की करनी है तो आवागमन की उचित सुविधा वहां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक और मुख्य चीज है और वह यह कि वह पहाड़ी क्षेत्र है और वहां जंगल बहुतायत से हैं। शासन का नियम है कि बगैर केन्द्र सरकार की इजाजत के जंगल नहीं काटा जा सकता, भले ही निर्माण कार्य विकास से संबंधित हो। इसलिए न वहां पर सड़क बन सकती है, न बिजली की लाइन डाली जा सकती है, न रेल लाइन डाली जा सकती है जब तक केन्द्र सरकार मंजूरी न दे। इसलिए विकास कार्यों में काफी विलंब होता है और सारा विकास रुका हुआ है। कृपया पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से केन्द्र शासन के इस नियम में ढील देनी चाहिए, ताकि विकास का काम हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

6.34 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 दिसम्बर, 1985/13 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53